दशम माला, खंड 18, अंक 2

मंगलवार, 23 फरवरी, 1993
4 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

611
14-2-94

(खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 23 फरवरी, 1993 / 4 फाल्गुन, 1914 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
4	10	"श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे" के स्थान पर "श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे" पढ़िए।
43	नीचे से 5	"डा॰ कृपासिंधु मोई" के स्थान पर "डा॰ कृपासिंधु भोई" पढ़िए।
82	7	"श्री श्री कान्ता जेना" के स्थान पर "श्री श्रीकान्त जेना" पढ़िए।
96	नीचे से 6	"श्री रामकृष्ण कुसमारिया" के स्थान पर "श्री रामकृष्ण कुसमरिया" पढ़िए।
106	20	"श्री राम कृष्ण कुस्मारिया" के स्थान पर "श्री रामकृष्ण कुसमरिया" पढ़िए।
126	नीचे से 5	"घात" के स्थान पर "खाद्य" पढ़िए।
141	16	"श्री वी॰ शोभनादीश्वर राव" के स्थान पर "श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे" पढ़िए।
251	नीचे से 7	
266	3	
270	नीचे से 4	
227	8	"श्री जी बल्लभ पाणिग्रही" के स्थान पर "श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही" पढ़िए।
327	13	"श्री प्रभु दयाल कठोरिया" के स्थान पर "श्री प्रभु दयाल कठेरिया" पढ़िए।
356	नीचे से 5	"श्री मोहन रावेले" के स्थान पर "श्री मोहन रावले" पढ़िए।

विषय-सूची

दसवां माला, खण्ड 18, छठा सत्र, 1993/1914 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 23 फरवरी, 1993/4 फाल्गुन, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	4—280
तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 20	4—60
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 10, 12 से 23, 25 से 211 और 213 से 220	60—280
मंत्रियों का परिचय	280 और 317—318
सभा पटल पर रखे गए पत्र	281—291 और 373—374
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	292
सभापति-तालिका	292
रेल अभिसमय समिति	292—293
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
विधेयक—वापस लिए गए	
(एक) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक	293—294
(दो) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों का विलंबित संदायों पर ब्याज विधेयक	294—295
(तीन) औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक	295
भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	295—296
दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	296
विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक	296—297
(दो) स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक	297
स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया	297—298

विषय	पृष्ठ
लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदायों पर ब्याज विधेयक—पुरःस्थापित	298
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	298—302
नियम 193 के अधीन चर्चाएं	302—379
(एक) बोट क्लब पर राजनैतिक रैलियों पर प्रतिबन्ध	302—373
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	302
श्री सोमनाथ चटर्जी	310
श्री जगदीश टाईटलर	318
श्री इन्द्रजीत गुप्त	324
श्री नीतीश कुमार	337
डा० अबरार अहमद	340
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	342
श्री चन्द्र शेखर	349
श्री मोहन रावले	355
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	358
श्री राजेश पायलट	360
श्री सूरज मंडल	365
श्री एस० बी० चव्हाण	368
(दो) कोयला, इस्पात आदि के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि तथा खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल के लिए दोहरी मूल्य नीति लागू करना	374—379
श्री अमल दत्त	374
नियम 377 के अधीन मामले	380—382
(एक) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से देश के विभिन्न भागों में आकर बसे विस्थापित बंगालियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
डा० परशुराम गंगवार	380
(दो) बिहार के रोहतास जिले में दुर्गावती जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री छेदी पासवान	380

विषय	पृष्ठ
(तीन) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में "5 के" क्षमता का इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	381
(चार) देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	381

लोक सभा

मंगलवार, 23 फरवरी, 1993/4 फाल्गुन, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वश्चन आवर को सस्पैंड करने के लिए कहा है। दिल्ली में रैली को रोकने के लिए जो कुछ हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है। वोट क्लब पर कांटेदार तार लगायी जा रही हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पुलिस सांसदों के घरों में घुस कर लोगों को पकड़ रही है··· (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना : हमारे कार्यकर्त्ताओं को यह मारना चाहते हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अनेक अन्य माननीय सदस्यों ने भी प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए सूचना दी है ताकि सरकार द्वारा विधि के शासन पर किए गए कड़े तथा अभद्र प्रहार पर चर्चा की जा सके···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : उन्होंने अभी अपना वाक्य पूरा नहीं किया है। उन्होंने इसे अव्यवस्था का शासन बना दिया है। (व्यवधान) उन्होंने इसे पूरा भी नहीं करने दिया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, क्या वे विधि के शासन में विश्वास रखते हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मैं सोचता था कि कम से कम एक

फोरम ऐसा है जहां पर हमारी आवाज को रोका नहीं जाता और वह है सदन, वह है संसद। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है···(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, हमारी आवाज सुनी जायेगी।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : इस तरह से हाउस नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : यह हाउस के अन्दर भी और हाउस के बाहर भी हमारा गला घोंटना चाहते हैं। यह तानाशाही चलाना चाहते हैं। यह यहां पर हमको नहीं बोलने देना चाहते हैं और बाहर हमको रैली नहीं करने देना चाहते हैं। आपने उनको एलाऊ किया है (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से बाहर पुलिस दमन कर रही है सारे देश में···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइयें।

सबसे पहले मैं आप सब लोगों का यहां पर स्वागत करता हूं।

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली में जो देश की जनता आ रही है, उसका भी स्वागत करें। (व्यवधान)

श्री कालका दास : हमारे अधिकारों की भी रक्षा करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात यह है कि आप इस बजट सैशन में बहुत सारे विचार अपने मन में और दिमाग में लेकर आये हैं, उनको प्रकट करना चाहते हैं, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। यह पहला दिन है और कुछ लोगों के मन में कुछ विचार हैं, मैं उनको जरा सुनने जा रहा हूं। आप सुनने दीजिए; मैं प्रौपर डिसीजन लें लूंगा। (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : लेकिन सवालों का क्या होगा ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : पर क्या उन्होंने विपक्ष के नेता के पद से त्याग पत्र दे दिया है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप मुझे कण्डक्ट करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सदन के अन्दर यह हमको नहीं बोलने देंगे और सदन के बाहर रैली को। इन्होंने बैन किया है तो हम इनको कैसे बोलने देंगे ? आपने सदन में विपक्ष के नेता को बोलने की इजाजत दी है लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है···(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : अगर आडवाणी जी को नहीं बोलने दिया तो हम इनको नहीं बोलने देंगे। ये भी नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : इस प्रकार से प्रश्न काल का निलम्बन करना सभा की अवमानना है। यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, सदन के बाहर भी और सदन के अन्दर भी यह हमको नहीं बोलने देना चाहते हैं। यह हमारा गला दबाना चाहते हैं। यह डैमोक्रेसी का मर्डर करना चाहते हैं। यह रैगिंग करना चाहते हैं और हाउस के अन्दर भी नहीं बोलने देना चाहते हैं... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह प्रश्नकाल है। आपको प्रश्न काल को लेकर ही कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए... (व्यवधान)...यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो वे प्रश्नकाल के बाद कह सकते हैं। आप प्रश्न काल क्यों नहीं आरम्भ कर सकते ? (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : हम प्रश्नकाल चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठना पड़ेगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यहां सदन के अन्दर और बाहर हमारा गला दबाना चाहते हैं।... (व्यवधान)...अध्यक्ष जी, आपने आडवाणी जी को समय दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : तो अब आप प्रश्नकाल भी समाप्त कराना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल निलम्बित करने के बारे में मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई हैं...

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप कृपया प्रश्नकाल आरम्भ कीजिए। जो भी कुछ वे कहना चाहते हैं प्रश्नकाल के बाद कह सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। जब मैं खड़ा होता हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं कह रहा हूं कि मैं यह चाहता हूं कि सभा के सभी वर्गों के विचारों का आदान-प्रदान हो जाए। कृपया यह मेरे पर छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : प्रश्नकाल समाप्त होने पर हम उनके विचार सुन सकते हैं। प्रश्नकाल निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही के बारे में सभी सूचना आपके पास उपलब्ध नहीं है। मैं, जो भी पत्र मेरे पास आए हैं उन्हें देखने तथा पढ़ने की स्थिति में हूं। कृपया मुझे चर्चा कराने दीजिए तथा आप सभी के विचार व्यक्त कराने की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय···(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनिल बसु : उन्हें यह विशेष विशेषाधिकार क्यों दिया गया है ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इस तरह से नहीं चलेगा। हाउस के अन्दर भी गला दबाना चाहते हैं। हाउस के बाहर भी नहीं बोलने देंगे और हाउस के अन्दर भी नहीं बोलने देंगे। बाहर रैली नहीं करने देंगे और हाउस में बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, आडवाणी जी।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई सूचना दी है। (व्यवधान)

11.16 म० पू०

इस समय श्री वी० धनञ्जय कुमार तथा अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती

*1. **श्री ई० अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में श्रेणी III और IV के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी वास्तव में कार्यरत हैं;

(ख) क्या रेलवे का पिछले बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) 1-4-92 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	वास्तविक संख्या		प्रतिशत	
	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०
वर्ग "ग"	141950	42767	15.96	4.81
वर्ग "घ" (सफाई वालों को छोड़ कर)	129872	48319	18.69	6.95
वर्ग "घ" (सफाई वाले)	43972	2259	75.90	3.90

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है।

"कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में पारिस्थितिकी असंतुलन"

***2. श्री चन्द्रजीत यादव :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 दिसम्बर, 1992 के द स्टेट्समैन में "इकालाजिकल इम्बैलन्स थेटन्स कुमाऊं" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने/पेड़ों की तस्करी किये जाने के परिणाम-स्वरूप हिमालय की कुमाऊं पर्वत श्रेणियों को गंभीर पारिस्थितिकी असंतुलन का खतरा है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र के वनों की और अधिक कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिमाचल की कुल्लू घाटी में वनों के बड़े पैमाने पर विनाश और कटाई के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस क्षेत्र में वनों के और अधिक अवक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं—

(1) वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया;

(2) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे 1000 मी० से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करें।

(3) भोगाधिकार के बंटवारे के आधार पर वनों के संरक्षण में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के सम्बन्ध में राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(4) जी० बी० पन्त हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान, अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों में लगा हुआ है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे

*3. कुमारी ममता बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित समय-सूची के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) परियोजना की कुल लम्बाई 16.45 कि० मी० है, जिसमें से 9.8 कि० मी० को पहले ही चरणबद्ध आधार पर, नीचे लिखे अनुसार, यातायात के लिए खोल दिया गया है—

खंड	खोलने की तारीख
एस्प्लेनेड-भवानीपुर (3.4 कि० मी०)	24-10-1984
दम-दम जंक्शन-बेलगछिया (2.15 कि० मी०)	12-11-1984
भवानीपुर-टालीगंज (4.25 कि० मी०)	28-04-1986

एस्प्लेनेड और बेलगछिया के बीच शेष 6.65 कि० मी० लम्बे भाग पर निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

(ख) कार्य संशोधित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और इस परियोजना के 1995 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) मूल समापन कार्यक्रम में निम्नलिखित कारणों से संशोधन करना पड़ा था—

(i) परियोजना के प्रारंभिक चरण में धन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना।

(ii) भूमि के अधिग्रहण में राज्य सरकार की ओर से विलंब होना।

(iii) श्रमिक समस्याएं।

(iv) अन्य कारक, जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से सड़क यातायात बंद करवाने में विलंब होना, पानी के पाइपों, सीवर लाइनों, बिजली/टेलीफोन के केबुलों आदि जैसी अज्ञात भूगत जनोपयोगी सुविधाओं का अन्यत्र पुनःस्थापन।

(घ) (i) इस परियोजना के लिए धन के आवंटन में समुचित वृद्धि की गयी है।

(ii) भूमि के शेष प्लाटों को उपलब्ध कराये जाने और सड़क यातायात को बंद कराने की अपेक्षित व्यवस्था किए जाने के लिए राज्य सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है।

दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

*4. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जनवरी, 1993 में कानपुर के निकट दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी;

(ख) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) पीड़ित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 35 व्यक्तियों को चोटें आयीं।

(ग) और (घ) रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर सर्किल इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) घायल हुए व्यक्तियों तथा मृतकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राशि के रूप में 90,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। लेकिन अब तक रेल दावा अधिकरण (लखनऊ पीठ) के समक्ष कोई दावा दायर नहीं किया गया है।

(च) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गये कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं—

(1) सवारी डिब्बा, माल डिब्बा और रेल इंजन अनुरक्षण डिपुओं का गहन निरीक्षण।

(2) ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों आदि जैसी संवेदनशील संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखना।

(3) परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देना।

(4) ड्राइवरों और गार्डों को इस आशय का परामर्श और प्रशिक्षण देना कि मार्ग में धुरा गर्म हो जाने अथवा कुछ खामियों के बारे में सूचना मिलने पर वे समुचित रूप से अपनी गाड़ियों की जांच करें।

(5) समय पर अनियमितताओं का पता लगाने और गाड़ियों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने हेतु स्टेशन कर्मचारियों में बेहतर जागरूकता पैदा करना।

(6) चलती गाड़ियां में गर्म धुरा आदि पर गाड़ी के दोनों ओर से निगरानी रखने के लिए प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

बंगाल की खाड़ी में तेल का फैलाव

***5. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**
प्रो० के० वी० थामस :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगाल की खाड़ी में डेनमार्क के तेल टैंकर से फैले तेल के फलस्वरूप मत्स्य, समुद्री जीवों तथा पर्यावरण को हुई क्षति का आर्थिक दृष्टि से कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय क्षति और तेल फैलाव रोकने के कार्य पर व्यय हुई धनराशि के मुआवजे हेतु डच तेल टैंकर के मालिकों के विरुद्ध कोई दावा दायर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस क्षेत्र में तेल के फैलाव को रोकने तथा समुद्री जीवों पर इसके प्रभाव को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) महासागर विकास विभाग के 'सागर कन्या" नामक एक अनुसंधान पोत ने, जिसमें राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोवा के वैज्ञानिक सवार थे; बिखरे तेल वाले क्षेत्र से नमूने इकट्ठे करने के लिए समुद्री सर्वेक्षण किए हैं। समुद्री जीवों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक और सर्वेक्षण किया जाएगा। समुद्री जीवों और पर्यावरण को हुई क्षति का आर्थिक मूल्यांकन विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद ही किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) आर्थिक और पारिस्थितिकीय क्षति की क्षतिपूर्ति के दावे तट-रक्षक द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय और महासागर विकास विभाग के सहयोग से तैयार किया जा रहे हैं। इसके पश्चात् ही उचित समेकित दावे किये जाएगे।

(घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

तेल बिखराव की समस्या से निपटने और उस क्षेत्र में समुद्री जीवों पर उसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए तट-रक्षकों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(1) हवाई एवं समुद्री निगरानी द्वारा क्षतिग्रस्त टैंकर तथा तेल के बिखराव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है;

(2) वायुयानों एवं जहाज द्वारा रासायनिक प्रकीर्णकों का छिड़काव करके बिखरे तेल की समस्या से निपटना;

(3) क्षतिग्रस्त टैंकर को आदेश दिए गए कि जितना जल्दी हो सके, वह "भारतीय अपवर्जित आर्थिक जोन" जल-क्षेत्र से बाहर चला जाए;

(4) विश्लेषण के लिए प्रभावित क्षेत्र से पानी के नमूने एकत्रित किए गए हैं; तथा

(5) ये संक्रियाएं 22 जनवरी, 1993 से 6 फरवरी, 1993 तक जारी रहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तेल बिखराव के सभी बचे हुए भाग को प्रभावकारी ढंग से निष्क्रिय कर दिया जाए, उस पूरे क्षेत्र का चक्कर लगाया गया ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पारी

*6. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पारी आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दूसरी पारी में छात्रों को आवंटित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं;

(ग) क्या दूसरी पारी में पूरे अध्यापक उपलब्ध हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां । 22 केन्द्रीय विद्यालयों में दूसरी पारी के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई है ।

(ख) सामान्यतया प्रथम पारी में किसी कक्षा में 45 से जितने विद्यार्थी अधिक होते हैं, उन सभी को दूसरी पारी में स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित होता है । इसके अतिरिक्त दूसरी पारी सीधा दाखिला भी दिया जा सकता है, ताकि सेक्शन की क्षमता पूरी की जा सके ।

(ग) से (ङ) कुल मिलाकर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या

से लगभग 25 प्रतिशत कम शिक्षक हैं। तथापि दूसरी पारी के स्कूलों में तीन विद्यालयों को छोड़कर शिक्षकों की कमी मामूली है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

"चिल्का झींगा मछली पालन परियोजना"

[अनुवाद]

*7. श्री श्री बल्लभ पाणिग्राही :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड ने चिल्का झींगा मछली पालन परियोजना के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) चिल्का झील में झींगा मछली पालन के पर्यावरणीय प्रभाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) चिल्का झींगा मछली पालन परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के सम्बन्ध में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 15 फरवरी, 1993 को उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पहले बहुआयामी दल के जरिए गहन पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने की सलाह दी थी। इस संदर्भ में उक्त सलाह के आधार पर 15 फरवरी, 1993 को प्राप्त रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए योजना

*8. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अकाल पर नियंत्रण रखने हेतु सदैव सूखा प्रवण रहने वाले क्षेत्रों के लिए कतिपय कार्य आरम्भ करने की कोई योजना बनाने का है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राजस्थान में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ख) राजस्थान सरकार ने निरंतर सूखा प्रवण क्षेत्रों में क्रमबद्ध आधार पर राहत-सह विकास निर्माणों के क्रियान्वयन के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। राजस्थान सरकार से प्राप्त परिप्रेक्ष्य योजना (1992-2000) में पेय जल की आपूर्ति, पनधारा विकास और मृदा सर्वेक्षण, सिंचाई और क्षेत्र विकास, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पशुपालन, वानिकी, सड़क, ग्रामोद्योगों, ऊर्जा, सहकारिताओं, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, रोग प्रतिरक्षण, पोषण और चिकित्सा देख-रेख एवं ग्रामीण आवास और खेतों पर पोखर खुदवाने के क्षेत्र में कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1670.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का विचार है।

इस संबंध में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि परिप्रेक्ष्य योजना, जिसे जिला प्राधिकारियों क परामर्श से तैयार किया गया है, विस्तृत जिला कार्य योजना तैयार करने के लिए आधार और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी। अपेक्षित संसाधनों की व्यवस्था हो जाने पर इससे सूखा से बचाव हो सकेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि विकास बोर्ड

*9. प्रो० रीता वर्मा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि संसाधनों के विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1991-92 और 1992-93 (दिसम्बर, 1992 तक) के दौरान समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में देश का कुल भाग कितना था; और

(घ) समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में और वृद्धि करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश के कुल निर्यात की तुलना में समुद्री खाद्य पदार्थों का अंश 1991-92 में 3.13 प्रतिशत तथा 1992-93 में नवम्बर, 1992 तक 3.30 प्रतिशत था।

(घ) समुद्री खाद्य पदार्थ क्षेत्र से निर्यात के जरिए होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई हैं :—

(1) गैर-झींगा संसाधनों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु गहरे समुद्र में मत्स्यन तथा विविध मत्स्यन का विकास।

(2) मौजूदा झींगा फार्मों से उत्पादकता बढ़ाकर मछली पालन (कल्चर मात्स्यिकी) द्वारा बढ़ाना।

(3) नई प्रौद्योगिकी लागू करना तथा मूल्य वर्धन करना ।

(4) परिसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी को बेहतर बनाना तथा बरबादी को कम करना ।

(5) तीव्र मंडी संवर्धन उपाय ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

*10. डा० के० डी० जेस्वाणी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री 14 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 958 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रस्तावित स्थानों के सबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है । आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों से उनके अपने-अपने राज्यों में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं । तथापि, मौजूदा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इन कार्यालयों को कौन-कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

*11. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए विशेषतः उत्तर प्रदेश में भवनों का निर्माण करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एक विवरण सभा पटल पर संलग्न है ।

(ख) वर्ष में सिविल और रक्षा क्षेत्र में 20 नये विद्यालयों को खोले जाने की संभावना है । इसके अतिरिक्त प्रायोजक एजेंसियों से परियोजना क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होते ही उन पर विचार किया जाता है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । 771 विद्यालयों में से 502 विद्यालयों में स्थाई भवन पूरे हो गए हैं या इनके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है । स्कूल भवनों का निर्माण सतत् रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि भूखंड की उपलब्धता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या मिलिटरी इंजीनियरी सेवा द्वारा नक्शे तथा अनुमान तैयार और अनुमोदित किए जाने तथा वार्षिक बजट में निधियों के प्रावधान पर निर्भर करती है ।

(ङ) निर्माण के लिए निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्थायी स्कूल भवन उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं :—प्रायोजक एजेंसी द्वारा कम से कम 15 एकड़ भूखंड का हस्तांतरण, निर्माण एजेंसी द्वारा विस्तृत योजनाएं, ड्राइंग और अनुमान तैयार तथा अनुमोदित किया जाना, परियोजना क्षेत्र के स्कूलों के मामलों में सभी आधारभूत सुविधाएं सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रम द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा निर्माण कार्य की मानिटरिंग की जाती है ।

विवरण

10-2-93 को केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार संवितरण

क्र० राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
2	3
1. आंध्र प्रदेश	40
2. असम	44
3. बिहार	53
4. गुजरात	38
5. हरियाणा	21
6. हिमाचल प्रदेश	15
7. जम्मू और कश्मीर	25
8. कर्नाटक	25

1	2	3
9.	केरल	22
10.	मध्य प्रदेश	74
11.	महाराष्ट्र	50
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैंड	05
15.	उड़ीसा	23
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	43
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	04
20.	त्रिपुरा	27
21.	उत्तर प्रदेश	111
22.	पश्चिम बंगाल	45
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02
24.	अरुणाचल प्रदेश	07
25.	चंडीगढ़	06
26.	दिल्ली	30
27.	गोवा	05
28.	पांडिचेरी	02
29.	मिजोरम	01

[अनुवाद]

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना

*12. प्रो॰ प्रेम धूमल :
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी;

(ख) साक्षरता में लिंग-भेद के अन्तर को कम करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सन् 2000 ई० के अन्त तक सबके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमश: 63.86% तथा 39.42% थी।

(ख) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा लिंग-भेद को कम करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें से कुछ ये हैं:--

(1) बस्तियों से सहज पैदल-दूरी पर स्कूल सुविधाओं का प्रावधान।

(2) महिला-शिक्षकों की नियुक्ति।

(3) निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निशुल्क वर्दी, उपस्थिति छात्रवृत्तियां तथा दोपहर के भोजन जैसे प्रोत्साहनों की व्यवस्था।

(4) अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान जो शिक्षा केन्द्रों को लचीला समय निर्धारण प्रदान करे तथा बच्चों को उनकी अपनी गति से शिक्षा प्रदान कर सके।

(ग) वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21 वीं सदी में प्रवेश करने से पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सन्तोषजनक कोटि की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किये जाने का संकल्प किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, 19 अगस्त, 1992 को संसद के दोनों सभा पटलों पर रखी गई कार्य योजना, 1992 में निम्न उपायों पर बल दिया गया है:—

(1) सामुदायिक सहभागिता तथा ग्राम-स्तर तक शैक्षिक प्रबंध के प्रभावी विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म-आयोजन।

(2) पांचवीं तथा आठवीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या पर नजर रखते हुए उन्हें कक्षाओं में बनाए रखने तथा इस संबंध में उपलब्धियों पर जोर देना और ऐसा कार्यक्रम तैयार करना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिक्षा के एक स्तर को प्राप्त करने वाले सभी बच्चों ने शिक्षा के न्यूनतम स्तर को प्राप्त कर लिया है।

(3) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्षेत्र का विस्तार करके सुविधाओं का विस्तार करना तथा प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्कूलों में सुधार लाना।

(4) औपचारिक स्कूल पद्धति से शिक्षा प्राप्त न कर सकने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का विविधीकरण तथा सुधार।

(5) प्रारम्भिक शिशु देखरेख एवं शिक्षा कार्यक्रम के स्कूल पूर्व तत्वों को सुदृढ़ करना, और

(6) स्कूल शिक्षकों के लिए सेवाकालीन तथा सतत् शिक्षा केन्द्रों का नेटवर्क प्रदान करके शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों का सुधार तथा विस्तार।

गेहूं और चावल के मूल्य

*13. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री रूपचन्द पाल :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं, चावल और दालों के निर्गम मूल्यों में हाल ही में कोई वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्धन वर्ग पर इस मूल्य-वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) 1992-93 के दौरान किसानों को अदा किए जा रहे गेहूं और धान के वसूली मूल्यों में वृद्धि और उनकी वसूली लागत में परिणामी वृद्धि को आंशिक रूप से खपाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किए जा रहे गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) 11-1-1993 से निम्नानुसार बढ़ा दिए गए हैं :—

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से)		प्रति क्विंटल वृद्धि
	11-1-93 से पूर्व	11-1-93 से	
गेहूं	280.00	330.00	50.00
चावल			
साधारण	377.00	437.00	60.00
बढ़िया	437.00	497.00	60.00
उत्तम	458.00	518.00	60.00

चूंकि केन्द्रीय पूल में दालों का कोई स्टाक नहीं है, इसलिए इनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण नहीं किया जाता है ।

(घ) गेहूं और चावल तथा मोटे अनाजों की बेहतर उपलब्धता के कारण उनके मूल्यों में इस समय नरमी का रुख चल रहा है । रबी की बेहतर फसल होने की संभावना की वजह से भविष्य में भी यही स्थिति बने रहने की आशा है ।

[हिन्दी]

तिलहनों का निर्यात

*14. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिबंधित कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग किए जाने के कारण तिलहनों के निर्यात में भारी गिरावट आयी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान निर्यात में कितने प्रतिशत गिरावट आयी है; और

(ग) तिलहनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ : (क) और (ख) तिलहनों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुकूल न होने तथा भूतपूर्व सोवियत संघ के अब तिलहनों का खरीदार न रहने जैसे कई कारणों की वजह से तिलहनों के निर्यात में गिरावट आयी है। प्रतिषिद्ध कीटनाशियों (डी० डी० टी०, बी० एच० सी० आदि) का अंश पाये जाने से भी इनके निर्यातों, विशेषकर कुछ निश्चित मंडियों में तिल के निर्यात में, कमी हुई है। पिछले दो वर्षों के दौरान तिलहनों के निर्यात का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

(मात्रा मीटरी टन में)

तिलहन का नाम	90-91	91-92	प्रतिशत कमी
1. एच० पी० एस० मूंगफली	49,572	5,121	89.7
2. तिल और रामतिल	62,517	57,002	8.8

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से एक नीति अख्तियार करने के लिए कदम उठाए हैं। तिलहनों के उत्पादन में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० जैसी कीटनाशियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकारों को अपनी विस्तार सेवाओं के जरिए किसानों को प्रतिषिद्ध कीटनाशियों का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। निर्यातकों द्वारा सफाई की उन्नत पद्धतियों और गुणवत्ता नियन्त्रण पद्धतियां अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। इस दिशा में विभिन्न बोर्ड एवं प्राधिकरण विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में हमारे निर्यातकों को आमंत्रित करते हैं तथा अन्य देशों में आयातकों के साथ परस्पर बातचीत के लिए खरीदारों और विक्रेताओं की बैठकें आयोजित कराते हैं।

"पैलेस ऑन व्हील" रेलगाड़ी

*15. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पैलेस ऑन व्हील" रेलगाड़ी को निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*16. श्री महेश कनोडिया :
श्री शरतचन्द्र पटनायक :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों की सहायता के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यचालन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह आकलन कब तक किए जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारम्भ माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा 1-1-92 को बाड़मेर, राजस्थान में किया गया था। राज्य सरकार के परामर्श से तैयार की गई इस योजना को चालू हुए एक वर्ष से थोड़ा ही अधिक समय हुआ है। केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति की परिवीक्षा करती रही है।

2. राज्य सरकार से 31 जनवरी, 1993 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अभिज्ञात क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए 10121 उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं और 26 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने के लिए आधार-ढांचा सुविधाएं विकसित करने, उचित दर की दुकानों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी की व्यवस्था करने और उचित दर दुकान के स्तर पर निगरानी समितियां गठित करने, आदि की सलाह दी गई है।

3. केन्द्रीय सरकार ने जून, 1992 से केवल संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए

अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रति वर्ष 20 लाख मी० टन खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न का केन्द्रीय निर्गम मूल्य, सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50 रु० प्रति क्विटल कम है।

4. संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की अनेक पैरामीटरों, जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में खोली गई अतिरिक्त राशन की दुकानों की संख्या, इन क्षेत्रों में उक्त सुविधा और अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, वस्तुओं को अन्यत्र भेजे जाने से रोकने के लिए दरवाजे पर सुपुर्दगी शुरू करना, अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाना तथा प्रत्येक उचित दर की दुकान के लिए निगरानी समिति गठित करना, के अनुसार निरन्तर परिवीक्षा की जा रही है। साथ ही योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

*17. श्री राम नाईक :
श्री पी० सी० थामस :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए गठित कार्य दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक मंत्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्यदल ने माननीय प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट 22-1-1992 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर 31-3-1992 को हुई केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की ग्यारहवीं बैठक में चर्चा की गई थी। प्रस्तावित संशोधनों पर अनेक मंत्रालयों, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, व्यय विभाग के विचार प्राप्त किए गए। इन सिफारिशों पर सचिवों की समिति द्वारा भी विचार किया गया, जिसने आमतौर पर अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इन सिफारिशों पर विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई। उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक को संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत करने हेतु प्रारम्भिक कार्रवाई अन्तिम चरणों में है।

बिना भवनों के स्कूल

*18. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी विमला वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने सरकारी स्कूल हैं जो अभी भी बिना उपयुक्त भवनों के चल रहे हैं;

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्कूलों के लिए उपयुक्त भवनों के निर्माण हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ग) आठवीं योजना के दौराम प्रत्येक राज्य में कितने-कितने स्कूलों व भवनों का निर्माण किया जाएगा; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ सरकार को प्राप्त हुई/प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) । (क) पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से 30 सितम्बर, 1986 तक के भवन रहित स्कूलों की स्थिति का पता चलता है। प्राइमरी, उच्च प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सम्बन्ध में स्कूल भवनों की राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात के सीमावर्ती राज्यों को सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम के अंतर्गत प्राइमरी, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों भवनों के निर्माण के लिए निधियां जारी की गई हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत आने वाले प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना की स्कीम के अन्तर्गत हुई बचत में से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी निधियां मुक्त की गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार मुक्त की गई निधियों की सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, आठवीं योजना के दौरान आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले स्कूल भवनों की संख्या विवरण-III में दी गई है।

(घ) यू० के० से प्राप्त सहायता से कार्यान्वित की जा रही आंध्र प्रदेश प्राइमरी शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 से 1993-94 के दौरान 4107 कक्षाओं तथा 1104 शिक्षक केन्द्रों के निर्माण के लिए 5491 लाख रु० की सहायता प्रदान की गई है। 31-10-92 तक 2102 कक्षाओं का निर्माण किया गया है। परियोजना को और आगे जारी रखने तथा उसका विस्तार करने के लिए फिलहाल इसकी समीक्षा की जा रही है।

विवरण-I

(स्रोत : पांचवा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण—31 सितम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र	प्राथमिक स्कूल जिनके पास: पक्का भवन	अंशतः पक्का भवन	कच्चा भवन	छप्परनुमा झोंपड़ी	टेंट	खुला स्थान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण	27434	3176	3232	3810	65	3084	40801
		शहरी	2412	611	276	199	4	43	3545
		जोड़	29846	3787	3508	4009	69	3127	44346
2.	अरुणाचल प्रदेश	ग्रामीण	126	51	142	613	0	00	932
		शहरी	16	0	2	2	0	0	20
		जोड़	142	51	144	615	0	0	952
3.	असम	ग्रामीण	1740	7004	9799	5766	0	0	24309
		शहरी	222	574	704	64	0	0	1504
		जोड़	1962	7578	10503	5830	0	0	25873
4.	बिहार	ग्रामीण	15861	13795	6743	3531	68	8717	48715
		शहरी	1149	754	218	95	0	446	2662
		जोड़	17010	14549	6961	3626	68	9163	51377
5.	गोवा	ग्रामीण	769	82	19	17	19	0	906
		शहरी	72	12	3	0	0	0	87
		जोड़	841	94	22	17	19	0	993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	गुजरात	ग्रामीण	10005	325	816	57	2	217	11422
		शहरी	1206	52	11	2	1	15	1287
		जोड़	11211	377	827	59	3	232	12709
7.	हरियाणा	ग्रामीण	3779	300	17	1	0	316	4413
		शहरी	384	26	4	0	0	22	436
		जोड़	4163	326	21	1	0	338	4849
8.	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	1601	1170	3818	14	0	114	6717
		शहरी	124	32	25	0	0	6	187
		जोड़	1725	1202	3843	14	0	120	6904
9.	जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण	1968	1559	3033	102	17	233	6912
		शहरी	285	128	127	1	0	13	554
		जोड़	2253	1687	3160	103	17	246	7466
10.	कर्नाटक	ग्रामीण	17842	1229	1413	271	42	235	21032
		शहरी	1612	189	153	18	2	17	1991
		जोड़	19454	1418	1566	289	44	252	23023
11.	केरल	ग्रामीण	3764	968	495	252	0	0	5479
		शहरी	492	82	33	10	0	0	617
		जोड़	4256	1050	528	262	0	0	6096
12.	मध्य प्रदेश	ग्रामीण	29950	13206	7519	2606	15	4449	57745
		शहरी	4900	922	307	26	0	189	6344
		जोड़	34850	14128	7826	15	15	4638	64089

13. महाराष्ट्र	ग्रामीण	21329	4155	3332	1736	2183	428	33163
	शहरी	4144	473	213	10	32	58	4931
	जोड़	25473	4628	3545	1746	2215	487	38094
14. मणिपुर	ग्रामीण	41	380	1172	804	0	0	2397
	शहरी	20	99	199	42	0	0	360
	जोड़	61	479	1371	846	0	0	2757
15. मेघालय	ग्रामीण	243	650	1198	1475	0	0	3575
	शहरी	45	48	17	7	0	0	117
	जोड़	288	698	1215	1482	0	0	3692
16. मिजोरम	ग्रामीण	0	468	283	72	0	0	823
	शहरी	0	110	72	0	0	0	182
	जोड़	0	578	355	72	0	0	1005
17. नागालैंड	ग्रामीण	70	381	475	145	0	0	1071
	शहरी	9	20	31	0	0	0	90
	जोड़	79	401	506	145	0	0	1131
18. उड़ीसा	ग्रामीण	15393	7610	5969	929	0	2510	32411
	शहरी	1173	329	96	32	0	137	1767
	जोड़	16566	7939	6065	951	0	2647	34178
19. पंजाब	ग्रामीण	10019	788	131	26	0	835	11799
	शहरी	924	54	4	0	0	57	1039
	जोड़	10943	842	135	26	0	892	12838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	राजस्थान	ग्रामीण	19355	1646	1774	285	0	2004	25064
		शहरी	2617	254	38	10	0	120	3039
		जोड़	21972	1900	1812	295	0	2124	28103
21.	सिक्किम	ग्रामीण	137	147	133	48	0	1	466
		शहरी	2	0	0	0	0	0	2
		जोड़	139	147	133	48	0	1	468
22.	तमिलनाडु	ग्रामीण	20500	3275	558	1436	34	41	25844
		शहरी	2624	422	135	235	6	2	3424
		जोड़	23124	1697	693	1671	40	43	29268
23.	त्रिपुरा	ग्रामीण	47	35	1525	194	0	68	1869
		शहरी	22		8	28	0	0	58
		जोड़	69	43	1553	194	0	68	1927
24.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	48028	3447	1682	641	9	12539	66346
		शहरी	8084	517	117	21	5	474	9218
		जोड़	56112	3964	1799	662	14	13013	75564
25.	पश्चिमी बंगाल	ग्रामीण	8724	11297	15011	3344	46	2302	40724
		शहरी	4827	2282	421	117	8	77	7732
		जोड़	13551	13579	15432	3461	54	2379	48456
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रामीण	97	14	13	48	0	0	172
		शहरी	5	0	0	0	0	0	5
		जोड़	102	14	13	48	0	0	177

27. चंडीगढ़	ग्रामीण	7	1	0	0	0	1	9
	शहरी	33	2	0	0	0	0	35
	जोड़	40	3	0	0	0	1	44
28. दादरा और नगर हवेली	ग्रामीण	74	0	47	0	0	0	121
	शहरी	3	0	0	0	0	0	3
	जोड़	77	0	47	0	0	0	124
29. दमन और दिव	ग्रामीण	24	0	0	0	0	0	24
	शहरी	0	0	0	0	0	0	8
	जोड़	32	0	0	0	0	0	32
30. दिल्ली	ग्रामीण	211	118	2	0	0	0	334
	शहरी	702	770	29	1	5	0	1507
	जोड़	913	888	31	1	5	0	1838
31. लक्षद्वीप	ग्रामीण	13	0	0	0	0	0	13
	शहरी	5	0	0	0	0	0	5
	जोड़	18	0	0	0	0	0	18
32. पांडिचेरी	ग्रामीण	131	11	0	76	0	0	218
	शहरी	80	8	1	32	0	0	121
	जोड़	211	19	1	108	0	0	339
संपूर्ण भारत	ग्रामीण	259282	77288	70351	28299	2509	38094	475823
	शहरी	38201	8778	3264	924	63	1677	52907
	जोड़	297483	86066	73615	29223	2572	39771	528730

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र	अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिनके पास: पक्का भवन	पक्का भवन	कच्चा भवन	छप्पर वाली झोंपड़ी	टैंट	खुला स्थान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	ग्रामीण	3371	624	188	137	3	20	4343
		शहरी	941	261	72	28	0	2	1304
		जोड़	4312	885	260	165	3	22	5647
2.	अरुणाचल प्रदेश	ग्रामीण	68	23	18	65	0	00	174
		शहरी	7	0	1	0	0	0	8
		जोड़	75	23	19	65	0	0	182
3.	असम	ग्रामीण	320	1873	1700	653	0	0	4546
		शहरी	95	213	130	7	0	0	445
		जोड़	415	2086	1830	660	0	0	4991
4.	बिहार	ग्रामीण	3492	5119	1281	284	2	200	10378
		शहरी	1186	517	81	76	1	32	1833
		जोड़	4678	5636	1362	300	3	232	12211
5.	गोवा	ग्रामीण	108	4	1	0	0	0	113
		शहरी	9	0	1	0	0	0	10
		जोड़	117	4	2	0	0	0	123

6. गुजरात	ग्रामीण	12380	426	122	7	0	24	12959
	शहरी	3137	71	15	0	2	8	3233
	जोड़	15517	497	137	7	2	32	16192
7. हरियाणा	ग्रामीण	983	61	1	1	0	20	1066
	शहरी	87	6	0	0	0	2	95
	जोड़	1070	67	1	1	0	22	1161
8. हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	226	261	445	3	0	46	981
	शहरी	32	0	6	1	0	0	39
	जोड़	258	261	451	4	0	46	1020
9. जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण	674	583	508	6	0	35	1806
	शहरी	255	95	38	0	0	2	390
	जोड़	929	678	546	6	0	37	2196
10. कर्नाटक	ग्रामीण	10239	642	327	7	0	8	11243
	शहरी	3283	332	118	2	8	3	3726
	जोड़	13522	974	445	9	8	11	14969
11. केरल	ग्रामीण	2153	692	256	112	0	0	3213
	शहरी	232	72	22	8	0	0	334
	जोड़	2385	764	278	120	0	0	3547
12. मध्य प्रदेश	ग्रामीण	5945	2635	652	145	4	309	9690
	शहरी	2559	376	44	2	3	18	3002
	जोड़	8504	3011	696	147	7	327	12692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	ग्रामीण	10109	2208	1122	109	202	48	13798
		शहरी	2617	360	119	3	3	19	3121
		जोड़	12726	2568	1241	112	205	67	16919
14.	मणिपुर	ग्रामीण	12	93	218	38	0	0	361
		शहरी	2	24	44	5	0	0	75
		जोड़	14	117	262	43	0	0	436
15.	मेघालय	ग्रामीण	115	205	181	101	0	0	602
		शहरी	35	19	5	4	0	0	63
		जोड़	150	224	186	105	0	0	665
16	मिजोरम	ग्रामीण	0	226	129	14	0	0	369
		शहरी	69	25	0	07	0	0	94
		जोड़	295	154	14	0	0	0	463
17.	नागालैंड	ग्रामीण	78	71	99	7	0	0	255
		शहरी	11	11	14	0	0	0	36
		जोड़	89	82	113	7	0	0	291
18.	उड़ीसा	ग्रामीण	3302	2549	1729	152	1	55	7788
		शहरी	353	102	23	00	0	5	483
		जोड़	3655	2651	1752	152	1	60	8271
19.	पंजाब	ग्रामीण	1203	71	6	1	0	27	1308
		शहरी	131	4	1	0	0	1	137
		जोड़	1334	75	7	1	0	28	1445

20. राजस्थान	ग्रामीण	5552	735	195	12	0	151	6645
	शहरी	1503	166	13	1	0	6	1689
	जोड़	7055	901	208	13	0	157	121
21. सिक्किम	ग्रामीण	59	39	20	3	0	057	8334
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
	जोड़	59	39	20	3	0	0	121
22. तमिलनाडु	ग्रामीण	3343	657	84	170	3	1	4258
	शहरी	1073	228	41	234	2	0	1408
	जोड़	4416	885	125	24	5	1	5666
23. त्रिपुरा	ग्रामीण	6	25	350	16	0	2	399
	शहरी	5	10	0	0	0	0	20
	जोड़	11	30	360	16	0	2	419
24. उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	10054	1531	333	188	29	1827	13962
	शहरी	3133	140	15	3	2	80	3373
	जोड़	13187	1671	348	191	31	1907	17335
25. पश्चिमी बंगाल	ग्रामीण	1143	851	484	51	0	0	2539
	शहरी	410	163	10	3	2	0	583
	जोड़	1553	1014	504	59	2	0	3127
26 अंडमान और	ग्रामीण	33	3	0	0	0	0	36
नि० द्वी० समूह	शहर	4	0	0	0	0	0	0
	जोड़	37	3	0	0	0	0	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	चंडीगढ़	ग्रामीण	3	0	0	0	0	0	3
		शहरी	27	1	0	0	0	0	28
		जोड़	30	1	0	0	0	0	31
28.	दमन और दीव	ग्रामीण	13	0	0	0	0	0	13
		शहरी	3	0	0	0	0	0	3
		जोड़	16	0	0	0	0	0	16
29.	दिल्ली	ग्रामीण	6	16	0	0	14	0	36
		शहरी	194	98	3	1	34	0	330
		जोड़	200	114	3	1	48	0	336
30.	लक्षद्वीप	ग्रामीण	2	0	0	0	0	0	2
		शहरी	2	0	0	0	0	0	2
		जोड़	4	0	0	0	0	0	[illegible]
31.	पांडिचेरी	ग्रामीण	29	1	0	19	0	0	49
		शहरी	36	4	0	11	0	0	51
		जोड़	65	5	0	30	0	0	100
	संपूर्ण भारत	ग्रामीण	75072	22224	10459	2301	258	2773	113087
		शहरी	21347	3337	851	159	57	178	25929
		जोड़	96419	25561	11310	2460	315	2951	139016

प्राथमिक स्कूलों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र	पक्का भवन	आंशिक पक्के भवन	कच्चा भवन	छप्पर वाली झोंपड़ियां	टेंट खुला स्थान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	ग्रामीण	2965	512	87	45	1	22	3632
	शहरी	1053	283	61	4	0	1	1402
	जोड़	4018	795	148	49	1	23	5034
2. अरुणाचल प्रदेश	ग्रामीण	33	7	4	4	0	0	48
	शहरी	2	0	0	0	0	0	2
	जोड़	35	7	4	4	0	0	50
3. असम	ग्रामीण	237	938	611	116	0	0	1902
	शहरी	1142	150	31	5	0	0	328
	जोड़	379	1088	642	121	0	0	2230
4. बिहार	ग्रामीण	1664	1103	92	22	0	5	2890
	शहरी	607	116	3	4	0	0	730
	जोड़	2271	1219	95	26	0	5	3626
5. गोवा	ग्रामीण	209	19	1	0	0	0	229
	शहरी	53	14	1	0	0	0	68
	जोड़	262	33	2	0	0	0	297
6. गुजरात	ग्रामीण	2263	194	145	0	0	0	2602
	शहरी	686	10	4	0	0	0	700
	जोड़	2949	204	149	0	0	0	3302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. हरियाणा		ग्रामीण	1421	39	0	0	0	13	1473
		शहरी	417	3	0	0	0	6	426
		जोड़	1838	42	0	0	0	19	1899
8. हिमाचल प्रदेश		ग्रामीण	257	203	250	2	0	5	714
		शहरी	67	16	4	0	0	0	87
		जोड़	321	219	154	2	0	5	801
9. जम्मू तथा कश्मीर		ग्रामीण	387	157	99	0	0	0	643
		शहरी	181	18	4	0	0	00	203
		जोड़	568	175	103	0	0	0	846
10. कर्नाटक		ग्रामीण	1888	200	202	12	8	5	2315
		शहरी	1153	68	34	1	0	1	1257
		जोड़	3041	265	236	13	8	6	3572
11. केरल		ग्रामीण	1566	281	71	44	0	0	1962
		शहरी	370	25	5	1	0	0	401
		जोड़	1936	306	76	45	0	0	2363
12. मध्य प्रदेश		ग्रामीण	741	263	58	10	0	25	1605
		शहरी	434	69	5	0	0	0	508
		जोड़	1175	352	63	10	0	25	1097
13. महाराष्ट्र		ग्रामीण	2825	1047	603	43	55	13	4586
		शहरी	2238	245	187	5	2	4	2601
		जोड़	5063	1292	710	448	57	17	7187

14. मणिपुर	ग्रामीण	8	80	139	2	0	0	229
	शहरी	84	58	52	0	0	0	134
	जोड़	32	138	191	2	0	0	363
15. मेघालय	ग्रामीण	53	95	33	17	0	0	198
	शहरी	58	27	4	1	0	0	90
	जोड़	111	122	37	18	0	0	288
16. मिजोरम	ग्रामीण	0	84	30	2	0	0	116
	शहरी	0	40	4	0	0	0	44
	जोड़	0	124	34	2	00	0	160
17. नागा लै[illegible]	ग्रामीण	44	20	7	0	0	0	71
	शहरी	16	3	5	0	0	0	24
	जोड़	60	23	12	0	0	0	95
18. उड़ीसा	ग्रामीण	1707	1047	582	97	0	8	3441
	शहरी	457	46	9	0	0	2	514
	जोड़	2164	1093	591	97	0	10	3955
19. पंजाब	ग्रामीण	1679	57	7	4	0	24	1771
	शहरी	468	7	0	0	0	1	476
	जोड़	2147	64	7	4	0	25	2247
20. राजस्थान	ग्रामीण	1663	1112	11	0	0	0	1786
	शहरी	414	2	1	0	0	0	417
	जोड़	2077	114	12	0	0	0	2203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	सिक्किम	ग्रामीण	35	15	2	0	0	0	52
		शहरी	3	0	0	0	0	0	3
		जोड़	38	15	2	0	0	0	55
22.	तमिलनाडु	ग्रामीण	1224	432	68	129	6	11	1870
		शहरी	604	185	10	19	0	0	818
		जोड़	1828	617	78	148	6	11	2688
23.	त्रिपुरा	ग्रामीण	58	20	174	6	0	0	258
		शहरी	13	4	5	0	0	0	222
		जोड़	71	24	179	6	0	0	2280
24.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	1632	168	19	4	1	9	1833
		शहरी	634	16	1	0	0	1	652
		जोड़	2266	184	20	4	1	10	2485
25.	पश्चिमी बंगाल	ग्रामीण	2088	727	200	12	1	0	3028
		शहरी	1280	169	6	0	0	0	1455
		जोड़	3368	896	206	12	1	0	4483
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ग्रामीण	16	3	0	0	0	0	19
		शहरी	4	0	0	0	0	0	4
		जोड़	20	3	0	0	0	0	23

27. चंडीगढ़	ग्रामीण	7	0	0	0	0	0	7
	शहरी	63	1	0	0	0	0	64
	जोड़	70	1	0	0	0	0	71
28. दादरा व नागर हवेली	ग्रामीण	4	0	0	0	0	0	4
	शहरी	0	0	0	0	0	0	0
	जोड़	4	0	0	0	0	0	4
29. दमन व दीव	ग्रामीण	8	0	0	0	0	0	8
	शहरी	7	0	0	0	0	0	7
	जोड़	15	0	0	0	0	0	15
30. दिल्ली	ग्रामीण	16	12	0	1	7	0	36
	शहरी	146	58	1	0	18	0	223
	जोड़	162	70	1	1	25	0	259
31. लक्षद्वीप	ग्रामीण	6	0	0	0	0	0	6
	शहरी	3	0	0	0	40	0	3
	जोड़	9	0	0	0	0	0	9
32. पांडिचेरी	ग्रामीण	23	1	0	6	0	0	30
	शहरी	32	1	0	2	0	0	35
	जोड़	55	2	0	8	0	0	65
भारत	ग्रामीण	26724	7836	3495	578	79	150	38862
	शहरी	11629	1634	357	42	20	16	13698
	जोड़	38353	9470	3852	620	99	166	52560

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र	उच्चतर प्राथमिक स्कूलों की संख्या जिनके पास पक्का भवन	आंशिक पक्के भवन	कच्चा भवन	छप्पर झौंपड़ी	टैंट	खुला स्थान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	ग्रामीण	234	20	3	5	1	3	266
		शहरी	266	25	2	0	0	1	294
		जोड़	500	45	5	5	1	4	560
2.	अरुणाचल प्रदेश	ग्रामीण	21	2	0	0	0	0	23
		शहरी	8	0	0	0	0	0	8
		जोड़	29	2	0	0	0	0	31
3.	असम	ग्रामीण	52	196	4	2	0	0	254
		शहरी	57	54	0	0	0	0	111
		जोड़	109	250	4	2	0	0	365
4.	बिहार	ग्रामीण	44	1·5	0	0	0	0	59
		शहरी	184	10	0	0	0	0	194
		जोड़	228	25	0	0	0	0	253
5.	गोवा	ग्रामीण	11	1	0	0	0	0	12
		शहरी	11	0	0	0	0	0	11
		जोड़	22	1	0	0	0	0	23

6. गुजरात	ग्रामीण	478	15	2	0	0	0	495
	शहरी	738	9	0	0	0	0	747
	जोड़	1216	24	2	0	0	0	1242
7. हरियाणा	ग्रामीण	74	0	0	0	0	0	74
	शहरी	103	2	0	0	0	1	106
	जोड़	177	2	0	0	0	1	180
8. हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	49	15	5	9	0	0	78
	शहरी	32	7	1	1	0	0	41
	जोड़	81	22	6	10	0	0	119
9. जम्मू व कश्मीर	ग्रामीण	65	15	1	3	0	0	84
	शहरी	92	4	0	0	0	0	96
	जोड़	157	19	1	3	0	0	180
10. कर्नाटक	ग्रामीण	416	13	7	8	0	0	444
	शहरी	469	8	2	4	0	2	455
	जोड़	885	21	9	12	0	2	929
11. केरल	ग्रामीण	58	3	1	0	0	0	62
	शहरी	22	0	0	0	0	0	22
	जोड़	80	3	1	0	0	0	84
12. मध्य प्रदेश	ग्रामीण	596	174	10	7	2	6	795
	शहरी	9443	71	2	0	0	0	1016
	जोड़	1539	245	12	7	2	6	1811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	महाराष्ट्र	ग्रामीण	584	80	12	5	0	0	682
		शहरी	574	120	3	2	0	1	700
		जोड़	1158	200	15	7	0	2	1382
14.	मणिपुर	ग्रामीण	0	1	0	0	0	0	1
		शहरी	2	5	2	0	0	0	9
		जोड़	2	6	2	0	0	0	10
15.	मेघालय	ग्रामीण	1	1	0	0	0	0	2
		शहरी	0	0	0	0	0	0	0
		जोड़	1	1	0	0	0	0	2
16.	मिजोरम	ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0
		शहरी	0	0	0	0	0	0	0
		जोड़	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0
		शहरी	0	0	0	0	0	0	0
		जोड़	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	ग्रामीण	4	0	0	0	0	0	4
		शहरी	11	0	0	0	0	0	11
		जोड़	15	0	0	0	0	0	15
19.	पंजाब	ग्रामीण	92	0	0	0	0	0	92
		शहरी	185	5	0	0	0	1	191
		जोड़	277	5	0	0	0	1	283

20. राजस्थान	ग्रामीण	381	9	0	0	0	0	390
	शहरी	526	22	0	0	0	0	548
	जोड़	907	31	0	0	0	0	938
21. सिक्किम	ग्रामीण	8	1	0	0	0	0	9
	शहरी	4	0	0	0	0	0	4
	जोड़	12	1	0	0	0	0	13
22. तमिलनाडु	ग्रामीण	585	115	23	5	1	4	733
	शहरी	817	115	9	1	1	3	946
	जोड़	1402	230	32	6	2	7	1679
23. त्रिपुरा	ग्रामीण	52	4	0	4	0	0	60
	शहरी	39	0	0	1	0	0	40
	जोड़	91	4	0	5	0	0	100
24. उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	1687	138	2	10	0	0	1837
	शहरी	1515	21	0	0	0	0	1536
	जोड़	3202	159	2	10	0	0	3373
25. पश्चिमी बंगाल	ग्रामीण	542	37	0	0	0	0	579
	शहरी	571	11	0	1	0	0	583
	जोड़	1113	48	0	1	0	0	1162
26 अंडमान और	ग्रामीण	17	1	0	0	0	0	18
नि० द्वी० समूह	शहरी	8	1	0	0	0	0	9
	जोड़	25	2	0	0	0	0	27
27. चंडीगढ़	ग्रामीण	1	0	0	0	0	0	1
	शहरी	11	0	0	0	0	0	11
	जोड़	12	0	0	0	0	0	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	दादरा व नागर हवेली	ग्रामीण	2	0	0	0	0	0	2
		शहरी	1	0	0	0	0	0	1
		जोड़	3	0	0	0	0	5	3
29.	दमन व दीव	ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0
		शहरी	2	0	0	0	0	0	2
		जोड़	2	0	0	0	0	0	2
30.	दिल्ली	ग्रामीण	57	14	0	0	1	0	72
		शहरी	498	77	0	1	15	0	591
		जोड़	557	91	0	1	16	0	663
31.	लक्ष द्वीप	ग्रामीण	1	0	0	0	0	0	1
		शहरी	1	0	0	0	0	0	1
		जोड़	2	0	0	0	0	0	2
32.	पांडिचेरी	ग्रामीण	7	0	0	0	0	0	7
		शहरी	15	0	0	0	0	0	15
		जोड़	22	0	0	0	0	0	22
	भारत	ग्रामीण	6119	870	70	58	5	14	7136
		शहरी	7705	567	21	11	16	9	8329
		जोड़	13824	1437	91	69	21	23	15465

विवरण II

क्र० सं०	राज्य के नाम	स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जारी की गई निधियां (1989-90 से 1991-92 तक) (लाख रु०) जवाहर रोजगार योजना	सीमावर्ती के विकास शिक्षा कार्यक्रम	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	578.19	—	578.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.25	—	11.25
3.	असम	23.76	—	23.76
4.	गुजरात	450.78	745.75	1196.53
5.	हरियाणा	138.72	—	138.72
6.	हिमाचल प्रदेश	135.93	—	135.93
7.	जम्मू और कश्मीर	823.20	3524.80	4348.00
8.	कर्नाटक	1122.82	—	1122.82
9.	मध्य प्रदेश	1384.50	—	1384.50
10.	मेघालय	60.00	—	60.00
11.	मिजोरम	15.60	—	15.60
12.	उड़ीसा	360.00	—	360.00
13.	पंजाब	635.35	745.25	1388.60
14.	राजस्थान	976.87	788.83	1765.70
15.	त्रिपुरा	33.69	—	33.69
16.	पश्चिम बंगाल	461.52	—	461.52
17.	पांडिचेरी	95.87	—	95.87

विवरण-III

आठवीं योजना के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत निर्मित
किए जाने वाले स्कूल भवन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक चल रहा आपरेशन ब्लैक बोर्ड	विस्तारित आपरेशन ब्लैक बोर्ड	अपर प्राथमिक
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2622	3526	134
अरुणाचल प्रदेश	552	76	11
असम	21276	2057	458
बिहार	27575	4084	753
गोवा	0	79	1
गुजरात	408	1010	68
हरियाणा	0	385	9
हिमाचल प्रदेश	3629	549	76
जम्मू और कश्मीर	4158	594	127
कर्नाटक	0	1830	145
केरल	1754	485	116
मध्य प्रदेश	22484	5095	419
महाराष्ट्र	11084	3028	419
मणिपुर	986	219	42
मेघालय	3404	294	52
मिजोरम	822	80	46
नागालैण्ड	867	90	20
उड़ीसा	16012	2717	462
पंजाब	584	1021	11

1	2	3	4
राजस्थान	200	2234	128
सिक्किम	306	37	6
तमिलनाडु	5335	2327	125
त्रिपुरा	1349	153	41
उत्तर प्रदेश	9382	6007	415
पश्चिम बंगाल	28446	3852	157
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70	14	0
चंडीगढ़	4	3	0
दादरा और नागर हवेली	15	10	0
दमन और दीव	0	3	0
दिल्ली	925	146	17
लक्ष्य द्वीप	0	1	0
पांडिचेरी	37	27	4
जोड़	161227	42034	4260

नोट : (I) 1.40 लाख प्रायमिक स्कूलों में 100 से अधिक नामांकन होने का अनुमान है और वे प्रस्तावित विस्तारित आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत तीन शिक्षक तथा तीन कक्षा प्राप्त करने के पात्र होंगे। आठवीं योजना के दौरान 30 प्रतिशत ऐसे पात्र स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

(II) आठवीं योजना के दौरान 10 प्रतिशत अपर प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

महिला एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम

19. डा० कृपासिंधु भोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों से कोई सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यूनीसेफ और अन्य विदेशी सहायता से विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए 1989-90 से 1991-92 के दौरान निम्नलिखित संगठनों से सहायता प्राप्त हुई है :

1. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ)

भारत सरकार तथा यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई पांच वर्षीय वृहत कार्य योजना के अन्तर्गत यूनिसेफ सहायता प्राप्त होती है। चालू वृहत कार्य योजना (एम० पी० ओ० 1991-95) में सामान्य संसाधनों के अन्तर्गत 525 करोड़ रु० (175 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता दी गई है तथा 870 करोड़ रु० (290 मिलियन अमरीकी डालर) तक के पूरक संसाधन प्रस्तावित है। यह सहायता महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा कार्यक्रमों और अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए दी जा रही है। वृहत कार्य योजना के अन्तर्गत सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-I पर दिया गया है।

2. विश्व बैंक

विश्व बैंक 1990-91 से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों के चुने हुए ब्लाकों में समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-II पर दिया गया है।

तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना-I और II नामक एक पोषाहार परियोजना राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-III पर दिया गया है।

माताओं और बच्चों की मृत्यु, रुग्णता तथा जन्मदरों में कमी लाने के उद्देश्य के विभिन्न राज्यों में क्षेत्र विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-IV पर दिया गया है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास क लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी

गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के चुने हुए ब्लॉकों में आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1983-1992 के दौरान सहायता प्राप्त की गई। राज्य को दी गई सहायता दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-V पर दिया गया है।

अतिसार से होने वाले निर्जलीकरण के कारण हो रही मृत्यु की रोकथाम के लिए मुख-पुनर्जलीकरण उपचार (ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी) कार्यक्रम के लिए भी सहायता (पिछले तीन वर्षों के लिए 29.8 करोड़ रु०) प्राप्त की गई है।

4. स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस० आई० डी० ए०)

तमिलनाडु के 30 ब्लॉकों में आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु

मार्च 1989 से सहायता प्राप्त की जा रही है। जून 1993 तक परियोजना की कुल संभावित लागत 11.59 करोड़ रुपये हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्विकीकरण की सहायता हेतु जून, 1991 से राजस्थान के चुने हुए ब्लाकों में शिक्षा कर्मी परियोजना के लिए सहायता दी जा रही है।

5. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू० एफ० पी०)

पांच राज्यों अर्थात् असम, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परियोजना 2206 के अन्तर्गत आई० सी० डी० एस० लाभप्राप्तकर्ताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु खाद्य वस्तुओं के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त खाद्य वस्तुओं के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-VI पर दिया गया है।

6. केयर इण्डिया

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के दस राज्यों में आई० सी० डी० एस० लाभ प्राप्तकर्ताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु इन्डो-केयर करार, 1950 के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं के रूप में सहायता दी जाती है। तीसरे तीन वर्षों के दौरान प्राप्त खाद्य पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त खाद्य वस्तुओं के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-VII पर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के आठ राज्यों में महिलाओं और बच्चों के पोषाहारीय दर्जे में सुधार लाने के लिए (1990-91 से) चार वर्षों की अवधि के लिए एक गैर-खाद्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भी सहायता (लगभग 10 करोड़ रु० की) उपलब्ध है।

7. डैनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (डानिडा)

महिला विकास हेतु प्रशिक्षण पैकेज के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल संस्थान (निपसिड) को फरवरी, 1992 से 0.84 करोड़ रु० (2.2 मिलियन डैनिश क्रोनर) की सहायता प्रदान की जा रही है। यह परियोजना सितम्बर, 1993 तक चालू रहेगी।

माताओं और बच्चों की मृत्यु, रूग्णता और जन्म दरों में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में क्षेत्र विकास परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही है। परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-VIII पर दिया गया है।

8. डच सहायता

अप्रैल, 1989 से गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के चुने हुए जिलों के महिला समाख्या कार्यक्रम (महिला समानता के लिए शिक्षा) कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला समाख्या सोसाइटीज को दिए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे विवरण-IX पर दिए गए हैं।

9. ओवरसीज डिवेलपमेंट एजेंसी (ओ० डी० ए०)

गुजरात के खेड़ा जिले में 1983-84 से समेकित परिवार कल्याण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। कुल परियोजना लागत 4.92 करोड़ रु० है। मुख्य कार्यकलापों में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, उपचारात्मक और निवारात्मक दवाईयां, पूरक पोषण और आयोत्पादक कार्यकलाप शामिल हैं।

माताओं और बच्चों की मृत्यु और रूग्णता दर और जन्म दर में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में क्षेत्र विकास परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-VIII पर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के सार्विकीकरण के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश में 1989 से प्राथमिक शिक्षा परियोजना (चरण-2) के लिए सहायता दी जा रही है।

10. जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्रकोष (यू॰ एन॰ एफ॰ पी॰ ए॰)

माताओं और बच्चों की मृत्यु और रूग्णता दरों और जन्म दर में कमी लाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में क्षेत्र विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-VIII पर दिया गया है।

11. नार्वेजियन एजेंसी फार डिवलपमेंट कार्पो॰ (नोराड)

रोजगार और आयोत्पादक एककों की योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षित करने और गैर पारम्परिक क्षेत्रों में उनके लिए रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 1982 से वित्तीय सहायता दी जा रही है। 1982 से 1993 तक इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कुल राशि 19.20 करोड़ रु॰ (80 मिलियन एन॰ ओ॰ के॰) हैं। स्वयंसेवी संगठनों के लिए राज्यवार वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-X पर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के 58 ब्लाकों में आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिसम्बर 1982 से सहायता प्रदान की जा रही है। परियोजना की कुल लागत और देय सहायता (दिसम्बर, 1993 तक) अनुमानतः 57.22 करोड़ रु॰ (206 मिलियन एन॰ ओ॰ के॰) है।

12. कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष (आई॰ एफ॰ ए॰ डी॰)

तमिलनाडु महिला विकास परियोजना की योजना के अन्तर्गत परिवार और समुदाय में महिलाओं के दर्जे में सुधार लाने और उनके परिवारों के कल्याणार्थ महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु तमिलनाडु को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मई, 1989 से दिसम्बर, 1997 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कुल सहायता राशि 51.00 करोड़ रुपये (17 मिलियन अमरीकी डालर) है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए तमिलनाडु को दी गई वर्ष-वार वित्तीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-XI पर दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्र		वृहत कार्य योजना के अन्तर्गत देय सहायता (करोड़ रु० में) (सामान्य संसाधनों के अन्तर्गत)			परियोजना और लागू करने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम	विस्तार क्षेत्र (कवरेज)
		1990	1991	1992		
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाल विकास	25.50 (8.50 मिलियन डालर)	21.00 (7.00 मिलियन डालर)	30.00 (10.00 मिलियन डालर)	समेकित बाल विकास सेवा (महिला एवं बाल विकास विभाग)	आंध्र प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब
2.	महिला-विकास	8.70 (2.90 मिलियन डालर)	10.50 (3 50 मिलियन डालर)	10.50 (3.50 मिलियन डालर)	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, नागालैण्ड, कर्नाटक, बिहार, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम
					महिला सहभागिता (महिला एवं बाल विकास विभाग)	राष्ट्रीय/सभी राज्य

1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	4	5
					किशोर बालिकाएं (महिला एव बाल विकास विभाग)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वैस्ट बंगाल और दिल्ली
3.	शहरी आधारभूत सेवाएं	5.40 (1.80 मिलियन डालर)	5.00 (1.70 मिलियन डालर)	6.00 (2.00 मिलियन डालर)	शहरी आधारभूत सेवाएं (शहरी विकास मंत्रालय)	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, वैस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, बिहार, असाम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और, कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पंजाब
4.	समुदाय आधारित संकेन्द्रित सेवाएं	0	0.30 (0.10 मिलियन डालर)	3.00 (1.00 मिलियन डालर)	समुदाय आधारित संकेंद्रित सेवाएं (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	आंध्र प्रदेश, वैस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम, हरियाणा
5.	स्वास्थ्य	18.00 (6.00 मिलियन डालर)	22.50 (7.50 मिलियन डालर)	18.00 (6.00 मिलियन डालर)	रोग प्रतिरोधक टीकाकरण का विस्तृत कार्यक्रम (ई०पी०आई०) (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
					सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय)	मध्य प्रदेश, कर्नाटक, प० बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश और दिल्ली

				छोटे बच्चों का विकास और सुरक्षित मातृत्व (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु
6. शिक्षा	8.40 (6.00 मिलियन डालर)	19.80 (6.60 मिलियन डालर)	13.50 (4.50 मिलियन डालर)	सभी के लिए शिक्षा (ई० एफ० ए०) (शिक्षा विभाग)	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल और दिल्ली
				शिक्षा/नवाचार (शिक्षा विभाग)	नागालैंड, मिजोरम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दादर नगर हवेली और दिल्ली
				शिक्षा-राज्य/जिला स्तरीय कार्यकलाप (शिक्षा विभाग)	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, प० बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और दिल्ली
7. पोषाहार	4.50 (1.50 मिलियन डालर)	3.30 (1.10 मिलियन डालर)	2.10 (0.70 मिलियन डालर)	पोषाहार (खाद्य विभाग)	आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उ० प्रदेश, प० बंगाल
8. जल एवं सफाई	19.80 (6.60	10.50 (3.50	8.55 (2.85	जल प्रदाय (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	सभी राज्य

1	2	3 (क)	3 (ख)	3 (ग)	4	5
		मिलियन डालर)	मिलियन डालर)	मिलियन डालर)	पर्यावरणीय सफाई (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	असम. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली
					सामाजिक चेतना तथा कार्यक्रम प्रबन्धन (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
					एस० डब्ल्यू० ए० सी० एच० गिनीकृमि उन्मूलन (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	राजस्थान
					एस०डब्ल्यू०ए०सी०एच०—उदयपुर (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	राजस्थान
					समेकित गिनीकृत नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मन्त्रालय)	मध्य प्रदेश और राजस्थान
9.	बाल अपंगता	2.10 (0.70 मि० डालर)	1.80 (0.60 मि० डालर)	1.80 (0.60 मि० डा०)	बाल अपंगता (कल्याण मंत्रालय)	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली
10.	विशेषकर कठिन परि-स्थितियों में	1.20 (0.40 मिलियन	1.50 (8.50 मिलियन	2 10 (8.70 मिलियन	निराश्रित बच्चे (कल्याण मंत्रालय)	अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, कर्नाटक, केरल,

बच्चे	डालर)	डालर)	डालर)		तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, और पांडिचेरी
11. सूचना एवं संचार	2.40 (0.80 मि० डालर)	1.80 (0.60 मि० डालर)	1.95 (0.65 मि० डालर)	सूचना संचार (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)	सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश
12. आयोजन और कार्यक्रम सहायता	6.60 (2.20 मि० डालर)	8.10 (2.70 मि० डालर)	8.10 (2.70 डालर)	आयोजन और कार्यक्रम सहायता (यूनिसेफ)	सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश

मि० डा०=मिलियन डालर

विवरण-II

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

परियोजना अवधि 1990-91—1995-96

क्र० सं०	राज्य सरकार का नाम	ब्लाकों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु० में)	विश्व बैंक सहायता (करोड़ रु० में)	दिया गया सहायता अनुदान (करोड़ रु० में) 1989-90 में	1990-91 में	1991-92 में
1.	आंध्र प्रदेश	110	130	परियोजना व्यय के 70% तक की प्रतिपूर्ति	शून्य	5.00	28·00
2	उड़ीसा	191	113		शून्य	4.50	35.96
		301	303	*309 (एस० डी० आर० 73.6 मिलियन)			

*प्रति एस० डी० आर० 1.4 डालर और प्रति अमरीकी डालर 30 रु० की विनिमय दर से समेकित

विवरण-III

तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजनाओं (टी० आई० एन० पी०) के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	मदें	टी० आई० एन० पी०-I	टी० आई० एन० पी-II
1.	परियोजना अवधि	1980 से 30-9-1989	14-9-90 से 13-9-96 (1-10-89 से पूर्व प्रभावी वित्तपोषण सहित)
2.	परियोजना लागत	55-78 करोड़ रु०	235.805 करोड़ रुपए
3.	विश्व बैंक द्वारा देय राशि	96 करोड़ रुपए (32 मिलियन अमरीकी डालर)	277 करोड़ रुपए (66.1 मिलियन एस०डी०आर०)
4.	कवरेज	173 ब्लॉक	तमिलनाडु में 316 ब्लॉक
5.	(क) किया गया व्यय और (ख) प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि		
	1989-90	(क) 21.88 लाख रु० (1-4-89 से 30-9-89)	(क) 22.92 लाख रु०
	1990-91	परियोजना पूरी कर ली गई	(क) 564.47 लाख रु०
	1991-92	——तदैव——	(क) 915.94 लाख रु०
	1992-93	——तदैव——	(क) 1986.23 लाख रु०

विवरण-IV

विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजनाओं का विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	कवर किया गया क्षेत्र	परियोजना अवधि		कुल परियोजना लागत (करोड़ रु० में)		करार के अनुसार देय सहायता	अभ्युक्तियां
1.	पश्चिमी बंगाल	4 जिले	1985-93		107.47	194	एस० डी० आर० 46.30 मिलियन	परियोजना व्यय के 80% तक की प्रतिपूर्ति
2.	महाराष्ट्र	बम्बई सिटी	1988-95		48.30	172	एस० डी० आर० 41.00 मिलियन	
3.	तमिलनाडु	मद्रास सिटी	1988-95		69.10			
4.	उत्तर प्रदेश	संपूर्ण राज्य	1990-91 से 1994-95	110.54	204.41	366	एस० डी० आर० 87.20 मिलियन	
5.	मध्य प्रदेश	संपूर्ण राज्य		42 57				
6.	आंध्र प्रदेश	संपूर्ण राज्य		49.35				
	(एन०एच०एफ०डब्ल्यू० तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)	—तदैव—		1.75				
7.	बिहार	संपूर्ण राज्य	1990-91 से 1994-95	88 18	335.72	266	एस० डी० आर० 63.40 मिलियन	
8.	गुजरात	—तदैव—		43.90				
9.	पंजाब	—तदैव—		48.66				
10.	हरियाणा	—तदैव—		42.42				
11.	जम्मू और कश्मीर	—तदैव—		51.54			* प्रति एस० डी० आर० 1.4 अमरीकी डालर और प्रति अमरीकी डालर 30 रु० की विनिमय दर से	
	राष्ट्रीय घटक (सामाजिक विपणन, स्वयं सेवी संगठन एन० आई० एच० एफ० डब्ल्यू० और आकस्मिक खर्च आदि)	—तदैव—		274.70				
				61.02				
		कुल			765.00	998*		

विवरण-V

आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं के लिए यू० एस० ऐड सहायता के ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

परियोजना अवधि 1983 से 1992

क्र० सं०	राज्य सरकार का नाम	ब्लाकों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु० में)	यू० एस० ऐड सहायता (करोड़ रु० में)
1.	गुजरात	11	38.55	37.18
2.	महाराष्ट्र	10		

विवरण-VI

विश्व खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त खाद्य सामग्री का राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

	राज्य	1989-90	1990-91	खाद्य सामग्री-मी० टन में 1991-92
1.	असम	400	2195	4322
2.	केरल	17250	19492	25540
3.	मध्य प्रदेश	5000	4048	4402
4.	राजस्थान	6000	5704	4827
5.	उत्तर प्रदेश	15000	9703	4821
	योग	43650	41142	43912

विवरण-VII

केयर के अन्तर्गत प्राप्त खाद्य सामग्री का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	खाद्य सामग्री मी० टन में		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9937	14945	24062
3.	बिहार	18768	10033	22013
3.	गुजरात	14528	239995	25685

4.	कर्नाटक	15862	27524	32137
5.	मध्य प्रदेश	17510	21473	24072
6.	महाराष्ट्र	11057	15345	20382
7.	उड़ीसा	25067	23652	31152
8.	राजस्थान	8228	10342	14530
9.	उत्तर प्रदेश	4018	4711	14980
10.	पश्चिमी बंगाल	19320	18992	35951
	योग	036296	171512	244964

विवरण-VIII

विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत बाह्य सहायता प्राप्त क्षेत्रीय परियोजनाएं

क्र० सं०	वित्त पोषण करने वाली ऐजेन्सी का नाम	राज्यों का नाम	जिलों की सं०	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत करोड़ों में	(करोड़ रु० में)	करार के अनुसार देय विदेशी सहायता	अभियुक्ति
1.	डी०ए०एन०आई० डी० ए०(डानिडा)	1. मध्य प्रदेश	8	1989-1994	21.81	18.58	(केवल रु० की मुद्रा में)	परियोजना व्यय की 85% तक प्रतिपूर्ति
		2. तमिलनाडु	2	1989-1994	22.96	19.51	—तदैव—	
2.	यू०एन०एफ० पी० ए०	3. राजस्थान	13	1989-1994	19.76	42.36	14.12 मिलियन डालर	परियोजना व्यय की 100% तक प्रतिपूर्ति
		4. हिमाचल प्रदेश	9	1990-95	35.29	63.33	21.11 मिलियन डालर	
		5 महाराष्ट्र	5	1990-95	24.74	44.37	14.79 मिलियन डालर	
3.	ओ० डी० ए०	6. उड़ीसा	5	1989-1995	65.66	54.00	18.00 मिलियन डालर	परियोजना व्यय की 75% तक प्रतिपूर्ति
				कुल	190.22	242.15*		

*प्रति डालर 30 रु०'की विनिमय दर से

विवरण-IX

भारत सरकार द्वारा महिला समख्या सोसाईटीज को दिए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे

(करोड़ रु० में)

	1989-90	1990-91	1991-92	देय सहायता
कर्नाटक	शून्य	शून्य	1.75	100%
गुजरात	शून्य	शून्य	1.00	प्रतिपूर्ति
उत्तर प्रदेश	शून्य	1.75	शून्य	

विवरण-X

महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आयोत्पादक एककों की स्थापना हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

गत तीन वर्षों में दी गई राशि (लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	दी गई सहायता	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	2.40 रु० प्रति	44.62	5.19	38.92
2.	बिहार	एन०ओ०के०की	शून्य	शून्य	8.58
3.	गुजरात	विनिमय दर से	शून्य	8.89	9.02
4.	हरियाणा	19.20 करोड़	43 49	42.86	20.42
5.	हिमाचल प्रदेश	रु० 100%	शून्य	3.34	6.02
6.	जम्मू और कश्मीर	प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य	1.80
7.	केरल		7.53	7.37	4.67
8.	महाराष्ट्र		26.88	10.50	24.52
9.	मणिपुर		1.08	शून्य	शून्य
10.	उड़ीसा		3.50	3.00	13 48
11.	पंजाब		32.17	60.74	16.43
12.	राजस्थान		1.13	शून्य	1 57
13.	तमिलनाडु		14.57	20.90	शून्य
14.	त्रिपुरा		शून्य	1 23	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश		14.86	29.33	33.30
16.	पश्चिम बंगाल		10.86	6.05	19.11
17.	दिल्ली		शून्य	0.56	2.17
			200.69	199.96	200.00

विवरण-XI

पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाए जाने वाली महिला एवं बाल कल्याण परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

परियोजना का नाम	कवर किए गए राज्य	करार की तारीख	सहायता राशि (मिलियन करोड़ डालर रुपये)	समापन तिथि	राज्यों को दी गई धनराशि (करोड़ रुपये में)		
					1989-90	1990-91	1991-92
1. तमिलनाडु महिला विकास परियोजना (आई० एफ० ए० डी० लोन एन 8.240 आई० एन०)	तमिलनाडु	30-5-89	17 51.00	31-12-97	शून्य	1.13	0.78

[हिन्दी]

छोटे तथा सीमान्त किसान

*20. श्री एच० डी० देवगौड़ा :
श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत छोटे तथा सीमान्त किसान हैं;

(ख) इन किसानों द्वारा खाद्यान्नों का अनुमानित औसत वार्षिक उत्पादन कितना किया जाता है;

(ग) क्या उत्पादन लागत अधिक होने के कारण इन किसानों को कोई विशेष लाभ नही मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि ऐसे सीमान्त किसानों को प्रोत्साहन न मिलने की स्थिति में उत्पादन स्तर में गिरावट न आये ?

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) कृषि संगणना, 1985-86 (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार सीमान्त और छोटे किसान कृषि जोतों की कुल संख्या के क्रमशः 57.8% और 18.4% हैं।

(ख) चूंकि प्रौद्योगिकी पैमाने से जुड़ी हुई नहीं है, अतः, इन किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों की मात्रा सामान्यतया उनके द्वारा कृष्य क्षेत्र के अनुपात में होने की संभावना है, जो 1985-86 की कृषि संगणना के अनुसार सीमान्त किसानों के लिए 13.4% तथा छोटे किसानों के लिए 15.6% है।

(ग) और (घ) ये किसान आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न फसल उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों से पर्याप्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें खासकर सीमान्त और छोटे किसानों के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

गेहूं और चावल का उत्पादन

21. श्री शिवाजी पटनायक :
डा० असीम बाला :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 1993 के दौरान गेहूं और चावल की बढ़ती हुई मांग का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय देश की उत्पादन दर मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो देश में शीघ्र चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) आशा है कि 1993 में गेहूं और चावल सहित खाद्यान्नों की मांग खाद्यान्नों के घरेलू उत्पादन, जिसके 1992-93 के दौरान 176.7 मिलियन टन होने की सम्भावना है, के द्वारा पूरी तरह पूरी हो जाएगी।

(घ) विपणन एवं मूल्य समर्थन कार्यों, सिंचाई का प्रसार आदि के अतिरिक्त, सरकार देश में इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस समय समन्वित चावल विकास कार्यक्रम और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-गेहू को क्रियान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पुल

2. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मध्य रेलवे के अन्तर्गत कितने पुल हैं;

(ख) कितने पुलों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इन पुलों की मरम्मत पर कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने पुलों की मरम्मत की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 4702.

(ख) 11.

(ग) खर्च का लेखा-जोखा राज्यवार नहीं रखा जाता है।

(घ) 10।

[अनुवाद]

दिल्ली में प्रदूषण

3. **श्री सनत कुमार मंडल** :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहर इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि हाल ही में किए गए अध्ययनों के अनुसार अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा यहां पुराने श्वास रोग की घटनाएं 12 प्रतिशत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं अथवा करने की योजना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) दिल्ली में महामारियों के सम्बन्ध में कोई सुव्यवस्थित अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :—

1. परिवेश, वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं;
2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए है ।
3. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को निदेश दिए गए हैं कि वे मंजूरी शर्तों का सायबद्ध आधार पर अनुपालन करे । दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई हैं ।
4. अनजले हाइड्रो-कार्बनों के स्तरों में कमी करने के उद्देश्य से जलाने की लकड़ी और कोयले के विकल्प के रूप में तरल पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) को एक स्वच्छ घरेलू इंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है । उद्योगों से सल्फर डाईआक्साइड के उत्सर्जनों को कम करने के लिए इंधन तेल के विकल्प के रूप में दिल्ली को कम सल्फर वाले भारी स्टॉक की आपूर्ति की जा रही है ।
5. केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए ठोस और द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गएं हैं ।
6. सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाए गए हैं ।
7. प्रदूषण के उपशमन के लिए एक नीति विवरण तैयार किया गया है ।

[हिन्दी]

टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन

4. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (के० सी० लेंका) : (क) जी हां;

(ख) 27.90 लाख रुपये की लागत से सर्वेक्षण किया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. लम्बाई	154.58 कि० मी०
2. लागत	650.25 करोड़ रुपये

3. प्रतिफल की दर—ऋणात्मक

लाइन की अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए परियोजना शुरू नहीं की जा सकी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खो-खो खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार

*5. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खो-खो खेल के लिए वर्ष 1991-92 का अर्जुन पुरस्कार घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में एमेच्योर खो-खो फेडरेशन आफ इंडिया की ओर से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या उक्त पुरस्कार को पाने के लिए जिनके नामों की सिफारिश की गई थी वे अर्हताओं को पूरा करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या खो-खो के लिए भविष्य में इस पुरस्कार की घोषणा करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) और (ख) कलेण्डर वर्ष 1991 तथा 1992 के लिए अभी तक अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है।

(ग) भारतीय अमेच्योर खो-खो संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव भारतीय खो-खो संघ से प्राप्त होते हैं।

(घ), (ङ) और (च) अन्य संघो से प्राप्त नामांकनों सहित खो-खो संघ के नामांकनों को सिफारिश के लिए अर्जुन पुरस्कार चयन समिति के सम्मुख रखा जाता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

खड़गपुर और भद्रक के बीच यात्री रेलगाड़ियां

6. श्री सुधीर गिरि : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे के खड़गपुर और भद्रक के बीच और अधिक यात्री रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पशुओं में दूध का उत्पादन बढ़ाने वाली दवा

7. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रतिबंधित कतिपय दवायें हमारे यहां पशुओं को दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये दवाएं कैंसर-प्रवण हैं और इनसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी दवाओं का प्रयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जनसंख्या शिक्षा को शामिल करना

8. **श्री बी० देवराजन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (कु० सैलजा) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में, विद्यालय पाठ्यक्रमों तथा प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रमों की शैक्षणिक सामग्री में जनसंख्या से संबंधित मामलों को शामिल कर लिया गया है। इसमें परिवार-नियोजन पर महत्व नहीं दिया गया है।

2. जनसंख्या शिक्षा की धारणा मुख्यत: निम्नलिखित छ: विषयों पर आधारित है—

(i) परिवार का आकार तथा परिवार कल्याण

(ii) देर से होने वाले विवाह

(iii) जिम्मेदार पितृत्व

(iv) जनसंख्या परिवर्तन तथा संसाधन विकास

(v) जनसंख्या से संबंधित धारणाएं एवं मूल्य

(vi) महिलाओं की स्थिति

3. जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को सुलझाने में शिक्षा को सक्षम मानते हुए औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में जनसंख्या शिक्षा को शुरू करने के दृष्टिकोण से अप्रैल, 1980 से एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (रा० ज० शि० परि०) आरम्भ की गई। तदुपरांत राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को (i) विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा (ii) प्रौढ़ शिक्षा तथा (iii) उच्चतर शिक्षा के नाम से तीन भागों में विभाजित कर दिया गया।

4. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) पर व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी मुद्दों से पर्याप्त रूप से परिचित कराने वाले समरूप सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ माध्यमिक स्तर तक की अपनी सामान्य शिक्षा को पूरा करना होता है।

[हिन्दी]

गुजरात में नवोदय विद्यालय

9. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेष रूप से बड़ोदरा, भड़ौच और पंच-महल जिलों में सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए सभी विद्यालयों में अध्यापन शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने विद्यालयों में चालू वर्ष के दौरान अध्यापन अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ग) क्या सभी नवोदय विद्यालयों विशेषकर गुजरात के जिलों के नवोदय-विद्यालयों के भवनों का निर्माण हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन भवनों का कब तक निर्माण हो जाने की सभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (कु० सैलजा) : (क) और (ख) भड़ौच जिले के स्कूल सहित, गुजरात के 9 नवोदय विद्यालयों में अध्यापन पहले ही शुरू हो गया है। क्रमश: साबरकांठा और मेहसाना जिलों के शेष 2 विद्यालयों, जिन्हें चालू शैक्षिक-वर्ष में स्वीकृत किया गया था, के लिए निर्धारित प्रवेश-परीक्षा आयोजित की जानी है। बड़ोदरा और पंच-महल जिलों में कोई स्कूल स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सम्बन्धित चरणों के लिए, 6 स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है, प्रगति के सम्बन्धित चरणों में है। तीन स्कूलों के लिए, राज्य सरकार द्वारा भूमि के आवंटन तथा नवोदय विद्यालय द्वारा कब्जा लिए जाने की कार्रवाई प्रगति में है। शेष 2 स्कूल, चालू वर्ष में ही स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ) भवनों के निर्माण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूमि के आवंटन, विस्तृत योजना और प्राक्कलन तैयार करने और उनका अनुमोदन तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सिलीगुड़ी और कटिहार के बीच सवारी गाड़ियां

10. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी और कटिहार के बीच सवारी गाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात को पामोलीन और चीनी की सप्लाई

12. **डा० ए० के० पटेल** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 और 1992 के दौरान गुजरात की पामोलीन और लेवी चीनी की मांग और पूर्ति कितनी-कितनी थी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : गुजरात सरकार ने वर्ष 1991 तथा 1992 के लिए खाद्य तेलों की क्रमश: 20,000 मी० टन और 8,000 मी० टन तक की मांग की थी। तथापि, 1991 और 1992 के दौरान गुजरात को पामोलीन की कुल 19450 मी० टन मात्रा आवंटित की गई थी, जिसमें से उनके द्वारा 16,012 मी० टन मात्रा उठाई गई थी। इसके अलावा, गुजरात राज्य सरकार ने 1992 में सीधे आयात के रूप में 5952 मी० टन खाद्य तैल का आयात किया था।

जहां तक लेवी चीनी का संबंध है, गुजरात को 16,194 मी० टन का मासिक कोटा आवंटित किया गया है, इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार द्वारा जून, 1993 की अवधि तक मासिक आवंटन के ऊपर 5% अर्थात् 810 मी० टन की तदर्थ वृद्धि की गई है। इसके अलावा राज्य को वर्ष के दौरान 4878 मी० टन का एक त्यौहार कोटा भी प्राप्त होता है।

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन

13. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक माडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कतिपय रेलवे स्टेशनों को "आदर्श स्टेशनों" के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था ताकि, जहां तक उस क्षेत्र के स्टेशनों के लिए विभिन्न यात्री सुविधाओं की व्यवस्था का सम्बन्ध है, वे "आदर्शों" के रूप में कार्य कर सकें, चूंकि उस क्षेत्र के तीन अन्य स्टेशनों को "आदर्श स्टेशनों" के रूप में चुना गया था, चंडीगढ़ को इस योजना में शामिल नहीं किया गया था, बहरहाल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सभी आधारभूत यात्री सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं और यात्री आवश्यकताओं के कारण अपेक्षित होने पर इनका अधिक विकास किया जाता है, इस संबंध में, यात्री आरक्षण का कंप्यूटरीकरण (लागत 81 लाख रुपये) और परिचलन क्षेत्र में वाहन खड़ा करने की सुविधाओं (लागत 6.38 लाख रुपये) की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय वन नीति का कार्यान्वयन

14. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जिलावार राष्ट्रीय वन नीति, 1983 के अन्तर्गत कुल कितने हेक्टेयर भूमि-क्षेत्र में पेड़ लागए गए हैं;

(ख) क्या ईंधन और चारा प्राप्त करने की दृष्टि से इस नीति के अन्तर्गत उपयुक्त संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन से पेड़ लगाए गए हैं/लगाए जा रहे हैं तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यूकिलपटस और चीड़ के पेड़ों के स्थान पर संबंधित एजेंसियों द्वारा छायादार, फलदार और ईंधन तथा चारा उत्पादक पेड़ लगाए जाने की कोई योजना तैयार करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) से (च) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में ग्रामीण तथा आदिवासी लोगों की जलाने की लकड़ी, चारे, लघु वन उत्पाद तथा छोटी-मोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक आवश्यकता आधारित वनरोपण प्रयास आह्वान किया गया है। तदनुसार विभिन्न सहायता प्राप्त वनरोपण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों में ऐसी विविध और देशी प्रजातियां उगाने पर बल दिया गया है जो उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ लोगों को फल, रेशे तथा आर्थिक महत्व के अन्य उत्पाद उपलब्ध करा सके।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा स्टेशन

15. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार कार्य किये जाने की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी थी;

(ग) पहले ही कार्यान्वित किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत 164.95 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दक्षिण की ओर स्टेशन इमारत का विस्तार करने, से सम्बन्धित कार्य शुरू करने, बुकिंग कार्यालय के लिए ले-आउट की पुनर्व्यवस्था करने, जन-उद्घोषणा प्रणाली, प्लेटफार्म सतह तथा परिचालन क्षेत्र में सुधार करने, पीने के पानी के नलके की व्यवस्था करने, प्लेटफार्म पर बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था करने, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था पंखों, प्रदीप्त बोर्डों, डिजीटल घड़ी की व्यवस्था करने, साइकिल/स्कूटर शेड व्यवस्था करने, ऊपरी पैदल पुल से प्लेटफार्म सं० 1 ए तक एक नई सीढ़ी की व्यवस्था करने, तथा प्लेटफार्म पर अतिरिक्त शायबान की व्यवस्था करने, प्रसाधन तथा उपयोगी स्टालों में सुविधाओं की व्यवस्था/सुधार करने, ऊपरी पैदल पुल का वितार तथा प्लेटफार्मों का विस्तार/चौड़ा करने का प्रस्ताव था। दक्षिण की ओर स्टेशन इमारत का विस्तार करने तथा ऊपरी पैदल पुल से प्लेटफार्म 1 ए तक नई सीढ़ी की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य को छोड़कर सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

(घ) 31-3-1993।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

16 श्री जीवन शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विरुद्ध गलत परिणाम घोषित करने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार के ध्यान में कितने और किस तरह के मामले आये थे;

(घ) इन शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यकरण को सुचारू बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कु० सैलजा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उम्मीदवारों के अभ्यावेदनों के आधार पर परिणामों की जांच करते समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) को अंकों का योग करने, अंक प्रदान करने और कुछ पुस्तिकाओं को बिना मूल्यांकन के ही छोड़ देने संबंधी कुछ त्रुटियों का पता चला है। वर्ष 1991 में परिणामों को संग्रहित करते समय संगणक की त्रुटि के कुछ मामले भी प्रकाश में आए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान पाई गई त्रुटियों की संख्या के सबंध में ब्यौरे निम्नलिखित हैं—

माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा X)

वर्ष	परीक्षा के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	अंकों की जांच के लिए प्राप्त आवेदनों की सख्या	पाई गई त्रुटियों की संख्या	परिणामों को संग्रहित करने में त्रुटियों की संख्या
1990	225744	7778	670	शून्य
1991	246510	10413	960	शून्य
1992	307476	11203	1327	शून्य
वरिष्ठ स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (कक्षा-XII)				
1990	136066	11335	912	शून्य
1991	136489	11229	841	56
1992	167363	13494	887	शून्य

बोर्ड ने पाई गई त्रुटियों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें संशोधित कर दिया है। के० मा० शि० बो० के पास पद्धति को सरल और कारगर बनाने के लिए उपचारी उपायों हेतु एक

अन्तः निर्मित तंत्र है । बोर्ड ने अपनी मूल्यांकन पद्धति को विकेंद्रीकृत कर दिया है । बड़े केंद्रों की बजाय मुख्य मूल्यांकन केन्द्र शुरू किए गये हैं जहां अतिरिक्त मुख्य परीक्षक के निरीक्षक में केवल 10-12 परीक्षक कार्य करते हैं ताकि बेहतर निरीक्षण और अच्छी कुशलता सुनिश्चित की जा सके । मुख्य मूल्याकन केन्द्र स्तर पर ही त्रुटियों का पता लगाने के लिए जांच और पुनः जांच करने वाले तंत्र को भी सुदृढ़ बनाया गया है । के० मा० शि० बो० के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर इनकी पुनः जांच द्वारा इसे और सुदृढ़ बनाया गया है ।

साक्षर बच्चों के संबंध में सर्वेक्षण

17. श्री परस राम भारद्वाज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छः वर्ष के आयु वर्ग के साक्षर बच्चों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार और लिंगवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 1991-92 के चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार कक्षा I-V में 1015.77 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं । ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र	प्राइमरी/ लड़के	जुनियर बैसिक लड़कियां	(कक्षा I-V) जोड़
1 2	3	4	5
1 आंध्र प्रदेश	4429494	3325341	7754835
2 अरूणाचल प्रदेश	69546	49837	119383
3. असम	1926407	1697356	3623763
4. बिहार +	5687983	2924335	8612318
5. गोवा	70399	64175	134574
6. गुजरात	3337000	2504000	584000
7. हरियाणा	970214	791138	1761352
8. हिमाचल प्रदेश	370000	320000	690000
9. जम्मू और कश्मीर	458106	305150	763256
10. कर्नाटक	3122907	2750965	5873872

1	2	3	4	5
11.	केरल	1570750	1488582	3059342
12.	मध्य प्रदेश	4810030	3336092	8146122
13.	महाराष्ट्र	5450520	4715937	10166457
14.	मणिपुर +	143515	121074	264589
15.	मेघालय	76577	71987	148564
16.	मिजोरम	59107	53180	112287
17.	नागालैंड	82483	72644	155127
18.	उड़ीसा	2180000	1500000	3680000
19.	पंजाब +	1117919	953702	20716621
20.	राजस्थान	3252880	1443010	4695890
21.	सिक्किम	39296	34028	73324
22.	तमिलनाडु	4225530	3624565	7850095
23.	त्रिपुरा	216481	178450	394931
24.	उत्तर प्रदेश	9617568	5530432	15148000
25.	पश्चिम बंगाल ≠	5313432	3960689	9274121
26.	अंडमान और नि० द्वी० स०	71784	19596	41380
27..	चंडीगढ़	27740	24237	51977
28	दादरा और नगर हवेली	10163	6963	17126
29.	दमन और दीव	7010	6280	13290
30.	दिल्ली	492960	430980	923940
31.	लक्ष्यद्वीप	4718	4035	8753
32.	पांडिचेरी	55474	50326	105800
		59217993	42359096	101577089

≠ आंकड़े 1988-89 से सम्बन्धित है।

\+ आंकड़े 1990-91 से सम्बन्धित है।

स्रोत—चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1991-92

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों तथा चीनी की कीमतें

18. **डा० महावीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 से आज तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विपरीत किए जाने वाले खाद्यान्नों तथा चीनी की कीमतों में समम-समय पर कितने प्रतिशत वृद्धि की गई;

(ख) इन वस्तुओं की कीमतों में अन्तिम बार कब वृद्धि की गई थी; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) सूचना निम्नानुसार है :—

निम्न तारीख से प्रभावी	1990 से अब तक पिछले केन्द्रीय निर्गम मूल्य के मुकाबले में वृद्धि की प्रतिशतता
गेहूं	
1-5-90	14.7%
28-12-91	19.7%
11-1-93	17.8%

चावल	साधारण	बढ़िया	उत्तम
25-6-90	18.4%	14.8%	13.8%
28-12-91	30.4%	25.2%	23.8%
11-1-93	15.9%	13.7%	13 1%

मोटे अनाज

मोटे अनाजों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) 1-10-1990 से 199 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं और तब से इनमें वृद्धि नहीं की गई है।

चीनी

24-7-91	16.2%
21-1-92	13.1%
17-2-93	20 3%

(ग) गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में वृद्धियों की आंशिक रूप से

खपाने के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

लेवी चीनी समीकरण निधि में कमी को पूरा करने के लिए और गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य तथा रूपान्तरण/वितरण लागत में वृद्धि होने के कारण लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्यों में वृद्धि की जाती है।

चीनी मिलें

19. **श्री एस० बी० थोरात** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी चीनी मिलें हैं तथा इनमें से कितनी मिलें अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम क्षमता पर चल रही हैं; और

(ख) इन मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1991-92 मौसम (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान 392 चीनी फैक्ट्रियां काम कर रही थीं। 1991-92 के दौरान समग्र मौसम के आधार पर जिन चीनी फैक्ट्रियों ने अपनी संस्थापित क्षमता से कम क्षमता पर काम किया उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को अपनी क्षमता में 2500 टी० सी० डी० के न्यूनतम आर्थिक स्तर तक विस्तार के लिए वरीयता दी गई है।

(2) चीनी विकास निधि से (क) प्लांट तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन तथा (ख) गन्ना विकास परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(3) 1991-92 मौसम के लिए 26 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 1992-93 मौसम के लिए गन्ने की सांविधिक न्यूनतम कीमत को बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 31.00 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, इससे लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी।

(4) न केवल नई चीनी फैक्ट्रियों को बल्कि क्षमता में 2500 टी० सी० डी० तक विस्तार करने वाली फैक्ट्रियों को भी अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) 1992-93 मौसम के लिए लेवी तथा खुली बिक्री चीनी का अनुपात 45 : 55 से बदल कर 40 : 60 कर दिया गया है।

(6) 1-4-1993 से चीनी का 5 लाख टन का बफर स्टाक सृजित किया जाएगा तथा चीनी फैक्ट्रियों को भंडारण, ब्याज और बीमा प्रभारों की प्रतिपूर्ति चीनी विकास निधि से की जाएगी।

(7) चीनी मौसम 1993-94 के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने की 32.50 रुपये प्रति क्विंटल सांविधिक न्यूनतम कीमत की अग्रिम घोषणा कर दी गई है।

विवरण

1991-92 के दौरान समग्र मौसम के आधार पर जिन चीनी फैक्ट्रियों ने अपनी स्थापित क्षमता से कम कार्य किया, उनकी राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य	उन चीनी फैक्ट्रियों की संख्या, जिन्होंने अपनी स्थापित क्षमता से कम कार्य किया
1.	हरियाणा	4
2	पंजाब	5
3.	उत्तर प्रदेश	33
4.	बिहार	17
5.	पश्चिमी बंगाल	1
6.	असम	1
7.	उड़ीसा	5
8	राजस्थान	2
9.	मध्य प्रदेश	5
10.	महाराष्ट्र	9
11.	गुजरात	3
12.	आंध्र प्रदेश	19
13.	तमिलनाडु	11
14.	कर्नाटक	8
15.	नागालैंड	1
	जोड़	124

[अनुवाद]

खाद्य और कृषि संगठन की भारतीय डेयरी उद्योग पर रिपोर्ट

20. श्री गोविन्द राव निकाम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने रिपोर्ट दी है कि भारतीय डेयरी उद्योग के नियंत्रण मुक्त किए जाने के कारण दूध की सप्लाई सहकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र के हाथों में चली गई है जिसके परिणामस्वरूप संसाधित उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूध और दुग्ध उत्पादों के मूल्य को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन ने दुग्ध व दुग्ध उत्पादों की विश्व भर में स्थिति की समीक्षा करते हुए अपने प्रकाशन "खाद्य दृष्टिकोण" न०-12 दिसम्बर, 1992 में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी रिपोर्ट की है, "विकासशील देशों में सबसे अधिक उत्पादक देश भारत में बेहतर घास और चारे की आपूर्ति से 1992 के लिए उत्पादन में चार प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। 1991 में भारतीय डेयरी उद्योग के विनियन्त्रीकरण के पश्चात् कुछ दुग्ध आपूर्ति सहकारी प्रसंस्करण क्षेत्र से न प्राप्त होकर, जोकि कम-मूल्य पर ताजे दूध की आपूर्ति करता है, अत्यधिक मूल्य के प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण करने वाली निजी डेयरियों से प्राप्त हुई। घी के मूल्य में वृद्धि के पश्चात् इसके उत्पादन के लिए ग्रामीण स्तर पर और अधिक दुग्ध की खपत हो जाने के कारण यह स्थिति और बिगड़ गई है। 1992 के मध्य में मध्यम व बड़ी डेयरियों के पंजीकरण का काम फिर से शुरू किया गया जो निजी डेयरियों के फैलाव को सीमित करेगा और उस क्षेत्र को स्पष्ट करेगा जहां से वे दुग्ध एकत्रित कर सकती है।"

सामान्य जनता के हित में अपेक्षित गुणवत्ता के तरल दुग्ध की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 9 जून, 1992 को दुग्ध व दुग्ध उत्पाद आदेश जारी किया है। इस आदेश के प्रख्यापन से तरल दुग्ध की उपलब्धता में वृद्धि होने और इसके फलतः दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के मूल्य पर अपेक्षित प्रभाव पड़ने की आशा की जाती है।

समुद्री तूफान राहत कार्यों के लिए विश्व बैंक से ऋण

21. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन परियोजनाओं पर धनराशि खर्च की जाएगी;

(ग) कौन-कौन-सी परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) विश्व बैंक ने एक समुद्री तूफान आपातकालीन पुनर्निर्माण परियोजना अनुमोदित की है जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में मई, 1990 में आये समुद्री तूफान से प्रभावित हुए क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का प्रतिस्थापन करने, भविष्य

में आने वाली इसी प्रकार की विपदाओं का परिहार करने और समुद्री तूफान के प्रति तैयारी करने व इस प्रकार की घटनाओं को कम करने सहित पुनर्निर्माण कार्य करना है। परियोजना प्रस्ताव में मात्स्यकी, ग्रामीण जल आपूर्ति, नगरपालिका सेवाओं, आवासीय और तकनीकी सहायता आदि सहित सिंचाई, अपवहन, सड़क मार्ग और पुल, समुद्री तूफान से बचाव के लिए शेल्टर्स (आश्रम) बिजली, कृषि जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

2. इस परियोजना की वित्तीय योजना इस प्रकार है :—

	अमेरिकी डालर, मिलियन में
(क) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	40.00
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	170.00
(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के ऋण का द्वितीय आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना के स्थान पर इस परियोजना के लिए इस्तेमाल करना।	55.00
(घ) आंध्र प्रदेश सरकार	115.00
	380.00

3. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना के तहत अब तक कवर किये गए क्षेत्रों में बड़े और मध्यम आकार की निकास प्रणाली, प्रमुख नहर निर्माण कार्य, बाढ़ तटबंध और ज्वार-भाटा (लहर) तटबंध, मध्यम सिंचाई, जलाशय तटबंध, जल विपथगामी बांध और उससे संबंधित नहर सुधार, छोटे सिंचाई टैंक, सड़क मार्ग, पुल, समुद्री तूफान से बचाव के लिए शरणस्थल (शेल्टर्स); बिजली संप्रेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण, बागवानी- पौधशालाओं और मात्स्यकी का सुधार करना शामिल है।

4. जनवरी, 1993 के अंत तक इस परियोजना के तहत 473.80 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया जा चुका है जिसमें से राज्य सरकार को 299.05 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

केरल को सेला चावल की सप्लाई

22. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चालू वर्ष के दौरान और अधिक सेला चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की सप्लाई हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो 1993 के दौरान चावल तथा अन्य खाद्यान्नों की कितनी मात्रा बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केरल सरकार से 1993 में अधिक सेला चावल की आपूर्ति करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि,

नवम्बर 1992 में केरल सरकार से उनके गेहूं के मासिक आवंटन को 25000 मीटरी टन से बढ़ाकर 50000 मीटरी टन कर देने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की सीमित उपलब्धता होने के कारण उनके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका था।

गेज परिवर्तन कार्यक्रम

23. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 तक सभी जोनों में गेज परिवर्तन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई, कितने किलोमीटर रेल लाइन बदली गई, कितने कि.लोमीटर रेल लाइन बदली जा रही है तथा कितने किलोमीटर बदली जानी है; इसका जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार में रेल लाइन बदलने के कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) 1360 कि० मी० लाइनों पर आमान परिवर्तन का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें से 1992-93 के दौरान 1200 कि० मी० लाइनों का आमान परिवर्तन पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, सभी खण्डों में काम शुरू किया गया है, 31 दिसम्बर तक 412 कि० मी० पर आमान परिवर्तन का काम पूरा कर लिया गया था तथा शेष पर काम चल रहा है, एक विवरण संलग्न है, जिसमें क्षेत्र-वार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान बिहार में अभी तक आमान परिवर्तन का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया है, बहरहाल, निम्नलिखित खण्डों में आमान परिवर्तन का काम शुरू कर दिया गया है।

(i) मुजफ्फर-रक्सौल (130 कि० मी०)

(ii) सगौली-नरकटियागंज (59 कि० मी०)

(iii) समस्तीपुर-दरभंगा (37 कि० मी०)

विवरण

(क) 1992-93 के लिए आमान परिवर्तन कार्यक्रम का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

रेलवे	शुरू की गयी कुल लम्बाई (कि० मी० में)	आमान परिवर्तन की पूरी की गयी (कि० मी० में)
1	2	3
मध्य रेलवे	—	—
पूर्व रेलवे	—	—
उत्तर रेलवे	387	137

1	2	3
पूर्वोत्तर रेलवे	90	30
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	—	—
दक्षिण रेलवे	423	200
दक्षिण मध्य रेलवे	255	—
दक्षिण पूर्व रेलवे	35	---
पश्चिम रेलवे	170	45
	1360	412

[हिन्दी]

वन क्षेत्र

25. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने वन क्षेत्र की पहचान की गई है और राज्य-वार वास्तव में कुल कितने क्षेत्र पर वन है; और

(ख) अखिल भारतीय स्तर पर कुल कितने वन क्षेत्र की पहचान की गई है और कुल कितने क्षेत्र पर वन है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) दर्ज किए गए वन क्षेत्र तथा कुल वास्तविक हरित क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) कुल दर्ज 7,70,078 वर्ग कि० मी० वन क्षेत्र की तुलना में स्टेट फॉरिस्ट रिपोर्ट 1991 के अनुसार देश में वास्तविक हरित क्षेत्र 6,39,182 वर्ग कि० मी० हैं।

विवरण

क्षेत्रफल वर्ग कि० मी० में

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज वन क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	वास्तविक हरित क्षेत्र (वर्ग कि० मी०) 1991 मूल्यांकन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	63,726	47,290
2.	अरुणाचल प्रदेश	51,540	68,757
3.	असम	30,708	24,751

1	2	3	4
4.	बिहार	29,226	26,668
5.	गोवा (दमन और दीव सहित)	1,256	1,255
6.	गुजरात	19,333	11,907
7.	हरियाणा	1,687	513
8.	हिमाचल प्रदेश	37,597	11,780
9.	जम्मू और काश्मीर	20,174	20,084
10.	कर्नाटक	38,646	32,199
11.	केरल	11,222	10,292
12.	मध्य प्रदेश	1,55,414	1,35,785
13.	महाराष्ट्र	63,861	44,044
14.	मणिपुर	15,154	17,685
15.	मेघालय	9,496	15,875
16.	मिजोरम	15,935	18,853
17.	नागालैंड	8,625	14,321
18.	उड़ीसा	59,555	47,205
19.	पंजाब	2,842	1,343
20.	राजस्थान	31,559	12,835
21	सिक्किम	2,650	3,033
22.	तमिलनाडु	22,699	17,713
23.	त्रिपुरा	6,292	5,535
24.	उत्तर प्रदेश	51,502	33,609
25	पश्चिमी बंगाल	11,879	8,015
26.	अंडमान और निकोबार	7,171	7,622
27.	चंडीगढ़	31	5
28.	दादरा और नगर हवेली	207	206
29.	दिल्ली	42	22
30.	लक्षद्वीप	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—

मध्य प्रदेश में खेल स्कूल

26. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने राज्य में खेल स्कूल खोलने हेतु स्वीकृति लेने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश से नया खेल स्कूल खोलने हेतु सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण की एन० एस० टी० सी० योजना के अन्तर्गत वर्तमान मिशन उच्च माध्यमिक विद्यालय, दमोह (म० प्र०) को अपनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) यह प्रस्ताव, राज्य सरकार की सिफारिश के बिना प्राप्त हुआ था। जांच करने पर यह पाया गया कि स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं, अभी, इसको अपनाने के लिए उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में पहले से ही तीन एन० एस० टी० सी० स्कूल और तीन खेल परियोजना विकास क्षेत्र है, जिनकी सुविधाओं का पूर्ण सदुपयोग नहीं हो रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों/कालेजों को अनुदान मंजूर करने का मानदंड

27. **श्री काशीराम राणा** :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए वित्तीय अनुदान मंजूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या प्रक्रियाएं और मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) गत वर्ष देश में विशेषत: मध्य प्रदेश और गुजरात के किन-किन कालेजों को किन-किन उद्देश्यों के लिए अनुदान मंजूर किया गया;

(ग) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों/कालेजों को अनुदान मंजूर करने में भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री

(कुमारी सैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा उपस्कर की खरीद, कर्मचारियों की भर्ती, शैक्षिक भवनों तथा छात्रावासों के निर्माण के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सभी पात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आयोग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विशेष सहायता भी प्रदान करता है। वित्तीय सहायता की मात्रा का निर्धारण विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद और छात्रों के नामांकन, नियमित आधार पर नियुक्त किए गए अर्हता प्राप्त शिक्षकों की संख्या, स्नातकोत्तर विभागों के शोध परिणाम और सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विकास के स्तर के आधार पर किया जाता है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एक पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए न कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सभी पात्र विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब आयोग ने 3,105 कालेजों के आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है जिनके लिए कुल 21,971.45 लाख रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया गया है। इसमें क्रमश: मध्य प्रदेश के 263 कालेजों के लिए 2,069.16 लाख रुपए और गुजरात के 168 कालेजों के लिए 988.87 लाख रुपए का आवंटन शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत राहत

28. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान कितने दावों को निपटाया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने किसान इस योजना से लाभान्वित हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश ने केवल रबी 1989-90 मौसम में ही व्यापक फसल बीमा योजना लागू की और इस योजना के तहत 36,154 किसानों को शामिल किया गया। भुगतान किए गए कुल दावे की धनराशि 62.81 लाख रुपए थी।

[हिन्दी]

बिहार में चलते-फिरते खाद्य और पोषाहार विस्तार एकक

29. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कार्यरत जिलावार चलते-फिरते खाद्य और पोषाहार विस्तार एकक कितने हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार के अन्य जिलों में ऐसे एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो बिहार के प्रत्येक जिले में ऐसे एकक कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार में दो सामुदायिक खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिट हैं; इनमें से एक पटना में और एक रांची में स्थित है।

(ख) से (घ) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

30. **श्री श्री कान्त जेना** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना के अन्तर्गत कितनी कक्षाओं का निर्माण किया गया;

(ख) क्या 1991 की तुलना में 1992 के दौरान कम कक्षाओं का निर्माण किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी सैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में निर्मित कक्षाओं की संख्या नीचे दी गई है—

1990	=	320
1991	=	1566
1992	=	1786

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कायमकुलम में रेल दुर्घटना

31. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1992 में केरल कायमकुलम में रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इसके परिणामस्वरूप कुल कितने जान-माल का नुकसान हुआ;

(घ) दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 22-12-92 को लगभग 8.35 बजे दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल के एर्णाकुलम जं० —कोल्लम जं० बड़ी लाइन खंड के कायमकुलम स्टेशन पर 6349 अप तिरुवनंतपुरम-मंगलौर परसुराम एक्सप्रेस 311 डाउन अल्लेपी-कायनकुलम पैसेंजर के खाली रेक से टकरा गई थी।

दक्षिण क्षेत्र, बेंगलूरू के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा दुर्घटना की सांविधिक जांच की गई है, प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना "रेल कर्मचारियों की गलती" के कारण हुई।

इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया, 3 व्यक्तियों को गंभीर रूप से और 28 अन्य व्यक्तियों को मामूली चोटें आई, विभिन्न रेल परिसंपत्तियों को हुई क्षति की अनुमानित लागत 9,29,200/-रुपये है।

(घ) मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, बहरहाल, अनुग्रह राशि के रूप में 16,250 रुपये का भुगतान किया गया।

(ङ) अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, "सिगनलों की खराबी" की स्थिति में सही प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान चालू किया गया है। इस अभियान में सामान्य और सहायक नियमों तथा रेलों के सिगनल इंजीनियरी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के कड़े अनुपालन पर बल दिया गया है।

महाराष्ट्र में रेल लाइन

32. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में शामिल महाराष्ट्र की रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1993-94 के दौरान पूरी की जाने वाली राज्य की इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खामगांव, जालना, मनमांड-मालोगांव और धुले-नरदाना रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) आठवी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र राज्य में शुरू की जा रही रेल लाइन परियोजनाएं इस प्रकार हैं—

नयी लाइनें

1 नरखेड़-अमरावती (138 कि० मी०)

2. रोहा-मंगलोर (कोंकण रेलवे) (760 कि० मी०) (महाराष्ट्र में 382 कि० मी०)

3. मानखुर्द-बेलापुर (17.8 कि० मी०)

अनुमान परिवर्तन

1. मनमाड-परभनी-परली बैजनाथ (354 कि० मी०)

2. परभसी-पूर्णा-मुखेड-अदिलाबाद (248 कि० मी०)

3. मिरज-लोंडा (महाराष्ट्र में 16 कि० मी०)

4. गोंदिया-चांदा फोर्ट (242 कि० मी०)

5. दौंड-बारामती (42 कि० मी०)

6. मिरज-कुर्डुवाडी-लातूर और इसका लातूर रोड तक विस्तार (359 कि० मी०)

7. शोलापुर-गदग (महाराष्ट्र में 38 कि० मी०)

(ख) 1993-94 के दौरान पूरा किए जाने वाले खंड इस प्रकार हैं—

I. जालना-परभनी (115 कि० मी०)

II. परभनी-पूर्णा (28 कि० मी०)

III. नेरूले-बेलापुर (4.8 कि० मी०)

(ग) खामगांव-जालना और धूले-अमलनेर खंडों के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(घ) ब्यौरा इस प्रकार है—

	वर्ष	लम्बाई	लागत	प्रतिफल की दर
1. धूले-अमलनेर	1983	39 कि० मी०	13.09 करोड़ रुपये	ऋणात्मक
2. जालना-खामगांव	1990	155 कि० मी०	133.00 करोड़ रुपये	ऋणात्मक

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ये परियोजनाएं अलाभप्रद होंगी, अतः इनका निर्माण कार्य शुरु नहीं किया जा रहा है।

दिल्ली में नए कालेज

33. श्री मदन लाल खुराना : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1993 के "नवभारत टाइम्स" में कालेजों की आवश्यकता के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) पिछले तीन सालों में दिल्ली में कितने नए महाविद्यालय खोले गए तथा अब तक बंद किए गए महाविद्यालयों की वर्षवार संख्या कितनी है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान कितने महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है तथा उनमें से अब तक कितने महाविद्यालय खोले गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2010 तक खोले जाने वाले अपेक्षित कालेजों की संख्या के सम्बन्ध में अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उन्होंने उन छात्रों की प्रक्षेपित संख्या तैयार की है जो वर्ष 2010 तक विश्वविद्यालय के विभिन्न अवर स्नातक पाठ्क्रमों में दाखिले के लिए पात्र होंगे और कुलपति ने विभागों के सभी डीनों तथा अध्यक्षों को यह लिखा है कि वे विकास के लिए भावी क्षमता की दृष्टि से विभागों में शैक्षिक, पाठ्यचर्या और अनुसंधान के संबंध में और अधिक व्यापक एवं गहन भविष्य उन्मुख कारवाई करें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन नए कालेज खोले गए थे और इस अवधि के दौरान कोई कालेज बन्द नहीं किया गया था।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने आठवीं योजना अवधि के दौरान दस कालेज खोलने का प्रस्ताव किया है। तथापि इस अवधि के दौरान अभी तक कोई कालेज नहीं खोला गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पाम आयल हेतु अनुसंधान केन्द्र

34. **श्री के० एच० मुनियप्पा :**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
श्री बी० देवराजन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पाम आयल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित होंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्र की स्थापना के लिए स्थान का पता लगाने हेतु एक स्थल चयन दल का गठन किया है। उपयुक्त स्थान की सिफारिश करने से पहले दल ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु को दौरा के लिए चुना है।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

35. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया चावल वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में खरीदे गए चावल के भंडारण हेतु उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के और अधिक गोदाम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) चावल मिल-मालिकों/व्यापारियों से लेवी के रूप में चावल एकत्रित किया जाता है और यह उनके द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः लेवी चावल की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1992-93 में, 19-2-1993 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में लेवी के अधीन 2.24 लाख मीटरी टन चावल एकत्रित किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम का आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में 45,000 मीटरी टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने का अनन्तिम प्रस्ताव है।

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

36. **श्री रवि राय :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री शरद दिघे :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 1993 को राज्य के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुई चर्चा/विचार विमर्श का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) केंद्र सरकार का विचार उन सिफारिशों को किस प्रकार लागू करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कु० सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अखंडता के दृष्टिकोण से स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति ने 30 तथा 31 जनवरी, 1993 को आयोजित अपनी बैठक में, साम्प्रदायिक तथा राष्ट्र-विरोधी प्रभाव से पाठ्य-

पुस्तकों को मुक्त रखने के लिए सुझाव दिये हैं। दिनांक 1-2-1993 को आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय सचालन समिति की रिपोर्ट पर इसके सुझावों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार समिति की रिपोर्ट को राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के पास उनकी राय के लिए भेज दिया गया है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है। सम्मेलन ने अपेक्षित संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकार सहित केंद्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों दोनों के लिए एक कार्य योजना की सिफारिश की है। आगे की कार्यवाही राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा दिये गये सुझावों के संदर्भ में राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के विचारों पर निर्भर है।

उर्वरकों की कीमतें

37. **श्री प्रफुल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की कीमतों पर से नियन्त्रण हटाने के बाद उर्वरकों की खपत पर पड़े प्रभाव के संबंध में किसानों से कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि फसल उत्पादन कम न हो, कोई अध्ययन कराने का है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) दिनांक 25 अगस्त, 1992 से उर्वरकों पर से नियंत्रण हटा लिए जाने से केवल रबी मौसम के दौरान ही उर्वरकों की खपत पर असर पड़ा है। राज्य सरकारों तथा उर्वरक उद्योग के साथ परामर्श करके किए गए नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार 1991 के पिछले रबी मौसम की तुलना में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की खपत बढ़ गई है जबकि पोटासिक और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत कम हो गई है।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए शायिकाओं का आरक्षण

38. **श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वृद्ध लोगों को गाड़ियों में ऊपरी शायिकाओं पर यात्रा करने में असुविधा उठानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नीचे की शायिकाएं आरक्षित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वृद्ध व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में फिलहाल दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मांग पत्रों में नीचे की शायिका के लिए विशेष अनुरोध न करने पर भी 60 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को आरक्षण प्राप्त करते समय उपलब्ध होने पर निचली शायिका का आवंटन किया जाता है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपति

39. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री नरेश कुमार बालियान :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन और कार्यकाल की सुनिश्चित हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति के संबंध में सिफारिश करने के लिए प्रो० राम लाल पारिख, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ की अध्यक्षता में सितम्बर 1991 में एक समिति नियुक्त की थी। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है—

(1) कुलपति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें प्रशासन की योग्यता के साथ शैक्षिक नेतृत्व के गुण और दूर दृष्टि हो।

(2) कुलपति को केवल शैक्षिक विचारधाराओं के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

(3) कुलपति का चयन जांच समिति द्वारा नामों के पैनल (3-5 व्यक्ति) में से उचित जांच के बाद किया जाना चाहिए।

(4) कुलपति की कार्यकाल अवधि संविधियों में निर्धारित करके 5 वर्ष होनी चाहिए और वह उसी अथवा अन्य विविश्वविद्यालय में 65 वर्ष की आयु तक दूसरी बार नियुक्त होने के लिए पात्र होना चाहिए। 65 वर्ष की आयु के बाद की नियुक्ति अवैतनिक रूप में किसी विशिष्ट संस्थाओं में की जा सकती है।

(5) कुलाधिपति द्वारा कुलपति को तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसे नोटिस जारी न किया जाए जिसमें वर्तमान अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश द्वारा एक उपयुक्त जांच के बाद, जिसमें उसे स्वाभाविक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का मौका दिया गया हो, विशिष्ट आधारों अथवा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उल्लेख हो।

(6) जब कुलपति के पद का अस्थायी रिक्त स्थान होता है, तो वरिष्ठतम सम-कुलपति,

कुलपति के ही रूप में स्थानापन्न कार्य करेंगे। तथापि जहां कोई सम-कुलपति नहीं हो तो वहां वरिष्ठतम डीन/प्रोफेसर, कुलपति के रूप में स्थानापन्न कार्य करेंगे।

(घ) यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर रेलवे में रेल दुर्घटनाएं

40. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में अनेक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस डिवीजन के मुंढ़ पांडे स्टेशन के निकट हुई रेल दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कराई गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) दुर्घटना के मुख्य कारण क्या है;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ङ) उक्त घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कितनी मुआवजा-राशि दी गई है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान मुरादाबाद मंडल पर तीन दुर्घटनाएं हुई।

(ख) से (घ) इन दुर्घटनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) 22-11-92 को नजीबाबाद-लक्सर खंड पर मुअज्जमपुर नारायण और चंदोक स्टेशनों के बीच 3010 डाउन देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस अप ई/सी आर टी स्पेशल के के पटरी से उतरे हुए एक माल डिब्बे से टकरा गई। 7 व्यक्ति मारे गए और 6 अन्य व्यक्तियों को चोटें आई।

(ii) 15-12-92 को मुरादाबाद-बरेली खंड पर मुंढा पांडे और रामपुरहाट स्टेशनों के बीच समपार फाटक सं० 404-बी पर सरयु-यमुना एक्सप्रेस दो बसों से टकरा गई। 13 व्यक्ति मारे गए, 14 व्यक्तियों को गंभीर रूप से और 29 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई।

(iii) 24-12-92 को मुरादाबाद मंडल पर 4230 डाउन लखनऊ मेल बाहरी और होम सिगनलों को लांघ गई और वहां खड़ी हुई 4266 डाउन देहरादून-वाराणसी एक्सप्रेस के पिछले भाग से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप दो यात्रियों की मृत्यु हो गई और 9 व्यक्तियों को चोटें आई।

रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र इन तीनों मामलों की जांच कर रहे हैं और उनकी अंतिम

रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। बहरहाल, अनुग्रह राशि के रूप में 89,500 रुपये की रकम का भुगतान किया गया है।

उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन

41. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आलू का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या अपर्याप्त भण्डारण क्षमता के कारण प्रत्येक वर्ष आलू उत्पादन का एक बड़ा भाग खराब हो जाता है;

(ग) क्या आलू उत्पादकों के लाभार्थ इलाहाबाद में एक आलू भण्डारण गृह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किसानों को ऐसी हानि से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में 61.70 लाख मीटरी टन आलुओं का उत्पादन हुआ।

(ख) उत्तर प्रदेश से आलुओं के सड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) से (ङ) कृषि मंत्रालय के यहां इलाहाबाद में एक शीत भण्डागार एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है बहरहाल, इलाहाबाद जिले में 30,000 मीटरी टन की क्षमता वाले 6 सहकारी शीत भण्डागार पहले से ही विद्यमान है।

[अनुवाद]

आटे का वितरण

42. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को गेहूं की बजाय आटा वितरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री और वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियंत्रित मूल्यों पर वितरण के लिए नियत गेहूं में से पिसाई और रख रखाव के उचित प्रभार जोड़कर उपभोक्ताओं की हकदारी के प्रति स्वास्थ्यकर आटे का वितरण करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग

43. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग को, इसके गठन से लेकर अब तक, महिलाओं पर अत्याचारों के राज्यवार कितने मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्यवार कितने मामलों में दोषी लोगों को सजा दी गई हैं;

(ग) क्या ऐसा कोई मामला राज्य सरकारों को भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है ?

(ङ) क्या आयोग अपने कार्यकलापों का प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का विचार कर रहा; और

(च) यदि हां, तो ये प्रतिवेदन सभा पटल पर कब तक रख दिए जाएंगे।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती बासवाराजेश्वरी) : (क) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) (ग) और (घ) आयोग में प्राप्त हुए अत्याचारों के सभी मामले, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के धारा 10 के अन्तर्गत यथा प्रस्तावित उपयुक्त प्राधिकारियों जिनमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, को भेज दिए गए है ताकि उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कारंवाई की जा सके।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त हुए अत्याचारों के तथाकथित मामलों के ब्यौरे

1	2	3
	राज्यवार	
1.	दिल्ली	73
2.	प० बंगाल	7
3.	मध्य प्रदेश	3

1	2	3
4.	उत्तर प्रदेश	7
5.	हरियाणा	5
6.	तमिलनाडु	7
7.	उड़ीसा	24
8.	महाराष्ट्र	8
9.	चण्डीगढ़, पंजाब	8
10.	गुजरात	2
11.	राजस्थान	7
12.	गोवा	1
13.	आंध्र प्रदेश	2
14.	केरल	4
	जोड़	158

वनों से चोरी

44. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनों से जीन प्रजातियों की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए कौन-कौन से विधायी और प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) यद्यपि प्रजातियों की चोरी के छुटपुटे मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं, राज्य वन्यजीव अधिकारियों ने चोरी की ऐसी घटनाओं में सामान्य वृद्धि होने की सूचना नहीं दी है।

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित विधायी और प्रशासनिक उपाय किये जा रहे है :—

(1) वानिकी प्रजातियों एवं वन उत्पादों की चोरी के खतरे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम, 1927 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

(2) 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम पारित किया गया था तथा इसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं तथा चोरों एवं तस्करों के लिए इस कानून को और सख्त और निवारक बनाने के उद्देश्य से इसमें 1991 में एक व्यापक संशोधन किया गया था।

(3) पौधों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियों तथा इनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन (साइट्स) के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

(4) वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए देश के 4.2% भौगोलिक क्षेत्र में 421 वन्यजीव अभयारण्यों एवं 75 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

(5) बाघों एवं हाथियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें लागू की जा रही हैं।

(6) चोरी-छिपे शिकारकर्ताओं एवं अवैध व्यापारियों के बारे में आसूचना प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार देने की एक प्रणाली शुरू की गई है।

(7) पशुओं/उनके अंगों के अवैध व्यापार की सूचना प्राप्त होने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(8) चोरी-छिपे शिकारकर्ताओं एवं अवैध व्यापारियों को पकड़ने में सीमा-शुल्क, राजस्व आसूचना, तटरक्षकों तथा सेना के अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है।

स्क्रैप का निपटान

45. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इसकी विभागी कार्यशालाओं, पटरी के नवीकरण तथा रोलिंग स्टाक से उत्पन्न स्क्रैप के निपटान के तरीकों की जांच करने के लिए एक विशेष दल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सेल ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कारंवाई की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) स्क्रैप के निपटान के लिए रेलवे बोर्ड में एक स्क्रैप प्रबंध ग्रुप स्थापित किया गया है।

(ख) इस ग्रुप में विभिन्न निदेशालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और इसके अध्यक्ष, सलाहकार (भण्डार), रेलवे बोर्ड हैं।

(ग) इसके कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाती है और इस सम्बन्ध में रेल मन्त्री को स्थिति से अवगत कराया जाता है।

(घ) सुनियोजित निगरानी तथा अभियानों के परिणामस्वरूप स्क्रैप के निपटान कार्य तथा उससे राजस्व की प्राप्ति में काफी सुधार हुआ है।

तटीय क्षेत्रों में कृषि विकास

46. **श्री सुधीर सावंत : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय और पिछड़े जिलों में कृषि विकास का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बेहतर किस्म के बीजों और उद्यान उत्पादों के विकास हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ कोई तालमेल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) अधिकांश फसल उत्पादन उन्मुखी कार्यक्रमों को अभिज्ञात राज्यों के सभी जिलों, जिनमें तटवर्ती क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं, तक फैला दिया गया है। इन कार्यक्रमों के तहत, किसानों को महत्वपूर्ण आदानों का इस्तेमाल करने तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजनाओं के तहत, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्यों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास हेतु एक पनधारा जिला परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस परियोजना का उपयुक्त समन्वयन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति और कृतक बल का गठन किया है। उन्होंने बागवानी तथा बागान फसलों, आदि से सम्बन्धित कृतक बल का भी गठन किया है। हाल ही में, तन्तु पालन तकनीकों का प्रयोग करते हुए कार्यक्रम आम और नींबू जातीय फसलों पर शुरू किए गए हैं। 1992-93 के दौरान, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने चावल, चना (चिक-पी) अरहर, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलों में जीवीय दबाव सम्बन्धी कुछ कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है।

[हिन्दी]

जर्मनी से सहायता

47. **श्री केशरीलाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जर्मनी से नर्मदा नदी का जल प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जर्मनी ने पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ अन्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जर्मनी ने राष्ट्रीय नदी प्रबन्ध योजनाओं, विशेष कर बिहार और बंगाल में दामोदर नदी के संबंध में तथा कोयले, खनन एवं इस्पात सेक्टरों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाये जाने के संबंध में सहायता प्रदान करने में अपनी रूचि दिखाई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से देय राशि

48. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 को रेलवे को विद्युत बोर्डों अथवा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से (वर्षवार तथा रेल मंडल-वार) अभी कितनी धन राशि वसूलनी है; और

(ख) धन वसूलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों, दिल्ली विद्युत सप्लाई उपक्रम तथा नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन से देयताओं का भुगतान करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है यह भी विनिश्चय किया गया है कि केन्द्रीय योजना से राज्यों को मिलाने वाली सहायता से राज्य बिजली बोर्डों के 31-11-1991 को 308.05 करोड़ रुपए की बकाया राशि को चार समान वार्षिक किश्तों में वसूल किया जाए। चुनिंदा आधार पर कुछ राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में मालभाड़ा प्रभार का पूर्व भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है?

सूरजमुखी के पौधों पर "मेक्सिकन बीटल" (कीट)

49. **श्रीमती कृष्णेंद्र कौर (दीपा)** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरजमुखी के पौधों पर "मेक्सिकन बीटल" (कीट) के कारण गम्भीर खतरा पैदा हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सूरजमुखी के पौधों को उक्त कीट से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। फिर भी कर्नाटक से पार्थेनियम से संक्रमित क्षेत्रों के पास वाले सूरजमुखी के खेतों में कहीं-कहीं इस भृंग द्वारा फसल के खाये जाने की इक्का-दुक्का घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वैसे इस कीट के लार्वा सूरजमुखी के पौधों को खाने, उन पर निर्भर रहने और विकसित होने में सक्षम नहीं होते।

(ख) इन भृंगों के आहार संबंधी आदतों और पोषद चयनों के लिए उत्तरदायी पौधों के रासायनिक घटकों पर आगे अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मनसी-फोरबसगंज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

50. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर-पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत मनसी-सहरसा-फोरबसगंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खान-पान सेवाओं में सुधार

51. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे द्वारा परोसे जा रहे घटिया किस्म के भोजन के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) मानक कच्ची सामग्री का उपयोग न करने, भोजन के साथ पीने का पानी सप्लाई न करने, थरमस में साधारण किस्म की चाय/कॉफी देने संहित भोजन की गुणवत्ता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बहरहाल, स्टेशनों के साथ-साथ गाड़ियों में भोजन और खान-पान सेवाओं की गुणवक्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से रेलों द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, इस संबंध में, निकट से निगरानी रखी जा रही है और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा बार-बार निरीक्षण किये जा रहे हैं तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त निवारक तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् तथा निरन्तर प्रक्रिया है। इस संबंध में किये जाने वाले/प्रस्तावित उपायों में मानक कच्ची सामग्रियों का उपयोग, आधुनिक रसोई उपकरणों का उपयोग, खान-पान कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, बार-बार निरीक्षण करना और मिनि-पेंट्रियों को चुनींदा तौर पर शुरू करना आदि शामिल हैं।

उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति

52. **श्री बलराज पासी** :

श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता न्यायालयों ने गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मामलों में रेलवे को उपभोक्ताओं को धन वापस करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कुल कितना धन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया; और

(ग) अब तक कितने मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) उपभोक्ता अदालतों ने रकम की वापसी तथा 1991 के दौरान 75 मामलों में तथा 1992 के दौरान 103 मामलों में मुआवजा देने के लिए रेलों को निदेश दिए थे ।

(ख) ऐसे मामलों में मुआवजे के रूप में 1991 के दौरान कुल 73,526 रुपए और 1992 के दौरान 67,917 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था ।

(ग) 72 मामलों में अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि रेलवे ने अपील दायर कर दी है ।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खेलों का विकास

*53. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, उड़ीसा के प्रत्येक जिले में खेल विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन योजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उड़ीसा में खेलों को प्रोत्साहन देने तथा युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खेलों के विकास हेतु उड़ीसा सरकार को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण के कालम 5 में दर्शाया गया है ।

(ग) से (ङ) उड़ीसा में खेलों के विकास और संवर्धन के लिए 4 खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से एक केन्द्र ने ढेंकानाल में मार्च, 1992 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है और दूसरे केन्द्र, फूलबानी, में वर्ष 1993-94 से कार्य आरम्भ होने की आशा है ।

विवरण

(क) खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुदान की योजना

जिला	स्वीकृति केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में) 1989-90	1990-91	1991-92	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
बलांगीर	0.50	—	—	सभी खेल सुविधा
कटक	1.50	2.25	90.00	परियोजनाओं का कार्य
ढेंकानाल	44.50	0.50	0.25	प्रगति पर हैं और यह
कालाहांडी	0.74750	1.27500	—	राज्य द्वारा अभी पूर्ण
सुन्दरगढ़	1.25	—	—	किया जाना है।
मयूरभंज	—	0.83	—	
(ख) ग्रामीण स्कूलों को गैर-उपभोज्य खेल उपकरण खरीदने और खेल मैदानों के विकास हेतु अनुदान की योजना				
मयूरभंज	—	—	2.50900	चार ग्रामीण स्कूलों में
पुरी	—	0.44730	—	खेल सुविधाओं का सृजन
(ग) सिंथेटिक ट्रैक कृत्रिम सतह बिछाने की योजना				
कटक	—	—	50.00	भुवनेश्वर में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
सुन्दरगढ़ (राउरकेला)	50.00	—	—	परियोजना पूर्ण हो गई है। विशेषज्ञों द्वारा इस मैदान का निरीक्षण किया जाना बाकी है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना के अन्तर्गत सुन्दरगढ़ के दो स्कूलों और कटक के एक स्कूल को अपनाया गया है और भारतीय खेल प्राधिकरण ने कटक में एक खेल छात्रावास स्थापित किया है।

इम्फाल में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

54. श्री चित्त बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इम्फाल में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई विचार है जिसमें चाय की खेती पर विशेष बल दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) महोदय, इम्फाल में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह एक कृषि विश्वविद्यालय है, इसलिए सिर्फ चाय उत्पादन पर ही विशेष जोर नहीं दिया जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाला केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 26 जनवरी, 1993 से प्रभावी हो गया है। 18 फरवरी, 1993 को इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया गया है।

गैंडों की गणना

55. **श्री प्रबीन डेका** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के सभी अभयारण्यों में गैंडों की सघन गणना का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) 1989 के दौरान असम के सभी अभयारण्णों में गैंडों की गणना की गई थी। तथापि, 1991 के दौरान केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य में ही इनकी गणना की गई। इनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अभयारण्य/ राष्ट्रीय उद्यान	गैंडों की आबादी	
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1129	1991 की गणना
राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य ओरंग)	97	
पबिभा	65	1989 की गणना
लाखोवा	03	
मानस	85	
अन्य क्षेत्र	40	

गुजरात द्वारा प्रस्तुत की गई पर्यावरण संबंधी परियोजना

56. **श्री हरिन पाठक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अहमदाबाद शहर, गांधीनगर के पर्यावरण में सुधार करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) गुजरात में लघु औद्योगिक समूहों में सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत गुजरात के पांच उद्योग समूहों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये वापी, अंकलेश्वर, साचिन, सारीगाम और पनोली में स्थित हैं। भारत सरकार ने राज्य द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर की राशि के रूप में 75 लाख रुपये की सबसिडी की पहली किस्त निर्मुक्त कर दी है।

[हिंदी]

वनों का संरक्षण और विकास

57. **श्री भेरू लाल मीणा** :

श्री जगवीर सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवैध रूप से पेड़ों की कटाई रोकने तथा वनों के संरक्षण और विकास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों को राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया और आठवीं योजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत सरकार ने वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने और वनों के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किये हैं—

(1) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने पर बल दिया गया है। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य इस प्रमुख लक्ष्य के बाद आना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसमें चराई, आग और अतिक्रमण के नियंत्रण के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

(2) भारत सरकार "जैविक हस्तक्षेप वनों के संरक्षण हेतु अवसंरचना का विकास" नामक स्कीम के तहत वनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है।

(3) भारत सरकार ने अवक्रमित वनों के विकास और संरक्षण के कार्य में लोगों की सक्रिय भागेदारी को प्रोत्साहन देने के लिए 1 जून, 2990 को एक परिपत्र भी जारी किया है।

(4) वनों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं—

(1) प्राकृतिक वनों की कटाई न की जाए और जहां ऐसा करना फसलों की

बहाली अथवा अन्य वन-वर्धन कारणों से अपरिहार्य हो, वहां ऐसा कार्य पहाड़ी क्षेत्रों में 10 है० और मैदानी इलाकों में 25 है० क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाय।

(2) 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर कम से कम कुछ वर्षों के लिए हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जाए।

(3) 4% भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जीवमंडल रिजर्वों के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में सरक्षित रखा जाए।

(5) केन्द्रीय सरकार पैकिंग डिब्बों, रेलवे स्लीपरों, फर्नीचर और निर्माण कार्यों में लकड़ी के स्थान पर उपयुक्त वैकल्पिक सामग्रियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है।

(6) 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत वनरोपण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(ख) (1) केंद्रीय सरकार ने जैविक हस्तक्षेप से 'वनों के संरक्षण हेतु अवसंरचना का विकास'' नामक स्कीम के तहत राज्यों/राज्य संघ क्षेत्रों की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार, इस स्कीम को 1-4-1992 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/राज्य संघ क्षेत्रों की सरकारों को दी गई सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "जैविक हस्तक्षेप से वनों के संरक्षण हेतु अवसंरचना का विकास" के तहत 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में राज्यों को दी गई सहायता

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1990-91 में विनिर्मुक्त	1991-92 में विनिर्मुक्त	1992-93 में विनिर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार	—	5.0	5.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.90	12.70	12.70
3.	असम	9.655	15.40	15.40
4.	बिहार	—	12.3984	12.40
5.	गुजरात	7.90	12.50	12.50
6.	गोवा	1.59	3.894	3.90
7.	हरियाणा	3.48	2.50	2.50

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	कर्नाटक	52.285	17.60	17.60
10.	केरल	—	10.00	10.00
11.	मध्य प्रदेश	11.31	22.82	22.82
12.	मणिपुर	—	5.3775	5.40
13.	मेघालय	—	1.00	1.00
14.	मिजोरम	15.875	10.79	10.80
15.	उड़ीसा	10.0	48.00	48.00
16.	पंजाब	12.50	15.00	15.00
17.	राजस्थान	—	3.50	3.50
18.	सिक्किम	—	4.93375	4.95
19.	तमिलनाडु	40.0	7.92	7.92
20.	त्रिपुरा	3.35	11.43	11.43
21.	उत्तर प्रदेश	18.42	34.78	34.78
22.	पश्चिम बंगाल	—	5.747	5.75
23.	जम्मू व कश्मीर	—	13.53	13.53
24.	अरुणाचल प्रदेश	6.25	—	6.25
25.	दादर व नागर हवेली	—	—	4.12
26.	नागालैंड	—	—	8.00
		1,85,21500	2,76,82,065	2,95,25,000

[अनुवाद]

बाजरे पर अनुसंधान परियोजना

58. श्री अन्ना जोशी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना के मुख्यालय को पुणे (महाराष्ट्र) से राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या-क्या सिफारिशें हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख रूप से बाजरा उगाने वाले राजस्थान में अनुसंधान के आधार को सुदृढ़ करना।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने इसके साथ-साथ निम्न प्रमुख सिफारिशें की हैं—

(i) राजस्थान में अनुसंधान के समर्थन में तेजी लाना।

(ii) राजस्थान में पर्याप्त कोष के साथ प्रमुख अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना, अच्छा हो यदि यह केन्द्र मन्दौर, राजस्थान में स्थापित किया जाए।

(iii) बांसवाड़ा, राजस्थान में एक गैर-मौसम नर्सरी की स्थापना की जाए।

(iv) मन्दौर में स्थित क्षेत्रीय समन्वयकर्ता को शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलाप का समन्वयन और प्रबोधन (मानिटर) करना चाहिए।

(v) प्रायोजना समन्वयक पुणे में ही रहेंगे और वहीं से समूचे कार्यक्रम का समन्वय करेंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली में उचित दर की दुकानें

59. **श्री नवल किशोर राय :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चल रही उचित दर की दुकानों की इस समय संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रत्येक उचित दर की दुकान में समान संख्या में उपभोक्ताओं को पंजीकृत किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक दुकान से कितने राशन कार्ड संबद्ध किए गए हैं;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति कितनी मासिक कोटा दिया गया;

(ङ) क्या पिछले छः महीनों में उपभोक्ताओं को उनका निर्धारित कोटा मिलता रहा है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार का पूरे महीने प्रत्येक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित दर की दुकान को आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 31-1-1993 को दिल्ली में 3516 उचित दर दुकानें थीं।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि एक उचित दर दुकान के साथ औसतन 5000 के लगभग अनाज यूनिटें सम्बद्ध होती हैं।

(घ) से (छ) गत छः महीनों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को गेहूं और चावल का मासिक आवंटन, नवम्बर, 92 और दिसम्बर, 92 को छोड़कर जब चावल का आवंटन प्रतिमाह 18,000 मी० टन किया गया था, क्रमशः 72000 मी० टन तथा 20,000 मी० टन था। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि झुग्गी झोंपड़ी तथा पुनर्वास बस्तियों में राशनकार्ड धारकों को प्रति वयस्क प्रतिमाह 8 कि० ग्रा० गेहूं दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त मात्रा को मोटे तौर पर यथानुपात आधार पर सभी उचित दर दुकानों को आवंटित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन आमतौर पर, केन्द्रीय पूल में भंडार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकता, मौसमजन्य कारकों आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये आववंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका प्रयोजन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची जरूरत को पूरा करना नहीं होता है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना

60. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वैज्ञानिकों से प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा और बाढ़ के प्रभाव को कम करने तथा इससे प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन कई वैज्ञानिक और तकनीनी संगठन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उचित प्रौद्योगिकियां विकसित करने में जुटे हुए हैं।

(ख) और (ग) भारत सारकार ने एक राष्ट्रीय आकस्मिकता कार्य योजना तैयार की है ताकि प्राकृतिक आपदाएं आने पर बिना किसी विलम्ब के राहत कार्य आरम्भ किये जा सकें। उस आकस्मिकता कार्य योजना में प्राकृतिक आपदाएं आने पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली

पहल की पहचान की गई और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रविधियां निर्धारित की गई हैं।

बंगलौर-मिराज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

61. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर और मिराज के बीच की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) कार्य पूरा किये जाने की अनंतिम योजना इस प्रकार है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों—

बेंगलूर-अरसीकेरे	166 कि० मी०	92-93
अरसीकेरे-चिकजाजूर	114 कि० मी०	93-94
चिकजाजूर-हुबली	189 कि० मी०	94-95
हुबली-लौंडा	90 कि० मी०	94-95
लौंडा-मिरज	188 कि० मी०	94-95

दिल्ली में परिक्रमा रेलवे

62. डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम, सब्जी मंडी, शाहदरा, तुगलकाबाद इत्यादि रेलवे स्टेशनों को परिक्रमा रेलवे से सम्बद्ध नहीं किया गया है जिसके कारण उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग परिक्रमा रेलवे का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्टेशनों को सम्बद्ध करने और दिल्ली में परिक्रमा रेलवे को पुनः सक्रिय बनाने तथा चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) इन गलियारों में, सब्जी मंडी, शाहदरा और तुगलकाबाद पहले ही परिक्रमा रेल के साथ उपयुक्त बिजली गाड़ी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, बहरहाल, पालम स्टेशन इससे नहीं जुड़ा है।

(ख) से (घ) पालम स्टेशन को फिलहाल परिक्रमा रेल के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं

है, क्योंकि यह मीटर लाइन पर है तथा यह खंड विद्युतीकृत नहीं है। चूंकि परिक्रमा रेल पहले ही चल रही है अतः इसको पुनः सक्रिय करने और इसको अर्जित करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फरीदाबाद और दिल्ली के बीच ई० एम० यू० रेलगाड़ियां चलाना

63. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद और दिल्ली के बीच दैनिक ई० एम० यू० रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए सरकार का विचार फरीदाबाद से ऐसी अतिरिक्त रेलगाड़ियों को चलाने अथवा मालवा तथा महाकौशल जैसी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को उक्त स्टेशन पर रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस खंड पर दैनिक यात्रियों के लिए बिजली और स्थानीय गाड़ियां चलती हैं। मालवा और महाकौशल एक्सप्रेस लंबी दूरी के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की गाड़ियां हैं। अतः दैनिक यात्रियों के लिए इन गाड़ियों को ठहराव देना वांछनीय नहीं है।

फलों और सब्जियों को क्षति

64. **श्री राम कृष्ण कुस्मारिया** :
श्री राम सिंह कासवां :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित रख-रखाव के अभाव में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये मूल्य के फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए उचित भण्डारण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम अथवा योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) फलों और सब्जियों के नुकसान के के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। मोटे अनुमानों के अनुसार लगभग 25 से 40 प्रतिशत तक फल और सब्जियों के उत्पाद वार्षिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बागवानी फसलों की कटाई बाद की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्कीम क्रियान्वित कर रही है, जिसमें लघु आवधिक शीतागार और पूर्व शीतन यूनिटों की व्यवस्था है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पैकिंग/ग्रेडिंग और परिवहन जैसी अन्य कटाई बाद अनुरक्षण अवसंरचना के लिए भी सहायता दे रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन

65. श्री आयनल अबेदिन : नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का पुनर्गठन अब तक कितना सफल रहा है;

(ख) इस योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने निर्धारित ब्लाकों को लाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन ब्लाकों में बनायी गयी गयी अपेक्षित आधारभूत संरचनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरम्भ हुए एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय हुआ है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31 जनवरी, 1993 तक 10121 उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं तथा 26 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके है। 1992-93 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोदामों का निर्माण करने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए तथा मोबाइल वैनें खरीदने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है।

अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने उचित दर की दुकानों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी करने के प्रबंध किए है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशाशनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति तथा वितरण की परिवीक्षा के लिए उचित दर की दुकान/ग्राम स्तर की सतर्कता समितियां गठित की गई हैं।

इस समय संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1738 ब्लाक आते हैं।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण

66. श्री रणवीर सिंह :
श्री पाला के० एम० मैथ्यू :
डा० परशुराम गंगवार :
श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस संबंध में कहां तक सफलता मिली है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) अशोधित शहरी मल-जल, कृषि निःस्राव, औद्योगिक गतिविधियां और वाहनों के उत्सर्जन, वायु, जल और शोर संबंधी प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

1. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के निस्सरण को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं का पालन करे।

2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

3. बहिस्राव शोधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लघु उद्योगों को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

4. परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के नेटवर्क को मजबूत बनाया गया है।

5. उद्योगों में अपशिष्टों के पुनः उपयोग और अपशिष्ट को कम-से कम करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा शुरू की गई है।

(ग) उद्योगों विशेषकर बड़ी और मंझोली औद्योगिक इकाइयों से होने वाले उत्सर्जनों और बहिस्रावों में कमी हो रही है।

कोयला उद्योग द्वारा प्रदूषण

67. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेष रूप से बिहार में, कोयला उद्योग द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) बिहार की कोयला पट्टी में प्रदूषण की समस्या पर एक अध्ययन शुरू किया गया है। अध्ययन का मुख्य विषय कोयला खानों, कोल वाशरीज, कोयले के चूल्हों, इष्टिकाओं और सॉफ्ट कोक संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषण है।

(ग) सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए है।

(2) उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(3) प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से हटाकर अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

(4) छोटे पैमाने से उद्योगों के समूहों को साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक स्कीम शुरू की गई है।

बिहार में कोयला उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय इस प्रकार हैं—

(1) भारत कोकिंग कोल लि०, सैन्ट्रल कोल फील्ड लि० और ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लि० ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू कर दिया है। उन क्षेत्र की कम्पनियों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के निदेश दिए गए है।

(2) धनबाद जिला प्रशासन और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संयुक्त रूप से "धनबाद को हराभरा बनाने" का एक अभियान चलाया है।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कोयला खानों की परियोजनाओं को तभी मंजूरी दी जाती है जब परियोजना प्रस्तावों द्वारा एक संतोषजनक खनन योजना तैयार कर ली जाए।

(4) कोयला खानों के बहिस्रावों में तेल और ग्रीस की मात्रा 10 मि० ग्राम प्रति लीटर के मानक की तुलना में 5.0 मि० ग्रा० प्रति लीटर निर्धारित की गई है क्योंकि दामोदर नदी की वहन क्षमता कम है।

(5) धनबाद बोकारो कोयला पट्टी क्षेत्र के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के वास्ते यू० एन० आई० डी० ओ० (यूनिडो) से परामर्श किया गया है।

(6) इस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

नमूना सर्वेक्षण योजना

68. श्री ओस्कार फर्नान्डीज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दूध, अंडा तथा ऊन के लिए कोई नमूना सर्वेक्षण योजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। दूध, अंडों और ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर और संघ शासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर सहायता देती रही है। वर्ष 1991-92 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(लाख रुपये में)
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	4.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.75
3.	असम	0.50
4.	बिहार	5.25
5.	गोवा	2.00
6.	गुजरात	11.50
7.	हरियाणा	4.50
8.	हिमाचल प्रदेश	4.50
9.	जम्मू और कश्मीर	4.65
10.	कर्नाटक	1.25
11.	केरल	8.50
12.	मध्य प्रदेश	6.50
13.	महाराष्ट्र	5.50
14.	मणिपुर	1.50
15.	मेघालय	2.00
16.	मिजोरम	3.50
17.	नागालैंड	1.50
18.	उड़ीसा	8.50
19.	पंजाब	1.00
20.	राजस्थान	11.25

1	2	3
21.	तमिलनाडु	8.00
22.	त्रिपुरा	0.50
23.	उत्तर प्रदेश	2.50
24.	पश्चिम बंगाल	3.40
25.	सिक्किम	1.70
संघ शासित क्षेत्र		
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1.70
27.	चंडीगढ़	1.50
28.	दादरा और नागर हवेली	0.75
29.	दिल्ली	1.00
30.	लक्षद्वीप	1.50
31.	पांडिचेरी	1.00
	कुल	112.70

गुजरात में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना

69. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :
श्री भोगेन्द्र झा :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :
श्री सुधीर सावंत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों पर 1993-94 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है :

(ख) प्रत्येक राज्य से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ग) उन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इन केन्द्रों को चलाने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) महोदय, वर्ष 1993-94 के दौरान जिन स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी है उनका वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा पता लगाया जाना है जिसमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।

(ख) राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव जो निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं वे इस प्रकार हैं—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	9
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	3
अण्डमान और निकोबार	1
बिहार	15
गुजरात	10
गोवा	1
हरियाणा	6
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू और कश्मीर	1
कर्नाटक	14
केरल	11
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	13
मणिपुर	2
उड़ीसा	7
नागालैंड	1
पंजाब	8
पांडिचेरी	1
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	20
राजस्थान	3
सिक्किम	1

1	2
तमिलनाडु	13
पश्चिमी बंगाल	7
दमन व दीव	1
लक्षद्वीप	1
दादर व नागर हवेली	1

(ग) योजना आयोग और दूसरी जांच मूल्यांकन ऐजेन्सियों/विभागों को व्यय वित्त समिति का ज्ञापन निपटान के लिए पहले से प्रस्तुत किया जा चुका हैं। इसके बाद प्रस्तावों के लिए व्यय वित्त समिति के अनुमोदन की जरूरत होगी।

(घ) जी हां।

(ङ) भा० कृ० अनु० परिषद योजनाओं के कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। भा० कृ० अनु० परिषद उन्हें कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए शत-प्रतिशत अनुदान देती है।

कटक और तालचेर के बीच रेल लाइन को दोहरा करना

70. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में कटक और तालचेर के बीच रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) रजतगढ़-तालचेर रेल लाइन पर दोहरीकरण कार्य पहले ही प्रगति पर है। रजतगढ़-जोरांदा रोड (12 कि० मी०) का दोहरीकरण कार्य 91-92 में पूरा किया जा चुका है और जोरांदा रोड हिन्डोल रोड (28 कि० मी०) और तालचेर हिन्दोल रोड (32 कि० मी०) लाइनों का दोहरीकरण कार्य क्रमश: 24.29 करोड़ रुपये और 34.42 करोड़ रुपये की लागत पर चल रहा है। कटक-रजतगढ़ खंड के दोहरीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पुरातत्वी परिमंडल

71. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कुल कितने पुरातत्वी परिमंडल हैं और उनके मुख्यालय कहां हैं और

(ख) इन परिमंडलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों/जिलों के नाम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) : देश में 16 पुरातत्व मंडल हैं। कुछ मंडलों का कार्यक्षेत्र एकाधिक राज्य है, कुछ का एक राज्य है, तो कुछ का एक राज्य का केवल एक भाग है। प्रत्येक मंडल का मुख्यालय और प्रत्येक मंडल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निम्नलिखित है—

क्र०सं० मंडल का नाम और उसका मुख्यालय मंडलों की सं०	प्रत्येक मंडल के अधीन क्षेत्रों/जिलों के नाम
1	2
1. गुवाहाटी मंडल (मुख्यालय : गुवाहाटी)	(1) समस्त असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्य
2. हैद ाबाद मंडल (मुख्यालय : हैदराबाद)	(1) समस्त आंध्र प्रदेश राज्य और कर्नाटक के तीन जिले अर्थात् बीदर, गुलबर्गा और रायचूर।
3. पटना मंडल (मुख्यालय : पटना)	(1) समस्त बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश के दस जिले अर्थात् मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज।
4. चंडीगढ़ मंडल (मुख्यालय : चंडीगढ़)	(1) समस्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़।
5. दिल्ली मंडल (मुख्यालय : दिल्ली)	(1) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली।
6. वडोदरा मंडल (मुख्यालय : बडोदरा)	(1) समस्त गुजरात राज्य और दमन एवं दीव।
7. बंगलौर मंडल (मुख्यालय : बंगलोर)	(1) समस्त कर्नाटक राज्य (बीदर, गुलबर्गा और रायचूर को छोड़कर)
8. औरंगाबाद मंडल (मुख्यालय : औरंगाबाद)	(1) समस्त महाराष्ट्र राज्य और गोवा।
9. भोपाल मंडल (मुख्यालय : भोपाल)	(1) समस्त मध्य प्रदेश राज्य (छत्तीसगढ़ के सात जिले छोड़कर अर्थात् बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा और राजनंदगांव।

1	2
10. भुवनेश्वर मंडल (मुख्यालय : भुवनेश्वर)	(1) समस्त उड़ीसा राज्य और मध्य प्रदेश के सात जिले अर्थात् बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग रायपुर, राजनंदगाव, रायगढ़ और सरगुजा ।
11. जयपुर मंडल (मुख्यालय : जयपुर)	(1) समस्त राजस्थान राज्य ।
12. श्रीनगर मंडल (मुख्यालय : श्रीनगर)	(1) समस्त जम्मू और कश्मीर राज्य (लद्दाख क्षेत्र सहित)
13. मद्रास मंडल (मुख्यालय : मद्रास)	(1) समस्त तमिलनाडु, केरल राज्य, संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी और लक्षद्वीप ।
14. आगरा मंडल (मुख्यालय : आगरा)	उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले : (1) इटावा, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद), शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर मुरादाबाद, रामपुर नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तर कांशी, टेहरी गढ़वाल, पौढ़ी गढ़वाल, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, फिरोजाबाद और हरिद्वार ।
	उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले :
15. लखनऊ मंडल (मुख्यालय : लखनऊ)	(1) बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बेला (प्रतापगढ़) इलाहाबाद, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, गोंडा, बाराबंकी, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उरई (जालौन), झांसी, सिद्धार्थ नगर और ललितपुर
16. कलकत्ता मंडल (मुख्यालय : कलकत्ता)	(1) समस्त पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ।

[अनुवाद]

संकर प्रौद्योगिकी

72. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संकर बीजों द्वारा उपज बढ़ाने की नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) इस संकर प्रौद्योगिकी के कारण पारिस्थिति की प्रणाणी और भूमि की उर्वरता को कितनी क्षति पहुंची है;

(ग) क्या कुछ वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) (क) जी, नहीं।

(क) से (ङ) तक फसलों के संकर बीजों तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों को अपनाने के लिए, मिट्टी, पानी तथा पोषक संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु समेकित दृष्टिकोण जरूरी है ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। इस प्रकार के विकारों का पूर्वानुमान लगाकर अनुसंधान प्रणाली द्वारा ऐसी उन्नत पोषण तथा जल प्रबंधन विधियां विकसित करने का काम आरम्भ किया गया है जो संकर प्रौद्योगिकी के साथ प्रयुक्त होनी चाहिए। इनमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का समेकित उपयोग, उर्वरकों का मृदा परीक्षण आधार पर उपयोग तथा खेत पर प्रयुक्त होने वाली उचित जल प्रबंधन विधियां सम्मिलित हैं। इन्हें खेतों में प्रचारित किया जा रहा है।

कृषि विज्ञान कांग्रेस

73. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नवम्बर, 1992 को कृषि विज्ञान कांग्रेस की बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गयी;

(ख) कांग्रेस की बैठक में गयी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) महोदय, प्रथम कृषि विज्ञान कांग्रेस में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी वे निम्न प्रकार हैं—

(i) विश्व जलवायु और कृषि।

(ii) कृषि अनुसंधान के लिए हुआ कार्यसूची 21-प्राथमिकताएं।

(iii) कृषि के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं।

(ख) कांग्रेस द्वारा की गई मुख्य शिफारिशें निम्न प्रकार हैं—

(i) विकासशील देशों में कार्बनडाईआक्साईड, मिथेन, सी० एफ० सी० आदि के उत्सर्जन के मौजूदा स्तर और उनकी दर में भविष्य में होने वाली वृद्धि का जो आकलन किया गया है वह विकासशील देशों की वास्तविक स्थितियों के अनुकूल नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कृषि से संबंधित पहलुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का क्षेत्रीय मूल्यांकन भारत में किया जाय।

(ii) रिओ कार्यसूची-21 में कृषि अनुसंधान से संबंधित क्षेत्रों पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। वे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन पर संयुक्त रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जिनमें से कुछ का नाम दिया जा रहा है। ये हैं : बढ़ती हुई मांग के अनुसार कृषि

उत्पादन में स्थिरता और वृद्धि, जल संसाधनों एवं जल संरक्षण का कारगर उपयोग एवं जैव विविधता का अनुकूलतम उपयोग।

(iii) स्थायी रूप से कृषि विकास के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे अपनी अनुसंधान की जरूरतों को नया रूप दे सकें। पूंजी की आवश्यकता के सही आकलन के लिए कृषि जलवायवीय स्थितियों; प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध स्तरों पर उपयुक्त आंकड़े तैयार की जरूरत है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कार्य योजना तैयार करने के लिए सम्बद्ध सिफारिशों पर कारंवाई शुरू कर दी है।

फलों की कीमतें

74. **श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य प्रमुख शहरों में फलों की कीमतों में हाल ही में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने हेतु उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) दिल्ली तथा अन्य प्रमुख शहरों में फलों के दामों में हाल ही में अल्पकालीन विचलनें आई हैं। कुल मिलाकर जनवरी, 1993 में केला, नारंगी और सेब जैसे कुछ फलों के थोक मूल्य एक वर्ष पहले के मूल्यों की तुलना में अधिक थे। यह वृद्धि आंशिक तौर पर अर्थव्यवस्था में विद्यमान सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और आंशिक तौर पर फलों की मांग एवं आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण है। उत्पादन क्षेत्रों से खपत के क्षेत्रों तक फलों का परिवहन हाल ही के सामाजिक उथल-पुथल के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

(ग) सरकार ने फल उत्पादकों को उचित लाभ प्रदान करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संतुलित नीति अपनाई है। उत्पादन में वृद्धि करके इसकी प्राप्ति की जानी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए "समेकित उष्णकटिबंधीय और शुष्क अंचलीय फलों का विकास" और "समेकित शीतोष्ण फलो का विकास" जैसे विभिन्न फल विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उड़ीसा में औद्योगिक प्रदूषण

75. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विशेषकर सुन्दरगढ़ में व्याप्त औद्योगिक प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार को, मैसर्स श्री कम रेजिन प्रा० लिमिटेड, झागरपुर, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के बारे में शिकायतें मिली हैं। मैसर्स श्री कम रेजिन प्रा० लिमिटेड एक लघु इकाई है, जो सिन्थेटिक फिनोलिक रेजिन और कैटेलिस्ट का निर्माण करता है। उडीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस इकाई का निरीक्षण किया है और इकाई को कारण बताओं नोटिस जारी किया है क्योंकि इसे प्रचालन संबंधी मंजूरी में दी गई शर्तों का उल्लंघन करते पाया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, उद्योग ने बहिस्राव को इकट्ठा करने और उसे सूर्य की किरणों से सुखाने के लिए काफी संख्या में भूमिगत गडढों का निर्माण किया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

76 **श्री नीतीश कुमार** :
डा० चिंता मोहन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में खाद्यान्नों का सबसे अधिक उत्पादन तथा किन-किन राज्यों में सबसे कम उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर में अंतर को कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1991-92 के दौरान, खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर अधिकतम और न्यूनतम उत्पादकता प्रमुख उत्पादक राज्यों में क्रमश: पंजाब और महाराष्ट्र में प्रेषित की गई थी।

(ख) से (घ) खाद्यान्नों के उत्पादकता स्तर में अन्तर को कम करने के लिए, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। बहरहाल, सरकार कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए कई फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

संग्रहालयों का विकास

77. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले संग्रहालयों के विकास कार्यों के लिए पुरातत्वविदों और संग्रहाल अध्यक्षों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति ने क्या-क्या कार्य शुरू किये हैं; और

(ग) संग्रहालयों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

साहित्य अकादमी पर हक्सर समिति की रिपोर्ट

78. **प्रो० राम कापसे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हक्सर समिति ने साहित्य अकादमी के कार्यकरण संबंधी अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) साहित्य अकादमी पर हक्सर समिति की मुख्य सिफारिशों, सरकार की प्रतिक्रिया एवं तत्संबंधी कार्रवाई को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

संख्या	सिफारिश का पाठ	लिया गया निर्णय
1	2	3
	अध्याय 4-साहित्य अकादमी	
	साहित्य पुरस्कार	
9.46	साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कारों संबंधी निर्णय लेने की मौजूदा प्रक्रिया के प्रति आम असंतोष पर गौर किया जाना चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.47	पुरस्कारों के अन्तिम निर्णय के लिए उचित फोरम तीन सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की जूरी होगी जो एक साथ बैठकर संयुक्त निर्णय लेगी। जूरी के निर्णय को अंतिम माना जाना चाहिए। इस पर कार्यकारी बोर्ड द्वारा समीक्षा अथवा पुष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

1	2	3
9.48	कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को जूरी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जूरी का कम से कम एक सदस्य अकादमी का अधिसदस्य अथवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार होना चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.49	पुरस्कारों के लिए साहित्यिक कृतियों के चयन की प्रक्रिया में भाषा सलाहकार बोर्ड परामर्शी निकायों के रूप में सम्बद्ध होने चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.50	साहित्य अकादमी द्वारा संस्वीकृत प्रत्येक भाषा में पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित पुस्तक को पुरस्कृत करने के साथ-साथ एक नये पुरस्कार की शुरूआत की गई है। यह पुरस्कार प्रत्येक मान्यताप्राप्त भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक या लेखिका को साहित्य के क्षेत्र में उसके समग्र योगदान के लिए दिया जायेगा (यह पुरस्कार कितने अंतराल के बाद दिया जायेगा, इस बात का निर्णय किया जाना अभी बाकी है)।	सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि अकादमी पहले ही मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से प्रत्येक में पुरस्कार प्रदान कर रही है।
9.51	जूरी को मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि किसी भाषा में कोई कृति अथवा लेखक उपयुक्त स्तर का न हो तो उस भाषा के लिए पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मौजूदा निर्देशों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.52	कोई भी परिवर्तन लागू करने से पहले अकादमी विचार-गोष्ठी कर सकती है जिसमें हमारी सिफारिशों पर चर्चा की जा सकती है ताकि स्वयं लेखक समुदाय विचारों के मुक्त और स्पष्ट आदान-प्रदान के द्वारा पुरस्कार की एक पद्धति का विकास कर सके जिसे पुरस्कार प्रदान करते समय लागू किया जा सकता है। इस तरह की पद्धति देशव्यापी मान्यता प्राप्त कर सकती है।	यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी सिफारिश है। साहित्य अकादमी ने सिफारिश स्वीकार करने से पूर्व पुरस्कारों से सम्बन्धित संपूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
अनुवाद		
9.53	अकादमी को इस समय मौजूद अनूदित साहित्यिक कृतियों का समग्र सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर देना चाहिए। इस सर्वेक्षण में यह देखा जाना चाहिए कि	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

1	2	3
	कौन-सी अच्छी कृतियां अभी तक अनूदित नहीं हुई हैं। इसके अनुवाद की व्यवस्था एक सुनियोजित प्राथमिकता क्रम में की जानी चाहिए।	
9.54	पुरस्कृत कृतियों के अनुवाद के साथ जिन साहित्यकारों को उनके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए पुरस्कर प्रदान किए जाएं (नई योजना के अंतर्गत) उनकी चुनिंदा कृतियों के अनुवाद भी कराए जाने चाहिए।	चूंकि नया पुरस्कर प्रारंभ करने सम्बन्धी सिफारिश (9.50) स्वीकार नहीं की गई है और यह सिफारिश भी इसी क्रम में है, इसलिए इसे भी स्वीकार नहीं किया गया है।
9.55	हाल ही में अकादमी ने प्रत्येक मान्यता प्राप्त भाषा में सर्वोत्तम अनुवाद के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करना शुरू किया है। इसके लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया में कई प्रकार की गंभीर जटिलताएं सामने आती हैं जो इस प्रकार के चयन में स्वाभाविक रूप से अन्तर्निहित हैं और जिनका सहज उपाय नहीं है। साहित्य के सुविख्यात अनुवादकों को उनके समग्र योगदान के आधार पर सम्मानित करना बेहतर होगा, क्योंकि यह समग्र योगदान समीक्षकों तथा जन-सामान्य की प्रशंसा पा चुका होता है। इसके साथ ही स्रोत भाषा विशेषज्ञ से परामर्श करने के सिद्धांत जिसे एक वर्ष के अनुभव के पश्चात् छोड़ दिया गया था, को फिर से लागू किया जा सकता है।	स्रोत भाषा के विशेषज्ञों से परामर्श करने के सिद्धांत को फिर चालू करने सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। तथापि किसी अनुवादक-लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान के आधार पर उसके लिए नया पुरस्कार शुरू करने के प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला है।
9.56	विदेशी भाषाओं से और उनमें पुस्तकों के अनुवाद को इस समय कम वरीयता दी जाती है। अकादमी को इस दिशा में अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.57	अकादमी के कार्यकलाप ऐसे होने चाहिए कि भारत की सभी भाषाओं के साहित्यिक भंडार को समझने-सराहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले और इस तरह भाषाई अंधभक्ति की प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जा सके।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
प्रकाशन		
9.58	अकादमी को अपने जर्नलों और खास तौर से इंडियन लिटरेचर की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। इसे इस आलोचना पर भी ध्यान देना	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

1	2	3
	चाहिए कि कुछ भाषाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए ।	
9.59	अकादमी को सौ भारतीय श्रेष्ठ साहित्यकारों प्राचीन और नवीन का एक सेट प्रायोजित करना चाहिए, ये पहले हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो सकते हैं फिर अन्य भारतीय भाषाओं में ।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । यह 4-5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से किया जाना चाहिए ।
9.60	अकादमी को अपने प्रकाशनों के सम्बन्ध में नेशनल बुक ट्रस्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग तथा राज्यों और संघ क्षेत्रों में अकादमियों से निरंतर परामर्श करते रहना चाहिए ।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।
9.61	पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण भी पर्याप्त नहीं है । अकादमी को देश भर में इनकी खुदरा बिक्री की व्यवस्था करनी चाहिए तथा व्यावसायिक प्रकाशकों तथा वितरकों के माध्यम से बिक्री की प्रभावी व्यवस्था भी करनी चाहिए ।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।
पुस्तकालय		
9.62	अकादमी के पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति के विषय में सलाह देना भाषा सलाहकार बोर्डों का प्रमुख कार्य होना चाहिए ।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।
9.63	प्रत्येक भाषा की पुस्तकें खरीदने के लिए निधियों का विनिर्दिष्ट आबंटन होना चाहिए । पुस्तकालय में दृश्य-श्रव्य सामग्री की वृद्धि की जानी चाहिए ।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।
9.64	पुस्तकालय में उपस्कर सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए । सूचनाओं के कंप्यूटरीकृत, भंडारण और पुनः प्राप्ति या सुधार सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक है ।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है ।
9.65	पुस्तकालय की भावी जरूरतों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के उपाय समय रहते किये जाने चाहिए ।	सिफारिश सिद्धांतः स्वीकार कर ली गई है।
9.66	तुलसी सदन केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय का विस्तार है । यह अकादमी के निकट स्थित है । इसे अकादमी को अंतरित कर दिया जाना चाहिए । अकादमी के पास आ जाने पर इसमें संग्रहीत पुस्तकें ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी ।	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी तुलसी सदन लाइब्रेरी का विलय करने के लिए पहले ही सहमत हो गई है । इस मुद्दे को पुनः आरम्भ करना सम्भव नहीं है ।

1	2	3
भाषा सलाहकार बोर्ड		
9.67	भाषा सलाहकार बोर्डों की संकल्पना ने साहित्य अकादमी की संस्थागत संरचना में एक अच्छा आयाम जोड़ा है। लेकिन इन बोर्डों की हैसियत, गठन और कार्यों को अकादमी के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, यह अब किया जा सकता है।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.68	बोर्ड की बैठकें अब जितनी होती हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए और इनमें अकादमी के कार्यक्रमों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उन्हें व्यापक प्ररिषद् में सम्बद्ध भाषाओं के प्रतिनिधि सदस्यों की चयन प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.69	बोर्डों को अध्याय 4 में बताए गए ढंग से पुनर्गठित किया जा सकता है।	साहित्य अकादमी की व्यापक परिषद् की भाषा सलाहकार बोर्डों के सदस्यों के चयन के प्रबन्ध के नियम बनाने चाहिए। भाषा सलाहकार बोर्डों के सदस्यों का चयन करते समय साहित्यिक एसोसिएशनों और राज्य अकादमियों को भी संबद्ध किया जाना चाहिए। बोर्डों को साहित्यिक पुरस्कारों, अनुवाद पुरस्कारों और साहित्यिक पुरस्कारों के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने में सहयोजित किया जाना चाहिए ताकि इन बोर्डों में अकादमी की महत्वपूर्ण गतिविधियों में सहभागिता की भावना पैदा की जा सके।
साहित्यिक संस्थाएं		
9.70	साहित्यिक संस्थाएं अकादमी के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। लेकिन उन्हें मान्यता प्रदान करने के मामले में अकादमी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान अभी बाकी है। अनेक भाषाओं को भलीभांति प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बहुत-सी राज्य	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

1	2	3
	साहित्य अकादमियों को मान्यता नहीं प्रदान की गई है। प्रत्येक भाषा सलाहकार बोर्ड को स्थानीय संदर्भों का गहन अध्ययन करना चाहिए और समुचित समाधान खोजने में मदद करनी चाहिए।	
9.71	साहित्यिक संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के तरीके विकसित करने में अकादमी तथा केन्द्र और राज्य सरकारों को दिलचस्पी लेनी चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
अन्य कार्यकलापों/पहलू		
9.72	संविधान में सह अधिसदस्य नामित करने का प्रावधान है। लेकिन आरम्भ से ही इसे अपनाया नहीं गया है। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.73	अकादमी के तीन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकलाप ज्यादा व्यापक रूप से पता चलने चाहिए। फिलहाल कोई नया क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खोला जाना चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.74	संवत्सर भाषण तथा "लेखक से भेंट" जैसे कार्यक्रम दिल्ली के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी कराये जाने चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.75	लेखकों को उपलब्ध यात्रा अनुदान बहुत ही कम है। उनमें पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.76	भारतीय साहित्य का समग्र अथवा ऐतिहासिक अध्ययन करते समय वाचिक, संप्रेषण, सौन्दर्यशास्त्र, नैतिक परम्परा तथा सामाजिक दर्शन की दृष्टि से सांझी सांस्कृतिक विरासत पर बल दिया जाना चाहिए। विशिष्ट विषयों पर व्यक्तिगत रूप से किए जा रहे अनुसंधानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।	सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
9.77	अकादमी के संविधान के प्रावधानों के अध्याय 4 के खंड 8 में हमारे द्वारा की गई सिफारिशों की दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए और उनमें समुचित संशोधन किए जाने चाहिए।	अकादमी के संविधान में संशोधन निम्न प्रकार से किया जाएगा : (क) समिति के रिपोर्ट के अध्याय 3 के खंड 4 (पैरा 3.32) में की गई सिफारिश में बताई गई विधि के अनुसार अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

1	2	3
		(ख) अगली व्यापक परिषद् में प्रत्येक भाषा तथा विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का चयन संपूर्ण जावक व्यापक परिषद् द्वारा किया जाएगा। भाषा प्रतिनिधियों के मामले में, जावक भाषा सलाहकार बोर्ड व्यापक परिषद् के विचारार्थ सिफारिश करेगा। जहां तक राज्य के प्रतिनिधियों का संबंध है, जहां कहीं राज्य साहित्य अकादमी अथवा समकक्ष संस्था मौजूद है, वहां वह विशेष रूप से एक व्यक्ति को नामित करेगी, अन्य मामलों में राज्य सरकार नामांकन करेगी। दोनों में से किसी भी स्थिति में, नामिती ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो साहित्य के क्षेत्र का जाना-माना व्यक्ति हो और सरकारी न हो। प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र से भी ऐसे ही नामांकन माने जायेंगे।
		(ग) संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी का व्यापक परिषद् में प्रतिनिधित्व इन अकादमियों के अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् का प्रतिनिधित्व इसके महानिदेशक द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की इस सूची में शामिल किया जाएगा और इसका प्रतिनिधित्व इसके निदेशक द्वारा किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का प्रतिनिधित्व इसके सदस्य-सचिव द्वारा और आकाशवाणी और दूरदर्शन

1	2	3
		का प्रतिनिधित्व उनके महानिदेशों द्वारा किया जाएगा।
		(घ) भारत के प्रकाशकों तथा पुस्तकालयों के एक-एक प्रतिनिधि का व्यापक परिषद् द्वारा सदस्य के रूप में चयन किया जाएगा और उनके चयन की समुचित प्रक्रिया तैयार की जाएगी और उसे संविधान में शामिल किया जाएगा।
		(ङ) व्यापक परिषद् द्वारा चुने जाने वाले सुविख्यात व्यक्तियों की श्रेणी के 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति अकादमी के अधिसदस्य होंगे।
		(च) सिफारिश सं० 9.35, 9.36 और 9.37 के सम्मुख दिये गए निर्णयों को अकादमी के संविधान में शामिल किया जाएगा।
		(छ) भाषा सलाहकार बोर्डों को अकादमी के संविधान में औपचारिक स्तर प्रदान किया जाएगा। उनके कार्य और गठन पद्धति को सिफारिश सं० 9 69 के सम्मुख दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान में शामिल किया जाएगा।
		(ज) सह-अधिसदस्यों से संबंधित प्रावधान को हटा दिया जाए।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों का आयात और निर्यात

79. डा० लाल बहादुर रावत :
श्री राजवीर सिंह :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान अलग-अलग कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इस आयात को रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों का निर्यात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन खाद्य तेलों का, किन-किन देशों को और कितना-कितना निर्यात किया जायेगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा निम्नवत है—

वित्तीय वर्ष	आयातित मात्रा (लाख मी० टन में)
1990-91	5.38
1991-92	1.62 (लगभग)

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 0.30 लाख मी० टन (लगभग) मात्रा का आयात किया गया है। इसके अतिरिक्त सितम्बर, 92 में यू० एस० एड० पी० एल० 480 टाइटिल-III एग्रीमेंट के तहत अधिकृत गोंदरहित सोयाबीन तेल की लगभग 0.47 लाख मी० टन मात्रा उपहारस्वरूप भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य तेलों का और आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) वनस्पति तेल निर्यात-आयात (एक्जिम) नीति 1992-97 के तहत निर्यातों की नकारात्मक सूची में आते हैं और उनके निर्यात की अनुमति अलग-अलग मामलों के आधार पर लाइसेंस के अधीन दी जाती है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न पर राज सहायता बन्द करना

80. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न पर राज सहायता आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः बन्द करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजसहायता बन्द करने के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने या उसको सुधारने हेतु सरकार की कोई अन्य योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राथमिक शिक्षा के लिए धनराशि

81. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिए नियत धनराशि जारी कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(घ) शेष धनराशि कब तक जारी कर दिये जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पूरी आठवीं योजना में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिए 950 करोड़ रु० के परिव्यय की तुलना में 1992-93 के बजट में 99.14 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अब तक 94 करोड़ रु० जारी कर दिए गए हैं।

(ख) राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

क्रम सं०	राज्य	जारी की गई धनराशि (लाख रु०)
1.	असम	1628.46
2.	बिहार	2991.26
3.	गोआ	39.67
4.	गुजरात	512.41
5.	हिमाचल प्रदेश	264.73
6.	मध्य प्रदेश	542.00
7.	महाराष्ट्र	77.65
8.	नागालैंड	7.84
9.	उड़ीसा	2217.85
10.	उत्तर प्रदेश	1144.50
11.	दादरा और नगर हवेली	3.66
12.	पांडिचेरी	3.90

(ग) 1992-93 के लिए आवंटित धनराशि का लगभग 95 प्रतिशत वास्तव में जारी कर दिया गया है।

(घ) इस वर्ष की शेष धनराशि 31 मार्च, 1993 तक जारी कर दी जाएगी।

प्रदूषण बोर्ड

82. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण बोर्डों का गठन किया है;

(ख) देश में कुल कितने प्रदूषण बोर्ड कार्यरत हैं और कितने और गठित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) ऐसे बोर्डों का गठन कैसे किया जाता है और इनके उद्देश्य क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा, भारत संघ के सभी 25 राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं। लक्षद्वीप, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी और दमन दीव, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियां कार्य कर रही हैं।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 की उपधारा (2) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5 की उप धारा (2) के अनुसार एक राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक अध्यक्ष जो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित विषयों की बावत विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा अथवा उपरोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा (अध्यक्ष पूर्णकालिक या अंशकालिक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, हो सकता है)।

2. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नाम निर्देशित पदधारी, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी;

3. पांच व्यक्ति, जो राज्य के भीतर कार्यरत स्थानीय अधिकरणों के सदस्यों में से उस राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे;

4. तीन व्यक्ति, जो कृषि, मीन उद्योग या किसी उद्योग या व्यापार के या किसी अन्य हित का, जिसका राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे;

5. राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति जो उस सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे;

6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव, जिसकी

अर्हताएं, ज्ञान एवं अनुभव, प्रदूषण नियन्त्रण के वैज्ञानिक इंजीनियरी या प्रबन्धन पक्षों से संबंधित हों।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. राज्य में वायु सरिताओं और कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।

2. जल व वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।

3. जल व वायु प्रदूषण और उसके निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रचार करना।

4. जल प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उनमें भाग लेना।

5. जल व वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रम में लगे हुए या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को आयोजित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उनसे संबंधित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।

6. मल और व्यावसायिक बहिस्रावों की अभिक्रिया के लिए मल या व्यवसायिक बहिःस्राव संकर्म और संयंत्रों का निरीक्षण करना और जल की अभिक्रिया के लिए स्थापित संयंत्रों से उसके शुद्ध करने के लिए संकर्मों से और मल या व्यावसायिक बहिःस्राव के व्ययन की पद्धति से, या इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई सम्मति प्रदान करने से सम्बन्धित योजनाओं, विनिर्देशों या अन्य आंकड़ों की समीक्षा करना।

7. ऐसे अन्तराल में, जैसा वह आवश्यक समझे, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का निरीक्षण करना, उनमें वायु गुणवत्ता की जांच करना और ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण और उपशमन के लिए कदम उठाना।

8. मल और व्यावसायिक बहिःस्रावों के लिए बहिस्रावों के निस्सरण के परिणामस्वरूप प्राप्त हो रहे जल की (जो अन्तर्राज्यिक सरिता का जल न हो) गुणवत्ता के लिए बहिःस्राव मानक अभिकथित करना/उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना और राज्यों के जल का वर्गीकरण करना।

9 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और वाहनों से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए अथवा जहाज और वायुयान को छोड़कर किसी भी अन्य स्रोत से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करना, बशर्ते इस प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा और संघटन को ध्यान में रखते हुए इस खंड के तहत अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग-अलग उत्सर्जन मानक निर्धारित किए जाएं।

10. विभिन्न क्षेत्रों की मृदा, जलवायु और जलस्रोतों की विशेष दशाओं और विशेष रूप से

सरिताओं और कुओं में जल के बहाव की विद्यमान प्रकृति जिसके कारण तनुकरण की न्यूनतम डिग्री भी संभव नहीं है, को ध्यान में रखते हुए मल और व्यावसायिक बहिस्रावों की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियां निकालना।

11. किसी ऐसे उद्योग जिसके संचालन से प्रदूषण होने की संभावना हो, के संचालन के लिए किसी परिषद अथवा अवस्थिति की उपयुक्तता के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।

12. कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिस्रावों के उपयोग की पद्धतियां विकसित करना।

13. भूमि पर ऐसे मल और व्यावसायिक बहिस्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियां विकसित करना, जो सरिता के क्षीण बहाव, जिसके कारण वर्ष के अधिकतर भाग में तनुकरण की न्यूनतम डिग्री की भी व्यवस्था नहीं रहती है, के कारण अनिवार्य हो।

14. किसी सरिता में, अच्छे मौसम में, न्यूनतम तनुकरण को और ऐसे बहिस्रावों के निस्सरण के पश्चात् उस सरिता के जल में अनुज्ञेय प्रदूषण की सहन सीमा को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष सरिता में निस्सरित किए जाने वाले मल और व्यावसायिक बहिस्रावों की अभिक्रिया के मानक अधिकथित करना।

15. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो समय-समय पर केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं या उसे सौंपे जाएं।

16. ऐसे अन्य कृत्य और कार्य निष्पादित करना, जिनको यह अपने कार्यों के समुचित निष्पादन, सामान्यतया अधिनियम के ध्येयों को कार्य रूप देने के लिए आवश्यक समझे।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और वायु की गुणवत्ता के सुधार से संबद्ध किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

2 जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करना।

3. राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय करना और उनके बीच के विवादों को सुलझाना, राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करना, जल एवं वायु प्रदूषण की तथा जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से सम्बन्धित अन्वेषण और अनुसंधान क्रियान्वित और प्रायोजित करना।

4. जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के कार्यक्रमों में लगे हुए व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसे आयोजित करना।

5. जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के बारे में जन सम्पर्क के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम बनाना।

6. जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित और उसके प्रभावी निवारण तथा नियंत्रण या

उपशमन के लिए प्रकल्पित उपायों से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र, संकलित और प्रकाशित करना और मल तथा व्यावसायिक बहिस्राव की अभि क्रिया और व्ययन तथा चिमनी गैस को साफ करने और चिमनियों एवं वाहिनियों से सम्बन्धित निर्देशिकाएं, संहिताएं या पथ-प्रदर्शिकाएं तैयार करना और उनसे संबद्ध जानकारी का प्रसार करना।

7. जल एवं वायु प्रदूषण तथा उनके निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित मामलों की सूचना का प्रसार।

8. संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से सरिता या कुएं के लिए तथा जल एवं वायु की गुणवत्ता के लिए मानक अधिकथित करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे बातिल करना।

9. ऐसे अन्य कार्य करना जो भारत सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

[हिन्दी]

पुरुलिया में स्कूल

83. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए नये स्कूल खोलने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत पुरुलिया में ऐसे स्कूल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जहां तक रेलों का संबंध है मानदण्ड यह है कि उन स्थानों पर नये स्कूल खोले जाए जहां रेल कर्मचारी अधिक हों और जहां शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध न हों या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाई जाएं, बशर्ते कि धन, आदि उपलब्ध हों।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पुरुलिया में निजी प्रबंध में संचालित एक स्कूल है, जो काफी हद तक स्थानीय रेलवे कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसके अलावा, प्राथमिक रूप से शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकारों/केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी है।

हरियाणा में रेल परियोजनाएं

84. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में कुछ नई रेल लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कुरुक्षेत्र-केलदवा-नारायणगढ़-मुश्तफाबाद और जगाधरी रेलवे वर्कशाप को रेल लाइनों से जोड़ने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) जर्खा-पलवल-रेवाड़ी-रोहतक से राष्ट्रीय राजधानी रेल लाइन तथा नूह के रास्ते पलवल-रेवाड़ी खंड पर रीजनल रेल बाई पास और प्रस्तावित रीजनल रेल बाई पास सहित नूह और सोना के बीच रेल स्पर के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली से तिरुअनन्तपुरम् के लिए नई रेलगाड़ी

85. **श्री ई० अहमद** :
श्री पी० सी० थामस :
श्री टी० के० अंजलोज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और तिरुअनन्तपुरम मंगालोर के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी केरल एक्सप्रेस है और इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या साल भर चलने वाली यात्रियों की भीड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संबंध में कोई नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अगले वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली से केरल के लिए नयी गाड़ी चलाये जाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर

86. **डा० परशुराम गंगवार** :
श्री शशि प्रकाश :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्तमान साक्षरता दर कितनी है;

(ख) क्या साक्षरता में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 1991 की गणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता दर 41.60% थी। अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की दर के मुकाबले यह 27 वें स्थान पर थी।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा पढ़ाई बीच ही में छोड़ने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (रा० सा० मि०) जिसका लक्ष्य वर्ष 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, सामान्य रूप से सारे देश तथा विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य में निरक्षरता उन्मूलन के समग्र कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अभी तक उठाए गए विशेष कदमों में, आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत 895 ब्लाकों को शामिल करना, 9 से 14 आयु वर्ग के पढ़ाई बीच ही में छोड़ने वाले बच्चों के लिए 70083 औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संस्वीकृति तथा राज्य के आठ जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान आरंभ करना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

शुष्क भूमि खेती

87. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान गुजरात में शुष्क भूमि कृषि परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने शुष्क क्षेत्रों में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन होता रहा है—

(1) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना सम्बन्धी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना :

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पुनर्व्यवस्थित राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, जिसे उचित संरक्षण उपायों और विविधीकृत उत्पादन पद्धतियों के माध्यम से सतत जैव-समूह उत्पादन और पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने सम्बन्धी दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1990-91 में शुरू किया गया था, पिछले वर्ष भी जारी रही। इस परियोजना के तहत 500-5000 हैक्टेयर के आकार की

एक-एकल सूक्ष्म पनधारा 169 ब्लाकों में विकास के लिये ली गई है। 1991-92 के दौरान राज्य को 1180 लाख रुपये की धनराशि दी गई।

(2) **विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समन्वित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)**

यह परियोजना फरवरी, 1991 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में सबरकान्टा राजकोट और वडोदरा, भडौच जिलों में चार पनधाराओं को शामिल किया गया है। 1991-92 के दौरान इस परियोजना के तहत 433 लाख रुपए की धनराशि दी गई।

(ग) पनधारा विकास परियोजनाओं को कृषि, सस्य वानिकी, पशुपालन, शुष्क भूमि बागवानी, घरेलू उत्पादन पद्धतियों आदि से संबंधित समन्वित फार्मिंग पद्धतियों के सतत विकास के द्वारा शुष्क भूमि क्षेत्रों में कुल जैव समूह उत्पादन में वृद्धि करने के अनुरूप अभिकल्पित किया गया है।

[हिन्दी]

रोहा-वसगोवा सेक्शन

88. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहा और वसगोवा (कोंकण रेल) के बीच लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेल लाइन कब तक चालू हो जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1993।

[अनुवाद]

राझरा-जगदलपुर रेल मार्ग

89 **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में राझरा (जिला दुर्ग) से जगदलपुर (जिला बस्तर) के बीच नये रेल मार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब से आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) प्रस्तावित लाइन एकल उपयोगिता लाइन है, जिसको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भिलाई तक लौह अयस्क की ढुलाई करने के लिए जरूरत है। इस्पात मन्त्रालय को इसकी लागत वहन करनी है। इस्पात

मन्त्रालय/भारतीय प्राधिकरण लि० द्वारा इस लाइन के लिए धन उपलब्ध करा दिए जाने पर यह कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।

मत्स्य पालन विकास के लिए सहायता

90. **श्री एस० बी० थोरात** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आठवीं योजना के दौरान राज्य-वार केन्द्रीय सहायता की कितनी धनराशि दी गयी है/देने का विचार है;

(ग) देश में, विशेष रूप से गोवा में आठवीं योजना के दौरान मत्स्य पालन विकास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान मत्स्य पालन के विकास के लिए राज्यों को 60 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर राज्यों को धन निर्मुक्त किया जाता है।

(ग) मत्स्य पालन के विकास हेतु मत्स्य पालकों को वित्तीय, तकनीकी तथा विस्तार सहायता प्रदान करने के लिए 375 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है जिसमें से एक एजेंसी गोवा में है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय

†91. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय को रांची से हटाकर इलाहाबाद ले जाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यालय प्रशासकीय और कार्यात्मक सम्बन्धी सुविधा के दृष्टिकोण से स्थानान्तरित किया गया है।

[अनुवाद]

"धारा" तेल का मूल्य

92. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हरे" और "लाल" ब्रांड वाले "धारा" तेल के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धारा खाद्य तेल की बिक्री में कमी आई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान और दिसम्बर, 1992 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) "धारा" वनस्पति तेल और "धारा डबल फिल्टर्ड सरसों के तेल" के दाम 21 सितम्बर, 1992 से नहीं बढ़ाए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) तिलहनों की भरपूर फसल होने तथा थोक मूल्यों में गिरावट आने के कारण बाजार में तेलों की आपूर्ति बढ़ने से धारा ब्रांड के तेलों की बिक्री में कमी आ गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1991-92 के दौरान 92.54 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि हुई। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 1992 तक 116.68 करोड़ रुपये का अनन्तिम घाटा होने की रिपोर्ट दी है। यह हानि इसलिए हुई क्योंकि मण्डी हस्तक्षेप परिचालन के आदेशानुसार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से तिलहनों/तेलों का स्टाक तैयार करने की अपेक्षा की गई थी, ताकि कृषकों को प्रोत्साहनवर्द्धक मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें, माल-सूची तैयार की जा सके और उसे मन्दी वाले मौसम के दौरान उचित दाम पर उपभोक्ताओं के हित में जारी किया जा सके। खाद्य तेलों के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट के कारण जिससे माल-सूची के मूल्य में कमी आई है, भी हानि हुई है।

आंध्र प्रदेश में चीनी मिलें

93. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान आंध्र प्रदेश में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु वर्ष वार कितने आवेदन स्वीकार किये गए हैं और कितने विचाराधीन हैं; और

(ख) वर्ष 1993 के दौरान कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान आंध्र प्रदेश में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए कोई आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। सरकार के पास आंध्र प्रदेश में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या 31-12-91 को 84 तथा 31-12-92 को 79 थी।

(ख) नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए आशय पत्र उद्योग मंत्रालय द्वारा जांच समिति/

लाइसेंसिय समिति की सिफारिशों के आधार पर परियोजना की वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहार्यता तथा लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन प्रस्तावों की संख्या, जिन्हें 1993 के दौरान क्लीयर किया जाना है, उक्त समितियों की जांच/सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पुरातत्व महत्व के स्थलों का विकास

94. श्री शिवराज सिंह चौहान :
कुमारी विमला वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा जिलों में पुरातत्व महत्व के स्थलों के विकास हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस राज्य से उनके नियंत्रणाधीन ऐतिहासिक महत्व के कुछ और स्मारकों/वस्तुओं का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा जिलों में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण हेतु वर्ष 1992-93 के लिए किया गया धनराशि आवंटन क्रमशः 5,48,500 रुपए और 6,11,000 रुपए है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में प्राचीन ऐतिहासिक ढांचों/स्थलों/बिखरी मूर्तियों के संरक्षण और अधिग्रहण के बारे में समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जांच की जाती है; तथा यदि वे राष्ट्रीय महत्व के पाए जाते हैं, तो उन्हें केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में, निम्नलिखित स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है :—

1. भीमबेटका की गुफाएं, जिला रायसेन।
2. प्रस्तर उत्कीर्ण मन्दिर, वासावा, जिला धार।
3. प्राचीन टीला, जिला जबलपुर।

[अनुवाद]

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान

95. श्री राम नाइक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान को "बाघ परियोजना" के अंतर्गत लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

चुनिन्दा पेड़ों को काटने के प्रस्ताव

96. **श्री श्रवण कुमार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना और वायु सेना ने चुनिन्दा पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या अन्य सरकारी विभागों तथा सगठनों से भी इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार से थल सेना वायु सेना या किसी भी अन्य संगठन ने चुनिन्दा पेड़ कटाई की अनुमति नहीं मांगी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई में उपनगरीय रेलवे में सुधार हेतु समझौता

97. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई महानगरीय क्षेत्र में उपनगरीय रेल प्रणाली में सुधार करने के लिए पूंजी निवेश करने हेतु बांद्रा (महाराष्ट्र) में रेलवे के एक प्लाट के वाणिज्यिक उपयोग करने के पश्चात् जमा हुई विधि का पुनः उपयोग करने के लिए रेलवे ने महाराष्ट्र राज्य सरकार, इरकॉन (भारतीय रेल निर्माण कंपनी) तथा रेलवे के बीच त्रिपक्षीय समझौता करने का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच कथित त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां, बहरहाल, अब योजना आस्थगित कर दी गयी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में उपरिपुल

98. श्री एन० जे० राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरिपुल के निर्माण की स्वीकृति देने के लिए रेलवे द्वारा क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में रेलवे द्वारा कितने उपरिपुलों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां परिवहन को और सुगम बनाने के लिए 1992-93 के दौरान गुजरात में कुछ और उपरिपुलों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पुलों का निर्माण किन स्थानों पर किया जाएगा तथा इस पर कितनी लागत आएगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) रेलें उन्हीं समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण का अनुमोदन करती हैं जिनके लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किए जाएं और नियमानुसार ऐसे कार्यों के लिए लागत में भागीदारी के लिए सहमति प्रदान की जाए।

(ख) एक

(ग) और (घ) गुजरात में निर्माणाधीन 6 ऊपरी सड़क पुलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

उन स्थानों का नाम जहां ऊपरी सड़क पुलो का निर्माण किया जा रहा है	अनुमानित लागत पर रेलवे की भागीदारी	सड़क प्राधिकरण की भागीदारी
मियांग्राम-करजन	71.40	60.99
भरूच	68.35	103.59
रनोली	70.40	159.95
पालेज	100.00	107.00
वापी	177.32	3/2.10
सत राड-पिपलोड	102.71	102.71

[अनुवाद]

गोवा में रेल परियोजनाएं

99. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष और आठवीं योजना अवधि के लिए मध्य और दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत गोवा की रेल विकास योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सामान्य रूप से और विशेष रूप से गोवा के लिए योजनावार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) हासपेट-हुबली-मारमागोवा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन चालू वर्ष में शुरू किया गया है । गोवा के रास्ते रोहा और मंगलोर को जोड़ने वाली कोंकण लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(ख) इस आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 312 करोड़ रुपए है तथा 489 कि० मी० में फैली होगी जिसमें से 79 कि० मी० गोवा में होगी। कोंकण रेल लाइन की लम्बाई 760 कि० मी० होगी, जिसमें से 105 कि० मी० लाइन गोवा से गुजरेगी, संपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1400 करोड़ रुपये होगी ।

रायनपेडू में वैगन कार्यशाला

100. श्री वी० शोभनादीश्वर राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायनपेडू स्थित वैगन कार्यशाला की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा गत दो वर्षों के दौरान वहां वास्तव में कितने वैगनों की मरम्मत की गयी;

(ख) क्या इस कार्यशाला में बड़े पैमाने पर मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए इसकी वर्तमान क्षमता का वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) रायनपेडु माल डिब्बा कारखाना में माल डिब्बों की वर्तमान मरम्मत क्षमता प्रति वर्ष 10020 चौपहिया यूनिट है । 1991 और 1992 के दौरान वास्तव में क्रमशः 10116 और 10715 चौपहिया यूनिटों की मरम्मत की गयी थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान वार्षिक क्षमता को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाकर 13600 चौपहिया यूनिट किया जाएगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मिराज-लोंडा रेल लाइन का परिवर्तन

101. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मिराज-लोंडा रेल लाइन के परिवर्तन हेतु गेज परिवर्तन की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन को गोवा तक बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इस आमान परिवर्तन परियोजना का निर्माण कार्य 2-2-93 को शुरू हो गया है और इसे 1994-95 में पूरा किए जाने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्दू विश्वविद्यालय

102. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में विस्तृत परियोजना तैयार करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक रिपोर्ट दे देगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सलाह देने के लिए, सरकार द्वारा गठित समिति ने सिर्फ अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। अतः समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के बारे में बताना फिलहाल, सम्भव नहीं है। तथापि, अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, समिति ने, उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करने की सिफारिश की है, जिसमें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऐसे रूपान्तरणों (एडेप्टेशन्स) जो आवश्यक हों, सहित, एक मुक्त

विश्वविद्यालय की विशेषताएं समाविष्ट होनी चाहिएं, तथा चयनात्मक आधार पर एक विशेष मामले के रूप में, शैक्षिक संस्थानों को सम्बद्ध करने का संवैधानिक अधिकार भी शामिल हो, बशर्ते कि वे संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्तरमानों का अनुपालन करने के लिए तैयार हों। इसके अतिरिक्त, यह सिफारिश की गई है कि उर्दू के अलावा, अन्य भाषाओं को छोड़कर, विश्व-विद्यालय में शिक्षा का माध्यम उर्दू होगा और प्रस्तावित विश्वविद्यालय को आठवीं योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान, चरणबद्ध ढंग से, विकसित किया जाना चाहिए।

समिति से, और आगे परामर्श और विचार-विमर्श करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, अपना कार्य पूरा करने और अपनी अन्तिम रिपोर्ट 30-4-93 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

103. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत कमरों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1991 तथा 1992 के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश में कितने कक्षाओं के लिए कमरों का निर्माण हुआ है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की होती है। तथापि, शिक्षा विभाग के परामर्श से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्कूल भवन-निर्माण के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जवाहर रोजगार योजना (ज० रो० यो०) के तहत एक फार्मूला विकसित किया है। इस फार्मूले के अनुसार, राज्य, यदि जवाहर रोजगार योजना के राजकीय हिस्से को 12 प्रतिशत तथा गैर-जवाहर रोजगार योजना के हिस्से को 40 प्रतिशत बनाते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने मुख्य समकक्ष हिस्से के रूप में स्कूल भवन-निर्माण के लिए 48 प्रतिशत निधियां प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान, आप्रेशन ब्लैक बोर्ड कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई क्योंकि राज्य सरकार ने 40 प्रतिशत गैर जवाहर रोजगार योजना निधियों का अंशदान न देकर इस सुविधा को प्राप्त नहीं किया।

(ख) वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में निर्मित कक्षा-कक्षों की संख्या नीचे दी गई है—

1991	1992
8220	190

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत स्कूल भवनों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 5.56 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी करने से सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक ये निधियां प्रदान नहीं कर सका क्योंकि केन्द्र सरकार के पास जवाहर रोजगार योजना के तहत कोई बचत नहीं थी जिसमें से ग्रामीण विकास मंत्रालय चालू वर्ष के दौरान आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता।

शिक्षा बीच ही में छोड़ देने वालों की प्रतिशतता

104. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राइमरी/उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यवार और लिंगवार कितने प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते है;

(ख) किन कारणों से शिक्षा बीच ही में छोड़ दी जाती है;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत छात्र राज्यवार शिक्षा बीच ही में छोड़ देते है; और

(घ) इस समस्या से निपटने हेतु केन्द्र सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ष 1988-89 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं, पहली से आठवीं तथा पहली से दसवीं में पढ़ाई बीच ही में छोड़ देने वाले छात्रों की प्रतिशतता क्रमशः 47.93 65.40 तथा 75.36 है। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बच्चों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने के कई कारण हैं, जिनमें एक मुख्य ये हैं :—

(क) सामाजिक-आर्थिक कारण

(ख) स्कूल अपर्याप्त हैं तथा स्कूलों में पढ़ाई भी पर्याप्त ढंग से नहीं होती।

(ग) पाठ्यक्रम को स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार नहीं किया जाता।

(घ) बच्चों की विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता।

(ग) पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों की राज्यवार प्रतिशतता विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) स्कूल-पद्धति में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ मुख्य कदम उठाए गए हैं, जो ये हैं :—

(1) सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क किताबें, उपस्थिति छात्रवृत्तियां, दोपहर का भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान।

(2) 300 लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एक किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान। जिन क्षेत्रों में अनु० जाति/अनु० जनजाति के लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों के लिए, इस मानदण्ड को लचीला बनाया गया है कि ऐसे क्षेत्रों में 200 लोगों की आबादी होने पर प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा।

(3) आप्रेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं का सुधार।

(4) जो बच्चे पूर्ण दिवसीय स्कूलों में नहीं जा सकते तथा जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं हैं, उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रावधान।

(5) शिक्षक की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

विवरण-I

पहली से पांचवीं कक्षाओं में पढ़ाई बीच ही में छोड़ने वालों की प्रतिशतता 1988-89

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	51.45	57.54	54.08
2. अरुणाचल प्रदेश	62.32	61.49	62.00
3. असम	52.20	.59.64	55.12
4. बिहार	64.39	70.26	66.34
5. गोवा	—	—	—
6. गुजरात	40.27	48.30	43.84

1	2	3	4
7. हरियाणा	26.11	30 99	28.13
8. हिमाचल प्रदेश	26.38	27.99	27.12
9. जम्मू और कश्मीर	50.03	38.16	45.30
10. कर्नाटक	44.40	55.61	49.70
11. केरल	3.00	—1.00	—2.00
12. मध्य प्रदेश	39.32	42.64	40.62
13. महाराष्ट्र	34.24	44.25	38.91
14. मणिपुर	70.00	70.82	70.37
15. मेघालय	28.60	29.53	29.03
16. मिजोरम	37.28	38.72	37.98
17. नागालैंड	34.81	33.01	33.96
18. उड़ीसा	40.05	37.32	38.97
19. पजाब	29.20	29.62	29.39
20. राजस्थान	53.12	60.75	56.25
21. सिक्किम	64.12	58.29	61.61
22. तमिलनाडु	19.16	24.01	21.41
22. त्रिपुरा	55.11	56.14	55.58
24. उत्तर प्रदेश	50.30	48.96	49.89
25. पश्चिम बंगाल	62.57	66.89	64.45
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.72	18.69	16.13
27. चंडीगढ़	— 6.00	7.80	— 5.40
28. दादरा और नगर हवेली	36.05	47.75	40.68
29. दमन और दीव	— 6.00	— .40	— 3.63
30. दिल्ली	14.13	22.73	18.30
31. लक्षद्वीप	—13.13	7.88	—26 74
32. पांडिचेरी	— 6.34	— 1.05	— 3.81
भारत	46.74	49.69	47.93

* दमन व द्वीव के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

पहली से पांचवी कक्षा के लिए　　　पिछले चार वर्षों में (1984-85) पहली कक्षा का नामांकन वर्ष के दौरान पांचवीं कक्षा का नामांकन

——————————————— × 100

वर्ष के दौरान प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की प्रतिशतत = पिछले चार वर्षों में (1984-85) पहली कक्षा का नामांकन।

घटाई के निशान (—) का तात्पर्य है कि पिछले चार वर्षों में पांचवीं कक्षा में नामांकन पहली कक्षा के नामांकन से अधिक है।

पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की

प्रतिशतता

1988-89

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	68.58	77.90	72.54
2. अरुणाचल प्रदेश	74.98	76.68	75.57
3. असम	71.94	75.74	73.59
4 बिहार	77.39	84.90	79.76
5. गोवा*	—	—	—
6. गुजरात	55.66	66.93	60.46
7. हरियाणा	39.27	51.11	43.77
8. हिमाचल प्रदेश	18.76	33.49	25.33
9. जम्मू और कश्मीर	47.00	70.36	56.11
10. कर्नाटक	61.10	74.98	67 83
11. केरल	18.37	16.99	17.70
12. मध्य प्रदेश	49.88	66.65	55.78
13. महाराष्ट्र	51.27	66.07	58.67
14. मणिपुर	76.72	79.50	78.01

1	2	3	4
15. मेघालय	66.94	61.84	64.59
16. मिजोरम	46.91	43.59	45.34
17. नागालैण्ड	56 19	54.02	55.28
18. उड़ीसा	59.92	73.28	65.46
19. पंजाब	58.42	63.83	60.95
20. राजस्थान	63.06	73.20	65.69
21. सिक्किम	63.83	60.11	62.52
22. तमिलनाडु	41.33	51.34	45.99
23. त्रिपुरा	74.84	77.58	76.06
24. उत्तर प्रदेश	51.82	65.00	56.06
25. पश्चिम बंगाल	75.35	77.34	76.18
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35.27	40.03	37.53
27. चंडीगढ़	11.88	3.74	8.78
28. दादरा और नगर हवेली	62.54	69.93	65.70
29. दमन और द्वीव	15.34	23.14	19.02
30. दिल्ली	8.54	22.62	15.26
31. लक्षद्वीप	26.57	47.86	36.78
32. पांडिचेरी	4.79	21.07	12.55
भारत	59.38	68.31	05.40

* दमन व द्वीप के आंकड़े भी शामिल किए हैं।

पहली आठवीं कक्षा के लिए

वर्ष के दौरान माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच ही में छोड़ने वाले की प्रतिशतता

$$= \frac{\text{पिछले सात वर्षों (1981-1982) का पहली कक्षा का नामांकन-वर्ष के दौरान आठवीं कक्षा का नामांकन}}{\text{पिछले सात वर्षों (1981-82) का पहली कक्षा का नामांकन}} \times 100$$

पहली से दसवीं कक्षाओं में पढ़ाई बीच ही में छोड़ने वालों की प्रतिशतता
1988-89

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	75.33	83.94	79.02
2. अरुणाचल प्रदेश	82.76	84.29	83.25
3. असम	78.29	82.01	79.91
4. बिहार	82.66	90.87	85.17
5. गोवा*	—	—	—
6. गुजरात	71.35	77.04	73.74
7. हरियाणा	50.79	62.30	54.89
8. हिमाचल प्रदेश	45.15	59.43	51.30
9. जम्मू और कश्मीर	64.44	76.19	68.91
10. कर्नाटक	60.29	72.17	65.88
11. केरल	43.79	38.14	41.04
12. मध्य प्रदेश	72.35	84.41	76.47
13. महाराष्ट्र	68.16	80.23	73.68
14. मणिपुर	75.57	79.38	77.34
15. मेघालय	89.48	89.93	89.70
16. मिजोरम	80.06	82.84	81.42
17. नागालैण्ड	81.87	83.61	82.64
18. उड़ीसा	68.39	78.83	72.74
19. पंजाब	73.23	77.75	75.33
20. राजस्थान	77.31	84.19	79.02
21. सिक्किम	86.52	89.79	87.91
22. तमिलनाडु	65 92	73.93	69.62

1	2	3	4
23. त्रिपुरा	82.23	83.17	82.62
24. उत्तर प्रदेश	59.53	80 02	66.19
25. पश्चिम बंगाल	85.60	85.87	85.71
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49.72	57.43	53.43
27. चंडीगढ़	25.15	30.85	27.82
28. दादरा और नगर हवेली	79.54	83.50	81.24
29. दमन और द्वीव	54.73	59.64	57.06
30. दिल्ली	20.25	38.77	29 13
31. लक्षद्वीप	69.18	73.98	71.41
32. पांडिचेरी	45.91	52.36	48 96
भारत	72.68	79.46	75.36

* दमन और द्वीप के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

पहली से दसवीं कक्षा के लिए

वर्ष के दौरान हाई स्कूल स्तर पर पढ़ाई बीच ही में छोड़ने वालों की प्रतिशतता = (पिछले 9 वर्षों (1979-80) में पहली कक्षा का नामांकन—वर्ष के दौरान दसवीं कक्षा का नामांकन) / (पिछले 9 वर्षों (1979-80) का पहली कक्षा का नामांकन।) × 100

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पढ़ाई बीच ही में छोड़ने वाले बच्चों की प्रतिशतता-1980-89

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनु० जाति			अनु० जन जाति		
		पहली से पांचवीं	पहली से आठवीं	पहली से दसवीं	पहली से पांचवीं	पहली से आठवीं	पहली से दसवीं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	60.72	80.95	85.90	65.66	86.42	90.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	63.01	75.95	83.77
3.	असतम	65.07	56.49	64.13	71.40	66.95	68.18

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	70.20	84.71	89.48	72.19	85.94	91.42
5.	गोवा*	48.69	68.36	88.12	89.91	96.89	—
6.	गुजरात	32.33	56.97	72.92	61.21	80.34	87.50
7.	हरियाणा	36.14	61.43	70.32	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	33.55	45.97	66.08	25.89	38.65	59.27
9.	जम्मू व कश्मीर	37.55	61.21	77.04	—	—	—
10.	कर्नाटक	61.14	69.51	78.69	40.18	64.03	73.97
11.	केरल	0.0	26.49	51.26	18.94	41.82	70.43
12.	मध्य प्रदेश	40.11	59.06	88.99	51.80	73.79	86.20
13.	महाराष्ट्र	46.02	61.78	76.50	62.60	77.61	86 18
14.	मणिपुर	80.88	84.26	82.29	77.61	85.30	85.88
15.	मेघालय	76.34	43.02	81.93	77.40	72.96	95.47
16.	मिजोरम	—	—	—	62 28	28.08	77.17
17.	नागालैंड	—	—	—	35.29	61.99	81.53
18.	उड़ीसा	52.10	75.35	81.33	76.19	84.59	82.93
19.	पंजाब	35.92	75.49	86.52	—	—	—
20.	राजस्थान	62.47	70.22	85.93	69.63	74.44	84.72
21.	सिक्किम	73.42	81.65	93.48	62.87	67.19	87.64
22.	तमिलनाडु	25.94	55.66	78.47	47.95	54.90	76.15
23	त्रिपुरा	60.52	80.80	88.15	75.86	86.17	91.81
24.	उत्तर प्रदेश	46.94	60.26	72.91	45.14	58.10	80.68
25.	पश्चिम बंगाल	59.45	78.94	90.01	65.05	84.39	92.47
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	11.00	36.50	52.97
27.	चंडीगढ़	0.0	0.00	48.39	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	47.60	74.04	89.94
29.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	15.18	54.80	65.86	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	39.61	72.34
32.	पांडिचेरी	0.0	19.48	64.00	—	—	—
	जोड़	49.62	67.78	79.88	64.53	78.08	86.72

*दमन व द्वीप को भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

प्रश्न पत्र के अनेक सेट तैयार करना

105. **श्री पी० सी० थामस** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों के कई-कई सेट तैयार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में सामूहिक नकल को नियन्त्रित करने, अनुचित साधनों के प्रयोग को कम करने तथा विद्यार्थियों का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से बोर्ड ने वर्ष 1993 में बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली Xवीं और XIIवीं कक्षाओं की परीक्षाओं में देश और विदेश के सभी के० मा० शि० बो० के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्रों के अनेक सेटों के प्रयोग करने का निर्णय किया है।

फिरोक-निलंबुर रेलवे लाइन

106. **श्री ई० अहमद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित फिरोक-निलंबु पुर रेलवे लाइन के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) 4.00 लाख रुपये की लागत से फिरोक-निलम्बूर बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ग) आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

प्रतिभा-पलायन

107. **श्री चन्द्रजीत यादव :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रतिभा-पलायन रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में किए गए उपायों की असफलता के लिए किन कारणों को जिम्मेवार पाया गया है; और

(ग) अक्षुण्ण प्रतिभा-पलायन रोकने के लिए यदि सरकार ने कोई रणनीति बनाई है ता वह क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) पूर्ण विश्व की एक दूसरे पर निर्भरता की स्थिति और एक देश की संस्थाओं की किसी दूसरे देश की संस्थाओं एवं शिक्षाविदों का आपसी ताल-मेल, अनिवार्य और अधिकांश मामलों में वांछनीय बन गया है। विदेश जाने वाले भारतीय तकनीकी कार्मिक, विदेश में उच्च अध्ययन/कार्य, समाप्त करने के बाद अवश्य देश को लौटते हैं। ऐसे कार्मिकों को देश में वापिस आने के लिए, आकर्षित करने हेतु सरकार ने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिव्यों में बढ़ोत्तरी, नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं को बढ़े हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान करना, वैज्ञानिक पूल इत्यादि के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी-विदों को अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करना जैसे कदम उठाए हैं।

तारकेश्वर शाखा लाइन

108. **कुमारी ममता बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर रेलवे लाइन को दोहरा करने तथा उसे आरामबाग तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पशु चारे का उत्पादन

109 **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री ओस्कार फर्नान्डीज :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशु-चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो पशु-चारे के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने पशु-चारे के बीच के उत्पादन में वृद्धि हेतु कोई योजना चलाई है;

(घ) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान विभिन्न अनुसंधान संगठनों और फार्मों को इस कार्य हेतु कितना धन निर्धारित किया गया है;

(ङ) इन संगठनों की उपलब्धियां क्या रहीं;

(च) क्या इस सम्बन्ध में आठवीं योजना में कोई योजना बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय व राज्य फार्मों के साथ-साथ पंजीकृत बीज उत्पादक फार्मों में गुणवत्ता वाले चारा बीज का उत्पादन, कृषकों में गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण, कृषकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यक जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण व प्रदर्शन, वन क्षेत्रों, सामान्य चराई भूमि, बंजर भूमि, और घास के मदानों में जैव समूह उत्पादन में वृद्धि करना, चारा उत्पादन में वृद्धि करने को कुछ प्रमुख योजनाएं हैं :

बंजर भूमि, निम्नीकृत वन क्षेत्रों, घास के मैदानों और समस्याग्रस्त मृदा में चारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुसंधान कार्यों को मजबूत बनाया जा रहा है।

चारे का अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रजनक, आधारी व प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। पशुपालन व डेयरी विभाग ने 1992-93 के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार के फार्मों पर गुणवत्ता वाले चारा बीज का उत्पादन करने के लिए 240 लाख रुपये आबंटित किए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने भी 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत चारा फसलों सहित विभिन्न फसलों के प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए 182 लाख रुपये आबंटित किए हैं।

दिसम्बर, 1992 तक (1992-93) पशुपालन व डेयरी विभाग के अधीन विभिन्न केंद्रीय फार्मों द्वारा 5632.75 क्विंटल चारा बीज का उत्पादन किया गया है।

1992-93 के दौरान 1.34 लाख चारा मिनीकिट कृषकों में वितरित किए गए हैं।

(च) और (छ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चारा विकास के लिए तैयार की गई कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं—

(क) गुणवत्ता वाले चारा बीजों के अत्यधिक उत्पादन के लिए क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र तथा चारा बीज उत्पादन फार्म, हेस्सरघट्टा को मजबूत बनाना, कृषकों के लाभारी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित करना और चारा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी विकसित करना।

(ख) केंद्रीय मिनीकिट कार्यक्रम से गुणवत्ता वाले चारा बीजों का वितरण।

(ग) गुणवत्ता वाले बाले बीजों के उत्पादन के लिए राज्य चारा बीज फार्मों को मजबूत बनाना।

(घ) पंजीकृत बीज उत्पादक योजना द्वारा गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में वृद्धि करना।

(ङ) जैव समूह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वन संवर्द्धन पद्धति की स्थापना।

(च) जैव समूह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बंजरभूमि और घास के मैदानों का विकास।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर ई० एम० यू० कोच

110. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री सुखेन्दु खां :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में हावड़ा और हल्दिया के बीच ई० एम० यू० कोचों की आवाजाही में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों का गलत निरूपण किया जाना

111\. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री रूपचन्द पाल :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
डा० असीम बाला :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री शरद यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री धर्मभिक्षम :
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में स्कूलों के लिए निर्धारित इतिहास, गणित, हिन्दी और अन्य पाठ्यपुस्तकों में तथ्यात्मक गलतियों और तथ्यों का गलत निरूपण करने के संबंध में मूल्याकन करने के लिए कोई समिति नियुक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सभापटल पर विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय अखण्डता के दृष्टिकोण से स्कूली पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जून, 1991 में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा मांध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित इतिहास, गणित और हिंदी की पाठ्य-पुस्तकों का नमूना समीक्षा करने के बाद समिति ने 30-31-1-93 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं—

(i) उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा 1992 में प्रकाशित की गई कक्षा IX-X की इतिहास और गणित की पाठ्यपुस्तकों, प्राइवेट प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई कक्षा IX-X की इतिहास और सामाजिक विज्ञान की चार पाठ्य-पुस्तकों तथा कुछ प्राइवेट संगठनों द्वारा प्रकाशित की गई कुछ पुस्तकों को हटा देना ।

(ii) हिन्दी की वर्तमान पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर दूसरी पुस्तकें तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह करना ।

2\. राष्ट्रीय संचालन समिति ने 30-31-1-93 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त के

अलावा निम्नलिखित सिफारिशें भी कीं जो आमतौर पर सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों पर लागू होती हैं—

(i) सुस्थापित ऐतिहासिक आंकड़ों तथा व्याख्याओं पर पाठ्यपुस्तकें आधारित होनी चाहिए ।

(ii) पाठ्यपुस्तकों में सभी प्रकार के संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषाई कट्टरता को शामिल करने से बचा जाना चाहिए ।

(iii) कामन कोर वाले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्राचालों को तैयार करना ।

(iv) सरकारी सहायता-प्राप्त या सहायता न प्राप्त प्राइवेट निकायों या धार्मिक अथवा सांस्कृतिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में किसी भी अनाधिकृत पाठ्पुस्तक के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(v) एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पाठ्यपुस्तकें लिखी जानी चाहिए । सभी स्कूलों में प्रयोग के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और इनके अधिप्रमाणन के लिए राज्य बोर्ड गठित किए जाने चाहिए ।

3. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के शिक्षा प्राधिकरणों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 22-1-93 को आयोजित की गई बैठक के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई कि वह तथ्य सम्बन्धी गलतियों तथा विकृतियों वाले पाठ्यपुस्तकों को हटा देगी । मध्य प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने ठीक पूर्व की अवधि के दौरान तैयार पांडुलिपियों को प्रकाशित करने का काम नहीं करेगी ।

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में राज्य शिक्षा मंत्रियों तथा शिक्षा-विदों के बुलाए गए सम्मेलन में राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा की गई । जैसा कि सम्मेलन में निर्णय लिया गया, इस सिफारिशों को सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है । राज्यों संघशासित प्रदेणों की टिप्पणी पर अगली कार्रवाई निर्भर करेगी ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संस्कृति नीति

112. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 1 दिसम्बर, 1992 अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सस्कृति के विकास हेतु एक राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बी० एड०/एम० एड० पत्राचार पाठ्यक्रम

113. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से विश्वविद्यालय बी० एड० तथा एम० एड० पाठ्यक्रम के पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बी० एड० तथा एम० एड०पत्राचार पाठ्यक्रम बंद करने के लिए इन विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या मामले पर फिर से विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सबंध में समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण सलग्न है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना दी गई है।

(ख) से (ङ) जी, हां। अप्रैल, 1990 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1991-92 से पत्राचार माध्यम से बी० एड० पाठ्यक्रम बंद करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को सलाह दी थी क्योंकि आयोग के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की समस्या अधिकांश राज्यों में समाप्त हो गई थी। यह विचार किया गया था कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम को विभिन्न विशिष्ट विषयों में शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण पाठ्यक्रम को बंद करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करने पर 3 सितम्बर, 1992 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोजित सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की एक बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था। बैठक में विचार-विमर्श करने के बाद वि० अ० आ० ने प्रासंगिक मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1. अजमेर विश्वविद्यालय

2. आंध्र विश्वविद्यालय

3. अन्नामलाई विश्वविद्यालय

4. बंगलौर विश्वविद्यालय

5. भोपाल विश्वविद्यालय

6. बहरामपुर विश्वविद्यालय

7. बरधिवार विश्वविद्यालय

8. जम्मू विश्वविद्यालय

9. ककातिया विश्वविद्यालय

10. काश्मीर विश्वविद्यालय

11. कोटा मुक्त विश्वविद्यालय

12. मद्रास विश्वविद्यालय

13. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय

14. महर्षि दयानद विश्वविद्यालय

15. मैसूर विश्वविद्यालय

16. उस्मानिया विश्वविद्यालय

17. पंजाबी विश्वविद्यालय (पटियाला विश्वविद्यालय)

18. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय

19. उत्कल विश्वविद्यालय

20. यशवंत राव चव्हाण विश्वविद्यालय
(महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय)

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दिया गया विमान

114. डा० के० डी० जेस्वानी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मंत्रालय को चार सीटों वाला विमान दिया था;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिसके लिए यह विमान गत एक वर्ष के दौरान दिया गया था और इसका प्रयोग कहां-कहां पर किया गया था और इसके क्या कारण हैं।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इस विमान पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इस विमान का किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी उपयोग किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस विमान के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) विमान को पिछले एक वर्ष के दौरान वानिकी प्रयोजनों एवं पुन: ईंधन भरने के लिए उद्देश्य से भोपाल, जबलपुर, सागर, नागपुर, लखनऊ, उदयपुर, जयपुर, सूरतगढ़, देहरादून, भूंतर तथा पिंजौर ले जाया गया।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान विमान को चलाने तथा उसके रख-रखाव पर 5.98 लाख रुपये का व्यय हुआ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तथा (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नवजीवन एक्सप्रेस की आवाजाही

115. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-मद्रास के बीच चलने वाली नवजीवन एक्सप्रेस सप्ताह में केवल चार दिन चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र के यात्रियों की निरंतर मांग के दृष्टिगत सरकार का विचार इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने का है;

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण।

रेल दुर्घटनाएं

116. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री बलराज पासी :
श्री शिबू सोरेन :
श्री साईमन मरांडी :
डा० लाल बहादुर रावल :
श्री राजवीर सिंह :
श्री मुमताज अंसारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इसके फलस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, विशेष रूप से गत दो महीनों के दौरान विभिन्न जोनों में जोनवार कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ग) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इन दुर्घटनाओं में वर्षवार और जोनवार कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा रेलवे को कुल कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जोनवार दुर्घटना पीड़ितों को कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया; और

(च) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (च) लगातार सातवें वर्ष भी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई जो 1985-86 में 717 दुर्घटनाओं से घटकर 1991-92 में 530 हो गयी। वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्योरे के लिए एक विवरण संलग्न है।

पिछले तीन वर्षों की स्थिति गिरावट का क्रम दर्शाती है—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1989-90	540
1990-91	532
1991-92	530

पिछले दो महीनों की स्थिति नीचे दी गयी है—

रेलवे	दिसम्बर, 92	जनवरी, 93
मध्य	2	2
पूर्व	4	4
उत्तर	7	5
पूर्वोत्तर	3	2
पूर्वोत्तर सीमा	4	4
दक्षिण	2	4
दक्षिण मध्य	3	4
दक्षिण पूर्व	8	10
पश्चिमी	5	5

विवरण

(क) से (च) पिछले तीन वर्षों में क्षेत्रवार गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, उसके कारण, हताहतों की संख्या और रेलवे संपति को हुई क्षति की लागत नीचे दी गयी है—

		क्षेत्रीय रेलें								
		मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वो-उत्तर	पूर्वो० सीमा	दक्षिण	दक्षिण मध्य	दक्षिण पूर्व	पश्चिम
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	क :	57	70	70	25	46	49	47	122	54
	ख :	50	62	60	22	47	72	59	111	49
	ग :	54	56	55	23	52	91	64	85	50
कारण										
2. रेल कर्मचारियों की गलती	क :	36	44	56	11	25	30	27	94	44
	ख :	41	46	45	9	30	52	40	68	35
	ग :	35	41	47	7	37	69	48	64	35
3. रेल कर्मचारियों से इत्तर व्यक्तियों की गलती	क :	6	11	12	3	3	4	2	6	7
	ख :	2	2	9	—	—	8	3	11	7
	ग :	5	7	4	9	2	8	3	7	6

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. उपस्कर की खराबी										
क. यांत्रिक	क :	5	4	—	5	7	11	8	4	3
	ख :	2	6	1	5	8	9	7	12	—
	ग :	8	2	—	1	5	7	3	2	6
ख. रेल पथ	क :	1	3	—	2	1	1	5	10	—
	ख :	2	1	1	2	—	1	4	11	2
	ग :	2	1	1	—	2	1	3	7	1
5. तोड़-फोड़	क :	—	—	1	1	—	—	1	5	—
	ख :	—	—	1	—	4	1	4	4	2
	ग :	2	—	2	1	3	—	5	1	—
6. आकस्मिक	क :	9	6	1	1	1	1	1	—	—
	ख :	2	7	2	2	5	1	—	4	2
	ग :	1	4	1	—	—	4	1	2	2
7. कारण जो कि	क :	—	2	—	—	—	—	3	—	—
सिद्ध न	ख :	1	—	1	—	—	—	1	1	1
हो सके	ग :	1	1	—	—	1	—	1	1	—
8. मिले-जुले	क :	—	—	—	2	—	2	—	3	—
कारण	ख :	—	—	—	—	4	—	—	—	—
	ग :	—	—	—	5	—	2	—	1	—
9. जांच के	क :	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अधीन	ख :	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ग :	—	—	—	—	2	—	—	—	—
10. हड़ताल										
क. मा० ग०		94	65	38	9	10	4	5	5	67
घा०		374	127	69	36	50	54	33	56	135
ख. मा० ग०		29	108	20	3	16	7	90	41	26
घा०		81	129	121	72	109	52	156	87	84
ग. मा० ग०		22	17	59	10	5	49	30	13	24
घा०		91	56	141	59	22	89	278	35	113

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. क्षति की लागत (लाख रु० में)	क :	420.8	230.0	414.0	25.0	23.2	30.9	245.6	521.3	28.8
	ख :	1424.4	549.2	507.1	53.1	3539.7	166.8	697.2	397.5	436.8
	ग :	403.7	352.3	266.0	20.5	26.9	105.4	633.3	651.4	79.3
12. भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति (लाख रु० में)	90-91	64.43	78.12	5.43	4.40	10.10	0.77	61.67	7.95	—
	91-92	15.20	70.63	7.60	0.21	9.29	67.42	134.71	12.97	3.46
	92-93 (अप्रैल से जनवरी)	38.47	19.14	6.69	—	19.92	—	65.57	4.00	—

क = 1989-90

ख = 1990-91

ग = 1991-92

मा० ग० = मारे गये

घा० = घायल

गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें से कुछ उपाय इस प्रकार से हैं—

(i) मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी उपकरण लगाना,

(ii) गतायु परिसंपत्तियों, विशेषकर, रेलपथ, पुल और चल स्टाक के नवीकरण और पुनर्स्थापन पर बल देना।

(iii) कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना।

(iv) दूर-संचार गियरों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों और रेल इंजनों की गहन जांच।

(v) ड्राइवर गार्ड, स्टेशन मास्टर आदि जैसी संरक्षा की महत्वपूर्ण कोटियों के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना।

(vi) परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देना और उनकी मनो-वैज्ञानिक जांच करना।

(vii) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने के विरुद्ध अचानक जांचें आयोजित करना।

(viii) चौकीदार रहित समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों, गति रोधकों और सड़क चिह्नों और गाड़ी ड्राइवरों की दृश्यता में सुधार लाना।

(ix) समपारों पर बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में सड़क उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए दूरदर्शन और रेडियो सहित जन प्रचार माध्यमों से शिक्षाप्रद अभियान शुरू करना।

(x) मोटर वाहन अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके संयुक्त जांचें आयोजित करना।

छात्रों को रियायत

117. प्रो० प्रेम धूमल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को रेल टिकटों में दी जा रही रियायत वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रियायत कितने प्रतिशत दी जाती है तथा इस समय रेल टिकटों के किराए में इस छूट को प्राप्त करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार को शोध छात्रों का कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शोध छात्रों को एकल यात्रा के लिए दूसरे दर्जे के मेल/एक्सप्रेस किराए में 50% की रियायत दी जाती है। 29-9-92 से 30-10-92 तक 53 शोध छात्रों को रियायत दी गयी थी जैसाकि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित किया गया है,

(घ) जी हां।

(ङ) मांग शोध छात्रों को अपने पैत्रिक घर जाने के लिए रेल यात्रा रियायत स्वीकृत करने के लिए है। नियमानुसार शोध छात्रों को अपने पैत्रिक घर जाने के लिए रियायत स्वीकार्य नहीं है।

[अनुवाद]

"प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग"

118. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री प्रबीन डेका :
श्री हरिन पाठक :
श्री यशवंत राव पाटिल :
डा० असीम बाला :
श्री राम लखन सिंह यादव :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण-नियंत्रण के लिए प्रमुख उद्योगों को जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992 के दौरान प्रदूषण-नियंत्रण के लिए निर्धारित आवश्यक बातों का अनुपालन करने वाले एककों का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारित आवश्यक बातों का अनुपालन करने में विफल उद्योगों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्रदूषण के उपशमन, निवारण और नियंत्रण संबंधी स्कीम के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं, नामतः—

(1) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1984

(2) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्य उद्योगों को अलग से कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

(ख) 1992 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण संबंधी निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली सभी इकाइयों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 श्रेणियों की यूनिटों और उन द्वारा 31 दिसम्बर, 1992 तक अनुपालन की स्थिति विवरण-I में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार, उद्योगों की 17 श्रेणियों में बड़ी और मझौली इकाइयों में जानबूझकर उल्लंघन करने वाली इकाइयों की निगरानी कर रही हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	राज्य	जानबूझकर उल्लंघन करने वाली इकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	जम्मू और कश्मीर	06
3.	मध्य प्रदेश	01
4.	राजस्थान	01
5.	प० बंगाल	02
6.	उत्तर प्रदेश	03
7.	महाराष्ट्र	01

विवरण

मानकों का पालन करने वाले उद्योगों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मानकों का पूर्ण रूप से पालन करने वाली इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	89
2.	असम	05
3.	बिहार	10
4.	गोवा	07
5.	गुजरात	153
6.	हरियाणा	29
7.	हिमाचल प्रदेश	07
8.	जम्मू और कश्मीर	01
9.	कर्नाटक	34
10.	केरल	16
11	मध्य प्रदेश	33
12.	महाराष्ट्र	263
13.	मेघालय	03

1	2	3
14.	उड़ीसा	11
15,	पंजाब	17
16.	राजस्थान	26
17.	तामिलनाडु	14
18.	उत्तर प्रदेश	64
19.	पश्चिम बंगाल	18
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	चंडीगढ़	01
2.	दिल्ली	03
3.	पांडिचेरी	01

खाद्य तेल का उत्पादन

119. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है;

(ख) क्या खाद्य तेल का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारत को खाद्य तेल के उत्पादन में अभी आत्म निर्भर होना है।

(ख) और (ग) वनस्पति तेल को उपभोक्ता पैकों में लाइसेंस के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है।

स्कूल में प्रवेश के लिए पिता का नाम लिखने अथवा न लिखने का विकल्प

120. **श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश पाने के समय पिता का नाम लिखने अथवा न लिखने का विकल्प रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश भर के स्कूलों में यह विकल्प अपनाए जाने के लिए इन अनुदेशों को लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दाखिले के प्रपत्र में प्रासंगिक कालमों में संशोधन करने के लिए हिदायतें, उन्होंने फरवरी, 1988 में जारी कर दी हैं, जो इस प्रकार हैं :—

कालम	वर्तमान	संशोधित
4.	पिता का नाम	पिता/माता का नाम
6.	पिता का व्यवसाय और पता	पिता/माता का व्यवसाय और पता
7.	पिता या अभिभावक की मासिक आय	पिता/माता या अभिभावक की मासिक आय

(ग) से (ङ) दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेशों के आधार पर, दिल्ली नगर निगम ने आदेश जारी कर दिए हैं और पूरे देश के स्कूलों में इन आदेशों को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन

121. डा० कृपासिन्धु भोई :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) और (ख) (i) इस खंड के 1994-95 में पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें ।

(ii) दिसम्बर, 1992 तक समग्र वास्तविक प्रगति 26 प्रतिशत है ।

(ग) इस कार्य के लिए रेलवे को सामग्री और पर्याप्त धनराशि जैसी सभी सहायता की व्यवस्था की जा रही है ।

कर दाताओं से राशन कार्ड की सुविधा समाप्त करना

122. श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री रवि राय :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री नवल किशोर राय :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री नीतीश कुमार :
श्री मोहन रावले :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर दाताओं सहित कुछ वर्गों के उपभोक्ताओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश आयकर दाता सरकारी कर्मचारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्या औचित्य है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की जुलाई, 1992 में हुई 14 वीं बैठक में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने केन्द्रीय सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का अनुरोध किया था, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ आबादी के केवल जरूरतमन्द तथा पात्र वर्गों तक सीमित किये जा सकें। यद्यपि, उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों का बाहर करने की संभावना सहित, की जांच की जा रही है, तथापि केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हकदारी सबके लिए है। कुछ राज्य सरकारों ने आबादी के कुछ वर्गों, जैसे आयकर दाताओं आदि को बाहर करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना

123. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु खाद्यान्नों के स्थान पर अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे अन्य उत्पादों का उत्पादन कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि में किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इसके फलस्वरूप किसानों द्वारा अर्जित किए जाने वाले अतिरिक्त लाभ का अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने खाद्यान्नों के स्थान पर अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की कोई विशेष योजना नहीं बनाई है । फिर भी, उत्पादन बढ़ा कर, इससे समग्र आय को बढ़ाने के लिए नई विकसित की गई प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विभिन्न फसल उन्मुखी तथा अन्य कार्यक्रमों के जरिये किसानों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ।

दिल्ली-जम्मू लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन

124. **श्री फूल चन्द वर्मा** :
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जम्मू रेलमार्ग पर राजधानी एक्सप्रेस की लाइनों पर कोई नई ट्रेन शुरू करने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलमार्ग पर इस प्रकार की ट्रेन चलाने अथवा राजधानी एक्सप्रेस को जम्मू तक चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली/नयी दिल्ली-जम्मू तवी खंड पर राजधानी टाइप की गाड़ियां चलाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

राजधानी में स्कूल शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी समिति

125. **श्री रवि राय** :
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में स्कूल शिक्षा प्रणाली के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने हेतु शिक्षाविदों तथा प्रशासकों की एक विशेषज्ञ समिति गठन की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में) उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) जी, हां। समिति की सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समिति ने अपनी रिपोर्ट 14-1-93 को ही प्रस्तुत की है। सिफारिशों का कार्यान्वयन, दिल्ली प्रशासन की वित्तीय कठिनाइयों (इम्पलीकेशन्स) सहित, सभी पहलुओं पर यथोचित विचार करने के बाद ही होगा।

विवरण

समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1. अधिनियम तथा नियमावली को संशोधित किया जाना, ताकि सरकारी स्कूलों में उनके प्रयोग हेतु, उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके और शिक्षा प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करना तथा उसे अफसरवादिता से अलग रखना।

2. वर्तमान में स्थानीय निकायों के अधीन कार्यरत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के अधीन लाना।

3. निदेशक और सचिव के पदों को कालिक (टेन्योर) पद बनाया जाना।

4. अपर निदेशक (सरकारी स्कूलों) के पद का सृजन किया जाना।

5. शैक्षिक जिलों की संख्या को बढ़ाकर 12 करना।

6. प्रभावी पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए, प्रत्येक शैक्षिक मन्डल के अधीन, 15 स्कूल एककों तक का होना।

7. सरकारी स्कूलों को अधिक स्वायत्तता और सभी स्कूलों में प्रबंध समितियों का होना।

8. द्वितीय पाली स्कूलों को समाप्त करना।

9. शिकायत निवारण तंत्र का सृजना करना।

10. सभी प्रत्याशित पदों को भरने हेतु संदर्भ-आयोजना।

11. शैक्षिक वर्ष आरम्भ होने से पहले, शिक्षण कर्मचारियों की पूर्ण संख्या के पदों पर होना।

12. उर्दू माध्यम वाले स्कूलों के लिए, भाषा आधार वाले कर्मचारी उपलब्ध करवाना।

13. अगले उच्च पद पर शिक्षकों की पदोन्नति की कोटा-प्रणाली को समाप्त करना और सभी पदोन्नतियां, चयन की कठिन प्रक्रिया के जरिए, किया जाना।

14. शिक्षकों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध ।

15. ग्रामीण क्षेत्रों और झुग्गी-झोंपड़ी (जे० जे०)/पुनर्वास कालोनियों के स्कूल शिक्षकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना आरम्भ करना ।

16. सेवा-कालीन शिक्षक प्रशिक्षण को आवश्यकता आधारित और प्रभावी बनाया जाना ।

17. स्कूलों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण से संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाना ।

18. आचरण-संहिता से संबंधित प्रावधान का लागू किया जाना ।

19. छात्रों द्वारा प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य क्षमताओं को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों को उत्तरदायी बनाया जाना ।

20. एक वर्ष में, 200 घंटों के उपचारी शिक्षण सहित, 1200 घंटे के शिक्षण से सम्बन्धित प्रावधान को लागू किया जाना ।

21. उपचारी शिक्षण के लिए केन्द्रों की स्थापना करना ।

22. आपसी तालमेल की पद्धति पर बल देते हुए, शैक्षिक प्रथाओं में सुधार करना ।

प्राथमिक चिकित्सा को विद्यालयों/महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करना

†126. **श्री अन्नू हरि चौरे :**
श्री परस राम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री श्री० देवराजन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

चीनी मिलों की पिराई क्षमता

127. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न चीनी मिलों की पिराई क्षमता का राष्ट्रीय औसत कितना है;

(ख) प्रत्येक राज्य में गन्ने की औसत पिराई क्षमता कितनी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में औसत पिराई क्षमता राष्ट्रीय औसत पिराई क्षमता से काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षमता को राष्ट्रीय औसत क्षमता के बराबर लाने हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में चीनी मिलों की संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता का राष्ट्रीय औसत 1793.00 टन है।

(ख) चीनी मिलों की संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता का राज्यवार औसत संलग्न विवरण में है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में चीनी मिलों की संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता राष्ट्रीय औसत 1793.00 टन की तुलना में 1816.00 टन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

चीनी मिलों की संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता का राज्यवार औसत

(31-1-93 की स्थिति)

क्रम सं०	राज्य	औसत संस्थापित दैनिक गन्ना पेराई क्षमता (टन)
1	2	3
1.	हरियाणा	2300
2.	पंजाब	1710
3.	उत्तर प्रदेश	1816
4.	बिहार	1342
5.	पश्चिमी बंगाल	909
6.	आसाम	1104
7.	उड़ीसा	1084
8.	राजस्थान	1255
9.	मध्य प्रदेश	1072
10.	महाराष्ट्र	1838
11.	गुजरात	2403
12	आंध्र प्रदेश	1720

1	2	3
13.	तमिलनाडु	2033
14.	कर्नाटक	2014
15.	केरल	847
16.	पांडिचेरी	1375
17.	नागालैंड	1000
18.	गोवा	1250

[अनुवाद]

गया रेलवे जंक्शन के निकट ऊपरि पुल का निर्माण

128. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया रेलवे जंक्शन के निकट बागेश्वर गुमती पर एक ऊपरि पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण करने पर तभी विचार करती हैं जब राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार लागत के अपने हिस्से को वहन करना स्वीकार करते हुए विधिवत रूप मे ऐसा प्रस्ताव किया जाता है। गया के समीप बागेश्वर गुमती के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

129. **श्री पवन कुमार बंसल :**
डा० सुधीर राय :
श्री सोमजी भाई दामोर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990, 1992 और 1995 तक, 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग के अशिक्षित व्यक्तियों को कार्य-योग्य साक्षरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या वर्ष 1990-92 के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या 1995 के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का, 15-35 आयु वर्ग में 8 करोड़ निरक्षरों — 3 करोड़ 1990 तक तथा 1995 तक अतिरिक्त 5 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों की कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

(ख) वर्ष 1990-91 तक अनुमानित 105 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाए जाने की सूचना मिली थी तथा वर्ष 1991-92 के अन्त तक कुल 202 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है।

(ग) वर्ष 1990 तक मिशन के प्रथम चरण में लक्ष्य में कमी आने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) मिशन जो कि 1987 तक में शुरू किया जाना था, उसे मई, 1988 में ही शुरू किया जा सका।

(ii) प्रारम्भ वर्ग कार्यक्रमों की तैयारी तथा वातावरण निर्माण क्रियाकलापों में लग गए।

(iii) कार्यक्रम को केन्द्र-आधारित दृष्टिकोण से अभियान दृष्टिकोण में परिवर्तित करना।

(iv) सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के रूप में अभियान दृष्टिकोण को 1989-90 में ही शुरू किया जा सका।

(घ) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, अब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत एक प्रमुख कार्यनीति है। यह आशा की जाती है कि योजना अवधि के अन्त तक इन अभियानों में 345 जिलों को शामिल कर लिया आएगा। यह सम्भावना की जाती है कि वर्ष 1995 तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल करने के परिणामस्वरूप प्राप्त कर लिया आएगा।

विकास परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

130. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा राज्यवार स्वीकृत विकास परियोजनाओं के नाम क्या है;

(ख) सरकार के पास आज तक पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्यवार कौन-कौन-सी विकास परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं और इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान मंजूर की गई विकास परियोजनाओं की सूची दी गई है। (**विवरण-I**)

(ख) और (ग) एक दूसरा विवरण संलग्न है जिसमें मंजूरी के लिए लम्बित विकास परियोजनाओं के नाम तथा उनके लम्बित रहने के कारण दिये गए हैं। (**विवरण-II**)

(घ) परियोजनाओं को पूरे आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही मूल्यांकित किया जाता है और तत्पश्चात् उन पर कार्यवाही की जाती है। अन्तिम निर्णय पूर्ण पर्यावरणीय आंकड़े तथा कार्य योजनाएं प्राप्त हो जाने के अधिकतम तीन माह के भीतर लिया जाता है। मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए परियोजना अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

विवरण-I

1-2-92 और 31-1-93 के बीच मंजूर विकास परियोजनाओं के नाम

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2

आंध्र प्रदेश

1. सुरासनियानम में चल जी० टी० सैट (3.5 मेगावाट)
2. कृष्णा पेटम टी० पी० एस० 2 × 500 मेगावाट
3. आणविक इंधन कॉम्पलैक्स हैदराबाद में न्यू यूरेनियम फ्यूल असेम्बली प्लांट
4. मडापल्ली खुली खदान परियोजना, सिंगरेनी कॉलरीज़ कम्पनी लिमिटेड (एस० सी० सी० एल०)
5. पद्‌मावती खनी परियोजना, एस० सी० सी० एल०
6. रामगुण्डम शैफ्ट ब्लाक-1, एस० सी० सी० एल०
7. गोलेटी लॉंगवाल परियोजना, एस० सी० सी० एल०
8. गौतम खनी खुली खदाम परियोजना, एस० सी० सी० एल०
9. भारत सरकार टकसाल का आधुनिकीकरण एवं विस्तार
10. दोविश्वरम में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निर्माण
11. पन्नाडा में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निर्माण।
12. सयालकोट में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम।

1	2

असम

13. जी० ए० आई० एल० का लकवा में एल० पी० जी० रिकवरी संयत्र ।

बिहार

14. यूरिमरी खुली खदान परियोजना सैन्ट्रल कोलफील्ड लि० (सी० सी० एल०)
15. दोपा (पुनर्गठन) खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०
16. ररजप्पा खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०
17. परेज पूर्वी खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०
18. हिन्दुस्तान कॉपर लि० की चपरी साइडेश्वर खान (एच० सी० एल०)।
19. राजमहल खुली खदान परियोजना, सी०सी०एल०।
20. बोकारो इस्पात संयत्र के हॉट स्ट्रिप्ट कारखाने में चौथी रिहिटिंग भट्टी की स्थापना ।

गुजरात

21. गैस पर आधारित कैप्टिव बिजली संयत्र (50 मेगावाट), जी० एस० एफ० सी०।
22. भारतीय तेल निगम का बड़ौदा स्थित गुजरात रिफाइनरी में अतिरिक्त तेल शोधन एकक ।
23. कण्डला में एल० पी० जी० आयात सुविधाएं, आई० एफ० सी०
24. ईस्सर गुजरात लि० का हाजीरा स्थित स्पांज आयर एंड हॉट रोल्ड कोयल (समन्वित इस्पात संयंत्र)

हरियाणा

25. मैसर्स मारूति उद्योग लि० का कैप्टिव बिजली संयंत्र (20 मेगावाट) चरण-I
26. आई० ओ० सी० का करनाल स्थित 6 मिलियन टन का ग्रासरूट शोधन कारखाना
27. मारूति उद्योग लि० का विस्तार

हिमाचल प्रदेश

28. गुजरात अम्बुजा सीमेंट्स लि० का दारला घाट सीमेंट संयंत्र और उससे संबंधित खनन गतिविधियां ।

जम्मू और कश्मीर

29. पंथाल जिले, ऊधमपुर के निकट जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लि० की पंथाल मैगनेसाइड परियोजना

1	2
30.	जम्मू कश्मीर खनिज विकास निगम लि० के पांथाल में डैट बनर्ट मैगनेसाइड संयंत्र
31.	कारगिल में खाद्यान गोदाम

कर्नाटक

32. के० आई० डी० सी० एल० 48.5 मेगावाट का कैप्टिव पावर संयंत्र ।

33. मैसर्स सरोज माइनिंग सिंडिकेट का क्वार्ट्स खनन परियोजना ।

34 के०आई०ओ०सी०एल० द्वारा बैनिफिकेशन और पैलीटाइजेशन संयंत्रों का विस्तार ।

35. एच०पी०सी०एल०के० बंगलोर पत्तन में एल०पी०जी० आयात सुविधा ।

36. एच०एम०टी०, बी०ई०एल० और के०एस०आई० डी०सी० का क्वार्ट्स क्रिस्टिल और इलैक्ट्रानिक सर्कट बोर्ड ।

केरल

37. कायमकुलम टी० पी० एस०, चरण-I, 2 × 210 मेगावाट ।

38. थटाफ्लाई, केरल में ब्रेक वाटर-बर्थिंग और लैंडिंग सुविधाओं का निर्माण ।

मध्य प्रदेश

39. महेश्वर जल विद्युत परियोजना ।

40. मालन्द खंड तांबा परियोजना, हिन्दुस्तान कॉपर लि० ।

41. जयन्त खुली खदान परियोजना, उत्तरी कोलफील्ड्स लि० ।

42. भिलाई इस्पात संयंत्र की मौजूदा कोक ओवन बैटरी संख्या 10 को दुबारा बनाना/नवीकरण ।

महाराष्ट्र

43. पिम्पल गांव खुली खदान परियोजना, पश्चिमी कोलफील्ड्स लि० ।

44. गेल के०यू०एस०ए०आर० में एल०पी०जी० रिकवरी संयंत्र

45. गेल द्वारा ग्रेटर बम्बई की प्राकृतिक गैस का वितरण ।

46. आर०सी०एफ०, थाल में अतिरिक्त सुविधाओं (अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रो-फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेड और डिमीथाइल एसीमाइड) का सृजन ।

47. सासून डॉक डी० पी० टी० बन्दरगाह क्षेत्र में तटवर्ती सुविधाओं का निर्माण ।

48. डी० पी० टी० के हे-बन्दरगाह शैड संख्या 13 और 14 का पुनर्निर्माण ।

49. इन्दिरा डॉक, बी० पी० टी० में शेड संख्या 14 और 15 का निर्माण ।

1	2
	50. इन्दिरा डॉक और उसके कमीदल के लिए बी० पी० टी० के कन्सट्रक्शन बिल्डिंग एकॉमडेटिंग डाक मास्टर।

मेघालय

51. एस० टी० ओ० एल० विमान पत्तन।

उड़ीसा

52. बेलपखाड़ खुली खदान परियोजना, दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लि०।

53. देवोलबेरा और तलचर भूमिगत परियोजना, एस०ई०सी०एल०।

54. दामजोडी में एल्युमिना रिफाइनरी और नाल्को द्वारा अंगुल में एल्युमिनियम स्मेलटर का विस्तार।

55. भारतीय खाद्य निगम द्वारा तलचर फर्टीलाइजर प्लास्ट का रिहैब्लिटेशन (फेज-I)

56. पाराद्वीप पत्तन में कोयला उठाई-धराई सुविधाएं।

पंजाब

57. गोइन्डवाल साहिब टी० पी० एस० (2 × 50 मे०वा०)।

58. सेमिकन्डक्टर कॉम्पलेक्स लि०, मोहाली द्वारा बी०एल०एस०आई० गढ़ाई सुविधाओं का पुनर्निर्माण।

राजस्थान

59. 160 मेगावाट रामगढ़ सी०सी०जी०पी०।

60. पी०पी०सी०एल० (उर्वरक इकाई) का सलादीपुर फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र।

सिक्किम

61. रोथागचु जल विद्युत परियोजना।

तमिलनाडु

62. दक्षिण भारत विसकोस लि० द्वारा विसकोस स्टेपल फाइबर इकाई का विस्तार।

63. नागापटिनम क्यूड-ए-मिलेड्स में यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए उतरने और बर्थ सुविधाओं की व्यवस्था।

64. मद्रास के उत्तर में सौर पत्तन की स्थापना।

उत्तर प्रदेश

65. गेल के पटना में पैट्रोकैमिकल्स कॉम्पलैक्स।

1	2
	66. मैसर्स व बिरला यामा लि०, लाल टायर द्वारा पोर्टेबलों जेनसैटों और बहुद्देशीय इंजनों को जुटाना ।
	67. आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश में डी०जी० सैट और एअर कम्प्रेसरों की स्थापना ।
	68. आगरा मथुरा भाग के राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लाइनें बनाना ।
पश्चिम बंगाल	
	69. बक्रेश्वर टी० पी० एम०, चरण-II 2 × 210 मेगावाट ।
	70. तिलाबोनी भूमिगत परियोजना, पूर्वी कोलफील्ड्स लि० ।
	71. कलकत्ता पत्तन ट्रस्ट में प्रदेश यातायात प्रबन्ध प्रणाली ।
	72. बकिंघम में पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम तथा भाभा ब्रांच का पेट्रो-कैमिकल कॉम्पलेक्स ।
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	
	73. पोर्ट ब्लेयर के हाड्डु में बर्थ संख्या 3 और 4 का निर्माण ।
	74. पोर्ट ब्लेयर के अबरदीन जेती में रैम्प का निर्माण ।
	75. पोर्ट ब्लेयर में चट्टम कॉजवे के रूट में दो ट्रांजिट गोदामों का निर्माण और उस क्षेत्र का विकास ।
	76 पोर्ट ब्लेयर में फोनिक्स खाड़ी में यात्री हॉल और टिकट काउंटर का निर्माण ।
	77. होप टाउन में खतरनाक कार्बो सेड रैम्प, सम्प और पम्प हाऊस तथा कार्यशाला भवनों का निर्माण ।
	78. हाड्डु, पोर्ट ब्लेयर में गोदाम का निर्माण ।
	79. इन्दिरा प्वाइन्ट में नए रि रेडियो बैकून की स्थापना ।
	80 पोर्ट ब्लेयर में मेरिन डॉक यार्ड पास कार्यशाला शैड का निर्माण ।
	81. पोर्ट ब्लेयर में फाइबर ग्लास नौका के लिए शैड का निर्माण ।
	82. अण्डमान निकोबार में नार्थ चिक द्वीप का में एक ट्रांजिट कैम्प खोलना ।
	83. नार्थ ब्रदर द्वीप में प्रकाशमय बैकन की स्थापना ।
	84. मलक्का में यात्री और कार्बो शैड तथा कार निकोबार द्वीप में टी-टॉप का निर्माण ।
	85. टैरिसा में पत्तन नियंत्रण टावरों यात्री—एवं कार्बो शैड प्रचालन कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण ।
	86. कच्छल में पत्तन नियंत्रण टावर और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण ।

1	2
87.	चौरा में पत्तन नियंत्रण टावर यात्री एवं कार्गो शैड और प्रचालन स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।

दिल्ली

88. बवाना—आधारित विद्युत परियोजना 600 मे० वाट।

89. इन्द्रप्रस्थ विद्युत घर का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण।

समुद्र तट से दूर/अन्तर्राज्य

90. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा द्वितीय बेसिन—हजीरा गैस ट्रंक और हजीरा तट टर्मिनल का विस्तार।

91. गेल द्वारा एच० बी० जे० पाइप लाइन का उन्नयन।

92. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल—भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए तट से दूर तथा दूर ब्लॉक की छानबीन।

93. गेल द्वारा मारुति उद्योग लि० को दिल्ली से गैस पाइप लाइन बिछाना।

94. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आर-51-ए ढांचा (चरण-I) का विकास।

विवरण-II

31-1-1993 की स्थिति के अनुसार लम्बित परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	विलम्ब के कारण
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	रायलसीमा टी० पी० एस० चरण-II, 2 × 21 मे० वा०	दिसम्बर,92	विशेष समिति द्वारा परियोजना पर विचार किया गया।
2.	मनुगुरु शाफ्ट ब्लॉक-I, सिंगरेनी कालीगरीज क० लि०	जनवरी, 93	हाल ही में प्राप्त हुई
3.	डी० पी० टी० के बाहरी बन्दरगाह में बहुद्देशीय बर्थ का निर्णय	जुलाई,92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
4.	बी० पी० टी० के बाहरी बन्दरगाह में एल० पी० जी० उठाई-धराई जेटी का निर्माण	जुलाई, 92	—वही—
	बिहार		
5.	टीस्को का कैप्टिव पावर प्लाण्ट, 67.5 मे० वा०	सितम्बर, 92	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है

1	2	3	4
6.	अमजोर खनन परियोजना, पाइराइट्स, फास्फेट एंड कैमिकल लि०	मई, 88	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
7.	नोमुण्डी लौह अयस्क खान, मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील क० लि०	मई, 90	समिति द्वारा परियोजना पर विचार किया गया।
8.	के० डी० हैसालॉग परियोजना, सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० (विस्तार)	दिसम्बर, 91	ए० एस० आई० से उत्तर की प्रतीक्षा है।
9.	गोमडीह डोलोमाइट क्वाइरी (टीस्को)	जून, 92	अतिरिक्त सूचना प्राप्त होनी है।
10.	चुरी भूमिगत परियोजना, सी० सी० एल०	नवम्बर, 91	वानिकी मंजूरी से जुड़ा हुआ है।
11.	केडला वाशरी परियोजना, सी० सी० एल०	फरवरी, 92	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
12.	केडला खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०	जुलाई, 92	वानिकी मंजूरी से जुड़ा हुआ है।
13.	अशोक खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०		—वही—
14.	कोनार खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०	सितम्बर, 92	वानिकी मंजूरी से जुड़ा।
15.	तुलसी डामर डोलोमाइट खान, स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लि०	अक्तूबर, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
16.	सौन्डा डी० ओ० सी० और यू० जी० परियोजना, सी० सी० एल०	नवम्बर, 92	—वही—
17.	हिन्दगिर खुली खदान परियोजना सी० सी० एल०	जनवरी, 93	हाल ही में प्राप्त
18.	झारखंड खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०	जनवरी, 93	—वही—

1	2	3	4
19.	कावेरी खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०	जनवरी, 93	—वही—
20.	गिडी "ए" खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०	जनवरी, 93	—वही—
	गोवा		
21.	गोवा में पैट्रोलियम सुरक्षा के एक संस्थान का निर्माण	अगस्त, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
22.	चिकोलना, गोवा शिप यार्ड लि० में कर्मचारी आवास कालौनी के निर्माण के बारे में प्रस्ताव	दिसम्बर, 92	—वही—
	गुजरात		
23.	कच्छ टाइडल पावर परियोजना	फरवरी, 90	—वही—
24.	उकाई काकरापार आधुनिकीकरण परियोजना	जनवरी, 91	—वही—
25.	कृभको द्वारा हजीरा ने नाठ नाइट्रो-फास्फेड उर्वरक सयंत्र	मई, 92	समिति द्वारा विचार किया गया।
26.	गेल द्वारा वागोडिया में एल० पी० जी० रिकवरी संयंत्र	नवम्बर, 92	अतिरिक्त ब्यौरे और संशोधित कागजातों की प्रतीक्षा है।
27.	पैट्रोफिल्स कोपरेटिव लि० द्वारा लानधारी गांव में लाइनोन-6, स्पैन्डैक्स यार्न, जियो टैक्सटाइल तथा पोलियस्टर फिलामैन्ट यार्न	दिसम्बर, 92	—वही—
	हिमाचल प्रदेश		
28.	अरकी चूना पत्थर परियोजना, राष्ट्रीय खनिज उत्पाद निगम	नवम्बर, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	कर्नाटक		
29.	सारापडी हाइडल परियोजना	नवम्बर, 92	अत्यधिक सूचना की प्रतीक्षा है।
30.	मालपे मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह में द्वितीय चरण की मछली उतारने की सुविधाओं का निर्माण	मई, 92	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई

1	2	3	4
31.	नए मंगलौर पत्तन में कच्चा पी ओ एल उत्पादों की उठाई-धराई के लिए पत्तन सुविधाएं	नवम्बर, 92	—वही—
32.	उद्रेमुख में खनन सुविधाओं का विस्तार	मई, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	केरल		
33.	न्यूजप्रिंट नगर (कोटायम) में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० का डि-इंकिंग संयंत्र	नवम्बर, 92	समिति द्वारा विचार किया गया है।
34.	पुनापरा, केरल में मछली उतारने के केन्द्र का निर्माण	अप्रैल, 92	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्ति हुई है।
35.	उत्तर दिशा में 123.3 मीटर की ओर अरुणाकुलम वार्फ का विस्तार	जुलाई, 92	—वही—
	मध्य प्रदेश		
36.	ग्वालियर के पास गैस आधारित विद्युत परियोजना, 817 मे० वा० एम० पी० इ० बी०	अक्तूबर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना पर विचार किया गया।
37.	मोगरा परियोजना	जनवरी, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
38.	बारगी डाइवरजन परियोजना	अगस्त, 92	कमाड क्षेत्र विकास, पुर्नवास आदि के बारे में मांगे गए अतिरिक्त ब्यौरे।
39.	रावघाट लौह अयस्क परियोजना, भिलाई इस्पात संयंत्र	जून, 87	उप समिति की अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
40.	शीतल धारा भूमिगत परियोजना दक्षिण पूर्वी कोलडफील्डस लि० (एस० सी० सी० एल०)	नवम्बर, 91	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है।
41.	डिपोजिट सं०: 10/11 ए और 11 बी० बेलाडेला लौह अयस्क परियोजना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	फरवरी, 92	वानिकी मंजूरी से जुड़ा।

1	2	3	4
42	कचमरी खुली खदान खान, एस० ई० सी० एल०	जुलाई, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
43.	मध्य प्रदेश में 60,000 टी० पी० ए० तांबा प्रगालक की स्थापना करने सहित मालंजखड तांबा डिपोजिट का अधिकतम दोहन	जुलाई, 92	—वही—
44.	अमलाई खुली खदान परियोजना दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड लि०	जनवरी, 93	हाल ही में प्राप्त
45.	बिना खुली खदान परियोजना उत्तरी कोलफील्ड लि०	जनवरी, 93	—वही—
46.	करकटी भूमिगत परियोजना (नवगांव और राजेन्द्र)	जनवरी, 93	—वही—
	महाराष्ट्र		
47.	मानिकगढ़ सीमेण्ट कम्पनी का कैप्टिव विद्युत संयंत्र 2 × 5 मे० वा०	दिसम्बर, 92	परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
48.	बम्बई मलजल निपटाना परियोजना	जनवरी, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचारार्थ तैयार
49.	कसालकुण्डे, तालूका कुडाल, जिला सिन्दुदुर्ग में विमान पत्तन का निर्माण	जुलाई, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
50.	बम्बई में नेशनल सेन्टर फार दि परफॉरमिंग आर्ट्स द्वारा ड्रामा ओपेरा थियेटर का निर्माण	नवम्बर, 92	अतिरिक्त सूचना हाल ही में प्राप्त हुई।
51.	पोत यातायात प्रबन्धन प्रणाली के लिए नियंत्रण कक्ष बनाने के लिए बलार्ड पायर टर्मिनल भवन के ऊपर अतिरिक्त फर्मों के निर्माण के लिए सी० आर० जेड० के अन्तर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अनुरोध	दिसम्बर, 92	—वही—
	उड़ीसा		
52.	उड़ीसा सैन्ड्स कॉम्पलैक्स, छत्तरपुर गंजम में नयाथारीयम संयंत्र	नवम्बर, 91	संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

1	2	3	4
53.	समेकित एल्युमिनियम कॉम्पलैक्स विस्तार, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कं० लि० (नालको)	जनवरी, 92	वानिकी मंजूरी से जुड़ा हुआ।
54.	सरगपिल्ली सीसा खान परियोजना हिन्दुस्तान जिंक लि०	जुलाई, 92	पूरी सूचना की प्रतीक्षा है।
55.	ठकुरानी लौह अयस्क फेरो एलाए निगम लि०	नवम्बर, 92	समिति द्वारा परियोजना पर विचार किया गया है।
	पंजाब		
56.	सी० सी० आई० द्वारा भटिण्डा में सीमेन्ट पिसाई यूनिट	दिसम्बर, 92	—वही—
	राजस्थान		
57.	धौलपुर टी० पी० एस० 3 × 250 मे० वा० राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	मई, 91	विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।
58.	सलादीपुरा पाइराइट्स खनन परियोजना, पाइराइट्स, फास्फेट एंड कैमिकल लि०	सितम्बर, 88	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
	सिक्किम		
59.	तिस्ता जल विद्युत परियोजना	नवम्बर, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	तमिलनाडु		
60.	उत्तरी मद्रास टी० पी० एस० 1 × 500 मे० वा० तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	नवम्बर, 92	परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
	उत्तर प्रदेश		
61.	भारत एक्सप्लोसिव लि० द्वारा ललितपुर में एल० जी० आधारित एक्सप्लोसिव संयंत्र	मार्च, 92	जोखिम की मात्रा से सम्बन्धित रिपोर्ट सहित अतिरिक्त ब्यौरों की प्रतीक्षा है।
62.	बिंदल एग्रो कैमिकल लि० द्वारा शाहजहांपुर में नाइट्रोजनिंग उर्वरक संयंत्र	दिसम्बर, 92	समिति द्वारा विचार किया गया।

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
63.	मैथन लैफ्ट बैंक टी० पी० एस०, 4 × 210 मे० वा० डी० वी० सी०	सितम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना विचारार्थ तैयार
64.	बकरेश्वर जलाश्य स्कीम	दिसम्बर, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
65.	आमबाड़ खुली खदान परियोजना पूर्वी कोल फील्ड लि०	फरवरी, 91	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है
66	चिनाकुरी 1 और 2 खान, ई० सी० एल०	नवम्बर, 91	परियोजना में अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की पुष्टि की प्रतीक्षा है।
67.	झान्जरा भूमिगत परियोजना ई० सी० एल०	जनवरी, 93	हाल ही में प्राप्त
	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह		
68.	कालपोंग जल विद्युत परियोजना	सितम्बर, 92	विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ परियोजना तैयार है।
69.	इन्टरव्यू आयरलैण्ड में नई रोशनी युक्त बेकन की स्थापना	जून, 92	पूरी सूचना की प्रतीक्षा है।
70	निकोबार में चौरा द्वीप में छोटा पशु चिकित्सा संस्थान का निर्माण	नवम्बर, 92	स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
71.	उल्लास तथा मध्य अण्डमान के बीच आस्टिल स्ट्रेट वाहन फैरी जेटी के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी	दिसम्बर, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
	दमन और द्वीव		
72.	दमन में वन्डर वर्ड सैरगाह	सितम्बर, 92	—वही—
73	दमन में समुद्र तट पर "होटल सी व्यू" सैरगाह	अक्तूबर, 92	पूरी सूचना की प्रतीक्षा है।
	दिल्ली		
74.	तुगलगाबाद में इंलैण्ड कन्टेनर डिपो का निर्माण	जनवरी, 92	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
	लक्षद्वीप		
75.	कवराटी में स्थायी बंकर सुविधाएं	सितम्बर, 92	तटवर्ती क्षेत्र प्रबन्धन योजना से संबंधित सूचना की प्रतीक्षा है।
	अन्तर राज्य परियोजना		
76	कोंकण रेलवे परियोजना	अप्रैल, 92	विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर रेल मंत्रालय की टिप्पणी की प्रतीक्षा है।

सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार से लिए गए नमूने

131. श्री जीवन शर्मा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार से खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम के अन्तर्गत कितने नमूने जांच के लिए गए और जांच के लिए भेजे गए हैं;

(ख) उनमें से कितने मामलों में मिलावट पाई गई है अथवा घटिया और मनुष्य के उपभोग के लिए अयोग्य पाए गए हैं;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गत 3 वर्षों के दौरान सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार में से प्रत्येक के 8 नमूने लिए गए थे। सुपर बाजार के मामले में एक नमूने को अपमिश्रित तथा एक को गलत ब्रांड दिया गया था। केन्द्रीय भंडार के मामले में 2 नमूनों को अपमिश्रित पाया गया था। दिल्ली प्रशासन खाद्य अपमिश्रित निवारण अधिनियम के संगत उपबंधों के तहत कार्यवाही कर रहा है।

आम अनुसंधान केन्द्र

132. श्री सुधीर सावंत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कुगड़ में कोई आम अनुसंधान केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां पर ऐसा कोई केन्द्र स्थापित करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

"खनन कम्पनियों के लिए विधान"

133. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :**
डा० सुधीर राय :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री हाराधन राय :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खानों के मुहानों को भरने तथा मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए खनन क्षेत्रों में पेड़ लगाने हेतु खनन कंपनियों के लिए वर्तमान मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किए जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस विधान को कब से लागू कर दिया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (च) भारत सरकार ने पर्यावरणीय प्रबन्ध को खनन कार्य के साथ समन्वित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनसे अन्य बातों के अलावा, खान वाले गड्ढों को फिर से भरने और खनिज क्षेत्रों को फिर से हरा-भरा बनाने का कार्य शामिल है।

खनन परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित शर्तों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और जब कभी इनमें कमी पाई जाती है, इसे सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारियों/राज्य सरकार, जैसा मामला हो, के ध्यान में लाया जाता है। कार्यान्वयन के दौरान आने वाली किसी समस्या का समाधान करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखा जाता है।

पर्यावरणीय शर्तों के किसी भी उल्लंघन से निपटने के लिए विद्यमान अधिनियमों में पर्याप्त कानूनी प्रावधान विद्यमान है।

रेलवे सम्पत्ति को क्षति

134. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में हाल के साम्प्रदायिक दंगों के कारण रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई है; और

(ख) ऐसी क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) बम्बई में हाल के सांप्रदायिक दंगों के कारण रेल संपत्ति को कुल लगभग 5.74 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस/सिटी पुलिस और नागरिक प्रशासन के समन्वयन से संवेदनशील स्थलों की चौकसी के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है।

"पर्यावरण और वन मन्त्रालय में कर्मचारियों की संख्या"

†135. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री एन० जे० राठवा :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में कर्मचारियों की संवर्गवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक संवर्ग में आरक्षण की प्रतिशतता में कमी, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया रिक्तियों के भरने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क), से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) सीधी भर्ती कोटे के तहत बकाया रिक्तियों को भरने का लक्ष्य 31 मार्च, 1992 रखा गया था। तथापि, कतिपय अपरिहार्य अड़चनों के कारण पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। शेष रिक्तियों को भरने के प्रयास जारी हैं।

विवरण

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कमी की प्रतिशतता	
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
वर्ग "क"	175	12	6	8.14	4.07
वर्ग "ख"	241	27	4	3.80	5.84
वर्ग "ग"	291	30	9	4.66	4.40
वर्ग "घ"	229	100	19	—	—

गांधीवाद आदर्शों को प्रोत्साहन देना

†136. श्री राम विलास पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गांधीवाद आदर्शों के प्रोत्साहन देने तथा दलित वर्गों के उत्थान में संलग्न-संगठनों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन संगठनों/संस्थाओं को वार्षिक केन्द्रीय अनुदान यदि कोई दिया गया है, तो वह कितना दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन संगठनों/संस्थाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए उनके कार्यकरण का आकंलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन संगठनों/संस्थाओं में यदि कोई कमियां हैं, तो क्या क्या हैं; और

(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में उचित दर की दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपुओं के लिए लाइसेंस

137. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उचित दर की दुकानों और मिट्टी तेल के डिपुओं के लिए अब तक कितने-कितने लाइसेंस जारी किए गये हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अब तक कितने-कितने लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए इन लाइसेंसों/दुकानों/डिपुओं के आवटन में कोई आरक्षण है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

138. **कुमारी विमला वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री 14 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नए कार्यालयों के स्थान के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस संगठन ने तीन नए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित स्थानों का पता लगाया है—

—देहरादून

—जबलपुर

—बंगलौर

[अनुवाद]

"अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजना"

139. **श्री हरिन पाठक** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाए गए इन इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा है तथा इसका वित्तपोषण किस प्रकार किया जाएगा;

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राज्यों के परामर्श से प्रदूषण की मात्रा के आधार पर 19 क्षेत्रों की अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में शिनाख्त की है। इन क्षेत्रों के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

1. पावानू (हिमाचल प्रदेश) 2. कलाम्ब (हिमाचल प्रदेश) 3. हावड़ा (पश्चिम बंगाल) 4. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) 5. धनबाद (बिहार) 6. तलचेर (उड़ीसा) 7. विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) 8. कोरबा (मध्य प्रदेश) 9. मनाली—मद्रास (तमिलनाडु) 10. भद्रावती (कर्नाटक)

11. सिगरौली (उत्तर प्रदेश) 12. पाली (राजस्थान) 13. नॉर्थ आर्कोट (तमिलनाडु) 14. गोबिन्दगढ़ (पंजाब) 15. वापी (गुजरात) (16) चेम्बूर (महाराष्ट्र) 17. ग्रेटर कोचीन (गुजरात) 18. नजफगढ़ (दिल्ली) और (19) डिगबोई (असम)

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा प्रदूषण की समस्याओं का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इस क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है और पर्यावरण को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए 16 क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ग) अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के उपशमन के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है

(घ) 1992-93 की वार्षिक योजना और आठवीं योजना अवधि के लिए कुल परिव्यय क्रमश: 13.60 करोड़ रुपए और 98.00 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्यवार धन आबंटन राज्यों से प्राप्त मांगों और उन्हें निर्मुक्त की गई राशि के उपयोग पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

"राजस्थान में वन प्रशासन पर व्यय"

140. श्री भेरूलाल मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वनों के विकास और संरक्षण पर कितना प्रशासनिक व्यय किया जाता है; और

(ख) मूल आधार पर राज्य के वन विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मार्केट इंटरवेंशन स्कीम

141. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों की बाजार में विद्यमान मूल्यों पर खरीद हेतु पूर्व-निर्धारित तथा समर्थन मूल्य की अपेक्षा बाजार भाव खरीद योजना (मार्केट इन्टरवेंशन स्कीम) शुरू की है;

(ख) क्या यह योजना जल्दी खराब होने वाले फलों तथा सब्जियों पर भी लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिकतम मूल्य इन उत्पादों के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा; और

(घ) इससे किसानों तथा उपभोक्ताओं को कितना लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) सरकार ने इस प्रकार

की मंडी में हस्तक्षेप करने की कोई योजना आरम्भ नहीं की है। वैसे, जब कभी किसी राज्य सरकार से शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के मूल्य गिरने और मजबूरी में बिक्री करने की संभावना के बारे में कोई प्रस्ताव मिलता है तो संगत पहलुओं अर्थात् मंडी में चल रहे मूल्यों, वस्तुओं के उत्पादन की लागत, पिछले वर्षों के मूल्यों आदि को मामला प्रति मामला के आधार पर ध्यान में रखते हुए एक लक्षित मात्रा की खरीद हेतु राज्य सरकार के साथ परामर्श करके मंडी में हस्तक्षेप करने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस कार्य में होने वाली हानि, यदि कोई हो तो, केन्द्रीय और राज्य सरकार 50 : 50 के आधार पर वहन करती हैं।

नई दिल्ली से बंगलौर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस

142. **श्री डा० फी० मुदालगिरियप्पा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से बंगलौर जाने वाले यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए नई दिल्ली और बंगलौर के बीच सिकन्दराबाद से होकर सप्ताह में तीन दिन राजधानी एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिला उपभोक्ता मंच

143. **डा० ए० के० पटेल :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वर्ष 1992 के दौरान, राज्य-वार, कितने जिला उपभोक्ता मंच स्थापित किए गए;

(ख) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मंच स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री और वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार 360 जिला उपभोक्ता मंच कार्य कर रहे थे। वर्ष 1992 में बिहार (9), हरियाणा (14), हिमाचल प्रदेश (11), कर्नाटक (16), केरल (11), नागालैंड (7), सिक्किम (4), पश्चिम बंगाल (14) तथा दिल्ली 1—अतिरिक्त जिला मंच) में कुल मिलाकर 87 और जिला मंचों ने काम करना आरम्भ कर दिया है। इसके अलावा, मेघालय में 5 जिला मंचों को अधिसूचित किया जा चुका है तथा पंजाब (2) तथा अरुणाचल प्रदेश (1) में और जिला मंचों के

लिए स्वीकृति दी गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जिला मंच गठित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए कोई सहायता नहीं देती है।

[हिन्दी]

नेपाल सीमा को रेल सुविधाएं

144. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सीमा को जोड़ने वाली टनकपुर, पीलीभीत, लखीमपुर-लेहिरी तथा शाहजहांपुर के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन पर चलने वाली विद्यमान रेलगाड़ियों की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन भागों में छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

बैतारी-बांसपनी रेल लाइन

145. **श्री सुबास चन्द्र नायक** :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उड़ीसा में बैतारी से बांसपनी तक जाखपुरा बांसपनी रेल लाइन बिछाने/निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या उपरोक्त रेल लाइन को आठवीं योजना के दौरान प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित पुनरीक्षित लागत कितनी है और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) लागत 243 करोड़ रुपये । 1992-93 के लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं ।

(घ) प्रारम्भिक निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ।

[हिन्दी]

मूर्तियों की चोरी

146. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान कीमती मूर्तियों तथा अन्य वस्तुओं की चोरी से संबंधित कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इनमें से कितने मामले सुलझा दिये गये हैं और कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार ने ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 1992 में 428 मामले थे, जिनमें 1153 मूर्तियों और अन्य वस्तुओं की चोरी के मामले हैं। इसमें से 370 मूर्तियां और अन्य वस्तुएं प्राप्त कर ली गई थीं । जनवरी, 1993 तक 7 मामले थे, जिनमें 20 मूर्तियों और अन्य वस्तुओं की चोरी शामिल है । इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) संबंधित केन्द्रीय और राज्य पुलिस एजेन्सियों द्वारा प्रथम सूचना रपट लिखाई गई है तथा छानबीन की जा रही हैं । केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और संग्राहालयों में पहरा-निगरानी और चौकसी का देखरेख करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हर मंडल में सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं । इसके अलावा, देश के महत्वपूर्ण स्मारकों और संग्रहालयों में सशस्त्र पुलिस गार्ड तैनात किए गए हैं । 1994 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में केन्द्रीय जांच एकक (पुरा वस्तु) का सर्जन किया गया है, ताकि तस्करी का प्रभावी रूप से जांच की जा सके तथा पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के अवैध व्यापार को रोका जा सके ।

[अनुवाद]

डेयरी उद्योग में लाइसेंस प्रणाली

147. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने डेयरी उद्योग में लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने के प्रभाव और दूध और दुग्ध उत्पादन नियंत्रण आदेश, 1992 के माध्यम से निजी क्षेत्र के डेयरी एककों पर विनियमों को लागू करने से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से उनके दृष्टिकोण मांगे गए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दुग्ध और दुग्धोत्पाद आदेश, 1992 की घोषणा से पहले दुग्ध और दुग्धोत्पाद आदेश जारी करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था। प्रायः राज्य सरकारों, जिन्होंने इन प्रस्तावों का उत्तर दिया, को आदेश की घोषणा करने में कोई आपत्ति नहीं थी।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की खरीद का लक्ष्य

148 **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार गेहूं और चावल के खरीद का निर्धारित लक्ष्य इस वर्ष क्या है और कहां तक इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है और होने की आशा है; और

(ख) इस संबंध में विगत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) चूंकि मूल्य समर्थन योजना के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और धान की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और मिल-मालिकों/व्यापारियों से लेवी चावल की वसूली उनके द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए गेहू और चावल की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। 1992-93 के वर्तमान रबी और खरीफ विपणन मौसमों के दौरान 18-2-93 तक क्रमशः 63.80 लाख मीटरी टन गेहूं और 103.46 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली कर ली गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन विपणन मौसमों और वर्तमान विपणन मौसम के दौरान वसूल किए गए गेहूं और चावल की राज्य-वार मात्राओं का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) और गेहूं की राज्यवार वसूली बताने वाला विवरण (विपणन मौसम के अनुसार)

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल				गेहूं			
	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93*	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2490	3335	2261	1849	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	नग०	नग०	नग०	—	—	—	—
असम	5	7	6	6	—	—	—	—
बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—
गुजरात	26	20	11	11	—	—	—	—
हरियाणा	983	1063	919	874	1971	2595	1834	1372
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	1	—	—
जम्मू और कश्मीर	6	7	3	—	—	नग	—	—
कर्नाटक	156	146	115	85	—	—	—	—
केरल	—	—	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	342	631	404	414	—	नग०	—	नग०

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	नग	23	52	47	—	—	—	—
उड़ीसा	235	214	266	209	—	—	—	—
पंजाब	4983	4821	4249	4741	5600	6749	5543	4489
राजस्थान	35	28	20	19	106	135	7	22
तमिलनाडु	950	899	997	873	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	1516	1347	831	1066	1265	1583	368	497
पश्चिम बंगाल	102	103	79	122	—	—	—	—
अ० और नि० द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	26	21	24	22	—	2	—	—
दिल्ली	6	6	5	5	—	—	—	—
पांडिचेरी	6	5	5	3	—	—	—	—
अखिल भारत	11867	12676	10247	10346	8942	11065	7752	6380

विपणन मौसम : अक्तूबर – सितम्बर
(चावल)

* – 18-2-1993 को स्थिति के अनुसार
नग० – 500 मीटरी टन से कम

विपणन मौसम : अप्रैल – मार्च
(गेहूं)

[अनुवाद]

बिना चौकीदार के रेल फाटक

149. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जोन-वार और विशेष रूप से असम में कितने रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त नहीं हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार की ओर से पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) ये प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित कर दिए जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) (i) महाराष्ट्र	8
(ii) मध्य प्रदेश	4
(iii) उत्तर प्रदेश	3
(iv) राजस्थान	3
(v) हरियाणा	2
(vi) पंजाब	3
(vii) हिमाचल प्रदेश	3

(ग) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा किए गए प्रस्तावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

लुधियाना-हिसार खंड पर गिल और लुधियाना के बीच समपार सं० 3 ए और 3 बी के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए गए दो प्रस्तावों के 31-7-93 तक पूरा हो जाने की सभावना है बशर्ते कि पार्टी द्वारा शेष लागत का भुगतान कर दिया जाए।

शेष प्रस्तावों अर्थात् राजस्थान 3, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 3 और पंजाब 1, में राज्य सरकार द्वारा लागत जमा कराने की प्रतीक्षा की जा रही है और धन जमा कराने के बाद इन्हें आरंभ कर दिया जाएगा।

विवरण

क्षेत्र	देश में और विशेषकर असम में बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों की जोनवार संख्या
1	2
मध्य	1382
पूर्व	736
उत्तर	4542

1	2
पूर्वोत्तर	2579
पूर्वोत्त सीमा	1701 (असम=824)
दक्षिण	2510
दक्षिण मध्य	2158
दक्षिण पूर्व	3393
पश्चिम	4176
जोड़	23177

औरंगाबाद-जालना सेक्शन

150. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद-जालना के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) इस खण्ड (63 कि० मी०) पर निर्माण कार्य की प्रगति 85% है। आमान परिवर्तन-ब्लाक पर 15-2-93 को यातायात शुरू कर दिया गया है।

(ग) निर्माण कार्य 31 मार्च, 1993 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

खाद्य संकट से निपटने के लिए नई योजनाओं का विकास

151. **डा० लाल बहादुर रावत** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार एक नई प्रौद्योगिकी विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में होने वाले पूंजी-निवेश में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) महोदय, खाद्य उत्पादन की मात्रा में अधिक वृद्धि के लिए फसल की किस्मों और उत्पादन से संबंधित एकमुश्त कृषि क्रियाओं का विकास किया जा रहा है जो बारानी क्षेत्रों, तटवर्ती इलाकों, पर्वतीय क्षेत्रों और इस तरह के दूसरे कठिन पारिस्थितिकियों में नये फसल क्रमों के लिए उपयुक्त हो सके। इस तरह नए फसल क्रमों से फसल और क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए टिश्यू-कल्चर और पौधे तथा पशु जैव-प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर आधारित केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है जो 1986-87 में जहां 4014 करोड़ रु० था, वह बढ़कर 1991-92 में 4580 करोड़ रु० हो गया (शीघ्र आकलन) यह वर्ष 1980-81 के मूल्यों के आधार पर है।

काली मिर्च की खपत

152. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय काली मिर्च के वर्तमान अलाभप्रद मूल्यों को ध्यान में रखते हुए देश में इसकी खपत को बढ़ाने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) भारतीय काली मिर्च की खपत आमतौर पर रोजाना की खपत में इस वस्तु के लोगों की पसन्द पर निर्धारित होती है। यह एक आवश्यक वस्तु नहीं है, अतः इसे लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा दखल देने की बात को अभी तक वांछनीय नहीं समझा गया है। इस तथ्य के बावजूद कि गत कुछ वर्षों के दौरान भारतीय काली मिर्च के उत्पादन में गिरावट आ रही है, उनके खुले बाजार के मूल्यों में भी काफी गिरावट हुई है। इस वस्तु के निर्यात में भी, पूर्वी यूरोप के देशों में अनिश्चितता की स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अधिक आपूर्ति होने के कारण मूल्यों में कमी की वजह से गत 3 वर्षों के दौरान मात्रा तथा मूल्य दोनों रूपों में गिरावट आई है। सरकार ने देश में काली मिर्च के मूल्यों को स्थिर करने की दृष्टि से पहले ही इसके भावी सौदा व्यापार की अनुमति दे दी है।

"गुजरात में अतिक्रमण की गई वन भूमि का विनियमन"

153. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से अतिक्रमण की गई वन भूमि को विनियमित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य सरकार से राज्य के 8 जिलों में वन भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को को नियमित करने के उद्देश्य से 10,900 है० वनभूमि के अनारक्षण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रस्ताव की जांच करने के बाद राज्य सरकार से कुछ वांछित विवरण मांगे गये हैं।

[हिन्दी]

"विकास परियोजना के लिए वन विभाग से स्वीकृति"

154. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 के अंतर्गत मन्त्रालय द्वारा राज्यवार प्रत्येक वर्ष कौन-कौन सी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) सरकार के पास कौन-कौन सी धिकास परियोजनाएं आज तक स्वीकृति के लिये लम्बित हैं तथा प्रत्येक मामलों में राज्यवार कितने वन भूमि का उपयोग दूसरे कार्य के लिए किया जाएगा;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लम्तित हैं और इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-1)।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-2)।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सभी अनिवार्य ब्यौरे प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए उनकी शीघ्र जांच की जाती है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रस्ताव का नाम
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1. डिकरांग बिजली-घर से बिलियारा सब-स्टेशन तक 400 कि० वा० की डी० सी० ट्रांसमिशन लाइन।
2.	आन्ध्र प्रदेश	1. बूचड़खाने का निर्माण।
		2. हवाई अड्डा प्राधिकारियों द्वारा सौर विद्युत लाइटों का निर्माण।

1	2	3
		3. मैसर्स भारत गोल्ड माइन्स को सोने और चांदी के लिए खनन पट्टा (10 वर्ष)
3.	असम	1. चन्द्रपुर ताप बिजलीघर से सरिस्काओं तक 200 कि० वा० की डी० सी० ट्रांसमिशन लाइन।
		2. लांगयी से गुवाहाटी तक 200 कि० वा० लाइन।
		3. एलाकटी से एजिया तक 200 कि० वा० डी० सी० ट्रांसमिशन।
		4. कामरूप और कोलपारा जिले में ओगीचोपा कामाख्या से नई बड़ी लाइन।
4.	बिहार	1. 400 कि० वा० की जमशेदपुर से राउरकेला तक। ट्रांसमिशन लाइन
		2. 200 कि० वा० की लाइन बिछाना।
		3. हजारीबाग जिले में सी० सी० एल० की पीपरवाड़ कोयला परियोजना के लिए भूमि।
5.	बिहार	1. पहुंच मार्ग।
		2. सड़क का निर्माण।
		3. 85/500 किलोमीटर पर दीवार।
6.	गुजरात	1. गालीकुंड क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना से पाइप बिछाना।
		2. निमेता में शाखा नहर का निर्माण।
		3. बिखरे पत्थरों का संग्रहण।
		4. नाहरा शाखा नहर का निर्माण।
		5. मिआगम्मा शाखा नहर।
		6. गुजरात राज्य अनुरक्षण केन्द्र। के लिए शिविर
		7. नर्मदा परियोजना पर सकरदा शाखा का निर्माण।
		8. ग्राम सोसोड में लुवारा शाखा नहर का निर्माण।
		9. बड़ौदा शहर के लिए जल पाइप लाइन।
		10. सड़क का निर्माण।
		11. अम्बेश्वर शाखा नहर।
		12. ग्राम तनकेरिया में लबार शाखा नहर।
		13. सिंचाई/पेयजल पाइप लाइन बिछौना।

1	2	3
		14. ग्राम टागसा में शाखा नहर।
		15. पिक-अप बंधारा का निर्माण।
		16. साकरडा शाखा नहर।
		17. मुख्य नहर का निर्माण।
		18. मन्तल, प्रयोजनों के लिए भूमि।
		19. पी० टी० ग्राम चंटे का निर्माण।
		20. 66 कि० वा० रवारी देवगढ़ बिजली लाइन।
		21. 11 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन।
		22. 11 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन।
		23. सड़क का निर्माण।
		24. सुखी नहर कार्य का निर्माण।
		25. ग्राम कपासिया में एम आई पी का निर्माण।
		26. 204/0 से 208/0 किमी० तक एन० एच०-8 के 4 लेनों के लिए भूमि।
		27. कामपुरा में एम० आई० स्कीम का निर्माण।
		28. डांग जिले में बगाइया से अहवा तक 66 कि० वा० विद्युत लाइन।
		29. गब्बरवाली नदी पर गब्बरवाली पुल का निर्माण।
		30. बानसकांठा जिले में चित्रसनी—बलराम-खानपुर अलीयरी सड़क।
		31. चेक पोस्ट से सरवारपुर तक भूमिगत पाइपलाइन।
		32. मेहसाना-अहमदाबाद सड़क के साथ जलापूर्ति स्कीम।
		33. समलकारे ओका मन्डल तक जल पाइप लाइन बिछाना।
		34. छोटे चेक बांध का निर्माण।
		35. पहुंच मार्ग का निर्माण।
		36. नामारीर्षा नहर का निर्माण।
		37. पुरातत्व वैज्ञानिक खुदाई।
7.	हिमाचल प्रदेश	1. बारलाघाट में सीमेंट संयंत्र की स्थापना।
		2. टहटोली-स्टैडली सड़क।

1	2	3
		3. लसोटा-डेरा कबर आर० ई० सी० परियोजना से 22 कि० वा० एच० टी० लाइन ।
		4. रज्जुमार्ग की स्थापना ।
		5. निरीक्षण झोपड़ी का निर्माण ।
		6. भूकम्पीय वेधशाला की स्थापना ।
		7. एस० एस० बी० के कम्पनी मुख्यालय का निर्माण ।
		8. श्री नैना देवी मन्दिर में रज्जुमार्ग की स्थापना ।
8.	हरियाणा	1. एल० पी० जी० गोदाम ।
		2. बिक्री कर बैरियर के लिए उप सड़क का निर्माण ।
		3. द्राव्रयत पल्ली सड़क के साथ-साथ निकास नाले का निर्माण ।
		4. राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक सड़क के जंक्शन में वनभूमि का प्रयोग ।
		5. अम्बाला कालका सड़क से 44.319 कि० मी० जंक्शन में सुधार ।
		6. एन० डी० एफ० सी० मलजल निकास नाले का निर्माण ।
		7. गैस पर आधारित परियोजना (फरीदाबाद) ।
9.	मध्य प्रदेश	1. एन० सी० एल० लिमिटेड जयन्त परियोजना द्वारा कोयला खनन के लिए भूमि ।
		2. ग्रामीण लोगों के पुनर्वास के लिए बन्धोगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार ।
		3. मैसर्स मेहर सीमेंट कम्पनी की चूने के पत्थर का खनन पट्टा ।
		4. मैसर्स मेहर सीमेंट कम्पनी के लिए कन्वेयर प्रणाली का निर्माण ।
		5. मैसर्स मेहर सीमेंट कम्पनी को चूने के पत्थर का खनन पट्टा ।
		6. —वही—
		7. —वही—
		8. लोअर सिरपानी परियोजना ।
		9. पत्थर उत्खनन के बाण सागर परियोजना ।
		10. वारदे टैंक ।
		11. काठोंसिया टैंक ।

1	2	3
		12. अमझर टैंक।
		13. सोनापुर टैंक।
		14. गुड़ीखेरा टैंक परियोजना।
		15. विस्थापितों का पुनर्वास।
		16. रामपुर टैंक परियोजना।
		17. अपादीही टैंक परियोजना।
		18. बोदरा अंधा टैंक परियोजना।
		19. परसोरा टैंक।
		20. पिपलाई टैंक परियोजना।
		21. खनन के लिए मैसर्स खजुराहो मिनरल्स छत्रपुर को भूमि।
		22. तामिया टैंक परियोजना।
		23. 400 कि० वा० बीना मालनपुर लाइन।
		24. जाझरपुर टैंक।
		25. बगदौर टैंक परियोजना।
		26. बकरकट्टा टैंक परियोजना।
		27. मैसर्स नर्मदा टाइल्स को चिकनी मिट्टी खनन।
		28. हवाई पट्टी का विस्तार।
		29. जगोटी नाला स्कीम।
		30. मैसर्स मेहर सीमेंट द्वारा पहुंच मार्ग।
		31. एस० ई० सी० एल० द्वारा चिरीमिरी कोलियरी।
		32. सफेद मिट्टी की खुदाई।
		33. एस० ई० सी० एल० द्वारा सब-पावर सर्विस स्टेशन का निर्माण।
		34. मूल बीज बहु-प्रजनन और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
		35. ओमडी-जैतगढ़ सिंचाई टैंक।
		36. बोरगवा – पाल्पुर सड़क।
		37. निरन्दपुर टैंक।
		38. झिरिया टैंक परियोजना।
		39. मै० त्रिशूल टाइल्स वर्क्स को खनन पट्टे का नवीकरण।

1	2	3
		40. अस्ता-कनोड, कनोड सतवास धासड सड़क ।
		41. कोटिया-झीरी टैंक परियोजना ।
		42. नगरी टैंक परियोजना ।
		43. अमडेनिया दिवपरिवर्तन स्कीम ।
		44. डाइस्पोर फ्रोफीलाइट के खनन के लिए मैसर्स इस्टर्न मिनरल्स को पट्टे का नवीकरण ।
		45. सिंहपुर फील्ड फायरिंग रेंज ।
		46. खंडवा जिले में तलियाखा-खिसकिया रेलवे लाइन का निर्माण
10.	महाराष्ट्र	1. पेयजल पाइप लाइन बिछाना ।
		2. विद्यालय भवन ।
		3. परकोलेशन टैंक का निर्माण ।
		4. टोरना नदी परियोजना ।
		5. ग्राम हेदावली में 400 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन ।
		6. 220 कि० वा० दोहरी सर्किट लाइन ।
		7. घाटघर पम्प भंडारण स्कीम ।
		8. ऊपरी प्रवारा-नीलावैड्स एम० आई० टैंक ।
		9. संगवी में लघु सिंचाई टैंक ।
		10. बाघुर नदी परियोजना ।
		11. भूमिगत पाइप लाइन बिछाना ।
		12. दिहाली मझौली परियोजना के निर्माण के लिए पत्थर उत्कर्षण ।
		13. ग्राम अम्बट में 11 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन ।
		14. खड़खड़ स्टेशन तक 400 कि० वा० पाइप लाइन ।
		15. ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम ।
		16. जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाना ।
		17. ग्राम सिमूहोरा से निम्भी तक पहुंच मार्ग का निर्माण ।
		18. पर्यटकों के लिए आठ मौसमी स्टालों का निर्माण ।
		19. कोंकण रेलवे का निर्माण ।
		20. 500 कि० वा० एच० वी० डी० सी० चन्द्रपुर पदाघा ट्रांसमिशन लाइनें ।

1	2	3
		21. पेयजल आपूर्ति स्कीम के लिए वेना झील।
		22. चपडाह मझौली टैंक परियोजना।
		23. देवगांव टैंक परियोजना।
		24. परभणी जिले में भाटेगाम शाखा नहर का निर्माण।
		25. चन्द्रपुर जिले में मानिकगढ़—चन्दूर की बाई-पास रेल लाइन का निर्माण।
		26. जलगांव जिले में तालुका चोपाडा ग्राम बोराजन्ती में पी० टी०।
		27. धुले जिले में रन्धरमती चापडी—केवाडी सड़क का निर्माण।
		28. तलवाहे में जलापूर्ति स्कीम।
		29. बोरकर में पेयजल आपूर्ति स्कीम।
		30. इकलाहोर से टाकली तक 132 कि० वा० लाइन बिछाना।
		31. राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17, आरप से पतरादेवी तक सड़क का निर्माण।
		32. धोरजी में परकोलेशन टैंक।
		33. बेलपोरा मझोली सिंचाई परियोजना के लिए पुच्छ नहर प्रयोगशाला एवं भंडार शेड।
		34. जलापूर्ति स्कीम के लिए पाइप लाइन बिछाना।
		35. महूर में आटो-रिपीटर स्टेशन।
		36. ग्राम सुकली में 11 कि० वा० लाइन बिछाना।
		37. पाइप लाइन बिछाना।
		38. ईसापुर दाहिना किनारा नहर का निर्माण।
		39. कुएं का निर्माण और पेयजल आपूर्ति स्कीम का विस्तार।
		39. (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-17 आरप से पतरादेवी तक सड़क का निर्माण।
		40. 400 कि० वा० टैप लाइन बिछाना।
		41. 400 कि० वा० डी० सी० टैप लाइन बिछाना।
		42. पेयजल आपूर्ति स्कीम के लिए पाइप लाइन बिछाना।
		43. पहुंच मार्ग।
		44. जल आपूर्ति स्कीम के लिए पाइप लाइन बिछाना।

1	2	3
		45 सफेद मिट्टी की खुदाई।
		46. 400 कि० वा० डी० सी० ट्रांसमिशन लाइन बिछाना।
11.	उड़ीसा	1. कच्चे लोहे और मैंगनीज के खनन के लिए श्री एन० पटनायक को भूमि देना।
		2. मैसर्स एन० एन० पाण्डा एण्ड कम्पनी को स्वर्णचूडा पत्थर का उत्खनन का नवीकरण।
		3. तलचर—सम्बलपुर रेल लाइन।
		4. जयपोर से गाजुवाका तक 400 कि० वा० लाइन का निर्माण।
		5. जल भंडारण टैंक का निर्माण।
		6. श्री बलराम साहू को खनन पट्टा।
		7. 400 कि० वा० डी० सी० ट्रांसमिशन लाइन—तलचर रंगली और धेनकनाल जिला।
12.	पंजाब	1. सुपर पैरेज बिस्ट दोआब नहर।
		2. राष्ट्रीय राजमार्ग-I पर पुल तक पहुंच मार्ग।
		3. नुसहरा से दरियां तक 66 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन।
		4. 220 कि० वा० गंगुवाल मोहाली लाइन।
13.	राजस्थान	1. दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 पर 4 पंक्तियों वाली सड़क।
		2. भारतीय भू-भौतिकी संस्थान की वेधशाला।
		3. चन्द्रभागा नदी पर पुल तक और झालावाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 पर 338 कि० मी० जयपुर—जबलपुर सड़क पर पहुंच मार्ग का निर्माण।
		4. दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर चार पंक्तियों वाली सड़क का निर्माण।
14.	तमिलनाडु	1. तमिलाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वन भूमि देना।
		2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत काले ग्रेनाइट की खान का नवीकरण।
		3. काले ग्रेनाइट की खान का नवीकरण।
		4. टी० एन० मिनरल्स लि० को काले ग्रेनाइट पट्टे का नवीकरण
		5. नीलगिरी जिले में अंतिम चरण एच० ई० पी० स्टेट-5 के तहत पारसन घाटी बिजलीघर के लिए भूमि।

1	2	3
		6. 69/3840 किमी० पर ऊपरी सड़क पुल।
15.	त्रिपुरा	1. ओ० एन० जी० सी० द्वारा पहुंच मार्ग और ड्रिल स्थल।
		2. बी० आर० एम०—के० वाई० में ओ० एन० जी० सी० द्वारा ड्रिलिंग कार्यों के लिए भूमि।
		3. भूमिगत पाइप लाइन बिछाना।
		4. ओ० एन० जी० सी० द्वारा फ्लेयर स्टॉक को खाली करना।
		5. बी० आर० एम०—एफ० में ड्रिल स्थल और पहुंच मार्ग का निर्माण।
		6. पश्चिम त्रिपुरा जिले में ओ० एन० जी० सी० त्रिपुरा परियोजना द्वारा आर० एम० एन० डी० के स्थान पर ड्रिलिंग कार्य के लिए भूमि।
16.	उत्तर	1. बड़ाखा पेयजल आपूर्ति स्कीम।
		2. पाइप लाइन बिछाना।
		3. हुबलबाग-बस्दी मीटर सड़क।
		4. तोलगन्ध ओलगन्ध पेय जल आपूर्ति योजना।
		5. चाला पेयजल आपूर्ति स्कीम।
		6. मोरोली डसौली पेय जल आपूर्ति स्कीम।
		7. राकाटोक पेयजल आपूर्ति स्कीम।
		8. पत्थरवाला जल आपूर्ति स्कीम।
		9. बीना जल आपूर्ति स्कीम।
		10. सिलखोला जल आपूर्ति स्कीम।
		11. तिकोही दुघांग पुल पथ।
		12. टिहरी जिले में दुगड्डा नहर का निर्माण।
		13. पिथौरागढ़ जिले में डारकोट डापा मोटर सड़क का निर्माण।
		14. देहरादून जिले में 220 कि० वा० ऋषिकेशनारा ट्रांसमिसन लाइन।
		15. अल्मोड़ा जिले में चायखान-धुआ-सीमल मोटर सड़क का निर्माण।
		16. अल्मोड़ा जिले में काकरीघाट-शीतलाखोट सड़क का निर्माण।
		17. अल्मोड़ा जिले में जैंती-पिपली मोटर सड़क का निर्माण।

1	2
17. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. पील द्वीपसमूह में पुलिस तलाश पोस्ट का निर्माण।
	2. आलोकित संकेत द्वीप की स्थापना।
	3. विल्सन द्वीपसमूह में आलोकित संकेत द्वीप की स्थापना।
	4. संकेत द्वीप की स्थापना।
18. कर्नाटक	1. पुल का निर्माण।
	2. सथियागल जहागीर में पट्टे पर भूमि।
	3. कच्चे लोहे के लिए श्री एम० जी० रंगनगौड़ा के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण।
	4 कोडोगू जिले में चिक्लूहोल जलाशय परियोजना के लिए भूमि
	5. बिलारी जिले में लौह अयस्क के लिए श्री एच० सी० रंगनगौड़ा के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण।
19. केरल	1. पुलिस स्टेशन का निर्माण।
	2. दूरसंचार विभाग के पक्ष में पट्टे की अवधि बढ़ाना।
	3. विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बिछाना।
	4. इदुकी एर्नाकुलम में 220 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन।
	5. पट्टे की अवधि बढ़ाना।

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र हे० में	लम्बित रहने की अवधि	लम्बित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. कृषि प्रयोजनों के लिए सुगालियों को सौंपना	200.00	6 माह से अधिक	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		2. मनु गुरु में खुली खदान कोयला खनन	181.00,	4 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		3. कोयला खनन पट्टे का नवीकरण	7,645.73	1 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2.	असम	1. काठियातोरी से दीमापुर तक 200 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	19.80	1 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
3.	बिहार	1. फील्ड फायरिंग रेंज का अभिनिर्धारण	—	4 माह	कार्यवाही की जा रही है।
4.	गोवा	1. दक्षिण गोवा में खनन पट्टे का नवीकरण	53.57	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		2. खनन पट्टा संख्या 2/51 दक्षिण गोवा का नवीकरण	33.247	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		3. कृत्रिम पौधरोपण उगाना	100.10	2 माह	कार्यवाही की जा रही है।
5.	गुजरात	1. विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 को चौड़ा करना	24.45	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।

		2. अवैध कब्जों को नियमित करना	10.900	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		3 झंबारी सिंचाई स्कीम का निर्माण	1,120.00	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		4. वालान सिंचाई परियोजना	455.00	6 माह से अधिक	कार्यवाही की जा रही है।
		5. लघु सीमेंट संयंत्र का निर्माण	107.03	6 माह से अधिक	कार्यवाही की जा रही है।
6.	हरियाणा	1. राधास्वामी सत्संग को भूमि की मंजूरी	40.93	4 माह	कार्यवाही की जा रही है।
7.	हिमाचल प्रदेश	1. सोलन से कुनिहार तक 132 कि० वा० एस०सी० लाइन	9.963	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		2 132 कि० वा० एस०सी० लाइन-गिरी (माजरी) से सोलन तक	42.012	2 माह	कार्यवाही की जा रही है।
8.	केरल	1. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास लिए वनभूमि का आदान-प्रदान	228.81	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
9.	कर्नाटक	1. मुलकी बांध परियोजना	28.6	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		2. डब्ल्यू० सी० मिल्स के पक्ष में पट्टे का नवीकरण	80.0	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
		3. श्री अबुबाकर के पक्ष में लौह अयस्क खनन के लिए खनन पट्टा	56.66	1 माह	पर्यावरणीय मंजूरी की प्रतीक्षा है।
		4. मैं० कुमार स्वामी को खनन पट्टा	96.0	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		5. कोंकण रेलवे परियोजना	76.74	2 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		6. मैसूर खनिज के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	80.93	4 माह	पर्यावरणीय मंजूरी की प्रतीक्षा है।
		7. डालमिया सीमेंट्स के पक्ष में खनन पट्टा	327.63	4 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		8. डाडेली फैरी एलॉय प्रा० लि० के पक्ष में खनन पट्टा	40.47	6 माह से अधिक	कार्यवाही की जा रही है।
10.	महाराष्ट्र	1. दीपाली फिल्ड फायरिंग रेंज का विस्तार	—	6 माह से अधिक	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		2. असवाली लघु सिंचाई टैंक	25.90	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		3. सागर नाला लघु सिंचाई टैंक	170.76	6 माह	कार्यवाही का जा रही है।
		4. महाराष्ट्र प्रा० लि० के अन्तर्गत वन भूमि का अधिग्रहण	7,598.726	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।

5. ओरा लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	129.800	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
6. भाटसा बांध चरण-2 का निर्माण	2,027.860	6 माह	26-2-93 को होने वाली सलाहकार समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना है।
7. लघु सिंचाई तालाब का निर्माण	141.62	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
8. पालन्दुर लघु सिंचाई बैंक का निर्माण	64.150	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
9. कुमरक्षारी परियोजना तथा नहर का निर्माण	245.418	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
10. दहानु से वाड़सेवा तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना	50.0739	2 माह	अगली सलाहकार समिति की बैठक में विचार किया जाना है।
11. टैंक का निर्माण	139.760	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
12. कालवाड़ा सिंचाई परियोजना	10.80	6 माह से अधिक	कार्यवाही की जा रही है।
13. प्राचीन काल की समाधि स्थलों तथा शिव मंदिरों का विकास	10.80	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
14. गंगापुरी लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	60.22	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
		15. गुलनदी सिंचाई परियोजना	272.00	2 माह	21-1-93 को हुई सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा की गई। कार्यवाही की जा रही है।
		16. कटंजी टैंक परियोजना	81.30	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		17. बांगली लघु सिंचाई टैंक	133.13	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		18. पिपरी लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	91.34	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		19. हरासी गांव में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	44.92	1 माह	26-2-93 को होने वाली सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।
		20. कोड़े गांव में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	20.58	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		21. गांव सरेखा में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	39.12	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		22. जलगांव में परकोलेशन टैंक सुखाली-I	22.45	1 माह	21-1-93 को हुई बैठक में चर्चा की गई और कार्यवाही की जा रही है।
		23. भिडरा लघु सिंचाई परियोजना	61.02	1 माह	21-1-93 को हुई बैठक में चर्चा की गई और कार्य-

					वाही की जा रही है।
		24. धारगढ़ लघु सिंचाई टैंक	58.21	1 माह	21-1-93 को हुई बैठक में चर्चा की गई और कार्यवाही की जा रही है।
		25. आम्बित में लघु सिंचाई टैंक	47.50	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
11.	मध्य प्रदेश	1. भारतीय सेना द्वारा फील्ड फायरिंग रेंज	16,630.441	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		2. भारतीय सेना द्वारा बेरखा फील्ड फायरिंग रेंज	3,650.12	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		3. पी०वी० 103 सिंचाई परियोजना का निर्माण	95.930	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		4. धाबाकर टैंक परियोजना	54.520	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		5. गोदलानाला टैंक परियोजना	53.703	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		6. बत्रा सिंचाई परियोजना	109.725	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		7. बोधघाट जल विद्युत परियोजना	5704.332	6 माह	सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा की गई। सामाजिक पहलुओं सहित परियोजना की गहराई से विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना है।

1	2	3	4	5	6
		8. कोणार्क खनिज लि० का खनन पट्टा	20.234	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		9. डुमोरी पाली सिंचाई परियोजना	40.090	3 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		10. अमरपुर सिंचाई परियोजना का निर्माण	46.50	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		11. परदा सिंचाई परियोजना	44.00	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		12 डिवीजन फार स्रीरिचुअल अपलिफ्टमेंट	1 00	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		13. सामपुर टैंक परियोजना	45.31	6 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		14 डोकरिया नाला सिंचाई परियोजना	136.90	6 माह से अधिक	कार्यवाही की जा रही है।
		15. दिगम्बर जैन अथिशे शेल्टर	11.970	—वही—	कार्यवाही की जा रही है।
		16. मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र खनिज को खनन पट्टा	29.173	—वही—	कार्यवाही की जा रही है।
		17. लाइमुना टैंक परियोजना	33.180	—वही—	कार्यवाही की जा रही है।
		18. ओरापानी टैंक परियोजना	28.550	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		19. सेन्द्रीपानी टैंक परियोजना	29.630	—वही—	कार्यवाही की जा रही है।

		20. एस०ई०सी०एल० द्वारा दीपिका खुली खदान खनन	147.150	—वही—	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		21. देवगांव टैंक परियोजना	89.370	2 माह	राज्य सरकार ने इस मामले को वापस लेने का अनुरोध किया है।
		22. किट टैंक परियोजना	59.51	—वही—	कार्यवाही की जा रही है।
12.	मिजोरम	1. थिरीयल जल विद्युत परियोजना	5380.00	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
13.	मणिपुर	1. फील्ड फायरिंग रेंजों का अभिनिर्धारण	12844.00	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
14.	उड़ीसा	1. सतभाया और कान्हुपुर में 395 परिवारों का पुनर्वास	532.97	6 माह से अधिक	कार्यवाही की जा रही है।
		2. मैसर्स फेकर लि० का क्रोमाइट खनन	187.03	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		3. भाग बैराज एस०आई०पी० स्टेज-I	94.00	2 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		4. तलचर से राउरकेला तक 400 कि०वा० ट्रांसमिशन लाइन	406.813	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
15.	राजस्थान	1. जयपुर बाईपास रोड	37.05	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
16.	सिक्किम	1. 1200 कि० वा० तिस्ता चरण-3 जल विद्युत परियोजना	363.057	6 माह से अधिक	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
		2. खनन का नवीकरण	25.707	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		3. उत्तरी सिक्किम में फील्ड फायरिंग रेंज	17.250	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
17.	तमिलनाडु	1. फील्ड फायरिंग रेंज	2717.41	1 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		2. खनन पट्टे का नवीकरण	65.18	6 माह	पर्यावरणीय मंजूरी की प्रतीक्षा है।
18.	त्रिपुरा	1. उत्तर-दक्षिण तथा पूर्वी त्रिपुरा में रबर की पौधरोपण	019.52	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		2. सेना द्वारा फील्ड फायरिंग रेंज	519.88	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।
19.	उत्तर प्रदेश	1. अल्मोड़ा मैग्नेसाइड लि० के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	111.87	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		2. अनपरा वाराणसी ट्रांसमिशन लाइन—400 कि० वा०	319.28	1 माह	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
		3. वेणुसागर में राख का निपटान	126.27	1 माह	कार्यवाही की जा रही है।
		4. मदनरेली दोबनाास मोटर मार्ग का निर्माण	39.15	6 माह	कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

"प्राकृतिक संसाधन गणना"

155. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरणीय उपायों का लागत-लाभ निकालने के लिए प्राकृतिक संसाधन गणना पद्धति शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संसाधनों की गणना के कार्य को राष्ट्रीय प्रदूषण उपशमन नीति विवरण तथा राष्ट्रीय संरक्षण कार्य नीति में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ससाधन गणना की संकल्पना आरम्भ करने के लिए पर्यावरणीय आकड़ों तथा मानचित्रण की एक स्कीम शुरू की गई है। राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण एवं गणना के लिए पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

सहकारी समितियों के लिए अनिवार्य चुनाव

156. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी समितियों के लिए प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् अनिवार्य चुनाव आयोजित कराने के उद्देश्य से एक कानून लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) ऐसा कानून कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं। तथापि, बहु राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 को चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के अनुसार फिर से तैयार किया जा रहा है। सहकारी समितियों का समय पर चुनाव सुनिश्चित करना समिति की सिफारिशों में से एक है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

केरल में प्राकृतिक आपदायें

157. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान केरल में बारिश, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मारे गये और फसलों व सम्पत्ति की कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ख) क्या गत वर्ष के दौरान किसी केन्द्रीय दल ने राज्य की यात्रा की;

(ग) यदि हां, तो दल ने क्या-क्या सिफारिशें कीं और केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की; और

(घ) केरल सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी है और वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) केरल सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1992 के दौरान राज्य में प्राकृतिक अपदाओं के कारण हुई जनहानि और परिसम्पत्तियों को हुई क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) **समुद्री तूफान और बाढ़ें**

(क) जन हानि	265
(ख) क्षतिग्रस्त फसलीकृत क्षेत्र	4.41 लाख हैक्टेयर
(ग) फसल हानि का अनुमानित मूल्य	413.15 करोड़ रुपये
(घ) क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	1.29 लाख
(ङ) जनसुविधाओं को हुई अनुमानित क्षति	830.26 करोड़ रुपये

(ख) **सूखा**

(क) फसल हानि का अनुमानित मूल्य	126.42 करोड़ रुपये

2. केरल सरकार ने तीन ज्ञापन प्रस्तुत किये थे, जिसमे सूखे की स्थितियों में और अक्तूबर-नवम्बर, 1992 के समुद्री तूफान/बाढ़ों के लिये राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए 1158.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की गई थी। अक्तूबर-नवम्बर में आई बाढ़ों के कारण स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था। 1992-93 के लिए आपदा राहत निधि के 23.25 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश के अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिये आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश से अग्रिम के रूप में 11.625 करोड़ रुपये और राहत उपायों के लिये राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अर्थोपाय पेशगी के रूप में 50.000 करोड़ रुपये भी दिये हैं। केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की दो और तिमाही किस्तें अप्रैल, 1993 में राज्य सरकार को निर्मुक्त की जायेंगी।

सुपर बाजारों में दालों की बिक्री

158. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजारों में बेची जा रही दालों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें खुदरा बाजार तथा केन्द्रीय भण्डारों में इन वस्तुओं की कीमतों से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुपर बाजारों में वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क), से (ग) सुपर बाजार

द्वारा बेची जा रही दालों और अन्य वस्तुओं के मूल्य खुदरा बाजारों में प्रचलित मूल्यों से कम होते हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि कड़े गुणवत्ता नियंत्रण और खरीद हेतु निर्धारित ऊंची गुणता विशिष्टियों के कारण कुछ दालों और अन्य वस्तुओं के मूल्यों से थोड़ा-सा अन्तर होता है। कुछ वस्तुओं के मामले में सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के मूल्यों के बीच अन्तर अन्य कारणों, अर्थात अधिप्राप्ति की तारीख, अधिप्राप्ति के स्थान, अधिप्राप्त की गई मात्रा आदि में अन्तर के कारण भी होता है।

एक विवरण अनुबन्ध-1 पर दिया गया है, जिसमें 11-2-1993 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार तथा दिल्ली के दो खुदरा बाजारों में दालों और अन्य वस्तुओं के प्रचलित मूल्य दर्शाए गए हैं।

सुपर बाजार यह सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करता है कि खुदरा बाजार की तुलना में उनके खुदरा मूल्य प्रतियोगी हों।

विवरण-I

11-2-1993 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार और दिल्ली के दो खुदरा बाजारों द्वारा बेची जाने वाली दालों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	वस्तुओं के नाम	सुपर बाजार पैक किया हुआ	केंद्रीय भंडार पैक किया हुआ	पहाड़गंज खुला	कृष्ण नगर खुला
1	2	3	4	5	6
1.	मूंग साबुत 1 कि० ग्रा०	14.00	14.00	15.00	14.00
2.	मूंग छिलका 1 कि० ग्रा०	14.25	14.25	15.00	14.00
3.	मूंग धुली 1 कि० ग्रा०	15.65	15.65	16.00	15.00
4.	उड़द साबुत 1 कि० ग्रा०	9.20	9.35	12.00	13.00
5.	उड़द छिलका 1 कि० ग्रा०	9.45	9.55	12.00	13.00
6.	उड़द धुली 1 कि० ग्रा०	10.85	10.00	14.00	14.50
7.	अरहर की दाल 1 कि० ग्रा०	14.20	14.00	14.00	15.50
8.	चने की दाल 1 कि० ग्रा०	13.45	12.80	12.00	13.00
9.	काला चना 1 कि० ग्रा०	13.05	11.45	13 00	12.00
10.	काबुली चना 1 कि० ग्रा०	14.65	15.00	16.00	16.00
11.	राजमा लाल 1 कि० ग्रा०	17.55	उ० न०	17.00	17.00
12.	राजमा चित्रा 1 कि० ग्रा०	15.90	14.90	16.00	16.00

1	2	3	4	5	6
13.	मलका लाल 1 कि० ग्रा०	10.75	11.00	11.00	13.00
14.	मलका काला 1 कि० ग्रा०	9.90	उ० न०	12.00	13.00
15.	चावल परमल 1 कि० ग्रा०	7.00	6.95	7.50	7.00
16.	बेसन 1 कि० ग्रा०	13.80	13.70	13.00	13.00
17.	आटा 10 कि० ग्रा० (एगमार्क)	47.00	47.00	55.00	53.00
18.	टाटा नमक 1 कि० ग्रा०	2.75 (भारत)	2.75 (भारत)	3.00	3 00
19.	लाल मिर्च पिसी (200 ग्राम)	9.00 8.75	7.00	12.00	16.00
20.	धनिया पिसा हुआ (200 ग्राम)	5.35 3.50	3.50	6.00	8.00
21	हल्दी पिसी हुई (200 ग्राम)	8.60 7.90	6.50	8.00	10.00
22.	जीरा 100 ग्राम	12.50	उ० न०	12.00	उ० न०
23.	सौंफ मोटी 100 ग्राम	2.90	2.90	6.00	4.00
24.	सौंफ लखनऊ 100 ग्राम	5.70	उ० न०	8 00	उ० न०
25.	मेथी दाना 200 ग्राम	3.00	2.80	6.00	4.00
26.	गरम मसाला 100 ग्राम	12.00	8.75	12.00	उ० न०
27.	काली मिर्च साबुत (100 ग्राम)	5.60	उ० न०	6.00	उ० न०
28.	काली इलायची (100 ग्राम)	10.20	10.50	12.00	11.00
29.	मुकस्सर 500 ग्राम	6.75	2.85 (200 ग्राम)	8.00	10.00

उ० न० : उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान में कथित कदाचार

159. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा सस्थान में हुए कथित कदाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) शिकायतें संसद सदस्य श्री भगवान शंकर रावत, प्रो० रासा सिंह रावत तथा श्री पी० उपेन्द्र से प्राप्त हुई हैं।

(ग) इन शिकायतों की जांच की जा रही है।

परीक्षाओं में नकल

160. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सारे देश में परीक्षाओं में सामूहिक नकल न होने देने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : परीक्षाओं में सामूहिक नकल को रोकने तथा अनुचित साधनों के प्रयोग को न्यूनतम करने के लिए निषेधात्मक और दण्डात्मक दोनों प्रकार के उपाय किए जाने अपेक्षित हैं। सतत आतंरिक मूल्यांकन, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को मिला देना तथा गैर-शैक्षणिक उपलब्धियों को महत्व प्रदान करना जैसे परीक्षा सुधारों के क्षेत्र में मुख्यत: निषेधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि केवल अंतिम परीक्षा में अच्छे निष्पादन की आवश्यकता को घटाया जा सके। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के कानून को लागू कराने वाली एजेंसियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया है ताकि देश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में बोर्ड द्वारा संचालित छात्रों की परीक्षाओं का संचालन बिना किसी रुकावट के हो सके। इसने सभी क्षेत्रों में 1993 में सी० बी० एस० ई० द्वारा संचालित होने वाली कक्षा X और XII की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के अनेक सेटों के प्रयोग करने का भी निर्णय लिया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भिन्न किसी अन्य बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा के संबंध में उस विशिष्ट राज्य सरकार और स्कूल परीक्षा बोर्ड का यह काम है कि वे परीक्षाओं में सामूहिक नकल को नियंत्रित करने तथा अनुचित साधनों के प्रयोग को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

161. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू की गई प्रमुख शोध परियोजनाओं का ब्यौरा है; और

(ख) इन कृषि विश्वविद्यालयों को आधुनिक उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) महोदय, विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित योजनाओं/स्रोतों से विश्वविद्यालय को आधुनिक उपकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं :

(i) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं ।

(ii) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (नार्प) ।

(iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से विकास अनुदान ।

(iv) विश्वविद्यालय/राज्य के अपने साधन ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान कार्यक्रमों की मांग के अनुसार तथा परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के तहत उपरोक्त (I) से (IV) द्वारा विकसित विस्तृत कार्यक्रमों के लिए उपकरणों हेतु निधियां प्रदान करता है ।

बिहार में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय तथा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख अनुसंधान प्रायोजनाएं

(क) निम्न पर विश्वविद्यालय कार्यक्रम

(i) बागवानी अनुसंधान ।

(ii) गन्ना अनुसंधान ।

(iii) पशु प्रजनन अनुसंधान ।

(iv) जैव प्रौद्योगिकी तथा टिश्यू कल्चर अनुसंधान ।

(ख) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (नार्प) के तहत क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं का विकास ।

(ग) निम्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं :

(i) बारानी कृषि ।

(ii) कृषि मौसम विज्ञान ।

(iii) गेहूं, चावल, कुटकी, तिलहनी, फसलें, दलहन तथा सोयाबीन ।

(iv) फसल प्रणाली अनुसंधान ।

(v) बीज संरक्षण ।

(vi) खरपतवार नियंत्रण ।

(vii) सूक्ष्म जीव विघटन दीर्घ अवधि वाला उर्वरक परीक्षण, मृदा परीक्षण, सूक्ष्म पोषकों सहित समाकलित पोषण प्रबंध ।

(viii) कृषि वानिकी तथा चारा फसलें ।

(ix) फार्म मशीनरी तथा औजारों की जांच ।

(x) बकरी तथा पशु उप-उत्पादों सहित पशु विज्ञान प्रायोजनाएं ।

(xi) सब्जी तथा रेशों वाली फसलें।

(xii) जल प्रबंध, दियारा भूमि।

(xiii) ताड़, मधुमक्खी, पान आदि।

बिना प्रधानाचार्यों वाले स्कूल

162. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं और ये कब से नहीं हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं और कब से तथा इन रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके द्वारा चलाए जा रहे कोई भी माध्यमिक अथवा सीनियर माध्यमिक स्कूल, प्रधानाचार्य के बिना नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में इस समय प्रधानाचार्यों के 76 पद रिक्त हैं। संघ लोक-सेवा आयोग के जरिए 59 पदों को भरने की कार्रवाई आरम्भ की गई है। शेष पद, जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उप-प्रधानाचार्यों सहित, सभी श्रेणियों के शिक्षकों की रिक्तियां, 1255 हैं। सेवानिवृत्ति, विस्तार अन्य कारणों से अतिरिक्त पदों के सृजन के कारण, समय-समय पर ये रिक्तियां होती रहती हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने पहले से ही कार्रवाई आरम्भ कर दी है और अब विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। कुछ श्रेणियों के शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। जहां तक नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों का सम्बन्ध है, इस समय शिक्षकों के 28 पद रिक्त हैं, और इन रिक्तियों को भरने के लिए, पालिका आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को अनुदान

163. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को कोई विशेष अनुदान राशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अनुदान राशि किस उद्देश्य हेतु प्रदान की गई;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की कई विशेष योजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता हेतु लम्बित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ता कल्याण निधि

164. **श्री राम नाईक** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "उपभोक्ता कल्याण निधि" की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उन उपभोक्ता संरक्षण कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस निधि से धन उपलब्ध कराया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने उपभोक्ता कल्याण निधि को इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देशों का सुझाव देने हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वावधान में एक कार्य दल गठित किया है। उक्त कार्य दल से अपनी रिपोर्ट 2 माह के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में साक्षरता

165. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु गुजरात को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई;

(ख) गुजरात में कितने लोगों को साक्षर बनाया गया तथा उनमें से पिछड़े वर्गों के कितने लोग हैं; और

(ग) आठवीं योजना के अन्त तक गुजरात में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने वाले प्रस्तावित जिलों के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जिला साक्षरता सोसाइटियों के

माध्यम से कार्यान्वित किए गए पूर्ण साक्षरता अभियानो के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता नीचे दर्शायी गई है :—

विवरण

वर्ष	राशि (रु०)
1990-91	कुछ नहीं
1991-92	कुछ नहीं
1992-93	1,75,00,000

(ख) गुजरात राज्य सरकार द्वारा गांधीनगर तथा भावनगर के दो जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वित किया गया था। पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के दौरान गांधीनगर जिला साक्षरता सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार 21,539 व्यक्ति साक्षर बनाए गए। भावनगर साक्षरता अभियान की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,63,250 व्यक्ति साक्षर बनाए गए।

पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्षित आयु-वर्ग में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ इस अभियान का मुख्य उद्देश्य निरक्षरों को उनकी जाति तथा सामाजिक और आर्थिक स्तर का विचार किए बिना इसमें शामिल करना है। सरकार द्वारा जातिवार/स्तरवार किसी प्रकार के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) आठवीं योजना के अन्त तक समूचे गुजरात राज्य अर्थात सारे के सारे 19 जिलों को पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता

166. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक सहायता आबंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गोवा में तकनीकी (पालिटेक्निक) शिक्षा के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु वित्तीय-सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) चल रही तकनीशियन शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक ऋण सहायता, प्रत्येक राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना संबंधी प्रस्ताव के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित की गई है जिसमें अ० भा० त० शि० परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए कम से कम 5 पालिटेक्निकों को सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है तथा इसमें विश्व-बैंक दल द्वारा

किए गए मूल्यांकन और इसकी जरूरतों के अनुसार, स्थापित किए जाने वाले नए पालिटेक्निक भी शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानित विश्वविद्यालय

167. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 को मानित विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में 1992 के दौरान प्राप्त नये आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) किन-किन संस्थानों के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया था तथा उन्हें स्वीकार किया गया;

(घ) किन-किन संस्थानों के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया तथा उन्हें अस्वीकृत किया गया; और

(ङ) किन-किन संस्थानों के आवेदन पत्र 31 दिसम्बर, 1992 को लम्बित थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) 1 जनवरी, 1992 को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित की गई संस्थाओं की कुल संख्या 30 थी। राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं :

(i) आंध्र प्रदेश	—	3
(ii) बिहार	—	2
(iii) गुजरात	—	1
(iv) हरियाणा	—	1
(v) कर्नाटक	—	1
(vi) महाराष्ट्र	—	5
(vii) पंजाब	—	1
(viii) राजस्थान	—	4
(ix) तमिलनाडु	—	2
(x) उत्तर प्रदेश	—	5
(xi) दिल्ली (संघशासित क्षेत्र)	—	5

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार 1992 के दौरान

12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 9 आवेदनपत्र अभी भी आयोग के विचाराधीन हैं। स्नातकोत्तर कालेज, गाजीपुर, पूज्य सोहनलाल शोध विद्यापीठ, वाराणसी व बुद्ध स्नातकोत्तर कालेज, कुशीनगर के आवेदन पत्रों पर विचार करके उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1992 में सरकार को, शैक्षिक सस्थाओं के मणिपाल दल को समविश्वविद्यालय का स्तर प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

(ङ) 31 दिसम्बर, 1992 को सम-विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन हैं:—

1. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली।
2. स्नातकोत्तर कालेज, गाजीपुर।
3. बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहयोगी प्रबंध संस्थान, पुणे।
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला।
5. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर।
6. प्लास्मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर।
7. जी० एस० प्रौद्योगिकी व विज्ञान संस्थान, इंदौर।
8. श्री कांची कामकोटि पीतम चेरिटेबल न्यास, कांचीपुरम।
9. प्रबंध प्रौद्योगिकी संस्थान, गाजियाबाद।
10. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल।
11. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट।
12. श्री पराशक्ति महिला कालेज, कोर्टाल्लम।
13. महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, नोएडा।
14. नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकेप्ड, सिकंदराबाद।
15. नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि विजूयली हैंडीकेप्ड, देहरादून, (उ० प्र०)।
16. अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हीयरिंग, हैंडीकैप्ड, बम्बई।
17. नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि आरथोपेडीकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता।

आलू उत्पादकों को प्रोत्साहन

168. **कुमारी ममता बनर्जी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आलू उत्पादकों को नकद प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास

आलू उत्पादकों को नकद प्रोत्साहन देने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार ने आठवीं योजना अवधि में आलू सहित कन्द और मूल फसलों की खेती को बढ़ावा देने की एक योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत सही आलू बीज उत्पादन के वास्ते सहायता दी जाती है।

रबी की फसल के लिए मूल्य नीति

169. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कृषि मंत्री 3 दिसम्बर, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबी फसल का खाद मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) सरकार ने 1993-94 मौसम में बेचे जाने वाली 1992-93 की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति की घोषणा पहले ही कर दी है। प्रति क्विंटल निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है :—गेहूं 330 रुपये (25 रुपये केन्द्रीय बोनस सहित); जौ 260 रुपये; चना 600 रुपये; तोरिया एवं सरसों 760 रुपये; कुसुम 720 रुपये; तोरिया 725 रुपये।

दिल्ली नगर निगम में प्रधानाध्यापक

170. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापकों के पदों की संख्या क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए प्रधानाध्यापकों के कितने पद आरक्षित हैं; और

(ग) इस समय कार्यरत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रधानाचार्यों की संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) 1723।

(ख) 387।

(ग) 31-8-1992 की स्थिति के अनुसार 320।

[हिन्दी]

सूरत-भुसावल रेलवे लाइन को दोहरा करना

171. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत-भुसावल (ताप्ती सेक्शन) रेलवे लाइन को जल गांव से उधना तक दोहरा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान लाइन क्षमता का पर्याप्त होना।

[अनुवाद]

रेलवे दावा अभिकरण पीठ

172. **श्री मनोरंजन भक्त** :
श्री आर्थ फर्नान्डीज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने रेलवे दावा अभिकरण पीठ कार्य नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि ऐसे सभी पीठ कार्य कर सकें ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) रेल दावा अभिकरण की सभी पीठें कार्यरत हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कतिपय पीठों में सदस्य (न्यायिक) या सदस्य (तकनीकी) के पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों के लिए प्रवरण किया गया है। जहां संबद्ध रिक्तियां हैं वहां अन्य पीठों से सदस्यों को तैनात करके पूरी पीठ को चलाया जाता है। एकल सदस्यीय पीठों की अतिरिक्त शक्तियां बढ़ाई गई हैं।

व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत नई पाइलट योजना

173. **श्री विलास मुत्तेमवार** :
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या कृषि मंत्री 26 नवम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 551 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत नई पाइलट योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) जी, नहीं। यह फैसला किया गया है कि जबकि वर्तमान बृहत फसल बीमा योजना जारी रहे, हर राज्य के एक जिले में, तरजीह के तौर पर न्यून यूनिट क्षेत्रों में सभी किसानों तथा सभी फसलों के लिए प्रीमियम की बीमांकित दरों पर एक प्रायोगिक योजना लागू की जाये। सरकार नई प्रायोगिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्यवाही कर रही है तथा शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

"पक्षियों की चोरी"

174. **श्री गुरूदास कामत :**
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन्न प्राणी उद्यान, दिल्ली से कुछ दुर्लभ पक्षियों की चोरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु किए गए/किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। 15-16 जनवरी, 1993 की रात के दौरान राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली से पाम कोकाटू का एक जोड़ा चोरी हो गया।

(ग) निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने दो सहायक कीपरों और दो चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करायी गई है। इन पक्षियों की बिक्री निर्यात को रोकने के लिए वन्यजीव और हवाई अड्डा प्राधिकारियों को भी सूचित किया गया है।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अवांछनीय तत्वों को रोकने के लिए केवल एक रास्ते वाले पिंजरे के दरवाजों के पीछे एक चैन से जुड़ी हुई बन्द वीथी का निर्माण प्रगति पर है।

(2) सीमा-दीवार की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है।

(3) रेल लाइन से लगी चारदीवारी को पार करके लोग अन्दर न आने पाएं, इसके लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है।

(4) निदेशक, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को निदेश दिया गया है कि उद्यान में गश्त और

निवारक सतर्कता ढांचे को मजबूत बनाया जाए और उन सभी कमियों को दूर किया जाए, जिनसे उद्यान से वन्य-पक्षियों/पशुओं की चोरी की सम्भावना हो सकती है।

"वृक्षारोपण कार्यक्रम"

175. डा० कृपासिंधु भोई :
प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री सोमजी भाई डामोर :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्यों को जारी की गई अनुदान-राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार, क्या कारण हैं;

(च) आठवीं योजना में वृक्षारोपण के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(छ) वृक्षारोपण कार्यक्रम को और प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्य-वार लक्ष्य व उपलब्धियां तथा धनराशि का उपयोग क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(च) वनीकरण कार्यकलापों के राज्यवार लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं जो कि केन्द्र और राज्य योजनाओं में वित्तीय आवंटनों पर निर्भर करते हैं। चालू वर्ष (1992-93) जो कि आठवीं योजना का प्रथम वर्ष है, के राज्य-वार लक्ष्य अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(छ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण कार्यक्रम के कार्य-क्षेत्र में विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है जो कि केन्द्र और राज्य योजनाओं में निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपनी अनुवीक्षण और मूल्यांकन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए तथा वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के ब्यौरों का संकलन करें और इस जानकारी को जन-प्रतिनिधियों तथा आम जनता तक पहुंचाए। स्वतंत्र एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा, चयनित जिलों में क्षेत्र-कार्य की नमूना जांच भी की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियों को बताने वाला विवरण

क्षेत्र हैक्टेयर में
पौध लाख में

क्र० सं०	राज्य/संघ शा० प्रदेश का नाम	1989-90		1990-91				1991-92			
		लक्ष्य क्षेत्र	उपल० क्षेत्र	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
				पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण के लिए	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौद वितरण (निजी भूमि पर रोपण के लिए	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौद वितरण (निजी भूमि पर रोपण के लिए	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	पौद वितरण (निजी भूमि पर रोपण के लिए	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	160000.00	131757.50	2400.00	34200.00	1612.00	21600.00	1600.00	30000.00	1775.91	56590.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7000.00	6470.50	25.00	4750.00	1.79	5516.00	10.00	10000.00	7.92	7860.00
3.	असम	15000.00	15970.00	77.00	12900.00	18.47	17194.00	100.00	42000.00	8.68	19458.00
4.	बिहार	140000.00	117495.30	1150.00	42200.00	242.15	37081.00	700.00	50000.00	837.00	46333.00

5. गोवा	3750.00	3811.00	90.00	625.00	24.50	1349.90	50.00	1200.00	22.37	1466.65
6. गुजरात	110000.00	194450.00	2165.00	30600.00	2356.36	48585.00	2400.00	73000.00	2511.86	63480.00
7. हरियाणा	27500.00	24780.00	1225.00	3050.00	224.30	40094.00	300.00	45000.00	271.30	31551.00
8. हिमाचल प्रदेश	35000.00	31655.50	400.00	15500.00	135.57	25370.00	150.00	57500.00	72.70	35784.00
9. जम्मू व कश्मीर	17500.00	16130.00	225.00	8200.00	112.54	15773.25	150.00	10000.00	75 00	15170.61
10. कर्नाटक	115000.00	111641.50	1880.00	42700.00	763.16	30199.00	990.00	50090.99	437.17	34705.54
11. केरल	25000.00	22743.50	380.00	11000.00	164.11	5974.84	250.00	41000.00	137.38	11593.96
12. लक्षद्वीप	125.00	145.50	1.30	35.00	2.86	42.00	5.00	100.00	2.95	50.00
13. पांडिचेरी	400.00	541.50	8.00	150.00	10.95	65.89	4.00	100.00	10.61	88.72
योग	1684250.00	1719824.00	25000 00	550000.00	12703.81	751714.71	15000.00	1050000.00	14194.81	1015714 10

टिप्पणी—वर्ष 1990-91 से लक्ष्यों को दो मदों के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है (और तदनुसार उपलब्धियों को सूचित किया जा रहा है) पहली मद है निजी भूमि पर रोपण हेतु "पौध वितरण" और दूसरा मद है वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि पर का "सम्मिलित क्षेत्र"। वर्ष 1989-91 की की उपलब्धि केवल सम्मिलित क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की गई थी।

विवरण-II

वर्ष 1989-90-1990-91 तथा 1991-92 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण वृक्षारोपण कार्यकलापों के लिए निधि का राज्यवार उपयोग

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० प्र०	1989-90 उपयोग	1990-91 उपयोग	1991-92 उपयोग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2174.00	2195.92	2376.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	314.85	336.05	432.29
3.	असम	1354.96	1664.92	1728.00
4.	बिहार	2085.37	3519.42	सू० न०
5.	गोवा	139.15	117.91	119.07
6	गुजरात	4530.62	4754.08	6467.48
7.	हरियाणा	2347.41	3780.49	4151.92
8.	हिमाचल प्रदेश	1619.05	2023.27	4048.32
9.	जम्मू और कश्मीर	1140.77	1719.43	सू० न०
10.	कर्नाटक	3938.32	3809.13	3830.06
11.	केरल	942.74	981.54	1207.58
12.	मध्य प्रदेश	2833.84	4954.37	6592.49
13.	महाराष्ट्र	5008.24	4282.57	6565 34
14.	मणिपुर	393.32	402.00	539.91
15.	मेघालय	532.32	630.33	1358.71
16.	मिजोरम	526.50	466.20	सू० न०
17.	नागालैंड	228.36	171.47	139.72
18.	उड़ीसा	2718.62	2546 50	2444.22
19.	पंजाब	1084.22	989.01	1089.43
20.	राजस्थान	3770.90	6899.04	सू० न०
21.	सिक्किम	267.52	424.47	384.55

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	2329.61	3985.32	3891.94
23.	त्रिपुरा	550.71	644.22	1233.24
24.	उत्तर प्रदेश	7804.37	8831.19	7238.96
25.	पश्चिम बंगाल	1468.44	2304.37	सू० न०
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	112.95	96.21	115.45
27.	चंडीगढ़	14.00	14.00	30.00
28.	दादर व नगर हवेली	98.76	107.10	105.73
29.	दमन व द्वीप	14.53	13.95	16.98
30.	दिल्ली	275.99	109.48	134.14
31.	लक्षद्वीप	10.50	18.60	11.34
32.	पांडिचेरी	58.60	86.17	109.82
	योग	50687.54	62778.73	56363.60

सू० न०—सूचित नहीं किया गया है।

विवरण-III

20 सूत्री कार्यक्रम 1992-93 के सूत्र सं० 16(क) व (ख) के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण के राज्यवार वार्षिक लक्ष्य

क्षेत्र हैक्टेयर में
लाख पौध

क्र० सं०	राज्य/सं० शा० प्र० का नाम	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1850.00	57000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	7200.00
3.	असम	25.00	25000.00
4.	बिहार	600.00	48000.00

1	2	3	4
5.	गोवा	25.00	1500.00
6.	गुजरात	2500.00	700000.00
7.	हरियाणा	300.00	40000.00
8.	हिमाचल प्रदेश	100.00	35000.00
9.	जम्मू और कश्मीर	50.00	20000.00
10.	कर्नाटक	555.00	40000.00
11	केरल	160.00	25000.00
12.	मध्य प्रदेश	600.00	110000.00
13.	महाराष्ट्र	1150.00	165000.00
14.	मणिपुर	25.00	9000.00
15.	मेघालय	125.00	18000.00
16.	मिजोरम	100.00	12000.00
17.	नागालैंड	50.00	12000.00
18.	उड़ीसा	500.00	60000.00
19.	पंजाब	70.00	17000.00
20.	राजस्थान	350.00	65000.00
21.	सिक्किम	15.00	8000.00
22.	तमिलनाडु	875.00	65000.00
23.	त्रिपुरा	50.00	16000.00
24.	उत्तर प्रदेश	3550.00	95000.00
25.	पश्चिम बंगाल	1000.00	50000.00
26.	अंडमान व निकोबार द्विप समूह	5.00	3400.00
27.	चंडीगढ़	0.00	400.00
28.	दादर व नगर हवेली	10.00	1000 00
29.	दमन व द्वीव	1.00	100.00
30.	दिल्ली	50.00	2000.00
31.	लक्षद्वीप	3.00	200.00
32.	पांण्डिचेरी	1.00	200.00
	योग	14700.00	1078000.00

सूखा

176. **श्री बापू हरि चौरे :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सूखा का सामना कर रहे जिलों के राज्यवार नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांगी हुई केन्द्रीय सहायता और वास्तव में जारी की गई राशि कितनी है; और

(ग) इन राज्यों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

कम्प्यूटर शिक्षा

177. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 10 + 2 स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यद्यपि इस सम्बन्ध में निर्णय लेना मुख्यतः राज्यों और संघशासित प्रदेशों का काम है, + 2 स्तर के 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा' प्रारूप में इस स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की परिकल्पना नहीं है । तथापि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया है ।

पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कलकत्ता

178. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कलकत्ता के ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग में प्रयोगशाला में किए गये अनुसंधान के अधिकतम उपयोग के लिए कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और अनुसंधान कार्य में अब तक कितना खर्च किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने मशीनों और उपकरणों को खरीदने के लिए प्रयोगशाला को कोई वित्तीय सहायता मंजूर की है; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में अब तक वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) महोदय, दैनिक स्टेटसमैन में दिनांक 1-1-1993 को "जूट रिसर्च विंग इन द डोलड्रम्स" नामक शीर्षक में एक समाचार छपा है।

(ख) समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि प्रयोगशाला ने उपकरण के संग्रहालय का रूप ले लिया है और बहुमूल्य उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है। आगे इसी समाचार में यह भी कहा गया है कि निदेशक ने इस आरोप का खण्डन करते हुए यह कहा है कि प्रयोगशाला सभी अपेक्षित अनुसंधान गतिविधियां चला रही हैं तथा वैज्ञानिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। निदेशक ने यह भी निश्चयपूर्वक कहा है कि सभी उपकरण इस्तेमाल में लाये जा रहे हैं तथा कोई भी उपकरण ऐसा नहीं है जिसका उपयोग न हो रहा हो।

(ग) प्रयोगशाला भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल है जहां कि प्रयोगशाला के अनुसंधान परिणामों का उपयोग में लाने संबंधी मामले पर विचार किया जाता है तथा इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए अपनाया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा किया गया खर्च निम्न प्रकार है—

1990-91	1991-92	1992-93 (जनवरी, 1993 तक)
रु० 142.46 लाख	रु० 192.72 लाख	रु० 129.05 लाख

(ङ) जी हां।

(च) 1990-91	1991-92	1992-93 (जनवरी, 1993 तक)
रु० 28.59 लाख	रु० 33.21 लाख	रु० 6 97 लाख

"केरल में अतिक्रमण की गई वनभूमि का विनियमन"

179. प्रो० के० वी० थामस :
श्री पाला के० एम० मैथ्यू :
श्री पी० सी० थामस :
श्री टी० जे० अंजलोज :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री 24 नवम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार की ओर से अतिक्रमण की गई वन भूमि को विनियमित किए जाने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केरल राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है। उत्तर की जांच करने के पश्चात् राज्य सरकार से सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गये है और इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार के साथ एक बैठक करने का निश्चय किया गया है ;

"प्रदूषण नियंत्रण की स्वदेशी प्रौद्योगिकी"

180. श्री हरिन पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के लिए उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आयात करने के बजाए इस के विकास हेतु स्वदेशी फर्मों को प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां। प्रदूषण उपशमन के लिए नीति विवरण के अनुसार प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए सर्वोतम उपलब्ध व्यवहारिक प्रौद्योगिकी, विशेषकर ऐसी स्वच्छ प्रक्रिया प्रौद्योगिकियां विकसित एवं लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं जो कम अपशिष्ट उत्पादक हों या अपशिष्ट रहित हों। नई प्रौद्योगिकी अपनाने वाले उद्योगों द्वारा उठाये जाने वाले जोखिम को बांटने के लिए एक स्कीम शुरू की गई हैं। नामोदिष्ट देशी प्रदूषण नियंत्रक उपकरण के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देकर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

"दिल्ली वन विभाग"

181. श्री भेरू लाल मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वन विभाग इस समय विकास आयुक्त के अधीन कार्य कर रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली वन विभाग के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली फारेस्ट एम्पलॉइज यूनियन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें वन विभाग दिल्ली प्रशासन के बेहतर कार्य-निष्पादन तथा प्रभागाध्यक्ष के रूप में मुख्य वन संरक्षक का एक अलग पद सृजित करने के सुझाव दिए गए हैं।

(ग) यह मामला मूल रूप से दिल्ली प्रशासन के अधिकार- क्षेत्र में आता है, जिन्हें सलाह दी गई है वे अपने वन विभाग को मजबूत बनाए।

[अनुवाद]

बागवानी विकास हेतु आवंटन

182. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने बागवानी के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 1992-93 के दौरान विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) राज्य सरकारें समय-समय पर, बागवानी विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत अतिरिक्त आबंटन किये जाने का अनुरोध करती रही है। ये मांगें, सब्जी-बीज उत्पादन तथा मसालों से लेकर टपका सिंचाई योजना और अन्य बागवानी फसलों तक के लिए बनी योजनाओं हेतु अलग-अलग है। 1991-92 के दौरान बागवानी विकास के लिए योजनागत आबंटन 33.51 करोड़ रुपये और व्यय 39-35 करोड़ रुपये था। 1992-93 के लिए आबंटन को बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मांग और उपयोग की प्रवृत्ति के आधार पर इस आबंटन का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बागवानी विकास, 1992-93 के लिए योजना परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा

	राज्य का नाम	योजना परिव्यय (1992-93) (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	256.200
2.	महाराष्ट्र	358.3205
3.	तमिलनाडु	358.365

1	2	3
4.	कर्नाटक	422.490
5.	गुजरात	430.210
6.	उत्तर प्रदेश	189.540
7.	मध्य प्रदेश	199.500
8.	पश्चिमी बंगाल	45.8685
9.	हरियाणा	76.480
10.	पंजाब	102.12
11.	उड़ीसा	67.079
12.	केरल	852.659
13.	बिहार	45.27
14.	हिमाचल प्रदेश	144.405
15.	राजस्थान	141.07
16.	जम्मू और कश्मीर	97.925
17.	सिक्किम	19.95
18.	गोवा	40.859
19.	त्रिपुरा	17.355
20.	मणिपुर	23.8375
21.	मेघालय	17.8175
22.	असम	46.77
23.	मिजोरम	18.5575
24.	अरुणाचल प्रदेश	40.615
25.	नागालैंड	21.425
26.	पांडिचेरी	7.501
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.405
28.	दिल्ली	7.625

1	2	3
29.	लक्षद्वीप	5.00
30.	दादर और नगर हवेली	6.50
31.	दमन और दीव	6.50
32.	चंडीगढ़	1.50
		4096.7125
33.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नारियल विकास बोर्ड को उनके द्वारा राज्यों में सीधे कार्यान्वित की गई योजनाओं के लिए आवंटन	1900.00
34.	भारतीय राज्य फार्म निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के आवंटन	200.45
35.	आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली नई योजनाओं के लिए आवंटन	302.8375
	कुल	6500.00

समेकित बाल विकास योजना की उपलब्धियां

183. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने प्रत्येक राज्य में समेकित बाल विकास योजनाओं के वार्षिक लेखे का नियमित रूप से लेखापरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो असम तथा अन्य राज्यों के संबंध में किये गये लेखापरीक्षण की रिपोर्ट में बताई गई कमियों तथा खामियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) समेकित बाल विकास सेवाएं (आई० सी०डी० एस०) के वार्षिक

लेखाओं की लेखा-परीक्षा समय-समय पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी० ए० जी०) द्वारा की जाती है। सी० एन० जी० से प्राप्त अन्तिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष की है।

(ख) 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष की सी० ए० जी० की रिपोर्ट में असम राज्य की कुछ परियोजनाओं में पूरक पोषाहार कार्यक्रम का कार्यान्वियन, स्वास्थ्य जांच तथा महिलाओं और बच्चों में रोग पतिरोधन, आंगनवाड़ियों में सप्लाई किए जाने वाले पेयजल की उपलब्धता, उपस्करों तथा अन्य अनिवार्य मदों की सप्लाई, विभिन्न मदो पर व्यय की स्वीकार्यता, यातायात तथा भंडारण में क्षति और योजनाओं का प्रबोधन तथा मूल्यांकन के संबंध में पाई गई कमियों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों की कुछ अन्य परियोजनाओं की एक मुश्त सेवाएं जिनमें— पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच तथा रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा आई० सी० डी० एस० कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी शामिल है, में पाई गई कुछ कमियों का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) विभाग समय-समय पर योजना की पुनरीक्षा कर रहा है तथा जहां कहीं अनिवार्य हो सशोधन कर रहा है। मार्च, 1989 को समाप्त अवधि की सी० ए० जी० रिपोर्ट में उल्लिखित कमियों को दूर करने के लिए चालू वर्ष के दौरान इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए।

(1) केन्द्र एवं राज्य स्तर पर आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के नियमित प्रबोधन को सुदृढ़ किया गया है। प्रबोधन फॉरमेट्स इस प्रकार तैयार किए गये हैं जिसमें सेवाएं प्रदान करने की पुनरावृति स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है। इन प्रपत्रों का उद्देश्य विभिन्न घटकों जिनमें पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य संदर्भ सेवाएं और पोषाहार शिक्षा आदि शामिल हैं, का अच्छी तरह प्रबोधन करना है। इसके अलावा, विभिन्न आयु वर्गों की महिलाओं संबंधी विशेष आसूचना, स्टाफ की भर्ती, प्रशिक्षण और नियोजन के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं ताकि उनका उपाय तथा बेहतर प्रबोधन किया जा सके और समय से उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

(2) आई० सी० डी० एस० कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए तथा महिलाओं और बच्चों की विशिष्ट सेवाओं से संबंधित सभी मंत्रालयों एवं विभागों के बीच कारगर समन्वय सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने इन सेवाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों में संकेन्द्रित करने के लिए स्टेटस पेपर तैयार किया है। भारत सरकार के अधिकांश संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को आवश्यक निर्देश पहले ही जारी कर दिये हैं।

(3) खाद्य पदार्थों, मसालों तथा ईंधन आदि की कीमतों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 21-2-91 से प्रति यूनिट पूरक पोषाहार की कीमत में वृद्धि कर दी गई है ताकि बच्चों को पूरक पोषाहार के माध्यम से दी जाने वाली न्यूनतम कैलरीज तथा प्रोटीन की मात्रा सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से भी कहा गया है कि वे अपने राज्य बजट में आवश्यक प्रावधान करें ताकि लाभ प्राप्तकर्ताओं को खाद्य पदार्थों की नियमित एवं अबाध सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि खाने के लिए तैयार सामग्री तैयार करने वाले (आर० टी० ई०) संयत्र बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार लाने हेतु पाक-विधियों से 5 प्रतिशत स्तर पर अमील्प से युक्त खाद्य तैयार करें।

(4) एन० सी० ई० आर० टी० तथा एस० सी० ई० आर० टी० के स्टाफ तथा स्कूल पूर्व शिक्षा सामग्री के विकास के साथ आई० सी० डी० एस० कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न स्तरों पर संसाधन केन्द्र स्थापित करके स्कूल पूर्व शिक्षा घटक सुदृढ़ करने के प्रयास भी किए गए हैं।

(5) प्रशिक्षक अवसंरचना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न आई० सी० डी० एस० कार्यकर्ताओं के संबंध में प्रशिक्षण लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। योजना के कार्यों तथा उद्देश्य के अनुरूप आई० सी० डी० एस० कार्यकर्ताओं को सचेत करने के लिए प्रशिक्षक सामग्री के घटकों तथा गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार किया गया है। आई० सी० डी० एस० कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का प्रगति का नियमित प्रबोधन किया जा रहा है तथा इस संबंध में पाई जाने वाली किसी भी कमी के लिए राज्य सरकारों से कहा जाता है।

किए गए उक्त विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, योजना के अन्तर्गत सेवाओं के वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

कृषि नीति

184. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से जनजातीय, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के किसानों के लिए अलग-अलग कृषि नीति बनाने का सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) भारत सरकार ने एक दीर्घकालिक संदर्भ में जनजातीय, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों सहित देश में कृषि विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कृषि नीति संकल्प का एक प्रारूप तैयार किया है। उस प्रारूप की प्रतियां 23 दिसम्बर, 1992 को सभा पटल पर भी रखी गई थी ताकि प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए सदस्यों की टिप्पणियों का लाभ प्राप्त किया जा सके।

निरक्षरता

185. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरक्षरता के बारे में हाल ही में हुए कुलपतियों की बैठक में जिन विषयों पर आम सहमति बनी उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्होंने इसके क्या कारण बताए;

(ग) क्या सरकार निरक्षरता दूर करने के लिए पुनरीक्षित कार्यक्रम को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने निरक्षरता दूर करने पर विचार-विमर्श करने के लिए कुलपतियों की कोई बैठक नहीं बुलाई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (घ) जी नहीं । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यनीति, उत्तर साक्षरता अभियानों के बाद पूर्ण साक्षरता अभियान ही रहेगी ।

[हिन्दी]

पाम आयल का आयात

186. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मलेसिया से पाम आयल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां तो इसको आयात करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके आयात का पाम ऑयल बीजों के उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) खाद्य तेलों के आयात के बारे में निर्णय, देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता, खुले बाजार में उनके मूल्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पामोलीन के मूल्य आदि को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर किया जाता है ।

(ग) देश में ताड़ तिलहनों के उत्पादन के लिए तेल ताड़ के बागान लगाने का कार्य इस समय शैशव व्यवस्था में है और इस स्थिति में यदि आयात किया भी जाता है तो उससे देश में ताड़ की खेती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में शिक्षा सुविधाएं

187. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा डिवीजन कार्यालय और अन्य रेल प्रतिष्ठानों तथा रेयनापेडू के वेगन मरम्मत कर्मशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) इन रेल कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु इस समय क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या रेलवे ने अगले शिक्षा सत्र से मुख्य रूप से रेल कर्मचारियों के बच्चों के हित में जूनियर कॉलेज आरम्भ करने हेतु दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) विजयवाडा में मंडल कार्यालय और अन्य रेलवे संस्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 11,900 है और माल-डिब्बा मरम्मत कारखाना, रायनपेड्डु में लगभग 4000 है।

(ख) रेलवे द्वारा विजयवाडा में दो हाई स्कूल और एक केन्द्रीय विद्यालय तथा रायनपेड्डु में एक हाई स्कूल और एक केन्द्रीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है ।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन पर रेलवे प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में सहायता प्राप्त विद्यालय

188. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी सहायता तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में विद्यार्थियों विशेष रूप से नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस की राशि पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विद्यालयों के माध्यम से भी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि इन विद्यालयों में मनमाने ढंग से फीस नहीं ली जाती है; और

(ङ) इन विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क लेने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका, तथा दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उनके द्वारा संचालित सरकारी सहायता-प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या, इस प्रकार है :—

दिल्ली प्रशासन	767
नई दिल्ली नगर पालिका	8
दिल्ली नगर निगम	345

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों से, आठवीं कक्षा तक कोई शिक्षा-शुल्क वसूल नहीं किया जाता है । इसके

अतिरिक्त, दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17 (3) में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

"प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रबन्धक, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष आरम्भ होने से पूर्व, शिक्षा निदेशक के पास, आगामी शैक्षिक-सत्र के दौरान, ऐसे स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा-शुल्क का पूर्ण विवरण भेजेगा और निदेशक की पूर्वानुमति के बिना, ऐसा कोई स्कूल उस शैक्षिक-सत्र के दौरान, उसके प्रबन्धक द्वारा, उक्त विवरण में दिए गए ब्यौरे से ज्यादा कोई शिक्षा-शुल्क नहीं लेगा।"

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में किए गए संशोधनों सहित) में यह परिकल्पना की गई है कि "सरकार तथा आम जनता" "प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने" जैसे कार्यक्रमों के लिए निधियों का पता लगाएगी।

(घ) और (ङ) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17 अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगी, कि स्कूलों द्वारा शिक्षा-शुल्क मनमाने ढंग से न लिए जाएं।

[अनुवाद]

शेरों की सुरक्षा और परिरक्षण

189. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पाए जाने वाले गिर सिंहों तथा अन्य नस्लों के शेरों की संख्या कितनी है;

(ख) गिर के शेरों तथा अन्य नस्लों के शेरों की सुरक्षा तथा उनके संरक्षण हेतु शुरू की गई योजनाओं तथा अब तक प्राप्त की गई सफलताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत में शेरों की केवल एक ही उप-प्रजाति है और वह भी केवल गीर में। पिछली बार गणना 1990 में की गई थी, जिससे पता चला कि गीर में 284 शेर हैं।

(ख) भारत सरकार गीर शेरों और उनके वास-स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गीर राष्ट्रीय उद्यान और गीर वन्यजीव अभयारण्य को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान दी गई राशि इस प्रकार है :—

	गीर राष्ट्रीय उद्यान	गीर वन्यजीव अभयारण्य
सातवीं योजना	15.37 लाख	16.61 लाख
1990-91	0.05 लाख	2.93 लाख
1992-92	0 10 लाख	7.13 लाख

तीव्र संचार और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बेतार नेटवर्क और चल गश्त गाड़ियां मुहैया करायी गई हैं।

प्रत्येक अग्नि मौसम में अग्नि संरक्षण उपाय किये जाते हैं।

उद्यान में पर्यटन को कड़ाई से नियंत्रित किया गया है।

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उनके आस-पास के क्षेत्रों का पारि-विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत मानव और पशुओं के बीच भिड़न्त के मामलों को कम करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय सहायता के रूप में 5.75 लाख रुपये दिये गये हैं। गीर में शेरों की संख्या 1985 में 239 थी, जो 1990 में बढ़कर 284 हो गई है।

(ग) गीर शेरों की सुरक्षा की चालू स्कीमें जारी रहेंगी।

सुपरफास्ट रेलगाड़ियां

190. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की संख्या में कमी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) औसत रफ्तार तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए की गई समीक्षा के आधार पर उन गाड़ियों की संख्या घटाकर 75 से 56 कर दी गई है, जिनमें सुपरफास्ट गाड़ियों का पूरक प्रभार वसूल किया जाता है; ऐसी सुपरफास्ट गाड़ियों की मौजूदा सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

सुपरफास्ट गाड़ियों की सूची

क्र०सं०	गाड़ी संख्या	गाड़ी का नाम
1	2	3
1.	2101/2102	मीनार एक्सप्रेस (सिकंदराबाद-बम्बई वी० टी०)
2.	2113/2114	इंद्रायनी एक्सप्रेस (बम्बई वी० टी० पुणे)
3.	2119/2120	कोणार्क एक्सप्रेस (भुवनेश्वर-सिकंदराबाद)
4.	2123/2124	डेकन क्वीन (बम्बई वी० टी०-पुणे)

1	2	3
5.	2133/1234	पुष्पक एक्सप्रेस (बम्बई वी० टी०-लखनऊ)
6.	2179/2180	ताज एक्सप्रेस (नई दिल्ली-आगरा-ग्वालियर)
7.	2303/2304	ए० सी० एक्सप्रेस (अमृतसर-नई दिल्ली-हावड़ा)
8.	2311/2312	कालका मेल (दिल्ली-हावड़ा)
9.	2381/2382	ए० सी० एक्सप्रेस (अमृतसर-नई दिल्ली-हावड़ा)
10.	2391/2392	मगध/विक्रमशिला एक्सप्रेस (नई दिल्ली-पटना)
11.	2401/2402	श्रमजीवी एक्सप्रेस (नई दिल्ली-पटना)
12.	2405/2406	नई दिल्ली-लुधियाना एक्सप्रेस
13.	2415/2416	गंगा गोमती एक्सप्रेस (इलाहाबाद-लखनऊ)
14.	2417/2418	प्रयाग राज एक्सप्रेस (नई दिल्ली-इलाहाबाद)
15.	2419/2420	गोमती एक्सप्रेस (नई दिल्ली-लखनऊ)
16.	2427/2428	वरुण एक्सप्रेस (लखनऊ-वाराणसी)
17.	2459/2460	अमृतसर-नई दिल्ली एक्सप्रेस
18.	2497/2498	शान-ए-पंजाब (नई दिल्ली-अमृतसर)
19.	2587/2588	गोरखपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस
20.	2607/2608	बेंगलूर-मद्रास एक्सप्रेस
21.	2615/2616	जी० टी० एक्सप्रेस (नई दिल्ली-मद्रास)
22.	2621/2622	तमिलनाडु एक्सप्रेस (नई दिल्ली-मद्रास)
23.	2625/2926	केरला-मंगला एक्सप्रेस (नई दिल्ली-त्रिवेंद्रम मंगलोर)
24.	2627/2628	कर्नाटक एक्सप्रेस (नई दिल्ली-बेंगलूर)
25.	2639/2640	वृन्दावन एक्सप्रेस (मद्रास-बेंगलूर)
26.	2641/2642	नव जीवन एक्सप्रेस (मद्रास-अहमदाबाद)
27.	2675/2676	कोवई एक्सप्रेस (मद्रास-कोयम्बतूर)
28.	2701/2702	गोवा एक्सप्रेस (निजामुद्दीन-मिरज)
29.	2723/2724	ए० पी० एक्सप्रेस (नई दिल्ली-हैदराबाद)

1	2	3
30.	2815/2816	नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस
31.	2821/2822	धौली एक्सप्रेस (हावड़ा-भुवनेश्वर)
32.	2841/2842	कोरोमंडल एक्सप्रेस (मद्रास-हावड़ा)
33.	2859/2860	गीतांजली एक्सप्रेस (बम्बई वी०टी०-हावड़ा)
34	2903/2904	फंटियर मेल (अमृतसर-बम्बई सेंट्रल)
35.	2925/2926	पश्चिम एक्सप्रेस (अमृतसर-नई दिल्ली-बम्बई-सेंट्रल
36.	2933/2934	कर्णावती एक्सप्रेस (बम्बई सेंट्रल-अहमदाबाद)
37.	2971/2972	जम्मू तवी एक्सप्रेस (जम्मू तवी-बम्बई सेंट्रल)
38.	2981/2982	सर्वोदय एक्सप्रेस (अहमदाबाद-नई दिल्ली-जम्मू-तवी)
39.	2983/2984	जम्मू तवी-राजकोट एक्सप्रेस
40	2997/2998	हापा-नई दिल्ली-जम्मू तवी एक्सप्रेस
41.	2137/2138	बम्बई वी०टी०-फिरोजपुर पंजाब मेल (बंबई वीटी-नई दिल्ली के बीच)
42.	2643/2644	मद्रास-पटना एक्सप्रेस
43.	2711/2712	विजयवाडा-मद्रास एक्सप्रेस
44.	2713/2714	विजयवाडा-सिकंदराबाद एक्सप्रेस
45.	2883/2884	टाटानगर-पटना एक्सप्रेस
46.	2927/2928	बम्बई सेंट्रल-वडोदरा एक्सप्रेस
47.	2961/2962	बम्बई सेंट्रल-इंदौर एक्सप्रेस
48.	2461/2462	मंदौर एक्सप्रेस (दिल्ली-जोधपुर)
49.	2605/2606	पल्लवन एक्सप्रेस (मद्रास-तिरुचिरापल्ली)
50.	2635/2636	वैगई एक्सप्रेस (मद्रास-मदुरै)
51.	2901/2902	पिंक सिटी एक्सप्रेस/दिल्ली-जयपुर
52.	2905/2906	आश्रम एक्सप्रेस (दिल्ली-अहमदाबाद)
53.	2907/2908	सूर्य नगरी एक्सप्रेस (अहमदाबाद-जोधपुर)
54.	2915/2916	गरीबनवाज एक्सप्रेस (दिल्ली-जयपुर-उदयपुर)
55.	2921/2922	आगरा-जयपुर एक्सप्रेस
56.	2955/2956	जयपुर (दुर्गापुरा-बम्बई सेंट्रल एक्सप्रेस)

"पर्यावरणीय दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की समीक्षा"

191. श्री शरत चन्द्र पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यावरणीय दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण हेतु वर्तमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों के निर्धारण हेतु वर्तमान मानदण्डों की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में शोध संस्थानों से भी परामर्श लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (च) जी नहीं। पैरामीटरों का अभिनिर्धारण विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद किया गया था। उनका पुनरीक्षण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विभिन्न प्रकार की पारि-प्रणालियों में पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार पैरामीटरों में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. मरुस्थल पारि-प्रणाली

(क) जलवायु संबंधी परिवर्तन (कम वर्षा, दिन के तापमान में अत्यधिक भिन्नता, धूल भरी आंधियां आदि);

(ख) नगण्य अथवा शून्य वनस्पति;

(ग) फसल उत्पादकता में कमी, मृदा क्षरण, मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाना।

(घ) पानी का अभाव, भूमिगत जल का अधिक शोषण, क्षारीयता व जलमग्नता की समस्याएं; और

(ङ) मानव व पशुधन की बढ़ती हुई आबादी का दबाव।

2. हिमालय पारि-प्रणालियां

(क) कमजोर भू-वैज्ञानिक संरचना;

(ख) अवरुद्ध वंशक्रम; तथा

(ग) मरुस्थलीकरण

3. हिमनद एवं हिमाच्छित पारि-प्रणालियां

(क) हिम रेखा में कमी;

(ख) नदी अपवाह पद्धति में बदलाव;

(ग) स्थाई तुषार का गलना;

(घ) संचार मार्ग;

(ङ) मलबे का संचलन;

(च) जलवायु संबंधी परिस्थितियां; और

(छ) स्थलाकृति

4. भू-स्खल अंचल

(क) बार-बार बादलों का फटना;

(ख) मिट्टी में जल के प्रवेश की गहराई;

(ग) जटिल आकार भू-वैज्ञानिक ढांचा;

(घ) अत्यधिक उभार; और

(ङ) वर्षा बहुत अधिक होना

5. भूकम्पीय अंचल

(क) बार-बार और जोरदार झटके; और

(ख) भ्रंशों की प्रकृति

6. जल संभर पारि-प्रणालियां

(क) गाद-जमाव;

(ख) युट्रोफिकेशन; और

(ग) जल-निकायों का प्रदूषण।

क्विलन-मद्रास रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

192. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलन-मद्रास छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) मद्रास-कोल्लम (753 कि० मी०) मी० ला० खंड के मद्रास बीच से विरूदुनगर (527 कि० मी०) भाग के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य आरंभ कर दिया गया है जिसे 1995-96 तक पूरा करने का

लक्ष्य निर्धारित किया है। हाथ में लिए गये कार्य के पूरा हो जाने पर इस मार्ग के शेष भाग के आमान परिवर्तन के बारे में विचार किया जायेगा।

बीजों पर राज सहायता

193. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को राजसहायता प्रदत्त मूल्य पर दर मुफ्त उन्नत किस्म के बीजों की आपूर्ति हेतु योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में बीजों की आपूर्ति की गई तथा 1992-93 हेतु कितनी मात्रा में बीजों की आपूर्ति करने का विचार है;

(ग) मूल्य का कितना प्रतिशत राज-सहायता के काम में है; और

(घ) 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा कौन-कौन से बीज कम कीमतों पर या मुफ्त प्रदान किए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार ने किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज राजसहायता प्राप्त दर पर या मुफ्त सप्लाई करने के लिए कोई स्कीम लागू नहीं की है। बहरहाल अधिक उपज देने वाली नई किस्मों, संकर किस्मों/यौगिक किस्मों के प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, चावल, मक्का, कदन्नों, तिलहनों तथा दालों आदि से संबद्ध फसल उत्पादन स्कीमों के माध्यम से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मूंगफली के मामले में क्वालिटी के लिए (अप्रमाणीकृत) बीजों के लिए भी प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

(ख) 1991-92 में किसानों को फसल, प्रकार तथा अवधि के अनुसार विभिन्न प्रोत्साहक दरों पर 19.89 लाख क्विंटल प्रमाणीकृत/अच्छी क्वालिटी के बीज वितरित किए गए हैं। 1992-93 के लिए 2987 लाख क्विंटल का लक्ष्य है।

(ग) प्रदत्त प्रोत्साहनों का विवरण संलग्न है।

(घ) 1991-92 में किसानों को बीजों की आपूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।

विवरण

क्रमांक	फसल	1991-92	1992-93		(रुपए प्रति क्विंटल)
			किस्म/संकर की अवधि		विशिष्ट किस्में
			10 वर्ष	10-15 वर्ष	
1	2	3	4	5	6
1.	चावल	200/-	200/-	100/-	250/बासमती को छोड़कर 400/- बासमती

1	2	3	4	5
2. गेहूं	200/-	200/-	100/-	250/-पहाड़ी के लिए द्रुम और पाला प्रतिरोध किस्मों के लिए
3. जूट	800/-	800/-(अवधि पर ध्यान दिए बिना)		
4. कपास	400/- (एसिड डिलेटेड) के लिए 300/-(यांत्रिक रूप से डिलिटेड)	800/- (संकर के लिए) 400/- (एसिड डिलिटेड किस्मों के लिए) 300/- (यांत्रिक रूप से डिलिटेड किस्मों के लिए)	500/- (संकरों के लिए) 250/- (किस्मों के लिए)	
5. तिलहन	300/-	300/- (अवधि पर ध्यान दिए बिना)		
6. दलहन	300/-	300/- (अवधि पर ध्यान दिए बिना)		
7. मक्का और कदन्न	500/- (संकर के लिए) 400/- किस्मों के लिए)	500/- (संकर के लिए) 400/- (किस्मों के लिए)	200/-	

गन्ने के मूल्य

194 श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गन्ने के मूल्य अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गन्ने के मूल्य में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गये गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के रूप में होता है और देश में कोई भी चीनी फैक्टरी गन्ना उत्पादकों को इससे नीचे के मूल्य अदा नहीं कर सकता है । फिर भी, वास्तव में अधिकतर राज्य सरकारें गन्ना कारखानों को यह सलाह देती रही हैं कि वे गन्ने के लिए न्यूनतम सांविधिक मूल्य से साधारणतया अधिक मूल्य अदा करें और ये मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि गन्ने के मूल्यों का भुगतान कठोरतापूर्वक गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुसार ही किया जाए ।

अप्रयुक्त विज्ञान उपकरण

195. श्री मनोरंजन भक्त :
　　श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विज्ञान उपकरण केन्द्र में लाखों रुपये की लागत के उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र के भवन में अभी तक अग्नि-निवारक पद्धति स्थापित नहीं की गई है जिसके कारण डेसू, केन्द्र को अपेक्षित मात्रा में विद्युत प्रदान नहीं कर सका है। अत: सभी उपकरणों को एक साथ उपयोग में नहीं लाया जा सकता जिसके कारण कुछ उपकरणों को कम उपयोग में लाया जा रहा है ।

(ग) अग्नि-निवारक पद्धति से संबंधित शेष कार्य को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके बाद विद्युत की अपेक्षित सप्लाई संभव हो पाएगी, जिससे उपकरणों को पूरी तरह उपयोग से लाया जा सकेगा ।

इंजीनियरिंग कालेजों के लिए उप-समिति का गठन

196. श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना करने हेतु दिशा-निर्देश देने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा गठित उप-समिति की तर्ज पर एक और उस-समिति का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, आवश्यक मानदंड तथा दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व अनुमोदन से नए इंजीनियरी कालेज स्थापित करने के लिए निजी सोसाइटियों द्वारा पूरे किए जाने होते हैं । इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, पूरी जाने वाली ये अपेक्षाएं, शैक्षिक सुदृढ़ता, वित्तीय व्यवहार्यता और भावी तकनीकी जन शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखती हैं ।

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली

197. श्री गुरुदास कामत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्राहलय, दिल्ली में स्वागत कार्यालय, पूछताछ कार्यालय और समुचित टिकट-खिड़कियों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय संग्रहालय में टिकट की बिक्री से कितना धन एकत्रित किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय संग्रहालय में टिकटों की बिक्री से एकत्र किया गया धन इस प्रकार है—

1990............32,907 रु०

1991............34,035 रु०

1992............37,059 रु०

कृषि उत्पादन

198. **डा० कृपासिन्धु भोई :**
श्री एच० डी० देवगौड़ा :
श्री चित्त बसु :
श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों का कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी "1992-93 के लिए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान" के अनुसार, इस वर्ष सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में 1992-93 की तुलना में 4.2% वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) आठवीं योजना के अंतिम वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारित विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार हैं—

	(मिलियन मी० टन में)
चावल	88
गेहूं	66
मोटे अनाज	39
दालें	17
कुल खाद्यान्न	210

(च) आठवीं योजना के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनायी गई नीतियों में बारानी खेती पर अधिक बल, देश के अन्य भागों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति के लाभों का प्रसार, सामान्य सिंचाई का प्रसार, मण्डी एवं मूल्य समर्थन कार्यों के अलावा पानी आदि के कुशल एवं सामान वितरण हेतु बेहतर संस्थागत प्रबन्ध तथा चालू फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है।

खाद्य तेलों का आयात

199. श्री बापू हरि चौरे : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) निर्णय संगत समय पर लिया जाएगा।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेल के उत्पादन का आंकलन इस प्रकार था—

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	खाद्य तेलों के उत्पादन का आंकलन (लाख मी० टन)
1989-90	47.22
1990-91	54.00
1991-92	52.40

(घ) खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं—

(1) बहुआयामी दृष्टिकोण वाली एक समेकित नीति को अपनाना, ताकि उत्पादन, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, कृषक सेवाओं, निवेशों और बाजार दखल/मूल्य समर्थन को इसमें शामिल किया जा सके तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने की नीति संबंधी विभिन्न योजनाओं को लागू करने हेतु तिलहन और दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना।

(2) राज्य सरकारों को विशिष्ट सहायता देकर सभी 9 प्रमुख तिलहनों के बारे में 21 राज्यों में, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को लागू करना।

(3) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(4) गैर-परम्परागत तिलहन फसलों के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना तथा वृक्ष और वनोपज बीजों से तेल का उत्पादन करने की क्षमता का दोहन करना।

(5) तेल मिलों के आधुनिकीकरण और उपयुक्त स्टेबिलाइजरों के संस्थापन के जरिए खाद्य ग्रेड चावल की भूसी के तैल के विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना-स्कीम चलाना।

(6) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभिज्ञात क्षेत्रों में 80,000 हैक्टेयर में ताड़ की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार करना और अग्रिम कार्य-योजनाओं के रूप में तेल-ताड़ की नर्सरियों और तेल-ताड़ के बीज बागानों (सीड गार्डन) को मंजूरी देना।

(7) देश में तिलहनों के उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख तिलहनों के ऊंचे समर्थन-मूल्य रखना।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

200. श्री एन० जे० राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1992 को, कृषि मंत्रालय, इसके विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद, आरक्षण-वार रिक्त पड़े थे;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को शीघ्रता से भरने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य राजसहायता

201. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए खाद्य राजसहायता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कितनी अनुमानित खाद्य राज-सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) 1992-93 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कुल कितनी खाद्य राजसहायता दी गई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1993-94 के लिए खाद्य राजसहायता के लिए लगभग 4100 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) 2500 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम को अब तक लगभग 2306 करोड़ रुपये निर्मुक्त/अदा किए जा चुके हैं।

खाद्यान्न का भंडार

202. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के भंडारों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी नहीं। 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में 105.35 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था जो बढ़कर 30 नवम्बर, 1992 को 106.54 लाख मीटरी टन हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विजयवाड़ा में विज्ञान केन्द्र

203. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विजयवाड़ा में एक विज्ञान केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य क्या होंगे और उसके क्या कार्यक्रम होंगे; और

(घ) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता, ने जो कि इस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, आंध्र प्रदेश सरकार की एक संस्था, आंध्र प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की वित्तीय सहायता से विजयवाड़ा में एक विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। केंद्र के लिए स्थापना की योजना तैयार कर ली गई है और आवश्यक क्षेत्र निर्धारित कर लिया गया है। तथापि, प्रस्तावित स्थान अभी तक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को सौंपा गया है।

(ग) विजयवाड़ा विज्ञान केन्द्र के लक्ष्य और कार्यक्रम निम्न प्रकार होंगे—

लक्ष्य

(I) प्रदर्शों और कार्यकलापों में आगंतुकों की सहभागिता के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।

(II) युवा बच्चों में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना और उनमें जिज्ञासा की भावना पैदा करना।

(III) स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ाना और शिक्षा में एक आत्मनिर्भर संस्कृति स्थापित करना।

(IV) विज्ञान को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना और समाज में वैज्ञानिक प्रकृति पैदा करना।

कार्यक्रम

अर्द्ध स्थायी दीर्घाएं, चल प्रदर्शनियां, लोकप्रिय विज्ञान प्रदर्शन, विज्ञान मेले, विज्ञान सेमिनार, रचनात्मक अभिरुचि तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित सामुदायिक विकास कार्यक्रम।

(घ) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को भूखंड सौंपने की तारीख के बाद यह अनुमानतः 18-24 माह में पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

204. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत राज्यवार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन केन्द्रों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य-वार कितने केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा योजना एक ऐसी वैकल्पिक शिक्षा योजना है जो कि उन बच्चों, जो किसी न किसी कारणवश औपचारिक स्कूलों में नहीं आ सकते, उन्हें औपचारिक स्कूल पद्धति के समतुल्य उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अतः अनौपचारिक शिक्षा योजना में रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम की कोई संकल्पना नहीं की गई है।

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान संस्वीकृत किए गए केन्द्रों को 1993-94 के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	स्वैच्छिक एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24400	2515	26915
2.	असम	13508	555	14063
3.	बिहार	50000	1705	51705
4.	जम्मू और कश्मीर	2145	25	2170

1	2	3	4	5
5.	मध्य प्रदेश	34080	375	34455
6.	उड़ीसा	13448	6250	19698
7.	राजस्थान	9575	990	10565
8.	उत्तर प्रदेश	59780	2500	62280
9.	पश्चिम बंगाल	—	960	960
10.	दिल्ली	—	375	375
11.	गुजरात	1550	2000	3550
12.	हरियाणा	—	685	685
13.	हिमाचल प्रदेश	—	350	350
14.	कर्नाटक	—	200	200
15.	केरल	—	150	150
16.	महाराष्ट्र	—	2600	2600
17.	मणिपुर	2500	100	2600
18.	मिजोरम	200	—	200
19.	तमिलनाडु	200	800	1000
20.	चंडीगढ़	100	—	1000
21.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
	भारत	2,11,486	23,135	2,34,621

[अनुवाद]

तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन

205. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने भविष्य में खाद्य तेलों के व्यापार हेतु अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) व (ख) वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, जिसमें उदारीकरण पर जोर दिया जा रहा है, भावी सौदा व्यापार के समय की कसौटी पर परखे साधन को मूल्य स्थिरीकरण के लिए कारगर साधन समझा जाता है। विभिन्न वस्तुओं की मांग आपूर्ति तथा मूल्य के रुख की सामान्य समीक्षा के अंग के रूप में वायदा बाजार आयोग विभिन्न वस्तुओं में, जिसमें खाद्य तेल आदि शामिल हैं, भावी सौदा/वायदा व्यापार शुरू करने/पुनः शुरू करने की सिफारिशें करता है। वायदा बाजार आयोग की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों के विचार मालूम किए जाते हैं। खाद्य तेलों के मामले में खाद्य तेलों में भावी सौदा व्यापार के बारे में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के विचार प्राप्त हुए हैं और उन पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

206. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपजाऊ भूमि का बड़े पैमाने पर अन्य प्रयोजनों के लिए किए जा रहे उपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उपजाऊ भूमि का अन्य प्रयोजन के लिए किए जा रहे प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) बढ़ती हुई आबादी और आर्थिक कार्यकलापों के विविधिकरण के कारण कृष्य भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भू-उपयोग का विनियमन राज्य सरकारों की मूल जिम्मेवारी है। फिर भी, भारत सरकार बार-बार सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से आग्रह करती रही है कि अच्छी कृष्य भूमि का उपयोग गैर-कृषि, प्रयोजनों के लिए न किया जाए। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति रूपरेखा तैयार की है और राज्यों से उसके कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है।

उच्च शिक्षा का गैर-सरकारीकरण

207. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में उच्च शिक्षा का गैर-सरकारीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षावृत्ति में वृद्धि

208. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों के लिए शोध-वृत्ति की राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों ने सरकार से शोधवृत्ति में वृद्धि करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फसलों की विविधता

209. डा० कृपासिन्धु भोई :
प्रो० राम कापसे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसलों की विविधता का कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्षेत्रवार तथा फसलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) भारत सरकार की फसलों के विविधीकरण के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। फिर भी भारतीय कृषि अनुसधान परिषद के तत्वावधान में विभिन्न क्षेत्रों व फसल उगाने वाली स्थितियों में विविध फसल पद्धति के लिए बेहतर किस्मों का विकास करने के लिए किस्मसु धार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कृषक भी बाजार मूल्यों के अनुसार गैर लाभकारी फसलों से लाभकारी फसलों की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं।

मेडिकल कालेजों में पुस्तकालयों के लिए धन की व्यवस्था

210. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मेडिकल कालेजों में स्थित पुस्तकालयों के लिए कुछ राशि स्वीकृत करके उन्हें सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती इसलिए आयोग उन चिकित्सा कालेजों को छोड़कर, जो किसी विश्वविद्यालय के विभागों/संकाय के रूप में हैं, देश में किसी चिकित्सा कालेज को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने आठवीं योजना के दौरान पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में चिकित्सा कालेजों को निम्नलिखित अनुदान अनुमोदित किए है :—

(रुपये लाखों में)

1. विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	50.00
2. जे० एन० चिकित्सा कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	41.50
3. एस० एस० अस्पताल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	6.00

[हिन्दी]

भूमि कटाव

211. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि का कटाव हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भू-कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन किसानों को वैकल्पिक भूमि देने का है जिन किसानों की भूमि का कटाव हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) नर्मदा घाटी में मृदा अपरदन की रोकथाम करने के लिए मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) भूमि राज्यों का विषय है, अतः इसका आबंटन आदि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य ऐसों मामलों पर अपनी वर्तमान नीति के अनुसार निर्णय लेंगे।

[अनुवाद] .

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को घाटा

213. श्री शरत चन्द्र पटनायक :
श्री सनत कुमार मंडल
श्री मोहन रावले

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अपने "मार्केट इन्टरवेन्शन आपरेशन" में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अनुमानतः कितना घाटा हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को हुए घाटे की जांच करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राक्कलित लाभ/हानि निम्नवत् है :—

1989-90	3.71 करोड़ रुपये का अधिशेष
1990-91	17.26 करोड़ रुपये का अधिशेष
1991-92	92.54 करोड़ रुपये की हानि

यह हानि इसलिए हुई क्योंकि मण्डी हस्तक्षेप परिचालन (एम० आई० ओ०) के आदेशानुसार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से तिलहनों/तेलों का स्टाक तैयार करने की अपेक्षा की गई थी ताकि कृषकों को प्रोत्साहनवर्द्धक मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें, सम्पति-सूची तैयार की जा सके और उसे मन्दी वाले मौसम के दौरान उचित दाम पर उपभोक्ताओं के हित में जारी किया जा सके। खाद्य तेलों के मूल्य पर बहुत अधिक गिरावट के कारण जिससे इन्वेन्टरी के मूल्य में कमी आई है, भी हानि हुई है।

(ग) हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन रुकने के लिए सरकार लेखों की जांच कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट"

214. श्री तारा चन्द खण्डेलवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पर बहुमंजिली भवनों की प्रस्तावित परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आंकलन और पर्यावरण प्रबन्धन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस परियोजना की शीघ्र स्वीकृति देने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास में बहुमंजिले भवनों, भूमि के उपभोग, प्रदूषण और अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि की प्रस्तावित परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबन्ध योजना के ब्यौरे की इस मंत्रालय में जांच की गई है और मंत्रालय की अभियुक्तियां भूतल परिवहन मंत्रालय तथा कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष को उनके विचारार्थ भेज दी गई हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों में संशोधन करें ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) परियोजना प्राधिकारियों से मंत्रालय की अभ्युक्तियों का उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्तावों को मंत्रालय में एक पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति के द्वारा जांच की जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

215. श्री तेज नारायण सिंह :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति 100 किलोमीटर रेल लाइन के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या को रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार में रेल लाइनें इसकी जनसंख्या की तुलना से कम बिछाई गई हैं;

(ग) बिहार तथा अन्य राज्यों में नई रेल लाइनें बिछाने तथा मौजूदा लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पूर्व रेलवे पर राजगीर और गया तथा फतुहा और इस्लामपुर के बीच नई लाइनों को बिछाने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) राज्य-वार जनसंख्या प्रति 100 किलोमीटर

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	*जनसंख्या 1991	31-3-1992 को को मार्ग कि०मी०	जनसंख्या प्रति 100 मार्ग कि०मी०
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66354559	5085.98	1304656
2.	अरुणाचल प्रदेश	858392	1.26	858392
3.	असम	22294562	2466.83	903774
4.	बिहार	86338853	5315.49	1624288
5.	गोवा	1168622	79.06	1168622
6	गुजरात	41174343	5281.38	779613
7.	हरियाणा	16317715	1498.52	1088922
8.	हिमाचल प्रदेश	5111079	266.45	1918213
9.	जम्मू और कश्मीर	7718700	77.29	7718700
10.	कर्नाटक	44806468	3065.07	1461842
11.	केरल	29032828	984.27	294968
12.	मध्य प्रदेश	66135862	5904.10	1120168
13.	महाराष्ट्र	78748215	5440.19	1447527
14.	मणिपुर	1826714	1.35	1826714
15.	मेघालय	1760626	—	—
16.	मिजोरम	686217	1.50	686217
17.	नागालैंड	1215573	9.35	1215573

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	31512070	2001.62	1574328
19.	पंजाब	20190795	2160.01	934755
20.	राजस्थान	43880640	5825.52	753248
21	सिक्किम	405505	—	—
22.	तमिलनाडु	55638318	4009.89	1387527
23.	त्रिपुरा	2744827	44.72	2744827
24.	उत्तर प्रदेश	139031130	8916.57	1559245
25.	पश्चिम बंगाल	67982732	3816.02	1781509
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	279111	—	—
27.	चंडीगढ़	640725	11.00	640725
28.	दादरा और नागर हवेली	138401	—	—
29.	दमन एवं दिव	101439	—	—
30.	दिल्ली	9370475	167.83	5583313
31.	लक्षद्वीप	51681	—	—
32	पांडिचेरी	807045	27.11	807045
	पूरा भारत	844324222	62458.38	1351819

* स्रोत : (भारत की जनगणना-1991, सीरीज-1), 1991 के दूसरे पेपर के पृष्ठ 4 के विवरण-I का कॉलम 5.

(ख) यह मामूली रूप से कम है।

(ग) विभिन्न राज्यों में नई लाइन/आमान परिवर्तन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

चालू नई लाइन निर्माण कार्यों की सूची

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सेवित राज्य
1	2	3
1.	मथुरा-अलवर	उत्तर प्रदेश/राजस्थान
2.	सतना-रीवा	मध्य प्रदेश

1	2	3
3.	गुना-इटावा	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश
4.	बगहा-छितौनी	उत्तर प्रदेश/बिहार
5.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	पश्चिम बंगाल
6.	नांगल डैम-तलवाड़ा	हिमाचल प्रदेश/पंजाब
7.	जम्मू तवी-ऊधमपुर	जम्मू और कश्मीर
8.	ब्यास-गोइंदवाल	पंजाब
9.	रामपुर-न्यू हल्दवानी	उत्तर प्रदेश
10.	जोगीघोपा-गुवाहाटी	असम
11.	इकलाखी-बलूरघाट	पश्चिम बंगाल
12.	दुधौनी-दीपा	असम/मेघालय
13.	मिगरेंडिसा-डिटोकछड़ा	असम
14.	करूर-डिंडीगुल	तमिलनाडु
15.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक
16.	एर्णाकुलम-अलेप्पी-कायनकुलम तक विस्तार	केरल
17.	त्रिचुर-गुरुवायूर	केरल
18.	तेलापुर-पाटनचेरु	आंध्र प्रदेश
19.	हवड़ा-आमता	पश्चिमी बंगाल
20.	कोरापुट-रायगढ़ा	उड़ीसा
21.	तालचेर-संबलपुर	उड़ीसा
22.	तामलुक-दीघा	पश्चिम बंगाल
23.	कपडवंज-मोडासा	गुजरात
24.	गोधरा-इंदौर	गुजरात/मध्य प्रदेश

चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की सूची

क्र० सं०	परियोजना का नाम	सेवित किए जाने वाले राज्य
1	2	3
1.	दौंड-बारामती	महाराष्ट्र
2.	वीरमगांव-जोधपुर	गुजरात/राजस्थान
3.	आगरा-बाड़मेर/जैसलमेर	राजस्थान

1	2	3
4.	दिल्ली-रेवाड़ी	दिल्ली/हरियाणा
5.	समस्तीपुर-दरभंगा	बिहार
6.	काशीपुर-लालकुआ	उत्तर प्रदेश
7.	छपरा-औंडिहारू	बिहार/उत्तर प्रदेश
8.	बुढवल-सीतापुर	उत्तर प्रदेश
9.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल और सगौली-नरकटियागज	बिहार
10.	इलाहाबाद-वाराणसी	उत्तर प्रदेश
11.	मनकापुर-कटरा-फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
12.	न्यू गुवाहाटी-लमडिंग	असम
13.	मैसूर-बेंगलूर	कर्नाटक
14.	बेंगलूर-हुबली	कर्नाटक
15.	डिण्डीगुल-त्रिची	तमिलनाडु
16.	मनमाड-परभनी-पर्ली बैजनाथ	महाराष्ट्र
17.	परभनी-पूर्णा-मुदखेड़-आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र
18.	मिरज-लोंडा	महाराष्ट्र/कर्नाटक
19.	हासपेट-हुबली	कर्नाटक/गोआ
20.	गुंटुर-गुंतकल और गुंतकल-कल्लूरु	आंध्र प्रदेश
21.	सिकन्दराबाद-द्रोणाचलम और सिकन्दराबाद-बोलारम	आंध्र प्रदेश
22.	कटपडी-पाकाला-तिरुपति	आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु
23.	गोंदिया-चांदाफोर्ट	महाराष्ट्र
24.	नडियाद-कपड़वज	गुजरात
25.	वीरमगांव-जोधपुर	गुजरात/राजस्थान
26.	आगरा-बाड़मेर/जैसलमेर	राजस्थान
27.	रेवाड़ी-जयपुर	हरियाणा/राजस्थान
28.	फाजिल्का-कोटकपुरा	पंजाब
29.	त्रिची-मद्रास	तमिलनाडु
30.	कोटशिला-पुरुलिया	पश्चिम बंगाल

मध्य प्रदेश में रेल फाटक

216. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर रेल फाटकों का निर्माण हो रहा है;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) कोई नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में यात्री सुविधाएं

217. श्री लाल बाबू राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में यात्रियों के लिए रिटायरिंग रूप और अन्य सुविधाओं से संबंधित कार्यों पर निधि की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थान कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) उक्त कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक निधि जारी करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई कृषि नीति

218. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आर्थिक दृश्य में परिवर्तन को देखते हुए सरकार का एक नई कृषि नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नीति कब से कार्यान्वित कर दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) हाल ही में सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहल को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में देश में कृषि विकस का ढांचा निर्धारित करने के लिए कृषि नीति संकल्प के प्रारूप का निरूपण किया है। प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए प्रारूप की प्रतियां 23 दिसम्बर, 1992 को सभा पटल पर भी रखी गईं ताकि माननीय सदस्य उसका प्रेक्षण कर सकें।

'कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में निजी हेलीकॉप्टर'

219. श्री राम विलास पासवान:
श्री मंजय लाल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमानन एजेंसियां पर्यटकों तथा अनधिकृत शिकारियों को बिना अनुमति प्राप्ति किये चोरी-चोरी हेलीकाप्टरों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लाती रहीं हैं;

(ख) क्या उद्यान के अधिकारियों ने हाल ही में ऐसा कोई हेलीकाप्टर जब्त किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) कार्बेट बाघ रिजर्व में बिना अनुमति के निजी हेलीकोप्टरों के उतारे जाने के मामले मंत्रालय के ध्यान में आए हैं;

(ख) ऐसा ही एक हेलीकोप्टर कार्बेट बाघ रिजर्व के फील्ड कर्मचारियों द्वारा जनवरी, 1993 में जब्त किया गया है;

(ग) सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के राम गंगा जलाशय में जो हेलीकोप्टर गिर गया था 25-1-1993 को उसे उन दो बिजली से चलने वाली नौकाओं और दो ट्रको सहित कार्बेट बाघ रिजर्व के कर्मचारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था जो क्षेत्र निदेशक की अनुमति के बगैर हेली-कोप्टर को निकालने आए थे।

(घ) कार्बेट के वन कर्मचारियों ने हेलीकोप्टर के मालिक के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल के यहां शिकायत दर्ज कराई है। नागरिक उड्डयन विभाग से भी इस मामले में औपचारिक जांच करने का अनुरोध किया गया है।

'उत्तरकाशी में भूकम्प से पीड़ित व्यक्ति

220. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्तः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1993 के दैनिक समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रेस में "आफिशियल्स कॉरनर उत्तर काशी विक्टिम्स प्लॉट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) वास्तव में भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित करने हेतु क्या कारंवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार से मंगवाया जा रहा है।

लोक सभा 12.02 म० प० पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्री का परिचय

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं आपको तथा आपके माध्यम से सभा को अपने मित्र श्री ए० के० एन्थनी का परिचय करता हूं जो नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू को आश्वासन के विरुद्ध जाकर दूरदर्शन पर चैनल-1 के मुख्य समय (प्राइम टाईम) में पंद्रह मिनट की कटौती करने से तमिल कार्यक्रम में कमी कर भारत सरकार गैर-हिन्दी भाषा राज्य तमिलनाडु में हिन्दी थोपना चाहती है।

अब तक तमिल समाचार प्रतिदिन 8.45 म०प० से 9.00 म० प० तक प्रसारित किया जाता था। अब वे, 1-1-1993 से, मनमाने ढंग से तथा तमिलनाडु सरकार से विचार-विमर्श किए बिना, 8.30 म० प० से 8.45 म० प० के बीच प्रसारित कर रहे हैं और मुख्य तमिल कार्यक्रम का समय पंद्रह मिनट कम कर दिया गया है। दूरदर्शन का मुख्य समय, जो कि तमिल लोगों द्वारा कार्यालय से घर लौटने के बाद देखा जाता है, पंद्रह मिनट कम कर दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडू के लोगों में दुर्भावना पैदा हुई तथा आम लोग इस कदम के विरुद्ध अपना रोष प्रदर्शित कर रहे हैं।

तमिलनाडु में, तमिलनाडु विधान सभा के संकल्प के अनुसार, द्विभाषा-सूत्र का अनुसरण अरिगनार अन्ना तथा डा० एम० जी० आर० के जमाने से ही किया जा रहा है।

भारत सरकार के संरक्षण में दूरदर्शन अधिकारियों द्वारा उठाये गए कदम से तमिलनाडु के लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है।

तमिलनाडु विधान सभा ने सर्वसम्मति से 10 फरवरी को एक संकल्प जारी कर भारत सरकार से क्षेत्रीय दूरदर्शन पर तमिल समय को पुनः लागू करने का अनुरोध किया है। यह एक भावनात्मक मुद्दा है।

मैं चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को लागू किया जाए। मैं इस संदर्भ में भारत सरकार का जवाब चाहता हूं।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैंने माननीय सदस्य

का अनुरोध सुना। मैं सम्बद्ध मंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाऊंगा। इस विषय में हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। (व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इसे देखेंगे तथा उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभी लोगों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप सभी लोगों की बात सुनुंगा तथा इस पर उचित रूप में निर्णय करेंगे। कृपया जल्दी न करें। मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

12.06 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1993 आदि के द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री बी० शंकरानन्द की ओर से मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय चिकित्सा परिषद (संसोधन) अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बनाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

(2) दन्त चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2336/93]

आर्थिक सर्वेक्षण, 1992-93

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं आर्थिक सर्वेक्षण, 1992-93' की एक प्रति···

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3368/93]

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1993 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3337/93]

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1993 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एन्टनी) : मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3338/93]

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन 'लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिकल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, इत्यादि द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अंतर्गत नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिकल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3339/93]

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1993 आदि द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अन्तर्गत वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1993 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3040/93]

(2) (एक) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3369/93]

औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का स्थानान्तरण और निरसन) अध्यादेश 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति), डा० अबरार अहमद की ओर से : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अंतर्गत औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का स्थानांतरण और निरसन) अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3341/93]

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का विवरण

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3370/93]

(3) (एक) केन्द्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3371/93]

रेल यात्री (टिकटों का रद्दीकरण और किराये की वापसी) संशोधन नियम, 1992, कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड आदि के कार्यकरण की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : श्री के० सी० लेंका की ओर से : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अन्तर्गत रेल यात्री (टिकटों का रद्दीकरण और किराये की वापसी) संशोधन नियम, 1992 जो 7 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 914 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3372/93]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3373/93]

(3) (एक) रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3374/93]

लघु और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अन्तर्गत लघु और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज अध्यादेश, 1993 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3342/92]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री कुमारमंगलम रंगराजन सभा पटल पर शीघ्र 24 अध्यादेश रखने वाले हैं।

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे पहले ही अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आप पहले बताइये कि कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है ? मैं आपका भाषण सुनना नहीं चाहता।

श्री अम्बारासु इरा : नियम 376.

अध्यक्ष महोदय : आप पुस्तक लीजिए और मुझे बताइये कि वह क्या है ?

श्री अम्बारासु इरा : नियम 376 (2) निम्न प्रकार है : —

"औचित्य का प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा।",

अध्यक्ष महोदय : यह नियम व्यवस्था का प्रश्न उठाने के संबंध में है और यही बात मैं कह रहा हूं। किस नियम का उल्लघन किया गया है ? कृपया बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपके माध्यम से सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं क्योंकि जहां तक मुझे स्मरण है, विगत में अन्तर्सत्तावधि कभी भी इतनी कम और संक्षिप्त नहीं रही है जहां दो महीने की अवधि में हमारे सामने 24 अध्यादेश आये हों। हो सकता है, उनमें से कुछ आवश्यक, अनिवार्य हो सकते हैं और हम उन पर उस समय चर्चा करेंगे जब उन अध्यादेशों

के स्थान पर समुचित कानून बनाए जायेंगे। परन्तु इस समय मैं आपका ध्यान लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष द्वारा प्रधान मंत्री के साथ लम्बे पत्र व्यवहार में की गई सार गर्भित टिप्पणियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री मावलंकर ने कहा था कि "अध्यादेशों की उदघोषणा की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अलोकतान्त्रिक है। कोई अध्यादेश न्यायोचित हो अथवा नहीं परन्तु बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी करने से मनोवैज्ञानिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग यह समझने लगते हैं कि सरकार अध्यादेशों द्वारा चलाई जा रही है।"

इसके पश्चात् प्रधान मंत्री को संबोधित एक अन्य पत्र में उन्होंने कहा था :

> "हमें प्रथम लोक सभा के रूप में परम्पराएं कायम करने का उत्तरदायित्व निभाना है। यह सरकार में वर्तमान पदाधिकारियों का प्रश्न नहीं है, परन्तु पूर्वोदाहरण का प्रश्न है और यदि आत्यन्तिक तथा आवश्यक मामलों के सिवाए, इस प्रकार अध्यादेश जारी करने को परम्परा द्वारा सीमित नहीं किया गया तो परिणाम यह हो सकता है कि भविष्य में सरकार अध्यादेश जारी करती रहेगी और इस प्रकार लोक सभा के पास अध्यादेशों पर मुहर लगाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहेगा।"

महोदय, इन टिप्पणियों के आधार पर, इसके पश्चात् अनेक अवसरों पर, इस सभा के सदस्यों ने और दूसरे सदन के सदस्य के रूप में मैंने इस मुद्दे को उस समय उठाया है जब कभी भी हमने इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी है कि नितांत आवश्यक मामला नहीं होने तथा अत्यन्त जरूरी अथवा आपातिक मामला नहीं होने पर भी कोई अध्यादेश इस प्रकार आसानी. जारी किया जा रहा हो जैसे कि विधान बनाने का वह एक सामान्य तरीका हो। इसलिए, मैं इस सभा में यह बता सकता हूं कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 में इस पर आपत्ति की थी कि 15 नवम्बर, 1971 को 13 अध्यादेश सभा पटल पर रखे गए। और तत्पश्चात् अध्यक्ष ने कहा था, मैं उद्धृत करता हूं :

> "मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इतने अधिक अध्यादेश जारी नहीं किए जाने चाहिए थे। मेरा अपना विचार है कि यह कोई इतनी छोटी बात नहीं है जिसकी अनदेखी की जाए। मेरे पूर्ववर्ती, श्री मावलंकर जी ने बहुत अच्छे निर्णण पर आधारित कतिपय टिप्पणियां की हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह यह देखे कि वास्तव में ऐसी आपातस्थिति या तात्कालिकता होनीं चाहिए जिससे अध्यादेश का जारी किया जाना न्यायोचित ठहराया जा सके।"

इसलिए मैंने आपको यह लिखा है कि इससे पूर्व कि राज्य मंत्री इन अध्यादेशों को सभा पटल पर रखें, यह एक उचित अवसर है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा व्यक्त उक्त विचार पर पुनः बल दिया जाए और सरकार को सचेत किया जाए कि अध्यादेश बनाने का यह अनियत और नेमी ढंग अनुच्छेद 123 लागू करने का सही तरीका नहीं है। यह सही है कि अनुच्छेद 123 कार्यकारिणी को उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद का सत्र आरम्भ होने में अभी विलम्ब हो, जब किसी बात की तत्काल आवश्यकता हो और यदि ऐसा न करने से राष्ट्रीय हितों को भारी हानि होती हो। केवल ऐसी स्थितियों में ही अध्यादेश जारी किए जाते हैं तथा

जैसाकि मैंने कहा, अध्यादेशों का एक साथ जारी किया जाना पूर्णतः अभूतपूर्व है और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में टिप्पणी की जानी चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : हम सभी ने जारी किए गए 24 अध्यादेशों के बारे में विपक्ष के नेता को सुना है और अभी एक मिनट पहले मुझे ये अध्यादेश सभा पटल पर रखने थे।

मेरे विचार से उनके यह ध्यान में लाना आवश्यक है कि 24 अध्यादेशों में से केवल सात अध्यादेश अंतर सत्रावधि में मूलतः जारी किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, शेष 17 में से 7 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जनवरी, 1993 में पुनः प्रख्यापित किए गए थे क्योंकि 1992 में संसद इन अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों को शीतकालीन सत्र के दौरान पारित नहीं कर सकी थी। मेरे विचार में विपक्ष के नेता और सभा को इस बात की जानकारी है कि कैसे और किन कारणों से सभा की कार्यवाही में बाधा पड़ती रही। शेष दस अध्यादेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से सम्बन्धित हैं।

ऐसे अध्यादेश भी हैं, सिवाए राजस्थान नगरपालिकाएं (संशोधन) अध्यादेश के, जो फिर से पुनः प्रख्यापित किए गए हैं। ये राज्य अध्यादेश हैं जो तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा पारित किए गए थे और विधान सभाएं भंग हो जाने के कारण स्वीकृत नहीं किए जा सके और वह कार्य अब इस सभा को करना पड़ रहा है। चूंकि समय समाप्त हो रहा था और वे सामान्य स्वरूप के विषयों से सम्बधित थे इसलिए उन अध्यादेशों को जारी करना पड़ा। अतः, संक्षेप में, केवल सात अध्यादेश हैं। विपक्ष के नेता द्वारा पढ़ा गया प्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर का कथन अभी भी सही है और इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। यह सही है कि यथासंभव, सत्र के दौरान अध्यादेश जारी करने से बचना चाहिए किन्तु सभा की कार्यवाही तो चले, सभा को विधायी कार्य अवश्य पारित करना चाहिए। हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जब लोगों का समूह सदन के बीच जमा होकर सभा को कार्य करने से रोक दे। तब हम यह नहीं कह सकते कि इतने अधिक अध्यादेश जारी नहीं किए जाने चाहिए थे। क्या सरकार का कार्य ठप्प किया जा सकता है और उसे इस प्रकार निष्क्रिय बनाया जा सकता है? क्या राष्ट्र को निष्क्रिय बनाना है? यह तो वास्तव में ऐसा मामला है कि पहले चोट पहुंचाओ और बाद में सहायता की गुहार करो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में मुझे चोरी और सीनाजोरी के कुछ मामले याद हैं। पहले आप करते हैं और फिर चिल्लाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे इन पत्रों को सभापटल पर रखने की अनुमति दें। वास्तव में, मैं आभारी हूंगा यदि मुझे सभा से यह अपील करने का अवसर प्रदान किया जाए कि कम से कम इस सत्र में हम इन अध्यादेश को पारित कर दें। हम एक ऐसी अपेक्षित गरिमा बनाए रखें जो हम सभी संसद सदस्यों को रखनी चाहिए ताकि विधायी कार्य चल सके। हम यहां विधायी कार्य करने के लिए हैं।

आपकी अनुमति से मैं ये पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपका विचार क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह है कि पहले अध्यक्ष ने जो कुछ कहा था उसका पालन किया जाना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हम सहमत हैं। क्या मुझे आज की कार्य सूची में मद संख्या 12 में अपने नाम के समक्ष उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए आपकी अनुमति है ?

राजस्थान नगरपालिकाएं (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 21), आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 1), भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 2) आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसम्बर, 1992 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिकाएं (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 21)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3343/93]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 1)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3344/93]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3345/93]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित दंतक चिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 3)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3346/93]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित लघु और अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के विलंबित भुगतान पर ब्याज अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3347/93]

(छह) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का स्थानान्तरण और निरसन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 5)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3348/93]

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 6)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3349/93]

(आठ) राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी 1993 को प्रख्यापित वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 7)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3350/93]

(नौ) राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी 1993 को प्रख्यापित अयोध्या में कतिपय क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3351/93]

(दस) राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी 1993 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3352/93]

(ग्यारह) राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी 1993 को प्रख्यापि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइडरो-एलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और नार्थ-ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 10)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3353/93]

(बारह) राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समितियां (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 11)।

[ग्रंथालल में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3354/93]

(तेरह) राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 12)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3355/93]

(चौदह) राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 13)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3356/93]

(पन्द्रह) राष्ट्रपति द्वारा 16 जनवरी, 1993 को प्रख्याप्ति मोटरयान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 1993 (1993 का संख्या 14)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3357/93]

(सोलह) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश (विद्युत शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्या 15)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3358/93]

(सत्तरह) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश विलासिता कर (होटलों और वासों में) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 16)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3359/93]

(अठारह) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित मध्य प्रदेश लाटरी प्रतिबंध अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 17)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3360/93]

(उन्नीस) राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित मध्य प्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 18)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3361/93]

(बीस) राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यां 19)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3362/93]

(इक्कीस) राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 20)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 3363/93]

(बाईस) राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 21)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3364/93]

(तेईस) राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित स्वर्ण बंध-पत्र (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्या 22)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 3365/93]

(चौबीस) राष्ट्रपति द्वारा 1 फरवरी, 1993 को प्रख्यापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 1993 (993 का अध्यादेश संख्या 23,

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3366/93]

(2) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 की धारा 11 की उपधारा (2)

के अन्तर्गत संसद अधिकारी (मोटर कारों के लिए अग्रिम) संशोधन नियम 1992 जो 18 दिसम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 935 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इनका एक शुद्धि-पत्र जो 15 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 69 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3375/93]

(3) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अन्तर्गत माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश, 1993 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3376/93]

केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3377/93]

(3) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3378/93]

12.18 म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 25 नवम्बर, 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1992।

(2) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1992।

2. मैं, 25 नवम्बर, 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयक भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992।

(2) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1992।

(3) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1992।

(4) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 1992।

(5) शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1992।

(6) संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1992।

12.19 म० प०

सभापति तालिका

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि प्रक्रिया-नियमों के नियम 9 के अधीन मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत किया है—

1. श्री शरद दिघे
2. प्रो० मालिनी भट्टाचार्य
3. श्री तारा सिंह
4. श्री नीतीश कुमार
5. श्री राम नाईक और
6. श्री पीटर जी० मरनियांग।

12.19½ म० प०

रेल अभिसमय समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री एम० बागा रेड्डी (मेडक) : मैं रेल अभिसमय समिति का "वर्ष 1993-94 के लिए

लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों" तीसरा संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.20 म० प०

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० के० एन्टनी विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई पूर्व) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मैंने मद संख्या 16, 17 और 18 का विरोध करने हेतु सूचना दी है, जो वापस लिए जाने वाले विधेयक हैं यदि आप हमें परिचालित की गई रोजाना की कार्य-सूची का फुटनोट देखें तो उसमें कहा गया है।

> "विधेयक 24 नवम्बर, 1992 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को वापिस लिए जाने के कारणों को बताने वाला विवरण सदस्यों में अलग से परिचालित किया जा रहा है।"

यह कार्य-सूची मिलने के बाद हमें कोई भी नई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, अब हमें यह मालूम नहीं है कि किन कारणों से वापस लिया जा रहा है; यदि हम इसका विरोध करना चाहें तो हमें अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने कार्यालय से ज्ञात हुआ है, कि 19 तारीख को यह परिचालित हुआ था। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, कार्यालय (विभाग) ऐसा कह रहा होगा, परन्तु कार्य-सूची में क्या दिया गया है, इसमें प्रकाशित किया गया है। "......वापिस लिया जा रहा है, सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।" इसका तात्पर्य यह है कि इसके पश्चात् ही हमें यह प्राप्त होगी। अतः हमें आज इस कार्य-सूची मिलने के पश्चात् कुछ भी नहीं मिला है।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एन्टनी) : यह आज कार्य-सूची के साथ आया है।

श्री राम नाईक : नहीं, यह हमें आज मिले पत्रों में नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इसका पता लगायेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि भेजे गए पत्र उन पत्रों के साथ आते हैं, जिन्हें सदस्यगण प्रातःकाल प्राप्त करते हैं।

श्री राम नाईक : नहीं, यह उनमें नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह तथ्य की बात है। हम इसके बारे में निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, आपकी स्थिति अब भिन्न है। कृपया आप शांत रहिए।

श्री ए० के० एन्टनी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी लाए।

श्री राम नाईक : महोदय, वे विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कैसे पेश कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि यह एक वास्तविक मामला है। आप कह रहे हैं कि पेपर भेजे नहीं गए हैं, वह कह रहे हैं कि पेपर भेजे गए हैं। मैं मानता हूं कि वे पेपरों को भेजे जाने के बारे में वक्तव्य देने के उत्तरदायित्व को समझते हैं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, पेपर भेजे गए हैं। मैंने यह स्पष्टीकरण पढ़ा है कि वे वापस क्यों ले रहे हैं। वहां यह है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु (वशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० के० एन्टनी : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

12.23 म० प०

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदायों पर ब्याज विधेयक

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु और आनुषांगिक औद्योगिक उपक्रम को विलंबित सदायों पर ब्याज के संदाय का उपबंध करने और उसे विनियमित करने और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लघु और आनुषंगिक उपक्रम को विलम्बित संदायों पर ब्याज के संदाय का उपबंध करने और उसे विनियमित करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० अरुणाचलम : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

12.23½ म० प०

औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं डा० मनमोहन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उपक्रम का कम्पनी अधिनियम, 1956 की अधीन कम्पनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कम्पनी में अंतरण और निहित होने का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का निरसन भी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उपक्रम का कम्पनी अधिनियम, 1956 की अधीन कम्पनी के रूप में बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कम्पनी में अन्तरण और निहित होने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का निरसन भी करने का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

12.24 म० प०

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1992, जिसे राज्य सभा ने 22 दिसम्बर, 1992 को पारित

किया था और 23 दिसम्बर, 1992 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने के लिए इस सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 1992, जिसे राज्य सभा ने 22 दिसम्बर, 1992 को पारित किया था और 23 दिसम्बर, 1992 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने के लिए इस सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.24½ म० प०

दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1992 के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दंत-चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1992, जिसे राज्य सभा ने 22 दिसम्बर, 1992 को पारित किया था और 23 दिसम्बर, 1992 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने के लिए इस सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दंत-चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1992, जिसे राज्य सभा ने 22 दिसम्बर, 1992 को पारित किया था और 23 दिसम्बर, 1992 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने के लिए इस सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.25 म० प०

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री (श्री एम० के० एन्टनी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में और

---

* दिनांक 23-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

संशोधन करने वाले तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० एन्टनी : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

12.25½ म० प०

स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं डा० मनमोहन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि स्वर्ण बाण्ड के अभिदाताओं को कतिपय उन्मुक्तियों और ऐसे बाण्डों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कर से कतिपय छूटों के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वर्ण बाण्ड के अभिदाताओं को कतिपय उन्मुक्तियों और ऐसे बाण्डों के संबंध में प्रत्यक्ष कर से कतिपय छूटों के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

12.26 म० प०

स्वर्ण बाण्ड (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1993 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं डा० मनमोहन

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया।

* दिनांक 23-2-93 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सिंह की ओर से स्वर्ण बांड (उन्मुक्ति और छूट) अध्यादेश, 1993 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3379/93]

12.26½ म० प०

लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदायों पर ब्याज विधेयक*

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम को विलम्बित संदायों पर ब्याज के संदाय का उपबन्ध करने और उसे विनियमित करने और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लघु और आनुषांगिक औद्योगिक उपक्रम को विलम्बित संदायों पर ब्याज के संदाय का उपबन्ध करने और उसे विनियमित करने और उससे ससक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० अरुणाचलम् : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

12.27 म० प०

[हिन्दी]

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैंने एक एडजर्नमैंट मोशन दिया है कि दिल्ली के अन्दर जिस तरह से रैली को बेन करने के लिए अघोषित एमर्जेंसी लगा दी गयी है, हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार के अन्दर आप देखिये कि जैसे इंटरनेशनल बोर्डर पर वायर फेन्सिग लगायी जाती है, वैसी ही व्यवस्था दिल्ली में की गयी है। इतना ही नहीं, घरों से पकड़ कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में एमर्जेंसी घोषित कर दी गयी है, क्या सरकार ने तय कर लिया है क्योंकि इसी सदन में

---

* दिनांक 23-2-93 के भारत के राजपत्रः असाधारण, भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

होम मिनिस्टर साहब ने यह आश्वासन दिया था कि बी० जे० पी० की गतिविधियों के ऊपर बैन नहीं किया जाएगा, आज बी० जे० पी० पर बैन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण मत कीजिए ।

श्री मदन लाल खुराना : भाषण नहीं, मैंने जो एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या कहना है, क्या उसने निश्चय किया है ।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, बैन सिर्फ बी० जे० पी० के ऊपर ही नहीं है बल्कि हम लोगों के कुछ कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारियां की गयी हैं । आज सवेरे ही, कई लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया है जबकि हम मण्डल कमीशन के सम्बन्ध में कुछ लोग मिलकर जाने वाले हैं ।

मैं एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं कि कल से यानी 22 फरवरी से इस पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है और 27 तारीख को बजट पेश होने वाला है । लेकिन बजट के पेश होने से पहले, कोयले के दामों में वृद्धि कर दी गयी, चीनी के दामों में वृद्धि कर दी गयी, कैरोसिन को डी-कन्ट्रोल कर दिया गया । मैं समझता हूं कि यह पार्लियामेंट का अपमान है । जब हाउस को आप राष्ट्रपति महोदय के आदेशों से बुला रहे हैं, सत्र के खुलने का नोटिस हो चुका है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके केवल सहमति प्राप्त करनी है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : बजट का दिन एक ऐतिहासिक दिन होता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ कन्सैंट मांगिये ।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नेशनल फ्रंट और लैफ्ट फ्रंट की तरफ से, हम लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन पेश किया है । इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय आज के दिन नहीं है जबकि संसद की गरिमा को गिराने का काम किया जा रहा है, दोनों पक्षों की ओर से, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप एडजर्नमेंट मोशन को पहले लें, प्राइस राइस पर चर्चा को पहले लीजिए ताकि इस देश की जनता की समस्याओं पर विचार किया जा सके ।
(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, मैंने भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । मैंने उनको एलाव किया है ।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है

कि मदन लाल खुराना, जो इस सभा के सदस्य हैं,…करके नियम 33(4)(क) का उल्लंघन किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने कंसैन्ट दिया नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। अभी वह आया नहीं है।

श्री ताराचंद खंडेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, मैंने भी एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : अध्यक्ष जी, आज राजस्थान बंद है। पूरे भारत में कानून की हत्या हो रही है। इसके लिए मैंने एडजर्नमैंट मोशन दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मेरे समक्ष अनेक स्थगन प्रस्ताव हैं। कुछ स्थगन प्रस्ताव विपक्षी दल के नेता तथा उनके मित्रों तथा कुछ अन्य दलों के नेताओं द्वारा दिए गये हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, उनके नाम भी बता दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है; ठीक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। मैं व्यवस्था देख रहा हूं। कृपया मुझे बाधा न पहुंचाएं। इस मुद्दे पर मेरा यह निर्णय है कि, ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन पर, यदि सदस्य इच्छुक हों, तो सभा में वाद-विवाद किया जा सकता है। लेकिन, चूंकि यह बजट सत्र है इसलिए इन मुद्दों पर चर्चा के लिए अनेक अवसर आएंगे। साथ ही भूतपूर्व अध्यक्ष ने यह व्यवस्था की थी कि बजट सत्र में सदस्यों को, अवसर मिलने पर इन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाएगी, परन्तु उन पर चर्चा अन्य रूप से की जा सकेगी। नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाने के पश्चात मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, ढाई घंटे का समय देने को तैयार हूं, लेकिन उस पर चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं बल्कि नियम 193 के अधीन होगी। मैं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी विचार करने को तैयार हूं लेकिन स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं अपितु नियम 377 के अधीन चर्चा समाप्त होने के शीघ्र पश्चात्, नियम 193 के अधीन चर्चा के रूप में। उन्हें भी चर्चा के लिए ढाई घंटे का समय आबंटित किया जाएगा। लेकिन उस पर कल 1.00 बजे म० प० तक चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वरराव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, विषय-वस्तु क्या है। सदस्यगण चर्चा की विषय-वस्तु से अवगत नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल दो अन्य मुद्दे उठाने की स्वीकृति देता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सहयोग करें । मैं आप सभी लोगों के प्रस्तावों को देखने के पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं ।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सूचना दी है । मुझे इसका अवसर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको कुछ समय दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपके इस निर्णय से सहमत हैं कि इन दो मुद्दों पर, बारी-बारी से, नियम 1993 के अधीन, न कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में, चर्चा की जाए । लेकिन, कम-से-कम हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उठाये जाने वाले प्रस्ताव में वास्तविक मुद्दा क्या है । हमें उसकी जानकारी नहीं है । इसलिए किसी को इसे पढ़कर सुनाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक सदस्य ऐसा करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में दिया गया है, तो इस रूप में इसे नहीं होना चाहिए । दोनों विषयों की विषय-वस्तु से सभा को अवगत कराया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद के प्रस्तावक इससे सभा को सूचित करेंगे । पहला, 25 तारीख की रैली से सम्बन्धित है तथा दूसरा प्रशासनिक प्रक्रियाओं द्वारा कीमतों में हो रही वृद्धि से सम्बन्धित है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर प्राइस राइज का इश्यू जिसके साथ भी मैं अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं, उसकी चर्चा आज हो जाए ।

मेरा आग्रह था कि अगर स्थगन-प्रस्ताव की स्वीकृति आपसे मिलती, तो स्थगन-प्रस्ताव के माध्यम से यह सदन, सरकार की भर्त्सना कर सके, निन्दा कर सके । इसलिए मेरा आग्रह था कि रैली के संदर्भ में अगर आज चर्चा हो जाए, तो अच्छा रहेगा । अन्यथा इसमें कोई आपत्ति नहीं कि जो एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस बढ़ाने का इश्यू और वह भी खासकर के सत्र के कुछ ही दिन पहले बढ़ाने का जो इश्यू है, उस पर चर्चा हो जाए और मेरे स्थगन-प्रस्ताव पर 193 के अन्तर्गत कल चर्चा हो जाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नही है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, क्योंकि मैं इसे बता चुका हूं; इसलिए कृपया हम इसका पालन करें। मैं समय को कम नहीं करना चाहता, अपितु मैं चाहता हूं कि दोनों मुद्दों पर ज्यादा-से-ज्यादा सदस्य बोलें।

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, क्या मैं आपका इस बात की ओर ध्यान दिला सकता हूं ? राज्य सभा में यह निर्णय लिया गया है कि वे कोयले की सरकारी मूल्यों पर चर्चा अल्पकालिक चर्चा के अधीन करेंगे। अतः यदि आज यहां भी कोयले के मूल्य पर चर्चा उठायी गया. तो मैं···

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया उस सदन में जा सकते हैं।

नियम 193 के अधीन चर्चाएं

1. बोट क्लब पर राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानीय मित्र श्री इन्द्रजीत जी ने सही बात कही कि स्थगन प्रस्ताव किस रूप में रखा गया है, इसकी जानकारी सदन को हो तो चर्चा में सुविधा होगी। इसलिए मैं स्थगन प्रस्ताव को पढ़कर सुनाता हूं। वह प्रस्ताव इस रूप में मैंने दिया था···(**व्यवधान**)···मैं उसकी चर्चा स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं कर रहा हूं लेकिन क्योंकि यह सरकुलेट नहीं हुआ और इन्द्रजीत ने यह सुझाव दिया कि जब तक सदन को जानकारी नहीं होगी कि किस विषय पर और किस रूप में हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा उपयुक्त नहीं होगी। इसलिए पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

> "मैं तात्कालिक महत्व के एक निश्चित मामले अर्थात संविधान के अनुच्छेद 19, को सभी नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों के एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है, नई दिल्ली स्थित बोट क्लब पर राजनैतिक रैली पर भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रतिबंध लगाकर उल्लंघन करने, जिसका कि सभी वर्गों के लोगों ने आम विरोध किया है, पर चर्चा के प्रयोजनार्थ सभा का कार्य स्थगित करने हेतु प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के लिए एतद्द्वारा नोटिस देता हूं।"

[हिन्दी]

यह स्थगन प्रस्ताव की शब्दावली है जो मैंने दिया है।

आज प्रातःकाल आपके कक्ष में जब चर्चा हुई थी तब भी मैंने इस बात पर बल दिया था कि सदन किसी विषय पर चर्चा करे और सदन एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करे, इन दोनों में एक अन्तर है। वहां पर आपने जो निर्णय सुनाया, अध्यक्ष के नाते आपका वह निर्णय शिरोधार्य है और इसलिए हमने इस बात को स्वीकार किया कि स्थगन प्रस्ताव में न सही तो रूल 193 के अन्तर्गत

जो अल्पकालिक चर्चा होती है, उस चर्चा के ही रूप में इस विषय को हम उठाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के लिए इससे अधिक उपयुक्त कोई विषय शायद ही हो सकता है। शायद सरकार को भी जानकारी नहीं होगी कि उनके बैन की घोषणा के बाद या इस रैली को अनुमति न देने के बाद क्या-क्या कुछ देश भर में होता रहा है।

बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी न होते हुए भी होती है और लोकतंत्र में मंत्रिमंडल और सरकार उसके लिए उत्तरदायी होती है, उस जवाबदारी से बच नहीं सकती। इसलिए जब मेरे कुछ और सदस्यों ने कहा कि हमारे लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए, उसका कारण है कि शुरू-शुरू में शायद कुछ लोगों की धारणा थी कि केवल भारतीय जनता पार्टी की रैली पर पाबन्दी लगी है। लेकिन बाद में जब सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि तीन महीने या चार महीने के लिए बोट क्लब पर किसी भी प्रकार की रैली की अनुमति सरकार नहीं देगी तो उसके बाद अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रिया हुई और जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने वक्तव्य देखे हैं। प्रायः सब विपक्षी दलों ने सरकार के इस निर्णय को सही नहीं कहा है। इन विपक्षी दलों ने भी सही नहीं कहा है जो विपक्षी दल मेरी पार्टी के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, बहुत कटु आलोचक हैं। तो भी यह जो सरकार का निर्णय है, इस निर्णय से असहमति प्रायः सबने प्रकट की है और इसलिए उसको भी मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव की शब्दावली में समाहित किया और कहा कि—

[अनुवाद]

जिसका कि सभी वर्गों के लोगों ने आम विरोध किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर के महीने में मैं सदन में उपस्थित नहीं था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की शाखा ने एक रैली की घोषणा की। वह रैली यहां तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली थी। वह एक क्लोज स्टेडियम है। भारतीय जनता पार्टी की उस रैली को श्री अटल बिहारी वाजपेयी संबोधित करने वाले थे और इसकी घोषणा भी की गई। उस रैली पर भी पाबंदी लगाई गई और कहा गया कि रैली नहीं हो सकती है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने लगाई होगी या प्रशासन ने लगाई होगी, क्योंकि उसके विरोध में जब वाजपेयी जी ने अनशन किया तो गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा कोई उद्देश्य हमारा नहीं है, हमने कुछ संगठनों को प्रतिबंधित किया है। उन सगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर चर्चा करने का मौका फिर सदन में आयेगा। इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद श्री वाजपेयी जी ने अनशन का त्याग केवल तब किया जब सार्वजनिक रूप से और इस सदन में आ करके गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि का सवाल है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपनी गतिविधि सारे देश में मुक्त रूप से करे। यह आश्वासन उन्होंने इस सदन को दिया है और पूरे देश को दिया है। उसको पृष्ठभूमि में रखकर इस निर्णय के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद घोषणा की कि वह 25 जनवरी को संसद का सत्र आरम्भ होने के बाद, संसद का सत्र तब तक घोषित नहीं था कि कौन-सी तारीख को होगा, अनुमान था कि तीसरे सप्ताह में आरम्भ होता है, 25 तारीख को हम बोट क्लब पर एक रैली करेंगे जिसमें कुछ मांगें करेंगे जो हम लगातार विगत दो महीनों में करते आए हैं। कुछ समय तक उसकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। चर्चायें चलती रहीं और चर्चायें चलने के बाद, उसके 10-15 दिन बाद सरकार ने घोषित किया कि हम इस रैली की अनुमति नहीं देंगे।

"पाबंदी" शब्द का प्रयोग नहीं किया लेकिन कहा है कि हम अनुमति नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद इसको इस रूप में माना कि सरकार को जो बहस राजनैतिक स्तर पर चलानी चाहिए, जो बहस वैचारिक स्तर पर चलानी चाहिए, उस पर वह चलाने को तैयार नहीं है। एक प्रकार से उसने स्वीकार किया कि राजनैयिक और वैचारिक स्तर पर वह पराजित हो गई और मुकाबला नहीं कर सकती है। इसीलिए इस रैली का मुकाबला करने के लिए कानून का अवलम्बन करना पड़ेगा और कानून का अवलम्बन करते हुए उन्होंने इस रैली पर पाबन्दी लगा दी। उसने घोषित कर दिया कि रैली पर पाबन्दी है। उसका परिणाम हमने पिछले चार दिनों में देखा है। पाबन्दी का अर्थ क्या होता है? आप एक बार हमारे पुलिस प्रशासन को कह दें कि इस रैली पर हमने पाबन्दी लगाई है और किसी रूप में इस रैली में लोग शामिल न हों तो पुलिस किस हद तक जाती है, इसका नमूना या तो 1975-76-77 में देखा या अभी पिछले 4-5 दिनों में देखा है। 1975-76-77 से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि अगर सरकार की नीति है कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए तो परिवार नियोजन की नीति को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन और पुलिस चाहे जितनी ज्यादतियां करें, चाहे जिसको गिरफ्तार करे, जिसको चाहे पाबन्दी लगाये, चाहे जिस प्रकार से जबरदस्ती स्टियरलाइजेशन करें, ये सारी ऐक्सिज 1975-76-77 में हमने देखी थीं और जिनके लिए एक आवरण था, एक कानूनी आवरण था कि उस समय सारे जितने फंडामेंटल राइट्स थे, एमरजेंसी लागू होने के कारण सस्पेंडिड थे, आज बिना आवरण के वही चीजें होने लगी हैं और कई चीजें सरकार के एप्रूवल से होने लगी हैं। मैं नहीं मानता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस ने यह तय किया कि यह कंसर्टिना बार्बड वायर जो होती है, जो कि बंगला देश की सीमा पर या पंजाब, कश्मीर की सीमा पर या राजस्थान, गुजरात की सीमा पर लगायी जा सकती है, इस दृष्टि से कि घुसपैठिये अन्दर न आ जायें। हमारे जो विदेशी शत्रु है, वह अन्दर प्रवेश न कर पायें, जो कंसर्टीनो बार्बड वायर्स वहां पर लगाये जाते हैं। सैंसिटिव इण्टरनेशनल बोर्डर्स पर, आज बोट क्लब पर लगाये गए हैं और उनको बोट क्लब पर लगाकर के···(व्यवधान) ··डिमोंस्ट्रेशन किया जाता है, टेलीविजन पर दिखाया जाता है। चित्र दिखाये जाते हैं कि किस प्रकार से कितनी खतरनाक है कि उसके ब्लेड्स पर कपड़ा भी फेंका जायेगा तो उसके चिथड़े-चिथड़े हो जायेंगे और कोई व्यक्ति अगर इसमें से पास करने की कोशिश करेगा तो उसका शरीर भी चिथड़े-चिथड़े हो जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, कि इससे आप क्या सन्देश देना चाहते हैं? क्या यह सन्देश देना चाहते हैं कि हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता रहा नहीं, कानून और व्यवस्था बनाये रखने का?

अध्यक्ष जी, यह चीज कोई यहां तक नहीं है। इस विषय पर जब धर्मवीर जी का पुलिस कमीशन बना था, तब बड़ी गम्भीरता से विचार हुआ था कि पुलिस का सैट अप, एक बार मन्त्रि-मण्डल कोई निर्णय कर ले तो वह किस हद तक जा सकता है और उसका एक पूरा चैप्टर उसमें है—चैप्टर 15, यह धर्मवीर जी की रिपोर्ट मेरे पास मेरे हाथ में है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की दूसरी रिपोर्ट।

[हिन्दी]

उसमें उन्होंने कहा कि एक समय था जब यहां पर अंग्रेज शासन करता था और उस समय प्रशासन और पुलिस दोनों इस बात को अपना कर्तव्य मानते थे कि अंग्रेज का शासन किसी भी

प्रकार से हिले नहीं, इस बात की देखभाल करना हमारा काम है। 1947 मे देश आजाद हुआ और आजादी के बाद स्वाभाविक रूप से कुछ परिवर्तन प्रशासन में भी आया, कुछ परिवर्तन पुलिस में भी आया लेकिन यह कुछ वर्षों तक रहा। उसका लम्बा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि बाद में क्यों बदला लेकिन बदलकर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि विरोधी दल एजीटेशन करने लगे, क्योंकि विरोधी दल हड़ताल करने लगे, स्ट्राइक्स करने लगे। ट्रेड यूनियंस बन्द करने लगीं, घेराव करने लगीं तो—

[अनुवाद]

"विपक्ष के कुछ राजनैतिक दलों द्वारा अपनायी गई आंदोलनकारी नीति के परिणामस्वरूप विरोध प्रदर्शन, जन सभाएं, रैलियां, औद्योगिक क्षेत्रों में राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित हड़तालें धरने, घेराव इत्यादि देश में राजनैतिक गतिविधियों का मुख्य अंग हो गए हैं···।"

[हिन्दी]

यह उस समय की बात है। इसका परिणाम यह हुआ कि :

[अनुवाद]

"···कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने लगा तथा सत्ताधारी दल राजनीतिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए ऐसी सभी स्थितियों से निपटने की उनसे अपेक्षा करने लगें। राजनीतिक विसम्मति को दबाना ही पुलिस का उद्देश्य स्वीकार कर लिया गया···।"

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, आगे धर्मवीर जी की यह रिपोर्ट कहती है :

[अनुवाद]

"···स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व पुलिस तथा विदेशी ताकतों के बीच जो संबंध था उसे जारी रखा गया और उसमें मात्र एक परिवर्तन किया गया कि विदेशी ताकत के स्थान पर सत्ताधारी राजनैतिक दल की ताकत प्रतिस्थापित हो गई···।"

[हिन्दी]

कितना गंभीर आरोप लगाया कि इसके परिणामस्वरूप पोलिटिकल एडवर्सरीज को रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल ने वही स्थान बना लिया, वही भूमिका अपना ली, जो 1947 से पहले अंग्रेज शासन ने अपनाई थी और पुलिस भी उनकी सेवा उसी प्रकार से करने लगी।

[अनुवाद]

"···पुलिस का ज्यादा से ज्यादा वक्त कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में लगने लगा जिसका आशय, वास्तव में, सत्ताधारी दल के अनुरूप इन स्थितियों से निपटना था। इसके परिणामस्वरूप, लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो पाई और उनके जीवन और संपत्ति के नुकसान को अनदेखा किया जाता रहा। जिससे पुलिस सत्ताधारी राजनैतिक दल के और करीब आती गई और देश की आम जनता से और दूर होती चली गई··"

[हिन्दी]

लम्बा विस्तार से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है और बड़े ढंग से एक्सप्लेन किया है और जिसका सबसे कड़वा उदाहरण हमने पिछले दिनों में देखा है जब हमारे संसद् सदस्य के साथ काम करने वाले लोग, उनके कोई पी० ए०, उनका कोई असिस्टेंट है तो घर पर जाकर उनको पकड़ लिया। एक हमारे सांसद रामदेव जी राम हैं, उनके लड़के का हाथ तोड़ दिया। मैं उन उदाहरणों का यहां पर उल्लेख नहीं कर रहा हूं, क्योंकि, कई सारे सदस्यों ने उसके आधार पर विशेषाधिकार प्रस्ताव भी दिए हैं लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हिन्दुस्तान को कोई कानून गृह मन्त्री जी को, गृह राज्य मंत्री को यह अधिकार नहीं देता है कि आप किसी के घर में जाकर कहें, यहां पर आलोक कुमार एडवोकेट हैं। उनके पास जाकर कहें क्या आप वही अलोक कुमार हैं, जो बीजेपी के केसेज कोर्ट में लड़ते हैं? उन्होंने कहा—हां, मैं लड़ता हूं। फिर कहा, चलो आपको गिरफ्तार किया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया।···(व्यवधान)···मुझे खुशी है, मुझे खुराना जी बताते हैं, कल कोर्ट ने उन को छोड़ दिया है। लेकिन इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। आप लोगों को ट्रेन में से रास्ते में उतार देंगे। आप स्टेशन का घेराव करके, जिस प्रकार से पार्लियामेंट प्रमैसिस के अन्दर कोई नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से नई दिल्ली के चारों और एक प्रकार से पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेज का कार्डन बना दिया है, जो अन्दर से आने वाले को रोकता है और अंदर से बाहर जाने वाले को रोकता है। रास्ते में मैरिजेज पार्टीज को रोक-रोक कर छानबीन की जाती है कि इनमें से कोई बीजेपी की रैली में जाने वाला नहीं है।···(व्यवधान)···एक गृह मंत्री ने बड़े गर्व के साथ मेरे सहयोगी से कहा, जब उनको कहा गया कि आप कैसे रोकेंगे, आखिर दिल्ली तो पहुंचेंगे। दिल्ली में रोकें तो मेरे समक्ष में आता है। दिल्ली में कोई कानून का उल्लंघन करे, धारा 144 तोड़े और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, यह उनको पूरा अधिकार है। लेकिन कोई व्यक्ति पंजाब से चला और वह यहां आता है और हरियाणा में रास्ते में, मुख्य मन्त्री कहता है कि कैसे रोकेंगे, 1982 में भी तो हमने रोका था। 1982 में जब कुछ लोगों ने घोषणा की थी कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, एशियन गेम्स पर पहुंचेंगे, तो हमने कैसे रोका था। एक-एक बस को रोक कर और एक-एक ट्रेन को रोक कर हमने छानबीन की थी, कौन जा रहा है वहां पर और हमने रोका था। क्या परिणाम हुआ, आप सोचिए इस पर। उस समय मैं यह मानता हूं, 1984 में ब्लू-स्टार आपरेशन जो हुआ, उसके कारण देश में और पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा क्षोभ पैदा हुआ है, लेकिन उसकी भूमिका 1982 में स्थापित की गई थी और 1980 में जो कुछ हुआ हरियाणा में, उस बात को फिर मैं दोहराऊंगा, बीजेपी के साथ दोहराऊंगा। देखें तो सही, कौन पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली पहुंचता है। यह धमकियां देना, हमको कहां ले जाएगा।

अध्यक्ष जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, अपने जितने समर्थक हैं, उनको इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं लिखित, और शायद एक कॉपी मेरे मित्र श्री खुराना जी और प्रमोदजी महाजन, ये सब लोग चव्हाण जी से मिलने गए थे, ने दी और कहा कि हमने घोषणा की है हम रैली करेंगे। हम शान्तिपूर्ण रैली करेंगे। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सिक्योरिटी फोर्सेज से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है।···(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : कोई क्रैडिबिलटी नहीं।···(व्यवधान)···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप कहते हैं कि क्रैडिबिलिटी नहीं है, तो उसके आधार पर शासन को पूरा अधिकार है कि जब कोई किसी कानून का उल्लंघन करे, किसी भी कानून का

उल्लंघन करे और कहीं पर भी करे, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करे। लेकिन केवल मात्र कोई व्यक्ति दिल्ली आ रहा है और दिल्ली में संभवतः रैली में भाग लेगा, इस आधार पर किसी को रोकने का कोई कानून नहीं है। जितने स्थानों पर आपने लोगों को रोका है, इसलिए गिरफ्तार किया है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, आपने कानून का उल्लंघन किया है। यह बात अलग है, हिन्दुस्तान में अदालतों में जाकर कोई न्याय आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है, जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका पूरा फायदा सरकार उठाती है और इसका पूरा फायदा बहुत बार आपके निर्देशों पर पुलिस उठाती है। आपके सामने जिस नेशनल पुलिस कमीशन के चैप्टर को मैंने उद्धृत किया है उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं।

[अनुवाद]

कुछ विशेष स्थितियां अथवा मामले जिसमें राजनैतिक, कार्यकारिणी या अन्य बाह्य स्रोतों द्वारा पुलिस पर प्रभाव डाला जाता है, नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

"सत्ताधारी दल द्वारा लोगों को विपक्ष में विधिसंगत राजनैतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए उन्हें हिरासत में रखा जाता है।"

[हिन्दी]

अब यह लेजिटिमेट पोलिटिकल एक्टीविटी है। दिल्ली आना, बोट क्लब की रैली में जाना और जाते हुए कोई उन्हें गिरफ्तार करे कि हां हम सेक्शन 144 वायलेट करते हैं।

[अनुवाद]

आप ऐसा करने के लिए बिलकुल स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

लेकिन कोई व्यक्ति त्रिवेन्द्रम से चलता है पालघाट से चलता है, बंगलौर से चलता है, बम्बई से, महाराष्ट्र से अलग-अलग ग्रामों से चलता है और आप उसको रोकें कि आप दिल्ली कैसे आ रहे हैं। आप बीजेपी के हैं आप दिल्ली नहीं जा सकते।

मेरा कहना यह है कि पुलिस कमीशन में इन्हीं बातों की ओर ध्यान दिलाया था और उस दौरान में क्या होता है पालघाट के हमारे एक कार्यकर्त्ता को लाठीचार्ज में मार दिया।

[अनुवाद]

उनका देहान्त परसों ही हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

इस बार 25 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हिंसा नहीं होगी, 25 फरवरी को हिंसा होगी तो सरकार की ओर से होगी। (व्यवधान) मुझे तो कभी-कभी यह भी समझ में नहीं आता है कि साधारण राजनैतिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इस प्रकार के बैन लगाने की गलती कैसे कर सकता है। अगर रैली होनी थी 25 फरवरी को होनी थी। (व्यवधान) हां, यह आरोप

लगाया जाता है। कभी-कभी सरकार जो कदम उठाती है तो कहा जाता है कि लगता है भारतीय जनता पार्टी का भला करने के लिए उठाया गया है और प्रधानमन्त्री पर जो उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग और इधर के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हो। (व्यवधान) मेरी समझ में नहीं आता कि अगर 25 फरवरी को यहां पर रैली होने वाली थी, बहुत बड़ी रैली होने वाली थी वह रैली हो जाए तो एक दिन की घटना है, अधिक से अधिक दो-तीन दिन की घटना है। एक स्थान की घटना है, नई दिल्ली की घटना है। उस पर आपने बैन लगा करके एक की बजाए हजारों रैलियां देश भर में करवा दीं और अभी हजारों रैलियां जेलों में करवाएंगे। हजारों स्थानों पर दमन करके अपने पुराने सारे अनुभवों को भुला करके, दमन से कभी कोई पार्टी रुकती नहीं है, दमन से कभी कोई विचारधारा रुकती नहीं है।

मुलायम सिंह जी ने यही करने की कोशिश की, 1990 में, उसका परिणाम आपके सामने है। आप फिर से वही करिए, दिल्ली में करिए, परिणाम फिर से आपके सामने आएगा, कोई बचा नहीं सकता। (व्यवधान) 1975 में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके देश में घोषित इमर्जेन्सी लगा करके भी यह सरकार अपनी सरकार को बचा नहीं पाई। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी अघोषित इमर्जेन्सी भी आपको बचा नहीं सकती. जिसको उल्टी गिनती कहते हैं "काउंट डाउन", वह उल्टी गिनती शुरू हो गई है उसमें आप भी योगदान दे रहे हैं। चार सरकारें बर्खास्त करना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद आदि पर पाबन्दी लगाना, फिर लोगों को गिरफ्तार करना, उसके ऊपर इस रैली पर पाबन्दी लगाना, ये सारे के सारे कदम ऐसे हैं जो राजनीति में वर्षों तक रहे हैं वे कभी इसको राजनैतिक सूझ-बूझ का परिचायक नहीं मानेंगे। (व्यवधान) हां, कोई विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेगा। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इससे तो आपको लाभ होगा, आपको तो वेलकम करना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं वेलकम करता, अगर मैं मानता कि इसके साथ-साथ उसी मात्रा में देश का भी भला हो रहा है तो मैं करता। मेरी पार्टी का तो भला हो रहा है लेकिन देश का भला नहीं हो रहा है, प्रशासन का भला नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

इसमें यह भी जिक्र है कि राजनैतिक दल के मतव्यों की पूर्ति करने के लिए पुलिस क्या-क्या करती है।

[अनुवाद]

राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठे आपराधिक मामले दर्ज करते हैं।

[हिन्दी]

अब मुझे जिस दिन गिरफ्तार किया गया था मैं तो सोच ही नहीं सकता कि इस प्रकार का चार्ज लगेगा। आप गिरफ्तार कर लेते, एन० एस० ए० के तहत पकड़ कर भेज देते तो मैं कहता कि भई, इनका सिक्योरिटी का कंसेप्शन, मेरा सिक्योरिटी का कंसेपशन अलग-अलग है और इसके कारण इनका तो नेशनल सिक्योरिटी का कंसेप्शन है उसके कारण गिरफ्तार कर

1.00 म० प०

लिया । लेकिन जब गिरफ्तार करते हैं तो आन पेटेंटली फाल्स चार्जेज और पुलिस वाला जो गिरफ्तार करता है, वह अपोलोजेटिक होकर कहता है कि मैं जानता हूं कि यह झूठ है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो दस्तखत करने पड़ते हैं, मैं क्या करूं ।

अध्यक्ष जी, गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देर नहीं हुई है, आप भी अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करिए । (व्यवधान) आज 23 तारीख है, आज सदन में ऐलान करिए कि हम घोषणा करते हैं कि आप रैली कर सकते हैं । जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आपके ऊपर पुलिस अगर लाठी-चार्ज करती है, आप पर अश्रु गैस फैंकती है, तो भी आप हिंसा का जवाब हिंसा से मत दीजिए। (व्यवधान)

उसका एक कारण यह भी है, मैं जानता हूं, आज सिक्यूरिटी फोर्सेस और पुलिस के मन में क्या भावना है और कुल मिलाकर किस विचारधारा का पालन···(व्यवधान)

इन सब की परेशानी के प्रति सहानुभूति प्रकट करिए । मैं सब की परेशानी पहचान पा रहा हूं । आज अचानक देश में इतना परिवर्तन आया है, इतना परिवर्तन आया है कि जिसकी कल्पना शायद पहले लोगों को नहीं थी । आज जैसे जैसे इनको मालूम हो रहा है, वैसे-वैसे लोगों की परेशानी इस प्रकार से प्रकट हो रही है और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 25 फरवरी की जो रैली होने वाली है, उस रैली पर पाबन्दी लगाना भी उसी परेशानी की अभिव्यक्ति है, इसी कुंठा, इसी फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन की अभिव्यक्ति है । सरकार को पहचानना चाहिए कि लोकतंत्र में दो विचारधाराएं, तीन विचारधाराएं, 4 विचारधाराएं हो सकती हैं । कम्युनिस्ट पार्टी की उस विचारधारा के बारे में, 1951 से 1954 तक, हालांकि उस कम्युनिस्ट पार्टी में और आज की कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत अन्तर है, उस समय जो विचार धारा थी और जिस प्रकार के भाषण दिए जाते थे हिन्दुस्तान में, कभी-कभी ऐसे लोग भी खड़े होते थे जो कहते थे कि इस पर पाबन्दी लगानी चाहिए । ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, ये तो लोकतन्त्र की संस्थाओं का उपयोग करना चाहते हैं, लोकतंत्र को उखाड़ने के लिए, और इनके बयान हैं । इनके बयान होते हुए भारतीय जनसंघ उस समय था, उसने कभी इस मत का समर्थन नहीं किया । हम हमेशा इस मत का विरोध करते थे और कहते थे कि लोकतन्त्र की शक्ति इस बात में है । (व्यवधान) लोकतंत्र की शक्ति इस बात में है कि अगर देश में दो विचारधाराएं हैं, उन दो विचारधाराओं पर कानूनी पाबन्दी लगा कर के उनको पराजित करने का प्रयत्न न किया जाए । अगर कोई टेररिजम में विश्वास करता है और उसके आधार पर कोई बात करता है तो,

[अनुवाद]

त्रुटि का यह एक अन्य रूप है ।

[हिन्दी]

वह विचारधारा नहीं है, लेकिन विचारधारा कि सांप्रदायिकता क्या है, सेकुलरवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद वह है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था, जिस भूमिका के आधार पर संविधान बनाया गया था और उस समय स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक जितने भी हमारे नेता थे, उन्होंने जो कल्पनाएं की थीं राष्ट्रवाद के बारे में, वे सही थीं या जिसके बारे में उन सभी बातों को नकारा

जाता है, वे बातें सही हैं। यह 1992 में आ कर हुआ कि इस सदन में वन्दे मातरम का विरोध करने वाले लोग भी निकले। इन बातों पर चर्चा करने की बजाय कहना कि भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर तो पाबन्दी लगा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी···

[अनुवाद]

(व्यवधान)···मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। (व्यवधान)

श्री इरा अम्बारासु (मद्रास) : आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। यह शर्म की बात है। आप सत्ता में आकर अयोध्या की पुनरावृति दिल्ली में करनो चाहते हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : और कोई आरगूमेंट नहीं है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं तो चाहूंगा कि इस सदन में जल्दी से जल्दी देश के जो दगे हुए हैं, बम्बई में दंगा हुआ है, गुजरात में दंगा हुआ है, उन पर चर्चा की जाए। क्योंकि मुझे इस बात पर गर्व है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द रहा, सांप्रदायिक शांति रही। दंगे होते हैं तो बम्बई में होते हैं, दंगे होते हैं तो चिमन भाई के गुजरात में होते हैं।···(व्यवधान)

गृह मंत्री जी बैठे हैं। ये स्वय बम्बई गए थे। प्रधान मंत्री जी बम्बई गए थे। इन दोनों ने और जिस मुख्य मंत्री को कल हटा दिया गया है, उस मुख्य मंत्री ने भी, तीनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बम्बई के दंगों का अयोध्या से कोई संबंध नहीं। उन सच्चाइयों को ध्यान में रख कर के आज संसद में उसकी चर्चा करने का अवसर आएगा, मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन आज एक बार पुनः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपने गलत निर्णय पर पुर्नविचार करें और पाबन्दी हटा दें। परसों जो लाखों लोग आने वाले हैं उनको इजाजत दें कि बोट क्लब पर, आज तक की जो परम्परा है, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी हथियार के इक्ट्ठे हों। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की रैली पर पाबन्दी लगाने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध हम लोगों ने अभी-अभी श्री आडवाणी का भाषण सुना। महोदय, यह पाबन्दी, केवल भारतीय जनता पार्टी की रैली के विरुद्ध नहीं अपितु आगामी चार महीनों तक दिल्ली में होने वाली सभी रैलियों के विरुद्ध, लगाया गया है।

महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों के पास शर्म नाम की चीज नहीं है···(व्यवधान)···राजनैतिक रैलियों पर पाबन्दी लगाना। कोई उचित कार्य नहीं है। परन्तु जब राजनीतिक गतिविधियों की आड़ में उन्माद पैदा किया जाता हैं, धर्म को वरीयता दी जाती है और जब राजनैतिक लाभ के उद्देश्य से धर्म और राजनीति को मिलाया जाता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम लोग इसका सामना राजनैतिक रूप से करें।

अतः आज देश के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने की आवश्यकता है। ये लोग

मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष हैं तथा कुछ राजनीतिक दलों तथा उनके साथियों द्वारा धर्म के नाम पर देश को बांटने के भरसक प्रयास के बावजूद वे लोग धर्मनिरपेक्ष ही रहेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अतः हमारी व्यवस्था को जानबूझकर कैंसरग्रस्त करने की कोशिश को राजनैतिक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अतः, सैद्धांतिक रूप से हम लोग ऐसी पाबन्दी का समर्थन नहीं करते। आज श्री आडवाणी कहते हैं मैं नहीं जानता "हम लोगों को खुशी है कि हमें राजनीतिक लाभ प्राप्त हो रहा है।" तब आप पाबन्दी का विरोध क्यों कर रहे हैं? किसके उपयोग के लिए ?

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : राष्ट्र के लिए···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैंने कई बार इस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं कि गलत कदम सरकार उठायेगी, गलत घटना कोई होगी तो फिर उसका लाभ स्वाभाविक रूप से विपक्ष को मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम चाहें कि सरकार कोई गलत कदम उठाए। मैं, कई बार कांक्रीट उदाहरण देखता हूं कि अगर किसी की हत्या से सरकारी पार्टी का फायदा होता है, उन्हीं की पार्टी के किसी नेता की हत्या होती है, सवाल यह नहीं है कि सरकारी पार्टी चाहेगी कि किसी की हत्या हो जाय और उसी से फायदा होता है। लेकिन, इसी प्रकार से जब बैन लगाते हैं तो बैन से पोलिटिकली फायदा होता है। यह देश के लिए, प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष जी, यह बात आडवाणी जी ने सही कही है और फायदा देखकर ही बोलते हैं। 27 नवम्बर को मैं यहां से बोल रहा था तो आडवाणी जी और अटल जी यहां बैठे हुए थे तो मैंने उस दिन कहा था कि आप इस भीड़ को नहीं रोक पाओगे, मस्जिद गिरेगी। आप दोनों चुप रहे। आडवाणी जी, उस दिन आपको चुप रहने में फायदा था इसलिए आप फायदा देखकर ही बोलते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने आडवाणी जी के वक्तव्य का इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि उनका दल इससे राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। उनके द्वारा उठाये गए कदम से यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में अशांति फैलाकर इस देश के लोगों को बांटना चाहती है तथा उनके अनुसार इससे उन्हें लाभ मिलेगा···(व्यवधान)।

लेकिन महोदय, हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि जो बात भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी है वह आज कुल मिलाकर देश के हित के विरुद्ध है। अतः भारतीय जनता पार्टी का फायदा देश का नुकसान है और इस देश में सही सोच वाले सभी धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में इस कैंसर से ग्रसित हमारे इस राजतंत्र के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ना होगा··· (व्यवधान) आज इस देश के सही सोच वाले प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्तव्य और दायित्व है कि···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : ममता बनर्जी बोलिए···(व्यवधान) आपने अपने खून से कलकत्ता की सड़कों पर क्या लिखा था, बताइए।···(व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री आडवाणी जी ने कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती किसके लिए ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस सरकार के लिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह उल्टी गिनती इस सरकार के लिए है या इस देश में धर्म-निरपेक्षवाद के पतन के लिए है या जहां तक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संबंध है, उसका पतन है ? हम इस सरकार से मुग्ध नहीं हैं। लेकिन हम इस देश की धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को बनाए रखना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि आप राजनीति के नाम पर कोई खेल खेलें और इस देश में धर्म का फायदा उठायें। इसीलिए, यदि उल्टी गिनती शुरू करनी है तो इस देश में साम्प्रदायिक राजनीति के लिए इसे शुरू किया जाना चाहिए और हम सभी को इस सांप्रदायिक बुराई को समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम यह प्रश्न उठाना चाहिए कि आज देश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। ऐसा क्यों है कि आज इस देश में हमें अपने लोगों को धर्म निरपेक्षवाद की उच्च परम्पराओं के बारे में स्मरण कराने के लिए कार्रवाई और उपाय करने पड़ रहे हैं और हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारे संविधान में इन उच्च परम्पराओं को शामिल करने के लिए सर्वोत्तम ढंग से क्या सोचा था ? महोदय, हमारे यहां मजहबी राज्य नहीं होगा। हमारे यहां भारत में मजहबी राज्य हो ही नहीं सकता। हम इसके विरोधी हैं। 'हिंदुत्व' के नाम पर, राष्ट्रीय लोकाचार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और इसकी सहयोगी पार्टियां जो कुछ कर रही हैं वह देश में मजहबी राज्य की स्थापना करना है जिससे कभी भी लोगों को लाभ नहीं हो सकता। लाखों लोगों का क्या होगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके उन्हें मत टोकिये। नहीं, यह ठीक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वह मेरे पिताजी का नाम लेते हैं तो उन्हे सुनना भी चाहिए। मैं बता दूं कि उन्होंने भी हिन्दू महा सभा छोड़ दी थी और वे इस तरफ आ गये थे। उन्होंने यह महसूस किया था कि समय बदल गया है। क्या यह बोलने का ढंग है ? क्या यही भारतीय जनता पार्टी का मानक है ? मेरे पिताजी ने जो कुछ किया उसके लिए मैं शर्मिन्दा नहीं हूं।··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु : यह आजादी का बच्चा है, आप चुप रहो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने कहा है कि यदि 25 तारीख को रैली की जाती है तो वहां कोई हिंसा नहीं होगी। अतः उन्होंने अब एक और वायदा किया है। मैं आडवाणी जी, उनके मित्रों और अनुयाइयों से पूछता हूं कि क्या आपने, जहां तक अयोध्या में मस्जिद की सुरक्षा का संबंध था, एक सत्यभाव से आश्वासन नहीं दिया था ?

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : मस्जिद नहीं थी, विवादित ढांचा था, आप लोग बार-बार मस्जिद कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष मस्जिद की सुरक्षा के लिए एक सत्यनिष्ठ शपथपत्र नहीं दिया था ? अब हम उसी महानुभाव से पुनः यह सुन रहे हैं। उनका कहना है कि, "यदि न्यायालय की मानहानि और भगवान की अवज्ञा के बीच कोई विरोध है तो मैं न्यायालय की मानहानि करूंगा, भगवान की अवज्ञा नहीं।" क्या यह एक सभ्य देश है ? क्या यह एक सभ्य दृष्टिकोण है ?

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : ममता बनर्जी को कलकत्ता में जब मारा तो क्या वह सिविलाइज्ड था ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप समझते हैं कि यह मामला महत्वपूर्ण है तो आपको सभी व्यक्तियों के विचारों को शांति पूर्वक सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : जब आडवाणी बोल रहे थे इन्होंने पूरे चालीस मिनट तक हर वाक्य पर उनको टोका, किसी नेता ने इनको नहीं रोका।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय को जानबूझकर गुमराह किया गया है। महोदय, जब भारत के उच्चतम न्यायालय ने वहां पर 'कीर्तन' और 'भजन' के अलावा किसी प्रकार का निर्माण न करने के लिए सुस्पष्ट आदेश दिया था तो वहां पर लोग जानबूझकर इकट्ठा हुए। आडवाणी जी ने लघु रथ यात्रा की। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने एक अन्य लघु रथ यात्रा की। उन्होंने वाराणसी और मथुरा नामक स्थानों को अपनी लघु रथ यात्रा से शुरु करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से चुना क्योंकि वे वाराणसी या मथुरा में मस्जिदों को गिराने के लिए खुले आम मांग कर रहे थे। वह किस आशय का संदेश देना चाहते थे ?

हमें संवैधानिक स्थिति के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। आज धर्म ग्रंथों का उदाहरण देना करीब-करीब शैतान के समान है। उस दिन उनका संविधान, उनका लोकतंत्र कहां गया जब उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के उद्देश्य से लोगों को वहां इकट्ठा किया। उस समय उनका संविधान और उनकी राजनीति कहां गई ? हमने ऐसा कभी नहीं सुना। महोदय, उन्होंने वहां पर पहले ही सोच समझकर मस्जिद, जिसे वे विवादित ढांचा कहते हैं—को गिराने के उद्देश्य से लोगों को इकट्ठा किया जो सारे देश के लिए शर्मिन्दगी का कारण बना। आज अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को हम पर विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि हम सभ्य लोग नहीं हैं। क्या उस दिन सरकार नाम की कोई चीज थी ?

मैंने कलकत्ता में कल्याण सिंह जी के भाषण की वीडियो रिकार्डिंग देखी है। उन्होंने कहा कि भगवान की प्रेरणा के कारण ही मस्जिद पांच-छः घंटों में ध्वस्त हो गई, अन्यथा इसे ध्वस्त

होने में एक-डेढ़ महीना लग जाता। इस तरह वे लोगों में उन्माद उत्पन्न कर रहे हैं। कल्याण सिंह जी ने कहा है कि "यह मलवा कहां फेंका जाना चाहिए, मैं नहीं जानता। यह सब भगवान का आशीर्वाद है।" क्या इस देश को चलाने का यही तरीका है।

आज जब मैंने आडवाणी जी से यह सुना कि लोग यहां आएंगे और यहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, क्या उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है? महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि मैं रैली पर रोक लगाने के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं अपितु मैं यह कह रहा हूं कि कौन अपनी दिक्कत बता रहा है, और कौन आरोप लगा रहा है। हमें इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रक्षा करनी है। हमें लोगों को एकता और अखंडता को बचाना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : एक मैम्बर आफ पार्लियामेंट के लड़के का हाथ तोड़ दिया, इसके लिए क्या सजा है? इसके लिए बोलो, अगर बोलना है।

श्री तारा चंद खंडेलवाल (चांदनी चौक) : जब रैली पर चर्चा है तो अपनी विचारधारा रैली के सम्बन्ध में करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पूर्णतया प्रासंगिक है। आप कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या यह आने वाले दिनों का संकेत है। क्या संसद की इसी प्रकार उपेक्षा की जाती रहेगी? क्या यह हमारा कर्तव्य है, क्या यह संसद का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कोई भी राजनैतिक दल, जो जैसे तैसे सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस देश के संविधान को कमजोर करने के प्रयास में लगा हो, सफल न हो।

वे खुलेआम कर रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनका कहना है कि पुलिस की भी उनके साथ सहानुभूति है। यह किस बात को इंगित करता है?

यदि आपके प्रति पुलिस की सहानुभूति है तो श्री आडवाणी जी वह पुलिस आपको और आपके मित्रों को परेशान नहीं करती। आपके और पुलिस के बीच एक प्रकार का दिखावा मात्र है। आप जो कहते हैं उसमें ताल-मेल होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह देश अत्यधिक गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है; यह देश एक गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। मुझे दुख है कि अयोध्या में 6 दिसम्बर को जो कुछ भी हुआ उसके लिए यह सरकार भी अपनी निष्क्रियता के कारण उत्तरदायी है। आप भी उत्तरदायी थे। हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आज आप इस सांप्रदायिक दल को अन्य धर्म-निरपेक्ष दलों के समान बता रहे हैं। आपने जो यह प्रतिबन्ध की लपेट में सभी को ले लिया है यह अनुचित है। आपने उन व्यक्तितों को, जो इस देश की धर्म-निरपेक्ष भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, इन व्यक्तियों के साथ मिला दिया है। आप विघटनकारी शक्तियों और एकतावादी शक्तियों के बीच अन्तर करने में असमर्थ रहे हैं। आप सहचारी शक्तियों और विनाशकारी शक्तियों के बीच भेद नहीं करते हैं। ऐसा करना आपकी मजबूरी है। आज, जबकि कुछ राजनैतिक दल और जनता इस देश को एक सूत्र में बांधे रखने

का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको उसी स्थिति में रख रहे हैं जिसमें कि कुछ व्यक्ति इस देश की जनता की एकता को तोड़ने का और संविधान का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग देश की जनता और देश का बंटवारा करना चाहते हैं।

हम अब दूसरे देशों में भी महाभारत के बारे में सुन रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि यह हिन्दू विरोधी संविधान जाना चाहिए। ये सभी बातें कौन कह रहा है ?

महोदय, व्यक्ति को अपने व्यवहारों, अपने वचनों और अपने कार्यों से सम्मान प्राप्त करना होता है। केवल एक विशेष पोशाक पहनकर आप जनता का सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपनी पोशाक को एक विशेष रंग दे सकते हैं। ऐसा करके, आप अनिवार्यतया सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने व्यवहारों, अपने कार्यों और उन उदाहरणों, जो आपने अपने जीवन में स्वयं कायम किये हैं, से सम्मान प्राप्त करना होगा। हमारे देश के समक्ष जो उद्देश्य हैं उन्हें कौन पूरा करेगा ? आज हिन्दू-विरोधी संविधान कह कर, इस संविधान का विनाश किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि यहां इस देश में मिथ्या धर्म निरपेक्षवाद है। ये सभी बातें आज कही जा रही हैं। राजनीति को हवा में फेंक दिया गया है। आर्थिक संकट को भुला दिया गया है। जनता की कठिनाइयों (कष्टों) के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है। आज, इस देश में केवल एक ही चीज रह गई है वह यह कि वे उस स्थान पर मंदिर बनवायेंगे जहां राम का जन्म हुआ माना जाता है। (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी : सम्पूर्ण राष्ट्र उसमें विश्वास करता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं हैं कि आप जो कुछ करते हैं और आप क्या क्षति पहुंचाते हैं तथा जनता के मस्तिष्क में कैसा क्रोध आप उत्पन्न करते हैं। हमारे देश में यह एक अत्यधिक गंभीर स्थिति है। इसलिए महोदय, हालांकि इस संपूर्ण प्रतिबंध का हम हम विरोध करते हैं, हमने यह स्पष्ट कर दिया है, मैं इस सदन के बुद्धि संपन्न वर्गों और सदन से बाहर जनता से भी अपील करता हूं कि उन्हें उस गंभीर खतरे से जागरूक रहना चाहिए जो इस देश पर थोपा जा रहा है। हम इस सरकार से आग्रह करते हैं कि वह कम से कम खड़ी तो हो और दिखाए कि उसमें दम है तथा वह इन विघटनकारी शक्तियों तथा सांप्रदायवादी शक्तियों का दृढ़ता से मुकाबला कर सकती है।

मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि केवल इधर-उधर प्रतिबन्ध लगाकर वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती, सरकार को यह कार्य राजनैतिक तथा प्रशासनिक इच्छा शक्ति से करना चाहिए। अन्यथा आप इस देश में उसी प्रकार असफल हो जायेंगे जैसे कि आप एक बार 6 दिसम्बर को असफल हो गये थे। इस देश की धर्म-निरपेक्ष शक्तियों को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सरकार उस बुराई का मुकाबला कर सके जो इस देश को विभाजित कर रही है।

जैसा कि मैंने कहा था, श्री आडवाणी ने 6 दिसम्बर को अयोध्या में हुई घटना की भर्त्सना करने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं इसकी भर्त्सना करने से मना करता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसकी भर्त्सना नहीं की। आज तक, जो कुछ हुआ है हमने उसकी भर्त्सना के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : ममता बैनर्जी को किस संविधान के अंतर्गत पीटा गया क्या कभी आपने इस बात पर गृह मंत्री की निंदा की ? (**व्यवधान**)

श्री हरिन पाठक : एक मंत्री ने, अपना मंत्री पद छोड़ दिया, इस बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा ?

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु ने अपने कक्ष में कुमारी ममता बैनर्जी की पिटाई करवाई, क्या आपने उसकी निन्दा की ? (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, श्री ज्योति बसु ने प्रैस के लोगों की पिटाई की और उनका दफ्तर रायटर बिल्डिंग से हटा दिया, क्या आपने उसकी निन्दा की ? (**व्यवधान**)

श्री तेजसिंहराव भोंसले (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई एक सांसद बोल रहे हैं, लीडर आफ कम्युनिस्ट पार्टी बोल रहे हैं, तो मैं इतनी ही मांग करता हूं कि यदि बीच में कोई आपकी आज्ञा के बिना बोलता रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसका लाउडस्पीकर बन्द कर दिया जाए या ऐसी व्यवस्था हो कि सिर्फ जो बोल रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी सब स्पीकरों के लाउडस्पीकर बंद हों।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न दुरुस्त है। लाउडस्पीकर भी दुरुस्त रहेगा, मगर उसको खुलकर आप ज्यादा इस्तेमाल मत करिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सरकार को दृढ़ता से कार्य करना चाहिए और उसे इस देश में विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करना चाहिए। सरकार को आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए।

सरकार ने कतिपय सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया है, परन्तु हमें यह जानकारी नहीं है कि इस प्रतिबन्ध को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा ? यह कैसे किया गया है, मैं नहीं जानता ? गृह मंत्री महोदय कृपया बताएं कि आप इस प्रतिबन्ध को कैसे लागू करायेंगे। ये संगठन खुले रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा वे अत्यधिक प्रसन्न हैं। उस मस्जिद के ध्वंसावशेष पर ये संगठन खुशी महसूस कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि वह ढांचा मंदिर था या मस्जिद था, उसको यहां बार-बार मस्जिद कह कर ही नेता लोग उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले भी ऐसा ही किया गया और आज भी ये यही काम कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की बातें यहां नहीं होनी चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये लोग इस देश में धर्मनिरपेक्षवाद को मार कर सत्ता में आना चाहते हैं। परन्तु मुझे यकीन है कि इस देश की जनता असली लोकतन्त्रवादी है; जनता कभी भी

इस प्रकार के सांप्रदायिक दल को सत्ता में आने की अनुमति नहीं देगी। (व्यवधान) हम प्रत्येक मंच, प्रत्येक स्थान पर उनसे लड़ेंगे और हम उनसे राजनैतिक रूप से भी लड़ेंगे और मैं चाहता हूं कि इस सरकार को एक सरकार तथा सशक्त सरकार के रूप में व्यवहार करना चाहिए और इस राजनैतिक दल को सरकार की ओर से किसी प्रकार की निष्क्रियता का लाभ नहीं पहुंचने देना चाहिए।

इसलिए, आज जबकि देश एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, मैं बैठने से पूर्व एक बार फिर सदन से और बाहर की जनता से अपील करता हूं कि देश जिस हालात का सामना कर रहा है वह अत्यधिक गंभीर हालात हैं। आओ हम एकजुट हो जाएं और अपनी राजनीतिक व्यवस्था के कैंसर से मिलकर लड़ें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मध्याह्न भोज का क्या हुआ? डेढ़ बज चुका है। मध्याह्न भोज के लिए सभा कब स्थगित होगी?

एक माननीय सदस्य : चर्चा के पश्चात्। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम नहीं जानते। हमें नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं आपको बताऊंगा। हम मध्याह्न भोज भी करेंगे और मध्याह्न भोज अवकाश भी होगा। सभा अब स्थगित होगी। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर देता हूं कि उसके पश्चात् यह चर्चा 4 30 म० प० तक जारी रह सकती है। तत्पश्चात्, दूसरा मामला लिया जाएगा। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे कि चूंकि दूसरा मामला भी महत्वपूर्ण है तो पर्याप्त समय उपलब्ध होगा और यह आज 7 म० प० तक चलना चाहिए। कल रेल बजट और अन्य मामले हैं। अतः, यह कठिन होगा। आओ हम आज ही चर्चा करें। अब हम 2. 30 म० प० तक मध्याह्न भोज के लिए स्थगित होते हैं।

1. 37 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन हेतु 2. 30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.34 म० म०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.34 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्रियों का परिचय—जारी

[अनुवाद]

जल संसाधन मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, सभा के औपचारिक कार्य से हटकर मुझे आपको और आपके माध्यम से सभा को श्री

सलमान खुर्शीद का परिचय कराना है, जिन्हें पदोन्नत कर विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री बनाया गया है।

2.35 प० प०

नियम 193 के अधीन चर्चाएं—जारी

(एक) बोट क्लब पर राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबन्ध—जारी

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, सर्वप्रथम मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा। जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह प्रतिबन्ध सभी दलों के लिए तीन माह के लिए है। मेरा विश्वास है कि यह प्रतिबंध सभी साम्प्रदायिक दलों के लिए होना चाहिए। कोई भी अन्य दल जो सांप्रदायिक नहीं है, जिसका आधार सांप्रदायिक नहीं है, को अपना मत व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि जब हम इस देश में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, श्री पायलट और श्री चव्हाण कृपया इस पर ध्यान देंगे और यह देखेंगे कि यह प्रतिबन्ध जो तीन मास के लिए है, सभी तीन दलों के लिए होना चाहिए जो पंथ निरपेक्ष विरोधी हैं··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : सांप्रदायिकता की परिभाषा आपको याद है क्या ? आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनायें, वह सांप्रदायिक नहीं है ?

श्री जगदीश टाईटलर : जो भी साम्प्रदायिक पार्टीज हैं, हमने उनका कहा है। हमने आपकी पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया है। अभी तो नाम ही नहीं लिया। मुझे शुरूआत तो करने दो, अभी तो शुरूआत ही नहीं की मैंने। जब मैं शुरूआत करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास (करोलबाग) : फिर हमारी पार्टी की रैली पर बैन क्यों लगाया ? हमारी पार्टी तो नेशनल पार्टी है। **(व्यवधान)**

श्री दाऊदयाल जोशी : कव्वे के काटने से ढोर नहीं मरते। **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाईटलर : बिल्कुल बताएंगे। अभी थोड़ी देर में बताएंगे। मैंने कहा अभी बताते हैं। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास : आपसे बड़ी कोई कम्युनल पार्टी नहीं है। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री जगदीश टाईटलर : आप मेरी बात सुनिए, मैंने तो कम्युनल पार्टी का नाम लिया, मैंने बी० जे० पी० का तो नाम ही नहीं लिया।

श्री कालका दास : क्योंकि हमारी पार्टी कम्युनल पार्टी नहीं है इसलिए हमारी पार्टी की रैली पर बैन क्यों लगाया ? (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप जरूर बोलिए। (व्यवधान)

श्री कालका दास : हमारी पार्टी तो नेशनल पार्टी है, नेशनल रिकगनाइज पार्टी है और आने वाली पार्टी है।

श्री जगदीश टाईटलर : अभी बताता हूं, कैसे आ रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम कृपया सरकार के विचार सुनें।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : हमारी आने वाली पार्टी है, आपकी जाने वाली पार्टी है।

श्री जगदीश टाईटलर : अभी बताता हूं, अभी पता चल जायेगा कि कैसे आपकी पार्टी आ रही है। बोलने तो दीजिए न।

श्री कालका दास : आप अपनी खैर मनाओ।

श्री जगदीश टाईटलर : अगर शोर मचाकर, रैली करके, मस्जिद विवाद को बनाकर, तोड़कर अगर आप सोचते हो कि यहां राज करने आओगे तो यह सपना ही रहेगा। (व्यवधान)

श्री कालका दास : ये कभी नहीं हुआ। जिनको खुश करने की बात कह रहे हो, वह पता नहीं कब आपको छोड़कर चले जायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें। सरकार के विचार सुनें।

[हिन्दी]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जब आडवाणी जी बोल रहे थे तब किसी ने बीच में नहीं बोला था।

श्री दाऊदयाल जोशी : जब आडवाणी जी बोल रहे थे, उस वक्त आप नहीं थीं।

श्री जगदीश टाईटलर : क्योंकि दिल्ली में आपकी रैली हो रही है, अगर हो सकेगी, इसलिए मेरी बात आप जरा दो मिनट सुन लें।

अभी आडवाणी जी ने कहा कि हम पर एतबार कीजिए कि हम रैली बिल्कुल शांतिपूर्ण रखेंगे, सोमनाथ चटर्जी जी ने बड़े डिटेल्स के अन्दर वह बात आपके सामने रखी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं एक बात जरूर कहूंगा। मैंने सोमनाथ चटर्जी जी को कोट किया है। मैं यह बात कह रहा हूं कि जब-जब आपने जिस बात के लिए जो मुद्दा लिया है, अगर 20-25 साल का दिल्ली की राजनीति का ही इतिहास लें, उसमें अगर बी० जे० पी० को लिया जाय तो आपने अपनी एक बात को भी रखा नहीं है।

मुझे याद है, आडवाणी जी कारपोरेशन के मैम्बर थे, मुझे आप करैक्ट कर सकते हैं, जब

आपने दिल्ली अंग्रेजी हटाने की बात की, दिल्ली का चक्का बन्द कर दिया था, जो नम्बर लिखे हुए थे दुकानों पर, वह काले पोत दिये थे, जिस बस पर अंग्रेजी में जहां लिखा था, वह बसें तोड़ दी थीं और कहा था कि अंग्रेजी का हम नाम भी नहीं लेना चाहते और जानते हो क्या हुआ ? कारपोरेशन का इलैक्शन हुआ तो उसके बाद जितने भी बी० जे० पी० के लीडर्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में डाल दिया तो कौन एतबार करेगा।

उसके बाद गऊ माता की हत्या के विरोध में, जिसके लिए मैं भी बहुत खिलाफ हूं उसका भी आपने एक मुद्दा उठाया। साधू सन्तों को सारे देश से इकट्ठा किया, सामने लाये, मरवा दिया, साधू संतों को। वायलेंस हुई, कनाट प्लेस में आग लगाई, दुकानें लूटीं, पता नहीं कितनों की जान गई पर आपने वायदा तब भी किया था कि हमारी रैली बहुत शान्तिपूर्ण होगी, कोई वायलेंस नहीं होगा और उसका नतीजा यह हुआ कि कनाट प्लेस आधा जलता रहा, दुकानें लूटी गईं, उसके बाद आपने लोगों को···(व्यवधान) मैं सबका जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री कालका दास : 1984 में क्या हुआ था। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : आपने यह बात उठा कर, अपनी बात कहने का मौका दिया है। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : पुलिस ने साधुओं पर गोलियां चलाई। साधु मारे गए। जब एक्शन करोगे तो रियेक्शन होगा। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : बड़ी खुशी की बात है, 1984 की बात आपने मेरे ऊपर डाली मेरा बड़ा दिल करता था, कभी न कभी पार्लियामेंट में जवाब देना पड़े तो बड़ा अच्छा होगा। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। (व्यवधान) तीन कमीशन्स बैठे—मेरे ऊपर अटैक है, इसलिए मेरा बोलना बहुत जरूरी है—तीन कमीशन्स बैठे, दस हजार से ज्यादा एप्लीकेशनन्स आई। किसी ने भी डायरैक्ट तो छोड़िए, इनडायरेक्ट भी मेरे लिए एप्लीकेशन नहीं डाली। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अरे वाह !

श्री जगदीश टाईटलर : अरे वाह नहीं। आपकी रैली बार-बार बोट क्लब पर बैठती। यही मदन लाल खुराना, लीडर थे, हमारा नाम लेते थे कि जगदीश टाईटलर को फांसी दो, लेकिन आज तक सबूत पैदा नहीं कर सके। जब मिश्रा कमीशन बैठा और उसमें भी डायरेक्ट बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : मरे, पर किसने मारे, क्या आत्म-हत्या कर ली। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : मैं जानता हूं दिल्ली के अन्दर भी एक ही लीडर हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े-बड़े नेताओं को हराया। वाइस प्रैजीडेंट से लेकर जनरल सैक्रेटरी और प्रैजीडेंट तक जगदीश टाईटलर ही है। हराना और जीतना मुझे अच्छी तरह से आता है। उसके बाद जब आपकी यहां पर भी नहीं चली, तो आपने बाजार से बोतलों में गंगाजल भर कर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मजे की बात यह है कि इंडियन एक्सप्रैस ने उस दिन यह फोटोग्राफ खींचा। आपके कार्यकर्ता जब नलके से बोतलों को भर कर लोगों से कह रहे थे कि यह गंगाजल है, इसको खरीदो। उसके बाद आप गंगा जल के बारे में भी भूल गए। फिर आपने ईंट लेकर और राम का नाम लेकर मासूम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हर इंसान में

भगवान और ईश्वर का रूप होता है। यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है और न आपको हमें बताने की जरूरत है। ईश्वर की पूजा करने से कैसा रिश्ता ईश्वर के साथ होता है मैं यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर इंसान का रिश्ता अपने क्रिएटर के साथ, अपने ईश्वर के साथ कैसा होगा, यह बी० जे० पी० नहीं बता सकती है कि मेरा रिश्ता मेरे भगवान के साथ, मेरे राम के साथ कैसा है और तुम्हारा तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे राम के साथ कैसा है, भगवान के साथ कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मां अपने दो बच्चों के साथ बैठी है, जिसका बाप मर जाता है, वह पूछती है इनका क्या कसूर है, वह तो अयोध्या भी नहीं गया, उसने तो मस्जिद की बात भी नहीं की और राम की बात भी नहीं की। उसके बारे में जवाब कौन देगा, उसके बारे में जवाब आप नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : बम्बई और अहमदाबाद के बारे में जवाब क्या है? (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : मैं आ रहा हूं, आप सुनने की क्षमता रखिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया उनकी बात सुनें। जब आपको बोलने का अवसर मिले तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : महोदय, उन्हें सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : आप अपने भाषण में मुझे करैक्ट कर देना।

उपाध्यक्ष जी, एक बात सबसे बड़ी है। दिल्ली एक व्यापार का केन्द्र है। मैं अपनी 1984 की बात आपके सामने बताता हूं और उसके बाद भी आप अगर बोलना चाहते हैं, तो मैं बैठ जाता हूं, दो मिनट के लिए। (व्यवधान)

श्री कालका दास : कमीशन आपने बैठाया, प्रूव नहीं हुआ। 1984 के दंगों में दिल्ली में सिक्ख समुदाय का क्या हुआ। उनका किसने किया। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : दिल्ली एक व्यापार का केन्द्र है, जहां लाखों की तादाद में लोग सारे हिन्दुस्तान से आते हैं और सारा दिन कमा कर शाम को अपनी झुग्गी-झोंपड़ी में आकर दो टाईम की रोटी बनाते हैं, उनका ऐसी रैलियों में क्या होता है। पिछली रैली में देखिए, जब भी रैलियां होती हैं, उन बेचारों का काम ठप्प हो जाता है। दुकानें बन्द कराई जाती हैं। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं। दो टाइम इन्होंने दिल्ली बन्द का नारा दिया। रैली में बसों को तोड़ा गया, इन्होंने वायदा किया, पुलिस से रीटन में वायदा किया, कि हम देश की कोई चीज को नहीं तोड़ेंगे। बसों में आग लगाई, बसों को तोड़ा गया, इन पर एतबार कौन करेगा।

श्री कालका दास : हमने अपना वायदा पूरा किया। लेकिन वह काम जानबूझकर कराया गया। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : अब आडवाणी जी ने एक बात कही। (व्यवधान)

[अनुवाद]

जल संसाधन मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि सदस्यों के भाषण में इस प्रकार व्यवधान डाला जाता है तो वाद-विवाद सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। वे अपनी बारी आने पर आरोपों का खंडन कर सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को अपनी बात स्पष्ट करने दें। यदि आप खंडन करना चाहतें हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसा अपनी बारी आने पर कर सकतें हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर··· (व्यवधान)

श्री कालका दास : हाउस को मिसलिड न करें। एक-दूसरे पर गलत लांछन न लगाएं। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली को पार्लियामेंट में रिप्रजेंट करता हूं और तीन दफा दिल्ली के बड़े से बड़े नेताओं को हराया है इसलिए सच्चाई बुरी लगती है, कड़वी लगती है और वह इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने आ रही है। मगर एक बात जरूर है कि दिल्ली के लोग भी इन बातों को जान गए हैं और जान ही नहीं गए हैं यह पता तब चलेगा जब झूठे शादियों के कार्ड बनाएं, देखो असत्य कितना है, (व्यवधान) झूठे शादियों के कार्ड बनाए आई० ए० एस० आफिसर्स के नाम पर और यह कार्ड बांट कर बोर्डर्स पर दिखा रहे हैं, अरे असत्य तो यहीं पकड़ा गया कि बी० जे० पी० के वर्कर शादियों में जा रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा असत्य इस हाउस के अन्दर आकर बोलना और फिर कहना कि हम सच्चाई को इतना चाहते हैं। (व्यवधान) आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में असत्य बोला, सप्रीम कोर्ट में बोला, आपने इस हाऊस में बोला और आज तक माफी नहीं मांगी। (व्यवधान) इस देश के अन्दर आग लगी, गुजरात में आग लगी उस वक्त आपने नहीं सोचा। मजे की बात तो यह है कि सुबह आडवाणी जी ने एक बात कही थी···(व्यवधान)

2.40 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं कि काउंट डाउन आडवाणी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि काउंट डाउन हुआ, किसका काउंट डाउन हुआ। एक लमान कांस्टीट्यूऐंसी मेघालय में है जहां पर ज्यादा पापुलेशन प्लेन लोगों की है और वहां पर एक कांग्रेस कैंडीडेड ने खड़े होकर मंच पर कहा कि अगर भगवान राम सच में है तो मुझे जरूर जिताएंगे। (व्यवधान) भगवान राम ने तो बता दिया कि सच्चाई किस तरफ है। (व्यवधान)

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यदि भाषण असंगत है तो मैं वक्ता को रोक दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस बात पर शायद ये ज्यादा नहीं बोलेंगे। यह ऐसी बात है, जिससे सब को सीख लेनी चाहिए। यूगोस्लाविया एक देश होता था, जहां पर धर्म के नाम पर लड़ाई शुरू हुई और एक साल के अन्दर न तो यूगोस्लाविया यूनाइटेड नेशंस में है और न दुनिया के नक्शे में है। धार्मिक नेता अपने-अपने घरों में आराम से बैठे हैं, हजारों की तादाद में···। (व्यवधान)

सुनने की हिम्मत रखिए। इस देश को यूगोस्लाविया नहीं बनने देंगे, जब तक इस देश में ऐसे लोग रहते हैं। (व्यवधान)

जैसे आपकी आवाज ऊंची है, मेरी आवाज भी ऊंची है। हमने समझा था कि यूगोस्लाविया के नाम पर आपको आपत्ति नही होगी, मुझे नहीं मालूम था कि इनकी गिल्ट वहां तक पहुंची हुई है। वहां पर धर्म के नाम पर, एथनीकली लोकल आदमियों के नाम पर झगड़ा हुआ और स्थिति यह है कि प्रांतों के बटवारे के बाद डिस्ट्रिक्ट बांटने के लिए लड़ाई हो रही है। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसा दिन देखना पड़े।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

अभी कल ही मैं नागालैंड से आया हूं। नागालैंड में एक छोटी-सी जगह है, चेरीट्री के पास छोटा-सा टेनिस कोर्ट है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस प्रकार का कोई उत्तर नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अब भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : सुनिए, रैली की चर्चा ही कर रहा हूं, सुनने की बात है। वहां पर क्या लिखा हुआ है। जब इस देश में स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी; कहीं पर राम, कहीं पर शकूर खां, कहीं पर जैकब, ऐसे वहां पर हजारों लोगों के नाम लिखे हुए हैं और उस चेरीट्री के नीचे लिखा हुआ था, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जब फ्रीडम फाइटर देश को आजाद करा रहे थे, तब उन्होंने क्या सोचा था—

[अनुवाद]

"घर जाकर उन्हें बताइए कि हम तुम्हारे कल के लिए अपना आज समर्पित कर रहे हैं।"

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : बहुत पुरानी बात है।

श्री जगदीश टाईटलर : पुरानी बात है, लेकिन आप भूल गए हैं। अगर आप भूले नहीं होते तो देश का सत्यानाश नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। किसी ताकत को हिन्दुस्तान को तोड़ने नहीं देंगे और यह रैली जो कम्युनल फोर्सेस

करने वाली हैं, मैं समझता हूं कि जितनी सख्ती और ताकत से हो सके ऐसी कम्युनल फोर्सेस को रोका जाए, ताकि दिल्ली जैसी जगह को ये खराब न कर सकें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, इन सदस्यों का यहां प्रदर्शन देखकर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि रैली शांतिपूर्ण होगी ? यह एक उदाहरण है। यदि दस लाख या पांच लाख व्यक्ति इस प्रकार व्यवहार करें तो क्या होगा ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

ठहरिए, जब आपको मौका मिलेगा तब आप बोलिए। हिम्मत है तो सुनिए, बाद में बोलिए। आपका मुंह मैं बन्द नहीं करूंगा। आप मेरा मुंह बन्द करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप अभी जो काम कर रहे थे, उसी का आपको जवाब मिल रहा है।···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : अपने गिरेबां में मुंह डालकर देखिए।···**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अपने नेता के निर्देश को सुनें। अपने नेता का तो सम्मान कीजिए। यह अच्छा नहीं लगता है। अपने नेता का इस ढंग से आप असम्मान कर रहे हैं।···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : वे संसद में ही एक शांतिपूर्ण रैली करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त जी, कृपया अब अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह है कि क्या हम 6 दिसम्बर की घटना की पुनरावृत्ति का जोखिम उठा सकते हैं। मैं जानता हूं कि वह मस्जिद के ढांचे की सुरक्षा का प्रश्न था। किन्तु अब वह बात नहीं है। यद्यपि दिल्ली में बोट क्लब जाने वाले रास्ते में कई मस्जिदें हो सकती हैं लेकिन ऐसी तो कोई घोषणा नहीं की गई है कि दिल्ली में मस्जिदों को गिराया जाएगा। न ही जामा मस्जिद को गिराया जा रहा है।

मुख्य बात यह है कि मैं राजनीतिक दलों की गतिनिधियों पर किसी भी प्रकार की रोक के पूर्णतः विरुद्ध हूं। लेकिन एक बार तो हमें मूर्ख बना दिया गया है। हम उसे नहीं भूल सकते हैं। मैंने इस सभा में प्रधान मंत्री जी से कहा था कि उन्हें भोलेपन के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा यह कहा है कि उन्होंने उन सभी आश्वासनों पर निश्चित तौर पर विश्वास कर लिया था जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद, संसद तथा उच्चतम न्यायालय को दिए गए थे इसलिए उन्हें यह आशा नहीं थी कि ऐसा धोखा दिया जाएगा। उन्होंने धोखा शब्द का इस्तेमाल किया था। हमें अब उस प्रश्न पर नहीं आना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार इस पर निश्चित तौर पर विश्वास कैसे कर लिया।

त्रासदी यह है कि, जिसने भी सारी स्थिति का अध्ययन किया है वह अच्छी तरह से जानता है कि उस मस्जिद को गिरने से बचाया जा सकता था। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो रुक नहीं सकती थी। यह रुक सकती थी यदि इस सरकार तथा प्रधान मंत्री में इसे रोकने की इच्छा होती

तथा उत्साह होता। त्रासदी यह है कि इसे रोका नहीं गया जिससे हमारे ये मित्र और उत्साहित हो गए क्योंकि ये सोचते हैं कि उनका वास्ता एक कमजोर, ढुलमुल तथा अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले प्रधान मंत्री से है। यह एक गलत व्याख्या है। देश में बहुत लोग ऐसा सन्देश करने लगे हैं कि श्री लालकृष्ण आडवाणी तथा श्री पी० वी० नरसिम्हा राव के बीच कोई गुप्त वार्ता या कोई सांठगांठ हुई थी तभी तो सार्वजनिक तथा न्यायालय में दिए गए आश्वासन के बावजूद ऐसा होने दिया गया।

मुझे खेद है कि 6 दिसम्बर के बाद न तो प्रधान मंत्री ने और न ही श्री आडवाणी ने, बेशक वे यहां नहीं थे, 6 दिसम्बर की घटना के परिणामस्वरूप हुई हजारों लोगों की मौत पर सार्वजनिक रूप से दुःख व्यक्त नहीं किया। (व्यवधान) चाहे मरने वाले हिन्दू हों, मुसलमान हों या कोई और हों। वे हमारे भाई-बहन हैं चाहे बनारस या कानपुर के या जयपुर, बम्बई, सूरत, कलकत्ता या किसी अन्य स्थान में लोगों की जानें गई हों, जिनके मकान जलाये गए, जिनकी दुकानें लूटी गईं तथा जिनके बच्चे मार दिये गए, वे सब हमारे भाई-बहन थे। मैं सूरत में महिलाओं के साथ हुई भयावह घटना का जिक्र नहीं करना चाहता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : इन्द्रजीत यह सही नहीं है क्योंकि इस संबंध में कुछ कहा गया है, वह निर्विवाद रूप से रिकार्ड में रहेगा। यह मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए पूर्णतः अनुचित है और इसीलिए जहां तक इन दंगों में लोगों के मरने का सम्बन्ध चाहे वे हिन्दू हैं या मुसलमान, मैं मानता हूं कि देश के लिए यह शर्म और कलंक की बात है और मैंने उन हत्याओं की निन्दा की है।

3.00 म० प०

और मैं यह महसूस करता हूं कि यदि सरकार सतर्क रहती तो मुम्बई और महाराष्ट्र की घटनाएं घटित नहीं होतीं (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें प्रेस से एक बात की जानकारी मिली है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : व्यक्तिगत रूप से मैंने दोनों स्थानों का दौरा किया है और मैंने वहीं पर इन घटनाओं की स्पष्ट रूप से निंदा की। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : इसके लिए जिम्मेवार कौन है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन मैंने उल्लेख किया है और मैं दोहराता हूं कि मुम्बई की घटना का अयोध्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे काफी हद तक इससे सम्बन्धित हैं। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : क्या उन्होंने समस्त स्थिति के मूल कारणों की निंदा की है? (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं किसी उचित दिन और समय पर मूल कारण का उल्लेख करूंगा।

सभापति महोदय : कृपया बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें प्रेस से जानकारी मिली यदि वह गलत था तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी इसे सही करने की कृपा करें, मुझे विश्वास है कि जब अयोध्या में ढांचे गिराने का समाचार आया, श्री आडवाणी ने कहा था—ध्यान नहीं किसी ने कहा था, शायद कुछ रिपोर्टरों से कि उन्हें पश्चाताप हो रहा है और बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा : "जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए कोई खेद नहीं है।"

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे विश्वास है कि जब उस अध्यादेश पर चर्चा होगी तब हमें अयोध्या पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। तब मैं अपनी बात विस्तार से कहूंगा। 6 तारीख को कही गई तथा 8 तारीख को कही गई दो दिनों के अन्दर, मेरी बात में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ वह दुखदायी था लेकिन यह कोई मुसीबत आपदा या शर्म की बात नहीं है जैसा कि आप में से कुछ लोग समझते हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह देश के लिए तो शर्म की बात है पर आपके लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक दंगों का सम्बन्ध है, जहां तक निर्दोष लोगों को जान से मारने का सम्बन्ध है यह शर्म की बात है, मैं स्पष्ट रूप से इसकी कड़ी निन्दा करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये सब कुछ ऐसे मूलभूत मानवीय गुण हैं जिनके बारे में मतान्तर होता है। हो सकता है, उनके विचार में मस्जिद को ढाहना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है क्योंकि, उन्होंने क्या कहा ? यह तो मात्र एक जीर्ण-शीर्ण ढांचा या कुछ ऐसी ही बात कही थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुद्दा यह है कि इसे कानून के अन्तर्गत स्थानांतरित किया जाना था। हम लोगों ने यही कहा था (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां हमारे मित्र द्वारा यह कहकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया कि क्या इसे वास्तव में मस्जिद कहा जा सकता है या वर्षों पहले यह मंदिर हो गया था; ढांचे का स्वरूप तो मस्जिद जैसा हो सकता है परन्तु ढांचे के अन्दर सारा कार्य मन्दिर जैसा था। मैं पहले भी यहां कह चुका हूं कि इस पर काफी विवाद हो सकता है कि क्या वह मस्जिद थी या मंदिर।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चाहे यह मस्जिद रहा हो या मन्दिर, यह एक धार्मिक पूजा स्थल था। यह किसी धर्म का प्रतीक था। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि उन्होंने इसे क्यों गिराया; उसको उन्होंने क्यों तोड़ा। शायद, आडवाणी जी उस समय सदन में न हों। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : यह बताइये कि आगे क्या डिमोलिश होगा।

श्री मदन लाल खुराना : कांग्रेस स्ट्रक्चर का होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें अब बोलने दीजिए। कृपया अब व्यवधान मत डालिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे अच्छे, मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय सदन में बैठे थे उन्होंने इस घटना पर अपना दुःख व्यक्त किया था। उन्होंने कहा :

"हम उन लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाये; ये हमारे निर्देश नहीं थे; उन्होंने जो भी किया, अपनी इच्छा से किया।"

उन्होंने यह भी कहा :

"हमें उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्होंने हमारे निर्देशों का उल्लंघन किया है; मस्जिद के ऊपर कौन चढ़ा और उसको कैसे तोड़ा।"

उन्होंने आगे कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने यहां यही कहा था। किसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए तथा किसके द्वारा ? मैं यह नहीं जानता। शायद मस्जिद को गिराये जाने के कारण उन लोगों का नामक या किसी अन्य रूप में सम्मान किया जाएगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठीरिया (फिरोजाबाद) : रैली पर बोलिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप रैली पर मार-पीट, तोड़-फोड़ करेंगे, यह हम नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, इस दिल्ली जैसी राजधानी में लाखों मुस्लिम लोग रहते हैं। पुरानी दिल्ली तथा दिल्ली के अनेक भागों में, तथा कुछ कालोनियों में, जहां मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा भाग निवास करता है, दहशत व्याप्त है इस समय, यह सोच रहे हैं कि 25 तारीख को क्या होगा, (व्यवधान)।

श्री राम कापसे (ठाणे) : यह समस्या सरकार द्वारा पैदा की गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ हद तक श्री खुराना द्वारा भी पैदा की गयी है क्योंकि उन्होंने कुछ सप्ताह पूर्व ही कानून को हाथ में लेकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की तथा बंगलादेश के अप्रवासियों का पता लगाकर उन्हें बाहर निकालने के लिए उन स्थानों का दौरा करने का आह्वान किया जहां-जहां वे रह रहे थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने का मौका मिलेगा। कृपया शांत रहें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुनिये, सुनिये मैं सहमत हूं…

श्री कालका दास (करोल बाग) : ये उनको डराने के लिए नहीं देश की सेवा करने के लिए गये थे जो लोग बाहर से आकर यहां बस गये हैं…(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बात बोलकर हस क्यों रहे हैं।

श्री कालका दास : आपकी बात पर हंसा ही जा सकता है, पहले भी अयोध्या के मामले में आपने ऐसी बातें कही थीं, आज भी वही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं, आप बोल लें···(व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : आप एक ही रिकार्ड बार-बार बजा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको दुबारा न बनाया जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह जवाब देने का तरीका नहीं है। जब आपकी बारी आये तब जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री सोमनाथ चटर्जी पहले ही इस तथ्य का उल्लेख कर चुके हैं कि सरकार ने 25 तारीख की रैली का फायदा उठाकर सभी दलों पर दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में रैली करने के लिए तीन महीने का प्रतिबन्ध लगा दिया है। मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं। साम्प्रदायिक और गैर-साम्प्रदायिक दलों के बीच इस प्रकार का बराबर का व्यवहार, जैसा कि किया गया है, में मैं विश्वास नहीं करता। हमारा मत है कि लोगों को राजनीतिक रूप से इनके विरुद्ध एकजुट किया जाना चाहिए। आप इसकी अनुमति नहीं देंगे। तीन दिन पूर्व ही जब मुझे, पूर्वी दिल्ली के मदर डेयरी के नजदीक, एक रैली को सम्बोधित करना था—जहां पोस्टर और अन्य चीजें उपलब्ध थीं, अन्तिम क्षणों में पुलिस आकर सभी माइकें, लाऊडस्पीकरों, स्टेज तथा सभी चीजों को अपने साथ ले गई तथा वहां से लोगों को खदेड़ दिया जैसे कि वे लोग कोई अपराध या कुछ और किया हो। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि रैली पर पूर्णतया प्रतिबन्ध था। मैं रैली पर प्रतिबन्ध लगाने के विचार का समर्थन नहीं करता हूं (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब बहुत हो चुका।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह है कि यदि आप किसी बैठक या गैर-कानूनी संगठन या किसी अन्य पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्या आप इन पर प्रभावी ढंग से प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति में हैं? नहीं, आप इस स्थिति में नहीं हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं? ऐसे अधूरे प्रतिबन्ध का क्या फायदा जिसका कोई प्रभाव ही न हो? मैं ऐसे कई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को जानता हूं जिन्हें उत्तर प्रदेश में, पहले कुछ दिनों के अन्दर ही गिरफ्तार किया गया था, पर उसी दिन मुचलके पर छोड़ दिया गया था। वास्तव में, कुछ मामलों में तो गिरफ्तारी के वारंट के साथ-साथ मुचलका भी साथ-साथ जारी किया गया। वे यदि किसी एक को गिरफ्तारी करते तो वह मुचलके पर हस्ताक्षर कर, दूरभाष पर बातचीत करता और शीघ्र रिहा कर दिया जाता। इस देश में हम काम्युनिस्ट दल के लोगों को भी गैर-कानूनी घोषित करके प्रतिबन्ध लगा दिये जाने का कुछ अनुभव प्राप्त है। हमें कभी भी ऐसी चीजों, इस प्रकार के अधूरे प्रतिबन्ध का अनुभव नहीं रहा है। हमें याद है कि किस प्रकार हमें बिना किसी चेतावनी के मध्य रात्रि में गिरफ्तार किया गया था। यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को पांच-छः दिनों की पूर्ण चेतावनी दी गई थी कि "प्रतिबन्ध लग रहा है, प्रतिबन्ध लग रहा है, प्रतिबन्ध लग रहा है।" उनके पास सभी आवश्यक उपाय करने का पर्याप्त समय था। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : बैन आ रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बैन प्रतिबन्ध के बाद आयी। हम अभी भी महसूस करते हैं कि किसी पुलिस उपाय या किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के अलावा कोई और ज्यादा प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने कांटेदार तार लगाए जाने की बात कही। मैं नहीं जानता कि वहां कांटेदार तार लगाया जा रहा है या मशीनगन लगायी जा रही है।

मैंने तो कोई चीज देखी नहीं। किन्तु लोगों का जुटाना आवश्यक है। कांग्रेस की यह सरकार तथा कांग्रेस पार्टी अभी तक इसे करने में पूर्ण रूप से विफल रही है। यहां तक कि इस सभा में भी मैंने यही कहा था। मैं कई जगह गया हूं—बिहार, राजस्थान और अन्य जगह तथा हर जगह मैंने यही पाया है कि यह कांग्रेस सरकार तथा कांग्रेस संगठन शिथिल है; अपंग है कुछ भी नहीं कर रहा, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। कुछ स्थानों पर तो वे एक-दूसरे का सिर फोड़ने में व्यस्त हैं। यह एक और समस्या है। यह उन्हें काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं। केरल में क्या हुआ है? उड़ीसा में क्या हुआ है? महाराष्ट्र तथा मुम्बई में क्या हुआ है? इन ताकतों का मुकाबला करने का तरीका नहीं है।

श्री मृत्युञ्जय नायक : उड़ीसा में इन्हें इतना समर्थन प्राप्त नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री आडवाणी अपने उसी पुराने आरोप को दोहराये जा रहे हैं कि सारे देश में यही बात कही जा रही है कि वन्देमातरम् की धुन बजाने या गाने पर किसी ने आपत्ति की है। मैं इससे स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं। तर्क जो दिया जा रहा है या विवाद जो खड़ा है। यदि आप इसे ऐसा कहना चाहते है, तो वह यह है कि संसद के सत्र के आरम्भ होने से पूर्व तथा बाद में राष्ट्रीयगान या राष्ट्रीय गीत दोनों में से तरजीह किसे दी जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक तरजीह की बात है इस पर सहमति हो गई थी। किन्तु वन्देमातरम् की धुन बजाने के बारे में आपत्ति की गई थी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तथा सभी समाचार पत्रों को यह बताया गया कि हम वन्देमातरम् की धुन बजाने के विरुद्ध हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जिस व्यक्ति ने वन्देमातरम् का विरोध किया था वे भी यहां मौजूद हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सब बातें जानबूझकर की जा रही हैं, केवल हमें कालिख लगाने के लिए।

श्री राम नाईक (उत्तरी-मुम्बई) : इन्द्रजीत जी आरम्भ में क्या आप इससे सहमत नहीं हुए थे कि वन्देमातरम पहले गाया जाये तथा बाद में जन गण मन? आप उस बैठक में मौजूद थे। आप इस बात पर सहमत थे। फिर आपने अपना विचार कैसे बदल दिया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इससे कभी सहमत नहीं हुआ।

श्री राम नाईक : यह सामान्य प्रयोजन समिति का निर्णय था जिसमें सभी दल मौजूद थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने केवल यह कहा था हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि राष्ट्रीयगान को दूसरा दर्जा दिया जाय, इसे तरजीह दी जानी चाहिए।

श्री राम नाईक : सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक में आपने यही कहा था।

सभापति महोदय : समिति की बैठक में जो भी कुछ कहा गया वह गोपनीय है। कृपया उसके बारे में यहां चर्चा न कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों के दृष्टिकोण तथा रवैये के कारण एक दो बातें और कहना चाहता हूं। उन्होंने दिल्ली तथा शायद कुछ अन्य स्थानों पर भी हस्ताक्षर अभियान-सा चला रखा है। किसी अपील या मांग या किसी चीज पर वे बड़ी संख्या में हस्ताक्षर करा रहे हैं। वे घर-घर जा रहे हैं। मेरे पास इसका पक्का सबूत है तथा यदि आप चाहें तो मैं गवाह भी पेश कर सकता हूं कि चितरंजन पार्क जो श्री खुराना जी का खास निशाना है, जैसे स्थानों में तथा करोलबाग जैसे अन्य कुछ क्षेत्रों में ये लोग हस्ताक्षर फार्म लेकर घर-घर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें तथा ये यह कह कर कुछ लोगों को धमकी दे रहे हैं कि यदि वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उन्हें अलग-थलग कर दिया जायेगा तथा उनके परिवार के सदस्यों को खतरा है। यह सत्य है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : आप अगर एक जगह भी बता दें कि ऐसी कोई घटना हुई है तो सभापति जी, जो चाहें सजा दें।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इन्हें बोलने दीजिए। कृपया व्यवधान न डालिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आपके शहर मुम्बई में जो हुआ उसका वर्णन करना भी भयानक है, और यह बताना आवश्यक भी नहीं है। पूरे विश्व के समाचार पत्रों ने इसके बारे में लिखा है, फोटो भी छापे हैं तथा अन्य ब्यौरा भी दिया है। मुझे पूरी आशा है कि मुम्बई में जो कुछ हुआ श्री आडवाणी निश्चित रूप से उसकी भर्त्सना करेंगे कितने लोगों को क्षति पहुंची तथा कितनी बर्बरता दिखाई गई। किन्तु राजनैतिक रूप से शिव सेना तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ···

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नाट आर० एस० एस० आर० एस० एस० का नाम तो कभी किसी ने नहीं लिया, आपने ही पहली बार लिया है। न बी० जे० पी०, न बजरंग दल न विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने नाम लिया। केवल कांग्रेस या शिवसेना का लिया।

[अनुवाद]

केवल यही दो हैं जिनका नाम लोग मुम्बई में ले रहे हैं—कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लड़ाई तथा शिव सेना। जहां तक मेरा सम्बन्ध है तो जो भी दंगाकारी है—उसे दंगाकारी समझा जाना चाहिए, तथा उसे दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस है या शिव सेना। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए (**व्यवधान**)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री आडवाणी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राजनैतिक दृष्टि से शिव सेना तथा भा० ज० पा० एक ही नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज आप राजनैतिक दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जांच आयोग नियुक्त होने पर मैं एक बात पर जोर दूंगा। यदि आपको कुछ कहना है तो मैं नहीं कहूंगा।

किन्तु एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मुम्बई में जो भी दोषी हो यह एक शर्म की बात है—यह एक बदनामी की बात है—जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुत अच्छे। भारतीय जनता पार्टी तथा शिव सेना राजनैतिक रूप से निकट सहयोगी हैं। मुम्बई में हुई घटनाओं के पश्चात वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आगामी चुनावों में हमारा गठ-बन्धन होगा। तो हमने क्या सोचना है? हमने क्या कहना है? इस देश में अल्प समुदाय के प्रति नफरत या उनके प्रति भेदभाव जो भी इसे आप कुछ कहना चाहें, सामूहिक है। आप लोगों का तथा श्री बाल ठाकरे का आधार एक ही है। उनका खुला आह्वान है कि मुसलमानों को···(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री बाल ठाकरे का नाम लिया गया है जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : राजनैतिक दल के नेता के रूप में नाम लिया गया है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : एक वरिष्ठ व्यक्ति को यह समझना चाहिए। इन्हें उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए जो यहां अपने बचाव में कुछ नहीं कह सकते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : किसी राजनैतिक दल के नेता के रूप में कोई व्यक्तिगत नाम लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई—दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि शिव सेना के प्रमुख श्री बाल ठाकरे ने यही तो कहा है कि इस देश के प्रति जिनकी निष्ठा नहीं है, उनको बाहर फेंक दो, इसमें गलत क्या है।

सभापति महोदय : ऐसे नहीं, अपने भाषण में आप रिप्लाई दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परामर्श देना मेरा कार्य नहीं है। परन्तु मैं भारतीय जनता पार्टी की भलाई के लिए सुझाव देता हूं। श्री आडवाणी जी स्पष्ट रूप से यह घोषणा करके अच्छा कार्य करेंगे कि उनका शिव सेना से कुछ लेना देना नहीं है। (व्यवधान) अन्यथा, जनता कहेगी कि शिव सेना जो कुछ कर रहा है भारतीय जनता पार्टी उसकी अनदेखी कर रही है। मैं नहीं समझता कि विश्व में कहीं कोई ऐसा जनमत है जो शिव सेना की गतिविधियों का समर्थन करता हो। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार न चिल्लायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछले 2-1/2 महीनों की घटनाओं ने, मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र इससे सहमत हैं अथवा नहीं, सम्पूर्ण विश्व में भारत के चेहरे पर कालिख पोत दी है। आप यह सब अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में देख सकते हैं। लोग यह नहीं समझते कि हम अब क्या कर रहे हैं। यह अचानक ऐसा क्यों दिखाई देता है कि हम शायद अपनी सभी प्राचीन परम्पराओं,

अपने इतिहास, अपने मूल्यों, अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रत्येक चीज से पीछे हटते जा रहे हैं? हम इससे सहमत नहीं हैं कि देश की छवि को और आगे खराब करने तथा भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से अलग-थलग करने के लिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए।

एक समय ऐसा था जबकि अंग्रेज इस देश में भोले-भाले व्यापारियों के रूप में आये थे। मैं काफी पहले का हवाला दे रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने धीरे-धीरे यह पाया कि भारतीय आपस में झगड़ने और लड़ने में लगे हुए हैं तथा किसी प्रकार की एकता का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सेना की मदद से, जिसमें अधिकांशतः इस देश के लोग भर्ती किये-गये थे और जिन्हें मुट्ठी भर अंग्रेजों ने प्रशिक्षण दिया था, धीरे-धीरे देश के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करके इस देश पर कब्जा कर लिया था। मैं नहीं जानता कि आज की घटनाओं से इस देश में ऐसे विदेशी तत्वों, जिनके हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण इरादे हैं, के अतिरिक्त किसी अन्य को फायदा होगा। इससे और किसको लाभ होगा? उस दृष्टिकोण से भी हम सभी भारतीय हैं, चाहे हम किसी भी दल के हों। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए और इसके अतिरिक्त यही उचित समय है कि हम इन सभी विघटनकारी मुद्दों को पेश करना छोड़ दें चाहे यह धर्म के नाम पर अथवा अन्य किसी के नाम पर हो जो हमारी जनता को विभिन्न समुदायों और धर्मों के नाम पर बांट रहे हैं, झगड़ों तथा संघर्षों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनमें खूनखराबा करा रहे हैं।

यहां एक संघ परिवार है जिसका एक घटक भारतीय जनता पार्टी भी है। संघ परिवार के लोग सभी प्रकार के नये कार्यक्रम और विचार रख रहे हैं जिनमें यह भी शामिल हैं कि संविधान को मूल रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और सभी व्यवस्थाओं अथवा आरक्षणों, जोकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़े वर्गों के लिए पहले से ही विद्यमान हैं, को समाप्त किया जाना चाहिए, यह खुले रूप से प्रकाशित किया गया है और किसी ने भी इसका खंडन नहीं किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हिमायत की है। इस बात को मुझे कहते हुए फख्र है। असत्य बोलने से कुछ नहीं होता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी हो, यह उनकी सूचना है और इस बात से इन्कार किया गया है। कृपया बैठ जायें।

कुमारी उमा भारती : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका भाषण सुनने के लिए मैं बैठूंगा। आपके उपदेश सुनने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप को यह चिल्ला-चिल्ली करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उमा जी, इस बात से आपके नेता द्वारा इन्कार कर दिया गया है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आप बोलने दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाओ। आप किसी के भाषण में व्यवधान नहीं डाल सकती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं नहीं बैठूंगी जब आप मुझे नहीं सुनेंगे। आप इनको बैठने के लिए कहिए, मुझे नहीं। क्या वे इस प्रकार से** बोलते रहेंगे, क्या इस प्रकार से कोई आदमी ···बोलता रहेगा। माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी इस सदन के एक बहुत बुजुर्ग और सम्मानित सदस्य हैं। आज इनके मुंह से एक···और बेबुनियादी बात निकल रही है,···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। आप इस प्रकार से नहीं कह सकतीं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : यह अत्यधिक अप्रिय और अत्यधिक अनुचित है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : इस सैशन का सबसे अधिक असत्य आज इन्द्रजीत गुप्त जी ने अपने मुंह से कहा है। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : नहीं, नहीं, इस तरह से ये···नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आप मेरी

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुमति के बिना बोल रही हैं। आप मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी बोलेंगी उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने इलाहाबाद में हुए सन्त सम्मेलन का उल्लेख किया है। और यहां मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वे उस समय उत्तर दे सकती हैं जब उनकी बारी आयेगी और इस प्रकार से नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वे इसलिए बोली हैं क्योंकि यह एक अत्यधिक गम्भीर आरोप है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सभापति जी, इन्होंने संघ परिवार के ऊपर एक···आरोप लगाया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न था। मुझे खड़े होने का और उस पर बोलने का पूर्ण अधिकार है जो कुछ ये कह रहे थे। वे जो कुछ कह रहे थे वह पूरी तरह से निराधार है।

सभापति महोदय : यदि आपका व्यवस्था का प्रश्न ही है तो मैं आपकी बात सुनूंगा अन्यथा नहीं।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : वे संघ परिवार के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकते। उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना होगा।

सभापति महोदय : आप उस वक्ता को बीच में नहीं रोक सकतीं जो बोल रहे हैं। क्योंकि वे मान नहीं रहे हैं इसलिए आप व्यवधान नहीं डाल सकतीं।

कुमारी उमा भारती : जब मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है तो उन्हें मानना होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मुझे यह जानना है कि क्या इस तरह से इस सदन के अन्दर इस प्रकार की गलत-बयानी चलती रहेगी और···बोला जा सकता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका पाइंट ऑफ आर्डर क्या है ?

कुमारी उमा भारती : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि क्या इस प्रकार से इस सदन के अन्दर···बोला जा सकता है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, यहां कौन-सा नियम लागू होता है ?

सभापति महोदय : यह आपके पूछने की बात नहीं है। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर इस बारे में निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : हमारे मैनीफैस्टो में यह है कि हम पिछड़ी जातियों के आरक्षण के समर्थक हैं। हमारा 9 नवम्बर को अयोध्या में जो शिलान्यास हुआ था वह भी हमने अनुसूचित जाति के एक बन्धु के हाथों से करवाया था।···(व्यवधान) वे बहुत बड़े सम्माननीय सदस्य हैं जिनका हाल ही में सबसे अच्छे सांसद के रूप में सम्मान हुआ है। इतने बड़े सम्मानीय सदस्य के लिए आप सदन के फ्लोर पर असत्य बोल रहे हैं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री लोक नाथ चौधरी : वह नहीं जानती हैं कि संघ परिवार क्या कर रहा है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : ···संसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये नए मैम्बर आए हैं, ये अगर चाहते हैं कि मैं असत्य बोल रहा हूं तो बोल सकते हैं···(व्यवधान)

श्री प्रभू दयाल कठेरिया : हर आदमी जो पहले आता है, क्या होता है। आप भी कभी नए रहे होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप बूढ़े हो गए, पुराने हो गए, आप भी नए हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इन्द्रजीत गुप्त जी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मैंने संघ परिवार पर कोई आरोप लगाया है, जो सही नहीं है, तो उन्हें इसका खंडन करना चाहिए। मुझे बुरा-भला कहकर और···कहकर कोई हल निकलने वाला नहीं है। उन्हें खुलेरूप से इसका खंडन करना चाहिए।

महोदय, अन्त में मैं यह कहूंगा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे वक्तव्य देते हैं कि वे किसी भी प्रकार के मजहबी राज्य के हक में नहीं हैं। मेरा केवल यह अनुरोध है कि यह नारा कि "यहां हिन्दू राष्ट्र बनाना पड़ेगा" जहां सारे देश में गूंज रहा है, तो यदि यह भारत जैसे देश में मजहबी नारा नहीं है तो और क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि वे सभी लोग जो हिन्दू नहीं हैं, वे सभी लोग जो दूसरे धर्मों को मानते हैं और जो इस देश में अन्य समुदायों से संबंध रखते

हैं चाहे वे मुसलनमान हों या ईसाई या सिख या पारसी या जैन या बौद्ध या वे चाहे किसी भी धर्म के हों, जो हिन्दू नहीं हैं, उन्हें यह नारा सुनाकर डराया जा रहा है कि वे एक हिन्दू राष्ट्र का गठन करने जा रहे हैं वह प्रत्येक आदमी जो हिन्दू नहीं है दूसरी श्रेणी का नागरिक होगा या यदि वह देश को छोडने की स्थिति में है और कहीं बाहर जा रहा है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार की स्थिति को हम और आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते।

लेकिन मैं एक बार फिर से सरकार को सम्बोधित करूंगा। यदि आप इस दोषपूर्ण दर्शन-शास्त्र से लड़ना चाहते हैं, तो इस जहर, जो लोगों के मन में घोला जा रहा है, को प्रतिबंध आदेशों के द्वारा या पुलिस तथा नौकरशाही की मदद से प्रशासनिक उपायों के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। इसे केवल हमारे लोगों की पूर्ण समझदारी और मूल धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर भरोसा करके ही रोका जा सकता है। उन्हें जागृत किया जाना चाहिए। केवल तभी इस प्रक्रिया का अपसरण किया जा सकता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरे मित्र वाजपेयी जी यहां उपस्थित हैं। वह मेरे पुराने मित्र हैं। मुझे आशा है कि वह इस तथ्य से इंकार नहीं करेंगे कि एक दिन मैंने उनसे एक प्रश्न किया था। 6 दिसम्बर से पहले मैंने कुछ शंकाएं प्रकट की थीं और मैंने कहा था...

[हिन्दी]

अगर कुछ लोग आगे बढ़कर इस मस्जिद के स्ट्रक्चर को कुछ डैमेज करने की कोशिश करें तो क्या होगा। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा, बी० जे० पी० की नाक कट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। अगले दिन मैंने उनसे कहा, क्या हो गया, नाक कट गई। फिर उन्होंने कहा, हमारी बात नहीं सुनी, कंट्रोल से बाहर चले गए। ये कैसे लीडर हैं जो इतने लोगों को जुटाकर लाते हैं फिर कहते हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए। या तो वे लीडरी करें, लीडरी करके अपने लोगों को संभालें, नहीं तो कह दें कि ये जो खुशी है, कर सकते हैं, हम किसी को कंडैम नहीं करेंगे। यह तो बहुत खतरनाक थ्योरी है।

एक और नेता है। अगर उनका काम मैं लूं तो कहा जाएगा वे यहां पर नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनका नाम नहीं लेना चाहिए। वे भी इनके बहुत बड़े लीडर थे।

[अनुवाद]

मैं केवल संकेत दे सकता हूं। वह पूर्व चार मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिन्हें मैं प्रधानमंत्री जी के प्रतीक्षालय में अकस्मात मिला था। यह 6 दिसम्बर से पहले की बात है और मैंने उनसे पूछा था।

[हिन्दी]

क्या होने वाला है, क्या होगा परसों। उन्होंने कहा कि गुप्त जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, मत घबराइए।

[अनुवाद]

या तो वह लोग ये नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं या वे अपने अनुयाईयों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे।

या वे लोगों को बेवकूफ बना रहे थे और ऐसे गैर-जुम्मेवार लोगों, जिनकी देश में कोई विश्वसनीयता नहीं है, को लोगों को उकसाने और भड़काने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

महोदय मुझे खेद है कि मैं इतना अधिक 'गोलमाल' करने के लिए जिम्मेवार था, लेकिन क्या किया जाये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, रैली पर प्रतिबंध यह बहस चल रही है। विषय पर ही मैं अपने आपको कनफाइन करने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, एक पति-पत्नी थे। पत्नी जरा पति पर चढ़ी रहती थी, मतलब डॉमिनेट करती थी और पति तंग रहता था। साल भर शादी के हो गये। वह बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने एक मित्र से अपनी व्यथा सुनायी। मित्र ने कहा कि अरे, तुम्हारी यह हालत है। उसने कहा कि देखो, जब मेरी शादी हुई, सुहाग रात के दिन खिड़की के पास टेबल पर गिलास में दूध रखा हुआ था। बिल्ली आकर उस दूध को पीने लगी और उसने उस दूध को गिरा दिया, मैंने अपना पिस्टल उठाया और उस बिल्ली को मार दिया। उस दिन से बीवी सहम गई और उस दिन से वह मेरे नियंत्रण में है। उस आदमी ने कहा कि यह बड़ा अच्छा नुस्खा है। वह घर गये और घर में उसने उसी तरह टेबल पर दूध रख खिड़की खोल दी, बिल्ली आई, घटना वही हुई, उसने भी पिस्टल निकाला और बिल्ली को मार दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि अरे पापी, क्या कर दिया, बिल्ली को मार दिया। पत्नी ने झाड़ू उठाया और पीटना शुरू कर दिया। अब उसकी पत्नी सहमने की बजाय पीटने लगी। अगले दिन वह फिर अपने मित्र के पास गया और कहा कि तुमने क्या बता दिया। पहले मैं बातें सुनता था, इस बार मुझे झाड़ू खाने पड़े। उसने कहा कि अरे बरखुदार, बिल्ली पहले दिन मारी जाती है, साल भर के बाद बिल्ली नहीं मारी जाती है। हम इनसे यही कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी करना था 6 दिसम्बर के पहले करना चाहिए था। अब करने से क्या फायदा। अब जो कुछ भी आप करेंगे वह इनके हक में हो जायेगा। 6 दिसम्बर के पहले सारे लोग आपको कहते रहे और गृह मंत्री जी, आप यहीं बैठे थे और यहां से भूतपूर्व प्रधान मंत्री वी० पी० सिंह जी ने कहा था अगर ऐन वक्त कल्याण सिंह इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा। आपने खड़े होकर वी० पी० सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वी० पी० सिंह को समझ में नहीं आता है, कल्याण सिंह इस्तीफा देंगे तो बी० जे० पी० दूसरा चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर देगी। कहां नॉमिनेट किया बी० जे० पी० ने। पूर्व प्रधान मंत्री को जानकारी थी, वी० पी० सिंह को जानकारी थी, चन्द्रशेखर जी को जानकारी थी और इस देश के बड़े-बड़े नेताओं को जानकारी थी कि वह क्या कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग इन लोगों के साथ काम कर चुके हैं, जे० पी० मूवमेंट में काम कर चुके हैं। ये लोग क्या-क्या कर सकते हैं, हमको मालूम है। हम लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर और हमारे नेताओं ने अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर ऐसी चेतावनी दी लेकिन आपने उस चेतावनी को ग्रहण नहीं किया। आप डिबेटिंग प्वाइंट स्कोर कर रहे थे।

गृह मंत्री जी, जब 6 दिसम्बर को मस्जिद टूट गई जिसको कि यह कहते हैं कि मस्जिद मत कहो, मस्जिद नहीं थी तो वह तोड़ी क्यों। देश भर में यह प्रचार किया कि यह बाबरी मस्जिद है। इनका गजब दोहरा चरित्र है। यहां आडवाणी जी कुछ बोलते हैं और बाहर इनके लोग कुछ और बोलते हैं। यहां बोलते हैं कि रिकार्ड में सारी बातें ठीक हों। कहेंगे हमारे यहां सारी बातें रिकार्ड में ठीक की जायें। यहां बोलेंगे कि कुछ नहीं था और बाहर बोल रहे है कि बाबरी मस्जिद को

तोड़ दिया। आपको मालूम है कि बाहर प्रतिस्पर्धा है, शिव सेना को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। इनके एक साथी थे राम नाईक जी, माफ करें, पता नहीं शिव सेना के डर से यहां खड़े होकर ऑन दी रिकार्ड कहा, प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। वहां एक-एक आदमी दहशत में था, वह आदमी जिसका नाम लेने से ये मना करते हैं। पता नहीं इस देश में कौन-कौन से कानून का सहारा लेकर लोगों का नाम लेने से रोका जायेगा। तब बहुत से लोग जो कुछ करते रहेंगे, उनका नाम लेने से रोका जायेगा लेकिन ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुछ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि कट्टरपंथी धारा के बीच, इनके बीच और शिव सेना के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा चली हुई है। शिव सेना के लोग कहते हैं कि ये तो कायर हैं। मस्जिद ढाह दी और उसके बाद नेता विरोधी पक्ष ने इस्तीफा दे दिया और वाजपेयी जी ने बयान दे दिया कि अनर्थ हो गया, उन लोगों ने मन्दिर तोड़ दिया, तो ये कायर लोग हैं, असली तो हम हैं, जिसने कहा कि शिव सैनिक, जितने ढांचे को ढाया, उस पर मुझे गर्व है। तो आज कट्टरपंथियों में भी इनकी हालत जब थोड़ी पतली हो गई है, शिव सैनिक लोग चढ़ बैठ रहे हैं इसलिए वह बात दूसरी भी हो गई।

हकीकत यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, गृह मंत्री जी, उससे इनका फायदा हो रहा है और हम लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। रोक जनता पसन्द नहीं करती। आपने इनके ऊपर रोक लगा दी, जनता पसन्द नहीं करती। कभी आप की रोक का समर्थन हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, किसी तरह से, वामपंथी दल के लोग आपको किसी भी तरह से बचा दे रहे हैं, कहे दे रहे हैं कि चलिए इनकी बात पर भरोसा नहीं लेकिन आप कर क्या रहे हैं। आप जो रोक लगा रहे हैं, इस देश में आप कौन-सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस रोक और प्रतिबन्ध का नजारा और उसका अंजाम लोग देख चुके हैं। हम लोग चिन्तित इस बात के लिए हैं कि आप रोक नहीं लगा रहे हैं, आप प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं, आप इनकी गति-विधियों का राजनैतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर रहे हैं बल्कि आप वह काम कर रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कि आडवाणी जी यहां से उठकर वहां बैठ जायें और आप पूरा का पूरा कदम-दर-कदम उसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

आप टेलीविजन खोलिए, टेलीविजन पर क्या हो रहा है। परसों हमने टेलीविजन देखा, एक पण्डितजी नुमा व्यक्ति लाये गए, उनके ललाट पर त्रिशूलनुमा टीके थे और पीछे केश बढ़े हुए थे, जिनके फीचर्स से पता चल जाता था कि एक पण्डित जी को सामने लाया जा रहा है। अब पण्डित को सामने लाकर कहा जा रहा है, वह प्रवचन दे रहा है, टेलीविजन पर, कि रैलियां ठीक नहीं हैं, बन्द ठीक नहीं है। फिर दो व्यवसायियों को पकड़कर लाया गया, उनसे आप कहला रहे हैं तो यह क्या हो रहा है ? क्या इनकी रैली का प्रचार नहीं हो रहा है।

हम इनकी ताकत जानते हैं। अगर यह रैली कर लेते तो एक्सपोज हो जाते, इनकी कितनी ताकत थी। इस पूरी दिल्ली में आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, जितनी बड़ी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसान रैली की थी। उसका रिकार्ड आप बांट नहीं कर सके। मरहूम श्रीमती गांधी ने भी किसान रैली की, लेकिन उस रिकार्ड को नहीं तोड़ सकीं, ये भी उस रिकार्ड को नहीं तोड़ सकते थे लेकिन आपने इन पर प्रतिबन्ध लगा दिया अब प्रतिबन्ध लगा दिया तो देश भर में रैली का प्रचार हो गया। आज कोई पार्टी का आदमी जाये तो वहां पर अखबार वाले पूछते हैं कि आपका 25 फरवरी की रैली पर क्या स्टैण्ड है तो बताइए, आपने इस स्थिति में ला दिया है कि ये कोई काम करें, उस पर रीएक्ट करें और सारे राजनैतिक दल के लोगों का यही काम हो गया है कि इसके पक्ष और विपक्ष में बढ़कर बोलें तो यह कौन-सा काम है।

पहले तो आप थे ही करेला, ऊपर से राजेश पायलट जी आन्तरिक सुरक्षा मंत्री बनकर उस पर चढ़ गए नीम, अब ऐसा गृह मंत्रालय बन गया, आन्तरिक सुरक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार है या आपके अण्डर में है, हमको नहीं पता। लेकिन तरह-तरह की बोली आपकी तरफ से चलती रहती है और जो भी निर्णय आप लेते चले जा रहे हैं, इस निर्णय से वैचारिक स्तर पर साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला नहीं हो रहा है, बल्कि एक मनोविज्ञान पैदा करने में, एक साइकी क्रिएट करने में यह सफल हो रहे हैं कि हम आने वाले थे और इसको रोकने के लिए सारा काम किया जा रहा है।

यह बड़ी चुनाव की बात करते हैं। चुनाव से डरिये आप और चुनाव के मसले की चर्चा, माफ करेंगे सोमनाथ बाबू और इन्द्रजीत बाबू, उससे डर जायें ये लोग, डरें नहीं बल्कि इनको लगे कि हां, चुनाव नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव की बात करते हैं; चुनाव इनको लड़ना नहीं है। यह मन से चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, क्योंकि जिस दिन चुनाव होगा, उस दिन इनकी यह स्थिति नहीं रहने वाली है, जो आज यह मनोविज्ञान पैदा करके चल रहे हैं। इनका यह मनोविज्ञान टिकने वाला नहीं है लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि "का पर करूं सिंगार, पिया मोरे आनहर" आप जो काम करते चले आ रहे हैं, किस पर उम्मीद की जाये। सत्ता में आप बैठे हैं, इनीशिएटिव आपको लेना था, उम्मीद आपसे थी कि आप साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला करेंगे लेकिन आप साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बगलें झांक रहे हैं और आप कैम्प फायर की तैयारी कर चुके हैं, ऐसा लगता है कि नोर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में तैयारी कर रहे हैं, चार्ज हैण्ड ओवर करने की। मुझको तो लगता है, जो किस्सा देश भर में प्रचारित हुआ है इनकी बड़ी भारी एजेन्सी है, इस मामले में, अफवाह फैलाने में, किस्से फैलाने में ये बड़े बड़े माहिर लोग हैं, आपको नहीं मालूम है। आर० एस० एस० को इसमें महारत हासिल है। खैर, किस्सा फैल गया है कि राम जन्मभूमि का जो ताला खोला गया, वह ताला नरसिंहराव जी अपनी अलमारी में रखे हुए हैं और उस ताले को यह कांग्रेस भवन पर लगा देंगे। मुझको लग रहा है, यही बात हो रही है। आप वह ताला लगाने जा रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी का कबाड़ा निकाल दिया, हम लोगों को ऐतराज नहीं है। सौ साल की बूढ़ी पार्टी है, इसको मरना ही है, कोई बचा नहीं सकता है। जैसे-जैसे नेता आपके यहां अनुकम्पा के आधार पर होने लगे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। हम लोगों के यहां सरकारी नौकरियां अनुकम्पा के आधार पर होती हैं। जो मर जाता है, उसके बाल-बच्चों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देते हैं। उसमें कूवत नहीं है, कम्पटीशन के आधार पर नौकरी पाने की, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में कम्पटीशन के आधार पर कोइ लीडर नहीं है, न बन सकता है। यहां तो सब अनुकम्पा के आधार पर ही चल रहा है। कोई मारा गया, कोई आ गया। उनकी हत्या हो गई, तो कोई आ गया— यह तो अनुकम्पा वाली पार्टी है। यह पार्टी बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। आपकी पार्टी का दुर्भाग्य यह है कि पूरे मुल्क का माहौल खराब करके और जहां-जहां जिन ताकतों से लड़ना चाहिए, उन ताकतों से लड़ने के बजाए, आप गुपचुप समझौता कर रहे हैं। इस देश का जो रूलिंग-एलिट है, उसने तय किया है, आज तक वह रूलिंग-एलिट आपके साथ और जिस दिन राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल कमशीन की रिपोर्ट को लागू किया, उसी दिन से रूलिंग-एलिट ने तय कर लिया है और वह रूलिंग-एलिट भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होता चला जा रहा है। इनका पूरा-का-पूरा हिन्दुत्व, नकली हिन्दुत्व है। इनका हिन्दुत्व दस फीसदी लोगों का हिन्दुत्व है। इनके हिन्दुत्व की परिभाषा में 90 फीसदी लोग नहीं आते हैं। अभी हमारे एक

माननीय सदस्य शिव सेना के बोल रहे थे और कह रहे थे कि उनके अध्यक्ष ने कहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हू, जिनकी देश से निष्ठा नहीं है, उनको देश से बाहर निकाल दो। हमारे बिहार के, पूर्वी उत्तर के, उड़ीसा के लोग सूरत से, यहाँ लाखों लोग बम्बई में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, दो-चार लाख लोगों को बम्बई से निकाल बाहर कर दिया। उन गरीब लोगों की निष्ठा, गरीब मजदूरों की निष्ठा इस देश में नहीं थी और क्या देश में निष्ठा की परिभाषा ये तय करेंगे और शिव सेना तय करेगी। उनके शागिर्द, जैसा कि इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा, बैंड-फैलो तय करेंगे। उनकी देश निष्ठा ये तय करेंगे, उनको यह नैतिक अधिकार नहीं है। उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उनकी देश में निष्ठा असंदिग्ध है। असल में ये पूरे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इस प्रकार के दंगे-फसाद देश में होते रहें और दुर्भाग्य यह है कि आप इसमें इनकी मदद कर रहे हैं। ये एक रैली करते, कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आपने पूरे देश में रैली करने का माहौल दे दिया। एक रैली का जितना प्रचार नहीं होता, उतना हजार रैलियों के बराबर आपने प्रचार दे दिया। इसलिए आप जो स्थिति पैदा करते चले जा रहे हैं, समय रहते अगर आप नहीं चेतेंगे, तो स्थिति बहुत भयानक होने जा रही है। ऐसा लग रहा है, जो आपकी साजिश है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। आप की साजिश ने धीरे-धीरे ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, एक ऐसा भूत खड़ा कर दिया जाए, एक ऐसा घोस्ट खड़ा कर दिया जाए कि हम को गद्दी पर बनाए रखने के लिए लोग मजबूर हो जायें। पार्टी के अन्दर कोई विद्रोह न हो सके और पार्टी के बाहर भी एक हौवा खड़ा कर दिया जाए, कॉम्युनलिज्म का एक प्रकार से खतरा है, लेकिन घोस्ट के रूप में आप दिखा दीजिए कि यही ताकतें हैं और लोग मजबूर हो जायें और इस सरकार को भी किसी न किसी प्रकार झेलते रहें। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसी भी परिस्थिति में, एक भी क्षण बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसको हम जितने क्षण बर्दाश्त करते चले जायेंगे, उतना ही देश विनाश की ओर चला जाएगा? इनकी और इनकी साजिश है, वाशिंगटन पैक्ट है, हम किसी भी प्रकार से आर्थिक सवालों को नहीं उठायें, क्योंकि दोनों ही आर्थिक मामलों में सुधारवादी हैं और दोनों ही एक चीज चाहते हैं। दोनों ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है और ऐसे सवाल सामने उठा कर रखें, ताकि गरीबी का, भूख का, इज्जत का सवाल फिर से सिर न उठा सके। इसलिए ऐसे धार्मिक उन्माद के सवाल सामने लाए जायें, ताकि देश की जनता भूली रहे और इन चीजों में और इन सवालों में, लोगों का ध्यान बंटा रहे। इस मामले में उनकी और इनकी, दोनों की कहीं-न-कहीं मिलीभगत है। जब तक यह एक्सपोज नहीं होगा, तब तक ये बातें साफ-साफ लोगों के सामने नहीं आयेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता भोली नहीं है, वह सही रास्ता निकालेगा। ये दोनों मिले हुए हैं। इन दोनों को छोड़कर कोई तीसरी ताकत निकालेगी, जो देश को इस साम्प्रदायिकता के तनाव से उबारेगी और सचमुच में देश को एक सही रास्ते की ओर ले चलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आडवाणी जी ने बड़े जोर से यह बात रखी कि रैली पर पाबन्दी लगाना बहुत ही गलत रहा और उन्होंने पाबन्दी लगाने का नफे और नुकसान के तराजू में तोला और तोल करके यह कहा कि रैली पर पाबन्दी लगाने से हमें फायदा है, मुझे हैरत हुई कि माननीय आडवाणी जी जैसे नेता की बात सुनकर कि वे एक तरफ रैली पर पाबन्दी लगाने की बात पर आपत्ति उठाते हैं और दूसरी तरफ फायदा होने की बात कहते हैं। लेकिन हां उनकी बात से यह

तो निष्कर्ष निकलता है कि कांगेस देश के लिए अगर कोई नुकसान भी हो तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है और ऐसा फैसला लेने के लिए तैयार है जिससे देश को फायदा हो और इस बात को आडवाणी जी ने स्वयं स्वीकारा है। हम यह मानते हैं कि इससे उनको राजनैतिक फायदा हो सकता है। इस देश को बचाने के लिए इस रैली पर पाबन्दी लगाई गई।

अगर सारे इतिहास को देखें, अगर इन पिछले कुछ सालों को देखें चाहे आडवाणी जी की रथ यात्रा, चाहे 6 दिसम्बर की घटना हो, चाहे 8 दिसम्बर का भारत बंद हो या रैली की कही जाने वाली बात हो तो मैं मान कर चलता हूं और मुझे यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि जो भी कुछ इतिहास के अन्दर होगा या जो कुछ भी हुआ तो उसको सामने रखकर अगर रैली की बात को देखें तो जो दो लाख आदमी अयोध्या के अन्दर एकत्रित हुए थे और जिसके लिए सदन में और सदन के बाहर यह कहा गया था कि हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वह सारे देश के सामने है। अगर उसी तरह से फिर इतने सारे आदमियों को दिल्ली में लाकर इकट्ठा कर दिया जाए, तो अभी हाल ही में जो कुछ अयोध्या में हुआ वह सबके सामने है तो इस समय भी वही लोग दिल्ली में आकर क्या करते। (व्यवधान) संसद तोड़ते, इंडिया गेट तोड़ते, प्रधानमंत्री के घर को तोड़ते किसी भी जगह जाकर तोड़-फोड़ करते और उसके बाद क्या कहते कि वे हमारे लोग नहीं थे। हमारे बुलाए हुए लोग नहीं थे, हमारे लाए हुए लोग नहीं थे। (व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं, आडवाणी जी इस समय मौजूद नहीं हैं वे चले गए हैं। (व्यवधान) मैं राजस्थान का रहने वाला हूं मुझे याद है जब रैली निकाली तो उस समय वहां पर जो कुछ हुआ आज भी मेरे अन्दर वह जख्म जिन्दा हैं उस रैली के समय जब भाषण देकर खुला चैलेंज दिया गया था कि खून की नदियां बहा दी जाएंगी तब जिन आदमियों का नरसंहार किया गया था, एक-एक कमरे के अन्दर बीवी-बच्चों को कत्ल किया गया वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। 6 दिसम्बर की घटना के बाद 8 दिसम्बर को जब भारत बंद का आर्डर दिया (व्यवधान) वहां पर एक व्यक्ति अपनी दुकान को बन्द नहीं कर सका तो उसके सारे परिवार के लोगों को जिन्दा जलाया। मैं आपको बताता हूं कि भारत बन्द में क्या हुआ, 6 दिसबर की घटना में क्या हुआ और इतना कुछ होने के बाद भी आप कहते हैं कि इतने लोगों को दिल्ली के अन्दर इकट्ठे होने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में यह कहा जा रहा था कि जिन लोगों का राष्ट्र के अन्दर विश्वास नहीं है उन लोगों को निकाल दिया जाना चाहिए। मुझे हैरत होती है इस तरह की खबरों पर, इस तरह के वक्तव्यों पर जिनकी मानसिकता इतनी विकृत है। जो लोग यह कहते हैं कि जिन लोगों का देश में विश्वास नहीं है, मुसलमानों की तरफ से मैं यह कहना चाहता हू कि वे इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तब इस देश के अन्दर आज रहने वाले हर मुसलमान के सामने एक विकल्प था चाहे हिन्दुस्तान में रहो, चाहे पाकिस्तान में चले जाएं। (व्यवधान) जिसने उस समय यह चुना कि मुझे हिन्दुस्तान में रहना है तो उसको एक फैसला और करना था उन परिस्थितियों में उसको मारा जा सकता था। लेकिन उसने फैसला किया कि चाहे मुझे मारा जाए, कत्ल किया जाए मैं भारत-माता का बेटा हूं और भारत में रहूंगा। इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं इसी में रहूंगा और भारत-माता की रक्षा करूंगा। वे इस मुल्क में रहे और आज तक भारत माता की रक्षा करते आए हैं, भारत माता की मिट्टी से प्यार करते आए हैं। अगर किसी का सपना है कि इस तरह

का धार्मिक उन्माद फैला कर उनको इस मुल्क से भगा दिया जाए या यह कहकर कि इनको इस देश में विश्वास नहीं है, इनको निकाल दिया जाए, यदि किसी का यह सपना है तो यह सपना कभी साकार नहीं हो सकता ।

सभापति महोदय, आडवाणी जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने प्रधान मंत्री जी पर आरोप लगाया, और भी कुछ लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि प्रधान मंत्री जी जनता पार्टी से मिले हुए हैं और इस प्रकार के कार्यों से इस बात की पुष्टि होती है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने एक काम किया कि इन लोगों पर विश्वास किया । इन लोगों ने जो बातें कहीं, वे प्रधान मंत्री जी ने मानीं, जो एफीडेविड इन लोगों ने दिए, उनको माना, सुप्रीम कोर्ट की सांकेतिक कार सेवा की बात ये मानेंगे, इस बात पर विश्वास किया, एक सच्चे इन्सान की तरह प्रधान मंत्री जी ने इस पर विश्वास कर लिया और आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान मंत्री भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर किया और कहा गया कि सबसे बुरा इन्सान अगर हिन्दुस्तान में कोई है तो वे प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी हैं और आज आडवाणी जी कहते हैं कि इससे इस बात की पुष्टि होती है । सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की जो घटना हुई और उसके बाद जिस तरह का रूप इस देश का ये लोग देखना चाहते थे, जिस तरह से लोगों को आतंकित किया गया, उनसे इनके कार्य उजागर होते हैं । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, जो लोग राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अपने कार्यों और गतिविधियो के माध्यम से देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इससे वे लोग बेनकाब होते हैं । रैली को बेन करने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है । यदि रैली बैन नहीं होती तो देश के अन्दर दोबारा इनका विकृत रूप सामने आने वाला था । इसलिए रैली बेन के निर्णय के लिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, मैं अपने को रैली तक सीमित रखूंगा । अयोध्या पर बिस्तार से पिछले सत्र में चर्चा हुई थी । वर्तमान सत्र में भी अयोध्या पर चर्चा के लिए अनेक अवसर आएंगे । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अयोध्या का उल्लेख है । अयोध्या के संबंध में एक अध्यादेश जारी हो चुका है । गृह मंत्रालय की मांगों पर भी अयोध्या का उल्लेख होगा । इसलिए आज अगर हम अपने को रैली के विषय तक सीमित रखें तो बहुत अच्छा होगा । सभापति महोदय, इसीलिए हम स्थगन प्रस्ताव पर जोर देना चाहते थे, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में एक निश्चित विषय का उल्लेख होता है और चर्चा उसी पर केन्द्रित होती है, सीमित होती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने एक अन्य नियम के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी है और अब उस पर चर्चा हो रही है । मैं देख रहा हूं कि चर्चा बहुत फैलती जा रही है । उदाहरण के लिए यह आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को स्वीकार नहीं करती, यह गलत है । हमने संविधान की शपथ ली है । हम संविधान को नई स्मृति मानते है । इस देश में स्मृतियां बदलती रहती हैं । डा० अंबेडकर हमारे नए स्मृतिकार हैं । पुरानी स्मृति से चलने का सवाल पैदा नहीं होता । समाज गतिशील है । हम संविधान को हिन्दू विरोधी नहीं मानते हैं । जो लोग ऐसे विचार प्रकट करते हैं, उनसे हमारा तीव्र मतभेद है और यह मतभेद हम स्पष्ट कर चुके हैं ।

लेकिन ये आरोप अगर बार-बार दोहराए जायेंगे, तो केवल भ्रम पैदा होगा । अगर देश में हम भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है । अब इस तरह का भी एक प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चातुरवर्णीय व्यवस्था में विश्वास करती है । इससे बड़ी गलत बात और कोई नहीं हो सकती । अगर कोई साधू ऐसा बोला है, हम उससे सहमत नहीं है । हम उस साधू से लड़ेंगे । इस देश में जन्म, जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर भी छोटा बड़ा नहीं होगा । लेकिन जब हमारी इस निष्ठा पर प्रश्नवाचक चिह्न लगाये जायेंगे और केवल एक घटना के कारण, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, अयोध्या के संबंध में पिछले अधिवेशन में मैंने बड़ी सफाई से बातें की थीं, हम आगे भी चर्चा करने को तैयार है तो ठीक नहीं होगा । सभापति महोदय, कुछ मित्र 6 दिसम्बर पर ही खड़े हैं । (व्यवधान)···होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आघात लगता है तो वह हिस्सा सुन्न हो जाता है; व्यक्ति जड़ीभूत हो जाता है कुछ मित्र 6 दिसम्बर से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं ।

6 दिसम्बर से अब तक सरयू में बहुत सा पानी बह गया है, यमुना नदी में भी पानी बह गया है जिन्दगी की धारा रुकती नहीं है । थमती नहीं है, काल का चक्र चल रहा है । वह काल का चक्र सही दिशा में चले, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : यहां तक आने के लिए चले ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, वे मेरे मित्र हैं, नये-नये मंत्री बने हैं और प्रेम पुराना है, मैं उन्हें उत्तर देकर अपना सीमित समय खर्च नहीं करूंगा मेरा निवेदन यह है कि रैली न हो इसके गृह मंत्री जी ने क्या कारण दिए हैं—देश में स्थिति सामान्य नहीं है । लेकिन प्रदेशों में रैलियां हो रही हैं । मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का दौरा करके आया हूं । आडवाणी जी बिहार होकर आए हैं, लालू जी के बिहार में । लालू जी कहते हैं जो हमारे खिलाफ आएगा हम उसको भुरकुस कर देंगे । अब मैं इसका अनुवाद नहीं कर सकता ।

श्री छेदी पासवान(सासाराम) : आप गलत बोल रहे हैं । लालू जी ने यह नहीं कहा । लालू जी ने कहा आडवाणी जी को सुरक्षा दी जाएगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आडवाणी जी की बात नहीं कर रहा । मैं उनकी आम भावना की चर्चा कर रहा हूं । अच्छा मैं संशोधन कर लेता हूं । अगर लालू जी ने ऐसा नहीं कहा और लालू जी अब बहुत श्रेष्ट और सस्य भाषा में हमारा विरोध कर रहे हैं, आप हमारी बधाई उन तक पहुंचा दीजिए । लेकिन किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आडवाणी जी बिहार का दौरा करके आए हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई । डाक्टर जोशी भ्रमण कर रहे हैं, हम प्रदेशों में जा रहे हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं, कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं तनाव नहीं हुआ ।

यह ठीक है कि मैं काशी गया था और जिले के अधिकारियों ने कहा कि आप काशी में जनसभा मत करिए । हमने कहा कि ठीक है अगर आप समझते है काशी की विशेष स्थिति है, मैंने जनसभा नहीं की । दिल्ली की रैली न हो इसके लिए गृह मंत्री महोदय, प्रधान मंत्री महोदय कोई कारण बताते, हमें विश्वास में लेते । ऐसा नहीं किया । दिल्ली में हम पहली बार रैली नहीं कर रहे हैं । आडवाणी जी ने इस पर प्रकाश डाला है । यहा दिल्ली में रैलियां होती रही हैं, एक रैली को छोड़कर, जो 1966 में हुई थी, मैं आज उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा । चन्द्रशेखर जी राज्य सभा के सदस्य थे, कांग्रेस का शासन था, गौ रक्षा की मांग हुई । संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में गौवंश की हत्या की बात है, गौ संवर्द्धन की बात है । वह कोई उसके लिए मांग करे तो आपत्ति

नहीं हो सकती। कोई राजनीतिक आन्दोलन नहीं था, एक गैर-राजनीतिक आन्दोलन था, दिल्ली में बड़ी रैली हुई थी। सभापति महोदय, उस समय तक बोट क्लब का अविष्कार नहीं हुआ था। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर रैलियां होती थीं, सभाएं होती थीं। हम संसद भवन के थोड़ी दूर जाकर मंच लगाते थे।

4.00 म० प०

रैलियां शांति के साथ होती थीं। लोकतंत्र के बंधन से लोग बधे हुए हैं। सरकार के भय या आतंक से लोकतंत्र नहीं पनपता है। अगर, लोकतंत्र की भावना हृदय में नहीं है तो लोकतंत्र को जीवित नहीं रखा जा सकता है, बलशाली बनाना तो दूर की बात है। इस देश के लोग लोकतंत्रवादी हैं। वे बातचीत से समस्याएं हल करना चाहते हैं। लेकिन, जब समस्याओं को हल करने में देर लगती है चाहे वह संसद में हो, चाहे ज्युडिशियरी में हो, तब कठिनाइयां पैदा होती हैं। मैं, इस समय उन प्रश्नों पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। आरक्षण रैली हुई और रैली में गड़बड़ हुई। मैं, जब सभा में भाषण कर रहा था, किसी ने जो साधु जैसा दिखाई देता था, मेरे सिर पर आकर चोट की, लाउडस्पीकर के तार काट दिए गए, उपद्रव हो गया। मैंने उस साधु को पहचाना था। मेंने गृह मंत्री श्री नंदा जी को कहा था, आपने जो लोग उपद्रव के सिलसिले में गिरफ्तार किए हैं उनको मैंने जेल में जाकर देखा है। वह साधु कहीं मुझे मिला नहीं है, वह कौन साधु था। वह किसका एजेंट बनकर आया था।

जोशी जी ने कहा कि रैली शांतिपूर्वक होगी सरकार अगर शांति से रैली होने देगी जिस पर चन्द्रशेखर जी ने आपत्ति की है। सरकार भी उपद्रव कराती है, मैं इस सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं। आपने तो रैली ही नहीं होने दी है। मुझे याद है, 6 नवम्बर 1966 का वह दिन जब शिलाखर के श्री आसोपा को गोली मारी गई थी···(व्यवधान) जोधपुर के थे, उनकी लाश उनके बेटे ने अस्पताल में आकर देखी और दूसरे दिन वह लाश गायब कर दी गई। श्री जयसुख लाल हाथी जी ने कहा कि आठ लोग मरे थे, पांच के नाम हमारे पास हैं और तीन का पता नहीं है, जबकि सत्रह लोग मरे थे। मैंने राज्य सभा में डाक्टर की पर्ची पेश की थी डाक्टर ने माना था, हां, उनकी लाश है। कल सबेरे आप आइए और वह लाश में जाइए। रात में वह लाश गायब कर दी गई। यह कांग्रेस के भीतर का षडयंत्र था। श्री गुलजारी लाल नंदा जी को गृह मंत्री के पद से हटाने की साजिश थी। मैं नहीं समझता कि इस समय किसी को कोई हटाने की साजिश कर रहा है···(व्यवधान) इस समय सभी हटने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय दूसरा संकट है और वह संकट यह है कि सरकार को लगता है कि वह दुर्बल है और लोग भी समझते हैं कि यह सरकार दुर्बल है और सरकार दिखाना चाहती है कि वह कितनी शक्तिशाली है। जब दुर्बल व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन करता है तो सारी सीमाएं तोड़ देता है। आज दिल्ली में वही हो रहा है। रैली को रोकने के लिए इतने प्रबन्ध हो रहे हैं। लोग, प्रदेशों से आ रहे हैं। आप उन्हें रास्ते में रोक रहे हैं। जहां उनको रोका जा रहा है क्या वहां उपद्रव नहीं हो सकता। रेल गाड़ियां रोकी जा रही हैं। बसों से लोग उतारे जा रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। बोट-क्लब में न आने पाएं, शहर में रह सकते हैं, दिल्ली के और हिस्सों में रह सकते हैं। बोट-क्लब तो खुले मैदान में है। जो भी होगा, साफ दिखाई देगा। लोगों को आने दीजिए।

सभापति महोदय, जब तक इस देश के लोग दिल्ली में आने के लिए तैयार हैं और जब तक दिल्ली में उनका भरोसा है, जब तक भारत की राजधानी में आकर वे संसद का दरवाजा खट-

खटायेंगे तो उनकी समस्याओं को कुछ सुना जायेगा, उनका दुखड़ा सुना जायेगा, जब तक लोगों में यह भरोसा है तब तक यह देश सुरक्षित है और इस देश की एकता और अखण्डता को कोई खतरा नहीं है। खतरा उस दिन पैदा होगा जब लोग दिल्ली में आने से इन्कार कर देंगे और जिस प्रदेश से हैं और जिस क्षेत्र में बैठे हैं, वहीं वे हथियार के बल पर फैसला कराने के लिए जोर देंगे। ऐसा दिन मत आने दीजिए।

दिल्ली, भारत की राजधानी है। दिल्ली देश का दिल है। मगर, जो राजधानियों में होता है दिल्ली उसका अपवाद भी नहीं है। अमेरिका में नए राष्ट्रपति ने सत्ता संभाली और राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी राजधानी के बारे में कुछ शब्द कहे; मैं उनका उद्धृत करना चाहता हूं। वे शब्द दिल्ली पर बहुत अच्छी तरह से लागू होते हैं, मैं उद्धृत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

"सभ्यता के प्रारम्भ से ही, अन्य प्रत्येक राजधानी की तरह, यह सुन्दर राजधानी षड़यन्त्र और अटकलबाजी का स्थान रही है। प्रभावशाली लोग जोड़-तोड़ करके ऊंचे ओहदे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तथा उन लोगों को भुलाकर जो कड़ी मेहनत और पसीने के बल पर यहां पहुंचे हैं, हमेशा यह सोचते रहते हैं कि कौन किस जगह गया, कौन बाहर गया, कौन ऊपर उठा तथा कौन नीचे गया।"

[हिन्दी]

राजधानी दिल्ली में भी षड़यन्त्र हो रहे है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। अभी खबर छपी है कि अर्जुन सिंह को नीचे खिसका दिया गया है, सदन में जहां बैठते थे मैं नहीं जानता कहां तक सही है, लेकिन अखबारों में बातें सही छपती हैं तो मानना पड़ता है। दिल्ली आजकल इस तरह की भूमि बन गई है।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : आपको भी खिसकाया है, वहां होना चाहिए था···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो आप दिल्ली की पुष्टि कर रहे हैं।

सभापति जी, रैली पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर दुर्भाग्य यह है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में अब सम्वादहीनता की स्थिति है। गृह मन्त्री चव्हाण ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी जी को पत्र लिखा था। यह पत्र है 6 फरवरी का, उन्होंने लिखा है कि हम आशा करते हैं, उन्होंने परिस्थितियों का वर्णन किया कि देश की स्थिति ऐसी है और आप रैली के निर्णय पर पुनर्विचार करें। जोशी जी ने उत्तर दिया वह भी मेरे पास हैं। यह 6 फरवरी का पत्र हैं जो जोशी जी को लिखा गया और यह 9 फरवरी का पत्र है जोशीजी का जिसमें उन्होंने लिखा है कि अभी मैं प्रवास पर जा रहा हूं लौटने के बाद बात करूंगा। गृह मंत्री ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : लिखने के लिए कहा था कि वापस आने के बाद लिखूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या बिना लिखे लिखना बात नहीं होती, आप कह सकते थे कि बात करने की जरूरत नहीं है, वह जो कहना चाहें लिखकर भेजिए।

श्री राजेश पायलट : इतना फर्क तो आप बात-बात में कर ही देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने लिखकर भेजा था···

श्री एस० बी० चव्हाण : इसीलिए लिखकर जवाब चाहिए था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर जोशी जी मिलकर जवाब देते तो क्या आप कहते कि नहीं लिखकर लाओ।

श्री एस० बी० चव्हाण : अगर वह मिलते तो मैं समझ सकता था, न लिखा और न मिले।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, नहीं, जोशीजी कह गये थे कि मैं दो-तीन दिन में लौट कर बात करता हूं। इस बीच में आपने रैली पर बैन का ऐलान कर दिया और जोशी जी के लिए नहीं रुके। आपने आडवाणी जी को नहीं बुलाया, मैं तो मोडरेट समझा जाता हूं मुझ से ही बात कर लेते, वह भी नहीं की।

श्री एस० बी० चव्हाण : मोडरेट को बुलाकर क्या करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, सरकार ने मन बना लिया रैली नहीं होने देनी है। क्यों नहीं होने देनी है, क्या रैली करने का अधिकार नहीं है? हमारे साथ सबको भी लपेट लिया। अगर सरकार को गलत रास्ते पर चलने की इजाजत दी जायेगी तो उसके यही परिणाम होंगे। आपके और हमारे जो वैचारिक मतभेद हैं, वे अपनी जगह हैं, लेकिन क्या संसद भवन के सामने शान्तिपूर्ण तरीके से रैली करने के अधिकार को सरकार अस्वीकार कर रही है। अब जिस तरह के सम्पादकीय लिखे जा रहे हैं, जिस तरह के लेख प्रकाशित हो रहे हैं, रैलियों की क्या जरूरत है। जिस तरह का टेलीविजन में प्रचार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रैली, बन्द, हड़ताल सब बन्द, इन सबसे देश का भला नहीं होता है। यह अनुभूति आपको कब से हो गई है, यह अनुभूति आपको केवल नई दिल्ली में है या जहां-जहां जिन प्रदेशों में आप प्रतिपक्ष में बैठे थे वहां भी हो रही थी। कलकत्ता में आप प्रदर्शन कर सकते हैं···आपने मंच तोड़ दिया वहां यह बात हमारे बाएं बैठे हुए मित्र बता रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। वहां अपनी लड़ाई में देश को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे लोग तोड़ते हैं, आप क्यों तोड़ते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ बुनियादी सवालों का उत्तर नहीं है। पुलिस जो कर रही है, मैं चाहता था कि खुराना जी यहां होते वे बताते कि दिल्ली में किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, दिल्ली की छावनी में बदल दिया गया है। बोट क्लब पर सीमा वाली तारों की बाढ़ लगा दी गई है। तारों पर कपड़ा फैंका गया और दिखाया गया कि कपड़ा कैसे चिथड़े-चिथड़े फट जाता है। लोगों को यह समझाया जा रहा है कि अगर तुम कहीं कांटेदार तार में फंस गये तो तुम्हारे भी चिथड़े-चिथड़े उड़ जायेंगे। क्या लोकतन्त्रीय देश में रैली रोकने का यही रास्ता बचा हुआ है? क्या सरकार और तरीके नहीं अपना सकती है?

एक माननीय सदस्य : इन्होंने अन्तिम दम लगाया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, इनका दम टूट रहा है। सभापति जी, यह बीमारी किस तरह से सक्रामक रूप ले रही है, इसका नमूना दे रहा हूं। हम हर प्रदेश में रैली कम रहे हैं और

उस सिलसिले में मैं गुवाहाटी जा रहा था। वहां बी० जे० पी० बहुत शक्तिशाली भी नहीं है। गुवाहाटी में शान्ति है। वहां कोई उपद्रव भी नहीं हुआ। हम शहर में रैली करना चाहते थे। रैली पर बैन लगा दिया कि रैली नहीं होगी। हम मुख्यमन्त्री से मिले—क्यों नहीं होगी? आप रैली पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं? मुख्य मन्त्री ने कहा कि केन्द्र का आदेश है। केन्द्र के मन्त्रियों से सम्पर्क किया। चव्हाण साहब और पायलट जी से कहा··· इन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है···

श्री राजेश पायलट : मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं जवाब दे दूं कि मुझे पता ही नहीं है। मैं यही क्लैरिफाई कर दूं कि आप आगे नहीं बढ़ो···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, क्लैरिफाई कैसे करेंगे? सच बात को कैसे क्लैरिफाई करेंगे?

श्री राजेश पायलट : आप गलत कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा, आपने क्या कहा?

श्री राजेश पायलट : आप गुवाहाटी जा रहे थे। मैं उस दिन बोडो लोगों के साथ गुवाहाटी में था···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह उस दिन की बात नहीं थी। मैंने आपको पहले ही इन्फार्म किया था रैली के सम्बन्ध में। चव्हाण साहब ने कहा था कि हमें जानकारी नहीं है रैली की···

श्री राजेश पायलट : आपने सुबह फोन पर बात की कि राजेश मैं वहां जा रहा हूं, उन्होंने हमारी रैली बैन कर दी है। यह सुबह 7.30 बजे की बात है। मैंने कहा कि हमें ऐसी इत्तला नहीं है, लेकिन चैक करके आपको बता दूंगा। उसके बाद आपवे खबर की और आपको रैली पर बैन नहीं हुआ। वहां पर आपको गलत खबर थी। अखबार में पढ़कर आपने बैन होना कहा है क्योंकि जब मैं वहां गया तो वहां आपकी रैली पर बैन नहीं था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन आपको यह शोभा नहीं देता।

श्री राजेश पायलट : आपके बी० जे० पी० के प्रेजीडेन्ट वहां थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, वहां रैली पर बैन लगा था। बैन की घोषणा कर दी गयी थी। कामरूप डिस्ट्रिक्ट अथारिटी ने ऐलान कर दिया था। जब केन्द्र ने हस्तक्षेप किया—मैं पायलट साहब को श्रेय देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कहा होगी कि हम दिल्ली में वैसे ही फंसे हुए हैं, यहां कहा से गुवाहाटी में मुसीबत मोल ले रहे हो। इन्होंने यह भी कहा होगा कि वाजपेयी जी आ रहे हैं, वे तो माडरेट हैं, उसकी रैली हो जाने दो। क्या कहा आपने?

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, मैं जब गुवाहाटी सर्किट हाउस में पहुंचा, आपके बी० जे० पी० प्रेजीडेंट मुझसे मिले। वे वहीं थे। वे मैटाडोर से उतरे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता कल आ रहे हैं। इस तरह की अफवाह है कि रैली बैन कर दी गयी है। आप उनसे पूछें। वे दो आदमी थे। मेरे साथ सेकिया साहब नं० वन गैस्ट हाऊस में थे। मैंने कहा कि मेरी बात नहीं हो पायी है, ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि आपकी रैली पर बैन हैं। आपके झण्डे लगे हुए हैं, लोग एनाउन्समेंट कर रहे हैं और जजेस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। मैं उधर से गया था। जाते ही मैंने पूछा तो सैकिया

जी के कहा कि बिल्कुल नहीं, वाजपेयी जी का स्वागत है, वे आवें, अपनी बात करें, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्यों हो? उन्हें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, केन्द्र के दबाव में रैली करने की अनुमति दे दी गयी लेकिन रैली की अनुमति रात के 12.00 बजे दी गयी जबकि रैली दूसरे दिन होने वाली थी। समाचार जा नहीं सकते थे। फिर भी लोगों को पता था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। इसलिए बसें रोक दी गयीं, रेलगाड़ियां रोक दी गयीं। कहां है जाफर शरीफ साहब? दो गाड़ियां जो गुवाहाटी आने वाली थीं, उनको रोक दिया गया। जो मुसाफिर बैठे थे, उन्हें उतार दिया गया। नौगांव में लाठी चार्ज हुआ, आप पता लगा लीजिये . .

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : हमें कोई इत्तला नहीं है . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपको इत्तला दे रहा हूं। आपको इतनी जल्दी तो इत्तला मिलती नहीं है। बसें रोक दी गयीं। नौगांव में लाठी-चार्ज हुआ। चार महिलायें अस्पताल में पड़ी हुई हैं जिनको लोगों ने जाकर देखा स्थानों। में यह खबर थी कि रैली पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, यहां गुवाहाटी आने मत दो। इसकी वहां क्या जरूरत थी। इससे पहले भी, सभापति जी, गौहाटी में, जो एक घटना हुई, विशेष रूप से उसी का उल्लेख करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

शिवसागर में असम साहित्य सभा का सम्मेलन था। वहां साहित्य सभा के सम्मेलन में लाखों लोग आते हैं। उसके कारण साहित्य के प्रति लोगों में अभिरुचि पैदा हुई है। उस सम्मेलन से उल्फा ने कोई पर्चा बांटा। उल्फा एक प्रतिबन्धित संगठन है। उसके लोग सम्मेलन में आने में कैसे सफल हुए, इसका उत्तर तो वहां की सरकार देगी, लेकिन वहां जो पर्चा बांटा गया वह एक पत्रकार के हाथ लग गया। एक अखबार ने उस पर्चे का उल्लेख कर दिया कि ऐसा एक पर्चा उस सम्मेलन में बांटा गया। आप जानना चाहेंगे कि वहां उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। एडीटर को गिरफ्तार कर लिया गया, संवाददाता को गिरफ्तार कर लियां गया, प्रकाशक को गिरफ्तार कर लिया गया और इन सबको टाडा में गिफ्तार कर लिया गया।

आप हमें तो यह कहकर मुंह बन्द कराने की कोशिश कर सकते हैं कि 6 दिसम्बर को अयोध्या में क्या हुआ था, उसका स्मरण कीजिये, लेकिन आप जा किधर रहे हैं? आपको मानसिकता क्या है? क्या देश का लोकतन्त्र आपके हाथों में सुरक्षित है? असम में टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तारी की बात कैसे हुई? यदि कोई पत्रकार कुछ लिख देगा, तो क्या प्रेस कौंसिल नहीं है, उस पर आपका विश्वास नही है, आप टाडा में अखबार के सम्पादक को गिरफ्तार करेंगे, संवाददाता को गिरफ्तार करेंगे? और यह कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जब उस गिरफ्तारी के विरोध में गौहाटी प्रेस क्लब में विरोध सभा हुई, जिसमें पत्रकार मौजूद थे, पहले के मुख्यमंत्री श्री शरद चन्द्र सिन्हा मौजूद थे। वे गवर्नर को देने के लिए एक ज्ञापन ले जाना चाहते हैं तो पुलिस और सी० आर० पी० एफ० ने क्लब में घुसकर लोगों को मारा, पत्रकारों को पीटा। वे क्लब से बाहर भी नहीं निकले, बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। 7 पत्रकार गम्भीर रूप से घायल हैं, जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं। क्या लोगों की आवाज को बन्द करना, दिल्ली की रैली पर प्रतिबन्ध लगाना, आपके लिए एक खतरे की घण्टी नहीं है। सचमुच यह खतरे की घंटी है और अगर आप संकट में फंसेंगे, और तब विचारों का उत्तर विचारों से नहीं दे सकेंगे। आप प्रहार से उत्तर देंगे, सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को समाप्त करके भी आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे। हमें यह

आशंका पैदा हो रही है कि 6 महीने बाद भी अगर आपने चुनाव नहीं कराये, तो 6 महीने आप और अवधि बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा। आप चुनाव की तिथि घोषित क्यों नहीं कर देते। कह दीजिए कि 6 महीने बाद चुनाव होंगे, हारना तो आपका निश्चित ही है, फिर चुनावों का ऐलान करने में देरी क्यों ?

अभी रैली बंद करने से जो तनाव पैदा हुआ जो मुठभेड़ की स्थिति बनी है, वह स्थिति भी हल हो जाएगी, वह समस्या भी सुलझ जाएगी, आपके कार्यकर्ता भी चुनाव में लग जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता भी चुनाव कार्यों में लग जाएंगे, जो कि इस समय यहां दिल्ली में टांग आपकी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आप चुनावों की घोषणा कर दीजिए और अर्जुन सिंह जी को कहिये कि वहां की कमान सम्भालें। मगर आप चुनाव से डर रहे हैं। आप अपनी विफलताओं से डर रहे हैं। आप अपने आंतरिक क्लेश से डर रहे हैं। आप कांग्रेस में होने वाले गृह युद्ध से डर रहे हैं। आप विचारों की चुनौती का जवाब विचारों के स्तर पर देने के लिए तैयार नहीं हैं और इसीलिए हमें आशंका है। आपके द्वारा रैली पर प्रतिबन्ध लगाने से हम आशंकित हैं, हमें चिन्ता है और यह सभी लोकतंत्रवादी दलों के लिए भी एक चेतावनी है।

चव्हाण साहब, अभी भी समय है। मैं नहीं जानता कि आप क्या उत्तर देने वाले हैं। सचमुच में तो हमें आपको बधाई देनी चाहिए कि आप एक और गलती कर रहे हैं। एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। इस सब का क्या नतीजा होगा, उसको सोचना चाहिए। आज प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष के बीच में संवाद हो, ऐसी स्थिति कायम होनी चाहिए। संवाद का सिलसिला आपने तोड़ दिया, यह अच्छा नहीं किया रैली के सवाल पर। रैली के भी विकल्प हो सकते थे। आप चर्चा कर सकते थे, बुला सकते थे, लेकिन आपने एक आदेश निकाल दिया। अब उस आदेश का कितना पालन होगा, यदि पालन होगा तो उसकी गरिमा क्या रहेगी, उसकी शोभा क्या रहेगी, अगर दिल्ली में 25 तारीख को 10 जगह लाठी चार्ज हो गया तो आप समझेंगे कि आप सफल हो गए। बोट क्लब का खाली पड़ा हुआ मैदान आपकी गौरव गाथा नहीं कहेगा। खाली पड़ा हुआ मैदान, इस बात की गवाही देगा कि सरकार अपना विश्वास, आत्म-विश्वास खो चुकी है और सरकार विचारों की लड़ाई को जीतने के लिए हथियारों पर उतर आई है। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए।

इसलिए हम विरोध कर रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : सभापति महोदय, अत्यन्त वेदना के साथ मैं इस विवाद में हिस्सा ले रहा हूं। मैं नहीं चाहता था कि इस पर मैं भी अपनी बात कहूं। मैंने कहा भी था कि अगर अटल जी नहीं बोलेंगे, तो कम-से-कम एक क्षीण आशा रहेगी कि कुछ विचारों में उधर तब्दीली होगी, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं कि अटल जी के बोलने के बाद मैं कुछ कहने के लिए विवश हूं।

मैं अयोध्या के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था। अटल जी ने कहा, उस पर चर्चा हुई और उस समय मैंने अपनी बातें रखी थीं, लेकिन अयोध्या के नायक आडवाणी जी उस समय नहीं थे और उन्होंने अयोध्या से आने के बाद जो कुछ कहा, उससे मेरे मन में एक बड़ी वेदना, एक बड़ी वेदना, एक बड़ी शंका, एक बड़ी व्याकुलता पैदा हुई है। आडवाणी जी ने शुरू में कहा था, जैसा अटल जी ने कहा था—हम असफल हो गए, हम भीड़ को नहीं रोक पाए, हमें इस बात का दुख है, लेकिन आडवाणी जी के वक्तव्यों में मैंने बाद में पढ़ा, उन्होंने कहा कि अयोध्या से हमें एक

नयी प्रेरणा मिली और वह नयी प्रेरणा, हिन्दुत्व की नयी परिभाषा करने की है। हिन्दुत्व की नयी परिभाषा आडवाणी जी करेंगे याज्ञवल्क्य, कणाद और कपिल के बाद। आडवानी जी ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान के मुसलमान अपने को मोहम्मदीया हिन्दू कहें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, क्या यह नयी परिभाषा, एक थियोक्रेटिक स्टेट की ओर संकेत नहीं है, तो आडवानी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका अर्थ क्या होता है? क्या आप शब्द-कोष बनाने लगे हैं? क्या आप नई परिभाषा, कपिल, कणाद और याज्ञवल्क्य के बाद देने के अधिकारी रह गए हैं, यह सवाल हमारे मन को कचोटता है?

अभी अटल जी आपने बड़े अभिमान के साथ, गर्व के साथ कहा और मैं आपकी ताईद करता हूं, हम सबने संविधान की शपथ ली है, क्या यह सही नहीं है कि अयोध्या के बाद एक सन्त ने कहा कि यह संविधान हमारी राष्ट्रीयता के लिए एक कलंक है और यही नहीं उन्होंने एक समिति बनाई। मैं नहीं जानता, बी० जे० पी० के किसी कार्यकर्ता ने, बी० जे० पी० के किसी नेता ने उसका खण्डन किया हो? **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसी समय किया और मेरी जानकारी में यह है कि जो सन्त सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि नहीं की और कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं।

श्री चन्द्र शेखर : ठीक है। हमारे मन में जो दुःख हुआ, जो शंका हुई, इस कारण से हुई कि अभी अटल जी ने कहा कि मुरली मनोहर जी के किसी वक्तव्य से हमें दुःख नहीं हुआ। पार्टी का अध्यक्ष यह कहे कि 15 लाख आएंगे, 10 लाख लोग आएंगे, हम शांत रहेंगे, दूसरे अगर अशांति फैला दें, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैंने अटल जी को तुरन्त फोन किया, वे घर पर नहीं थे। दूसरे दिन उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने उसी दिन भारत के प्रधान मन्त्री जी को खत लिखा। मैं ऐसे मामलों में खत नहीं लिखता हूं, लेकिन पिछले 3 महीने में प्रधान मन्त्री जी के आचार से जो मेरी अनुभूति हुई है, मैंने समझा कि जवानी शब्दों का वहां कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैंने विवश होकर उनको खत लिखा और उस खत में यह लिखा कि 6 दिसम्बर को आपने कहा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मैं समझता हूं कि राष्ट्र के साथ विश्वासघात हुआ है। 25 फरवरी को दूसरा विश्वासघात न हो जाए, इसके लिए मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि यह आपके पास सूचना होगी और मन की तैयारी भी होगी कि 25 फरवरी, फिर 6 दिसम्बर में परिणत न हो जाए। मैंने यही खत लिखा है।

उसके बाद राज्य मंत्री (गृह) ने मुझसे फोन पर पूछा और मैंने उस समय कहा कि मैं चाहूंगा कि बी० जे० पी० की रैली हो जाए, लेकिन आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि वह रैली शांत रहे। उसमें कोई गड़बड़ी न हो। अगर दिल्ली में गड़बड़ी की कोई भी आशंका होगी तो न केवल साथे देश में ज्वाला भड़केगी, उठेगी बल्कि दुनिया की नजरों में हम और नीचे गिर जाएंगे। राजेश पायलट से मैंने उस समय कहा था, श्री सोमनाथ जी मुझे क्षमा करिएगा, मैंने कहा था कि अगर आपको कोई सूचना हो, कि उस रैली में गड़बड़ी होने की आशंका है, तो इस रैली को आपको नहीं होने देना चाहिए।

विचारों की लड़ाई नहीं है अटल जी। विचारों की लड़ाई का जवाब विचारों से हो रहा

है। आज आप विचारों का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप अनाचार का प्रचार कर रहे हैं और इस अनाचार को रोकने के लिए सत्ता को अपने हथियार संभालने हैं। विचार और अनाचार में अन्तर होता है। विचारों की लड़ाई विचारों के द्वारा होती है, अनाचार की लड़ाई सत्ता की शक्ति के जरिए होती है। सोमनाथ जी, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि राज्य की संस्था कैसे बनी ? यह सरकारें क्यों बनाई गईं ? मनुष्य अकेले अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका, उसने कबीले की जिन्दगी से राज्य की संस्था को इसलिए बनाया।

हम अपने कुछ अधिकार देते हैं, हमारे ऊपर संकट आए, हमारी सम्पत्ति पर, दौलत पर, जिन्दगी पर अगर कोई हमला आए तो आप हमारी सुरक्षा करें। हर नागरिक की सुरक्षा, उसकी मर्यादा की रक्षा, उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा सरकार का कर्त्तव्य है। यह पुलिस, यह फौज किसलिए बनी है ? यह हरी कीर्तन के लिए नहीं है, यह महा आरती के लिए नहीं है, यह नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं है। हर नागरिक के मन में एक नया विश्वास है, वह सुरक्षित है। विचारों के आदान-प्रदान पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अनाचार को बढ़ते हुए देखकर जो सरकार मौन रह जाती है उस सरकार को एक मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है।

इसलिए मैंने कहा कि आखिरकार कानून क्यों बने, प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं ? रैलियां रोकी जाती हैं। सोमनाथ जी, आप भी कलकत्ता में कभी-कभी रोकते हैं, जब खतरा दिखाई पड़ता है। आपको यह कहने में डर क्यों लगता है ? यह बात सरकार की है। सरकार अगर शांति-पूर्ण रैली करवा लेती तो मुझे बड़ी खुशी होती। ये बैठे हैं, इनके सामने कह रहा हूं। लेकिन अगर सरकार अपने को समझे, उसके पास सूचना हो कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो गड़बड़ी फैला देंगे और सरकार उस रैली को रोकती है तो कौन-सा आसमान गिर जाता है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। विचारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है।

अटल जी, आपकी बात को नम्रतापूर्ण स्वीकार कर लेता। आप कहते हैं अयोध्या को मत याद करो। कैसे न याद करूं। इस संसद में, संसद के बाहर आप सबने कहा था, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ अयोध्या में ? आडवाणी जी आज पहली बार आए हैं, इसलिए कह रहा हूं। उन लोगों ने कहा डेढ़ लाख लोग शांतिपूर्वक भाषण सुन रहे थे। कुछ लोगों ने आकर उस मस्जिद को या ढांचे को या जो कहें, गिरा दिया। डेढ़ लाख असमर्थ लोग, जिनके हाथों में, पुरुषार्थ में, मनोबल में ताकत नहीं थी, वे 500 लोगों को नहीं रोक सकते थे।

आडवाणी जी, आप कल के होने वाले प्रधान मंत्री हैं। आप जो भाषण दे रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि अभी आप प्रधान मंत्री हो गए हैं। आप यह समझते हैं कि देश का संचालन आप कर रहे हैं। आपकी भाषा में वह अभिमान है जो अभिमान किसी दिन हिटलर की भाषा में हमने सुना था। आडवाणी जी, हम मॉडरेट लोगों की इज्जत करते हैं लेकिन जब चर्चित चेम्बरलेन जैसा मॉडरेट हमको याद पड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अटल जी भी वही न हो जाएं। कहीं ऐसा मत करें। (व्यवधान) इसलिए साधारण मजाक की बात मैं नहीं करता। मैं गलत हो सकता हूं। मैं इस बात को बहुत वेदना और दुःख के साथ कहता हूं और आप समझते हैं कि उस कुर्सी पर आपकी आंख लगी हुई है। उस कुर्सी पर यहां से वहां तक पहुंचने में नरसिंह राव जी के आज जो हाथ पंगु दिखाई पड़ते हैं, कल आपकी गर्दन के ऊपर लग सकते हैं। इस बात के लिए आप जिम्मेदार होंगे कि इस देश में आप दूसरे लोगों को इस तरह काम करने के लिए विवश करें। फिर आपके साथ मातमपुर्सी करने वाला कोई नहीं मिलेगा।

आज इस देश के सामने दोहरा खतरा है। एक खतरा निकम्मी सरकार से है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकती और दूसरा खतरा आपसे, जो अपनी सीमाओं को नहीं जानते। आप समझते हैं कि आपकी वाणी के साथ इतिहास बदलेगा और इतिहास बिगड़ेगा। हम सोचते हैं—

करवटें ले रहा है जनमानस

कल हमारी हुकूमत करने वाली है कौन जाने।

मैंने आज सवेरे मदन लाल खुराना जी से कहा, अशोक हाल से शपथ लेने की लालसा में कहीं तिहाड़ की जेल में मत पहुंच जाना। यह खतरा मुझे दिखाई पड़ रहा है।···(व्यवधान) मुझे हंसी नहीं आती। आप जानते हैं, मैं उस प्रवृत्ति का विरोधी हूं। 1975 में मैंने उसका विरोध किया, आज भी उसका विरोध करता हूं। लेकिन जिस समय सैंकड़ों, हजारों लोग मर रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं, बड़े आंसू बहाए जा रहे हैं उधर से। क्या हुआ बम्बई में, क्या हुआ गुजरात में ? जो बम्बई और गुजरात में हुआ, वह सबके लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है।

शिवसेना के सवाल पर जब इन्द्रजीत जी बोले तो आपने कहा कि कोई संबंध नहीं है। हमारे एक माननीय सदस्य, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वकालत करने के लिए खड़े हो गए। यह कौन-सी मानसिकता है। अहमदाबाद में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ ? वहां दंगे हुए। वहां की सरकार ने जब दंगों को दबाने की कोशिश की तो आपको उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ? भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्या रोल अदा किया ? क्या कभी आपने इस पर सोचा है ? चिमन भाई पटेल को गालियां दो, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन बी० जे० पी० और आर० एस० एस० ने जो कुछ गुजरात में किया, वह मानवता के लिए इन्सानियत के लिए कलंक है। उसको अगर कोई दबाता है तो कहते हैं कि हमारे ऊपर दमन होता है।

श्री हरिन पाठक : सभापति महोदय, इन्होंने जो कुछ कहा है, उसका मुझे बहुत दुःख है। मैं वहीं का रहने वाला हूं। अहमदाबाद में जो कुछ घटनायें घटी हैं, ये सारी की सारी घटनायें वर्तमान सरकार की विफलता के कारण घटी। वहां से दो करोड़ की लागत के हथियार जब्त हुए लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इससे पूर्व भी जो घटनायें घटीं, उसमें भी वह विफल रही। भारतीय जनता पार्टी का रोल बिल्कुल सद्भावना का रहा। आज तक वहां की सरकार ने बी० जे० पी० के एक भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया। एक भी कार्यकर्त्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इनवाल्व्ड नहीं था। सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए था, वह उसने नहीं उठाया। 8 तारीख को कुछ शरारती तत्व तलवारें और भाले लेकर सड़कों पर निकल आयें और उन्होंने ही 155 लोगों पर छुरे चलायें।—(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, हो सकता है उनके पास ज्यादा तथ्य होंगे और वे सही भी होंगे। मुझे विश्वास है कि गुजरात की सरकार इनके प्रोत्साहन के बाद कुछ और कदम उठायेगी। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। जो भी वहां दंगाई थे, चाहे वे एक धर्म के हों या दूसरे धर्म के उनके खिलाफ कड़े कदम उठाये जाने चाहिए। मैं अपनी प्रतिक्रिया उस आधार पर व्यक्त कर रहा हूं जो कुछ मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा और जो कुछ प्रतिक्रिया आप लोगों और आपके नेताओं की वहां के बारे में हुई है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी अटल ने 1966-68 की घटना की याद दिलायी। मुझे मालूम नहीं उनके सिर पर कितनी चोट पहुंची थीं। यह बात सही है कि गोली चली थी। उस समय गुलजारी लाल नन्दा

गृह मन्त्री थे। जितने अटल जी गो-संवर्द्धन के ज्यादा पुजारी हैं, उससे ज्यादा प्रबल पुजारी गुलजारी लाल नन्दा जी थे। एक बार उन्होंने कहा था कि समाजवाद गो रक्षा के जरिये ही आ सकता है। मुझे वह दिन याद है। मैंने उस समय उनसे कहा था कि नन्दा जी, गो-रक्षा के जरिये समाजवाद लाने की प्रक्रिया मैं बाद में सीखूंगा, इस समय देश में गृह मंत्री की हैसियत से जो कुछ करना है वह आप करिए। मैं नहीं जानता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी में कुछ बहुत अदना सिपाही था। उस समय 1966-68 में कांग्रेस पार्टी में मैं अपने को एक महत्वपूर्ण संसद सदस्य मानता था। यद्यपि मैं गुरुदेव का शिष्य था लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी का शिष्य नहीं था। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी साजिश नन्दा जी को हटाने के लिए हुई थी। मुझे कम से कम यह जानकारी नहीं है। मैं उसके बारे में नहीं कहता लेकिन यह अनुचित होगा यदि इस बात को न कहूं कि मुझे उस साजिश का पता नहीं जिसके जरिये दंगे हुए। वे लोग लाख-डेढ़ लाख कहते थे लेकिन 50 हजार साधु-संत इकट्ठे हो गए थे। भाषण दिये गये। घंटों भाषण होते रहे। लोगों ने समझा कि सरकार कुछ नहीं करेगी। जब संसद की चारदीवारी वे पार करने लगे तो गोली चली। उसमें से 7-8 लोग मरे और किसी-किसी की लाशें उठा ली गई, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुलजारी लाल नन्दा जैसा व्यक्ति क्यों गोलियां चलाने के लिए मजबूर हो गया। सोमनाथ जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गो-संवर्द्धन के सहायक और सेवक नन्दा जी ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया था। मैं चव्हाण जी और पायलट जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके आप गोलियां मत चलाइए लेकिन अगर देश की मर्यादा और इज्जत को बचाने के लिए गोली चलानी पड़े तो हाथ में चूड़ियां पहन कर बैठ मत जाइये। यह बात जरूर ध्यान में रखिए। इसलिए कि आज बात सफाई से होनी चाहिए, आज यह बातें सफाई से देश के अन्दर होनी चाहिए। मासूम बच्चों और औरतों को···(व्यवधान)···जिन्दा जला देने की तैयारी करने वाली मानसिकता और जेहनियत को गोली का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिन लोगों ने मासूम बच्चों और अबलाओं को जलाने के लिए इस देश में माहौल बनाया है, वही लोग जिम्मेदार होंगे, अगर इस देश में कोई गोली चलेगी तो उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी और इस देश को अब सफाई के साथ यह तय करना पड़ेगा कि क्या केवल बर्छे और त्रिशूल मासूम बच्चों पर ही चलेंगे या सरकार की शक्ति का प्रदर्शन उन लोगों पर होगा जो मासूम लोगों को बिना मतलब, बिना दोष हत्या करने के लिए जिम्मेदार हैं। आज अगर आप यह नहीं करेंगे, यहां नरसिंह राव जी नहीं हैं, चव्हाण साहब, जो आपकी मनोवृति थी, जो आपने फैसला किया था, अगर गृह मन्त्री पद पर बने रहने के लिए आप नरसिंह राव के दबाव में नहीं आये होते तो इस राष्ट्र को यह लज्जाजनक स्थिति नहीं देखने को मिलती। हो सकता था कि दस, बीस, पच्चीस लोग मर जाते लेकिन जो हजारों लोग मरे, उनकी मौत का कलंक हमारे देश के ऊपर नहीं लगता।

कभी-कभी अप्रिय निर्णय लेने पड़ते हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है, अनाथालय नहीं है सरकार, सरकार चलाने के लिए कभी-कभी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं अपने नौजवान दोस्त नीतीश कुमार जी से निवेदन करता हूं, मैं जानता हूं सरकार की कमजोरियों को, लेकिन इस कमजोर सरकार के मनोबल को और कमजोर मत करो। विचारों का जवाब विचार से दो। ···(व्यवधान)···लेकिन अनाचार का मुकाबला करने के लिए इनके हाथों में, थोड़ी ताकत पैदा करो। आज लड़ाई अनाचार और सद्विचार की है, शुभ और अशुभ की ताकतों का आज संघर्ष है। शुभ की शक्तियां विजयी हों, अशुभ की शक्तियां पराभूत हों, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

मैं नहीं जानता इसका नतीजा क्या निकलेगा। हर समय वोट से जीत जायेंगे, जीत जाओ वोट से। बहुत से लोग जीते, बहुत से लोग आये, बहुत से लोग गये, हजारों वर्षों का इतिहास है, इस देश का, आडवाणी जी, 5000 वर्षों के इतिहास में किसे राजसत्ता में बैठे हुए आदमी ने इस देश की संस्कृति को बनाया है? भारतीय संस्कृति की बात करने वालों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह संस्कृति बियाबानों और अरण्यों में, हिमालय की चोटियों में लिखी गई है। गद्दी पर निशाना रख कर भारतीय संस्कृति की बात मत करो। भारतीय संस्कृति का अगर पालन करना है, अगर भारत में हिन्दुत्व को नई परिभाषा देनी है, किसी कपिल मुनि के हिसाब से हिमालय की कंदरा में बैठकर फिर बात करो। संसद् पर पहुंचने के लिए हिन्दुत्व को सीढ़ी बनाने का अपराध इस देश में नहीं होना चाहिए और आज अगर यह अपराध हो रहा है, हम जानते हैं, चुनाव में इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं लेकिन किसी समय सत्य को उजागर करना हमारा कर्तव्य है और श्री चव्हाण साहब, मुझे विश्वास है, आप पुरानी परम्परा को याद करोगे, भारतीय सभ्यता, संस्कृति के नाम पर, भारत के गौरव के नाम पर इस देश के इतिहास के नाम पर, इस देश के मर्यादा के नाम पर अपने हाथों में थोड़ा बल लाइये, अपने मन की थोड़ी मानसिकता सफाई कीजिए, बहुत दिन बातचीत हुई है, नेता विरोधी दल की और प्रधान मंत्री की।

अटल जी, आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको भले न पूछा गया हो, क्योंकि आप मोड्रेट हैं लेकिन आडवाणी जी और नरसिंह राव का जो संभाषण बार-बार अखबारों में हमें देखने को मिलता था, हमारे कानों में आज भी वह शब्द गूंजते हैं, जो अमेरिका की धरती से आडवाणी जी ने कहे थे कि "हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा प्रधान मंत्री" अब वह संवाद हमारी वजह से नहीं टूट रहा है। सवाद आपके दिए हुए विश्वास की वजह से टूट रहा है, मैं नहीं जानता वह विश्वास क्या है। मेरी जानने की कोई इच्छा भी नहीं है। अटल जी, अच्छा होता कि आप उसको जान लेते और हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को भी कुछ ज्ञान देते। गुरु से कम से कम इतनी आशा तो मैं करता हूं। लेकिन वह संभाषण जो देश से छिपाया गया, जो आपकी पार्टी से छिपाया गया, जो कांग्रेस पार्टी से छिपाया गया, जो संसद् से छिपाया गया, वही संभाषण देश की इस दुर्दशा का आज कारण बना हुआ है और जिसके लिए नरसिंह राव और आडवाणी सामान रूप से दोषी हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सु बह घोषणा की गई थी कि यह चर्चा 4.30 म० प० पर समाप्त हो जाएगी। अभी भी कम से कम तीन सदस्यों तथा तीन मंत्रियों ने बोलना है। इसलिए क्या हम समय बढ़ा दें? यदि हां, तो कितना?

एक माननीय सदस्य : हां, लगभग एक घंटा।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापवि महोदय, मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा कल की जा सकती है।

श्री लोकनाथ चौधरी : बोलने वाले अनेक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, वह भी एक अति महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक) : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि चर्चा भी आज शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए जैसा कि आपने सुझाव दिया है यह एक घण्टे के भीतर समाप्त हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : कल, कल।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : तो मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत है कि दूसरी चर्चा कल शुरू की जाएगी। अब,

श्री मनमोहन रावले···

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो नियम 193 के अधीन चर्चा सदन में उठाई है, उसका मैं शिव सेना की ओर से समर्थन करता हूं।

महोदय, सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार स्वर्गीय महात्मा गांधी का नाम लिया जाता रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन चाहिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए जो नागरिक आगे आ रहे हैं, उनके ऊपर यह सरकार पाबन्दी लगा रही है। यह सरकार अन्याय के विरुद्ध जो आन्दोलन होना चाहिए, उसे दबा रही है। कानून और संविधान के खिलाफ यह सरकार कदम उठा रही है। अर्जुन सिंह जी ते पहले कहा था कि भाषण ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए, लेकिन अर्जुन सिंह जी जब बम्बई शहर में आए, तो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि इसके ऊपर पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। उनका मत परिवर्तन होने से मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो गृह मंत्री जी बैठे हैं उनका भी मत परिवर्तन हो जाएगा। और जो रैली हो रही है, उसकी वे इजाजत दे देंगे।

मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। नॉर्थ एवेन्यू में जहां हम एमपीज लोग रहते हैं, वहां आने-जाने वाले लोगों को रोका जाता है। वहां की सड़क बन्द कर दी गई है और लोगों की तलाशी ली जाती है। सड़क पर नाकेबन्दी हो रखी है और बॉर्डर सील हो रहे हैं। सरकार एक बात भूल गई है, स्व० इंदिरा गांधी ने जब देश में ऐसी स्थिति पैदा की थी, तो उनका क्या परिणाम हुआ था। दोबारा सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि इसके बाद हम कभी इमरजेंसी नहीं लगायेंगे। ऐसी स्थिति हम पैदा करेंगे, लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी लगा रखी है। ऐसा लग रहा है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि अंग्रेजों के जमाने जैसी गुलामी में रह रहे हैं। ऐसा हमें महसूस हो रहा है।

आज तो हम सिर्फ रैली के बारे में ही सीमित होना चाहते थे। लेकिन हमारे बहुत से माननीय सदस्यों, सोमनाथ चटर्जी जी, इन्द्रजीत जी गुप्त, चन्द्रशेखर जी उन्होंने अलग तरीके से अपनी बात कही है। इसलिए हम उनको सफाई देना चाहते हैं। वे कहते हैं, कह रहे हैं, सोमनाथ जी ने कहा है कि देश में मुसलमानों के लिए अलग कानून हैं, वह कानून क्यों है। इन्द्रजीत जी ने कहा, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, हम सब हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, लेकिन इन लोगों के

लिए अलग कानून क्यों है। जब एकता की बात कही जाती है, तो उसका विरोध किया जाता है। जहां धर्म का विरोध करते हैं, उस धर्म के पीछे कौन खड़ा रहता है, हम खड़े रहते हैं हमें जो साम्प्रदायिक शक्ति कहते हैं, वे खड़ें रहते हैं, हम कहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक कानून होना चाहिए। ऐसे ही सब भारतवासियों को होना चाहिए हम सब कहते हैं कि कुटुम्ब नियोजन है, वह परिवार-नियोजन है। सबके लिए एक ही होना चाहिए। हम कहते हैं कि देश में वन्दे-मातरम होना चाहिए। आडवाणी जी ने इसी सदन में वन्दे मातरम कहा था, तो वन्दे मातरम का विरोध किया गया था। धर्म निरपेक्षता की बात इन्होंने कही, तो क्या यह धर्म निरपेक्षता है। देश में वंदे-मातरम होना चाहिए। इस देश में तिरंगा हमारा ध्वज है, जो हमारे हिन्दुस्तान का ध्वज है हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अभी-अभी हमारे इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा कि मुंबई शहर में शिवसेना ने दंगा किया। उसके बाद चन्द्रशेखर जी ने कहा हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की। आज हमारे पास आपकी जहां सरकार है, जहां कांग्रेस की महाराष्ट्र राज्य में सरकार है, उनका मेरे पास रिपोर्ट है। हमने मांग की थी, सभापति महोदय आज आप चेयर पर बैठे हैं, उसकी रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए और वह रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार ने हमें दिया उसमें साफ-साफ यह लिख दिया कि 6 जनवरी को एक जो डोंगरी इलाका है, जो मुस्लिम लोगों का मोहल्ला है वहां दो मजदूर थे उन बेचारे गरीब मजदूरों को मारा गया और उनकी हत्या हुई। बाद में 6 जनवरी को 48 घंटे के अन्दर डोंगरी, नागपाड़ा, वी० पी० रोड के इलाके में 138 लोगों की हत्या की वे सब मुसलमानों के इलाके थे और जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ वे हिन्दू लोग थे। 7, 8 जनवरी को जोगेश्वरी में राधाबाई चाल में जो बेकसूर लोग थे लेकिन वे हिन्दू थे इसलिए उनको जलाया गया और उसके बाद मुंबई शहर में अंगार फैल गया। (व्यवधान) लोगों के दिलों में यह भावना थी कि वे मुस्लिम लोग हैं और वे हमले करते हैं इसलिए अपना संरक्षण करने के लिए हिन्दू बाहर निकले और हिन्दुओं ने जो किया वे सब आपने देख लिया। उन हिन्दुओं का मैं अभिनंदन कर रहा हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं जो हिन्दू संरक्षण के लिए बाहर आए और उन्होंने सरकार को बता दिया। आज हजारों-लाखों हिन्दुओं को मैंने अपनी आंखों से देखा जो संरक्षण कर रहे थे। (व्यवधान)

हमारे आदरणीय राजेश पायलट जी मुंबई शहर में आए थे उनको मैंने विनती की थी कि आप बेहरामपाड़ा में जैसे गए थे वैसे आप हिन्दू इलाके में भी जाओ। आप बेहरामपाड़ा में गए आपने 45 मिनट वहां निकाले। आपसे मैंने विनती की थी आपने वह बात मानी लेकिन आपके पास वक्त नहीं था आपके पास बेहरामपाड़ा के लिए 45 मिनट थे लेकिन हमारे जो हिन्दू भाई हैं उनके लिए आपके पास टाइम-नहीं था।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): मैं आपके साथ गया था।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आप आए, आप हमारे नागपाड़ा इलाके में आए। हमारे हिन्दू इलाके में आप आए, उस समय आपके सामने एक बात कही थी जो दंगा हुआ उसमें शिवसेना का हाथ था। जहां आप आए, जो 17 नं० की बिल्डिंग थी और 18 नं० की बिल्डिंग थी लेकिन मैंने आप को बता दिया कि सामने मंदिर है, 17 नं० के सामने जो मन्दिर है वह मन्दिर जलाया यह मैंने आपको बता दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 नं० के लोगों ने आपको कहा कि

शिवसेना ने हम लोगों के ऊपर हमला किया लेकिन आप आकर देखिए नागपाड़ा में एफ० आई० आर० रजिस्टर हुआ है। एफ० आई० आर० में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां 17 नं० के लोगों के ऊपर 18 नं० वालों ने हमला किया और बिल्डिंग जलाने की कोशिश की और मन्दिर तोड़ा गया लेकिन आपने वह बात नहीं सुनी। आप आए। नहीं आए ऐसा नहीं बोलते हैं लेकिन आपने जितना वक्त अपने मुस्लिम लोगों को दिया उसमें बहुत कम आपने बेहरमपाड़ा में दे दिया। बेहरामपाड़ा में आपने सिर्फ पांच मिनट दिए यही हमारी आपसे शिकायत है लेकिन दूसरे इलाके में आपने ज्यादा समय दिया। अगर आप आए थे तो हमें विश्वास में लेना चाहिए था। हमारे साथी राम नाईक, हमारे सब मेम्बर आफ पार्लियामेंट मुंबई शहर में थे उनको आपने विश्वास में लेना चाहिए था लेकिन आपने कुछ लोगों को ही विश्वास में लिया।

सभापति महोदय, बहरामपाड़े में जो लाशें मिलीं हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। पहले भी लोगों ने आपको बता दिया है कि जो लाशें मिलीं, नाले में फेंकी हुई 8-9 लाशें मिलीं, वे लाशें किसकी थीं। वे हिन्दुओं की लाशें थीं। बहराम बाड़े से 29 जनवरी को हिन्दुओं के इलाकों पर हमला किया गया, पुलिस पर हमला किया गया और उस हमले के बाद पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 6 लोग मारे गए। ये लोग पुलिस पर अटैक करने के लिए आए थे। ये लोग मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद अटैक करने के लिए आए थे। आप सभी जगह देख लीजिए, इस बात की जांच करवा लीजिए, मुम्बई में रिवाल्वर किसके पास मिले, प्राइवेट रिवाल्वरों से किसने फाइरिंग की, पैंट्रोल और एसिड बम किसके पास मिले, आप नाम डिक्लेयर कीजिए, हिन्दुओं के पास मिले हैं तो हिन्दुओं के नाम डिक्लेयर कीजिए और मुसलमानों के पास मिले हैं तो मुसलमानों के नाम डिक्लेयर कीजिए, इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

सभापति महोदय, शिव सेना मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। शिव सेना के एक विधायक साबिर शेख हैं। यदि शिव सेना मुसलमानों के खिलाफ रहती तो मुसलमान शिवसेना के साथ नहीं रहते। नागपाड़ा इलाका, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर अंजुम अहमद नाम की एक महिला ने शिव सेना की तरफ से चुनाव लड़ा था। शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ नहीं है।

सभापति महोदय, ये रायट्स किसने करवाए हैं। ये रायट्स शिवसेना ने नहीं करवाए हैं। शिव सेना का इन रायट्स में हाथ नहीं है महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जिन्होंने अभी-अभी रिजाइन किया है, उन्होंने भी कहा है कि ये रायट्स गुण्डों ने किए थे और उसका जो प्रतिकार हुआ, वह आपको और हम सबको मालूम है। रायट्स की शुरूआत किसने की थी, यह बात सब लोग जान लीजिए।

सभापति महोदय, मैं सरकार से और गृह मंत्री जी से बिनती करना चाहता हूं कि रैली निकालने पर जो बंदिश लगाई गई है, इसको तुरंत हटा लिया जाए।

माननीय सदस्य इन्द्रजीत गुप्त जी ने अभी "हिन्दू राष्ट्र" की बात कही, इस एक बात का क्लेरिफिकेशन करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था "सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा" और जिना से लेकर अभी तक जितने भी हिन्दुस्तान में नेता हुए हैं, उन्होंने हिन्दुस्तान शब्द का उपयोग किया है, वे सब हिन्दुस्तान का नाम लेते आए हैं। हम जब हिन्दुस्तान कहते हैं तो उसका गलत अर्थ लगाया जाता है। हिन्दुस्तान लोगों के रहने का एक ठिकाना है, वह देश है, वह राष्ट्र है और हिन्दुस्तान में जो रहता है वह हिन्दू है, इस तरह से यह हिन्दू राष्ट्र है। इसलिए लोग हिन्दू राष्ट्र का गलत अर्थ लगाते हैं, यह हमारा कहना है।

अंत में मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनती करता हूं कि रैली पर जो बंदिश लगाई गई है इसको तुरन्त हटा लिया जाए और रैली को निकालने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, आज प्रातः मैं इन महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष के नेता, श्री आडवाकी जी के वाद-विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। महोदय, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए इन आश्वासनों के बावजूद की रैली अत्यधिक शान्तिपूर्वक होगी, सरकार ने 25 फरवरी को होने वाली प्रस्तावित रैली की अनुमति नहीं दी है।

श्री लोकनाथ चौधरी : वे अत्यधिक कुशल हैं। ऐसा आश्वासन कभी नहीं दिया गया था।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : हमारी पार्टी का मत यह है कि रैली पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। सरकार ने कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में भी ऐसी रैलियां आयोजित करने की अनुमति दे दी है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह, जिन्होंने 6 दिसम्बर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराये जाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ाक सार्वजनिक सभाओं की अनुमति दे दी थी। वास्तव में उनकी सदाशयता के सम्बन्ध में आशंकाएं होने के कई कारण हैं क्योंकि श्री आडवाणी और अनेक अन्य नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था जिसमें कहा गया है कि यथा स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि कल्याण सिंह की सरकार द्वारा दिए गए वचन के बावजूद हम सभी जानने हैं कि क्या हुआ है।

आज हम अनुभव करते हैं कि आडवाणी जी, मेरे मन में उनके लिए उचित सम्मान की भावना है, इस सरकार की असंवैधानिक कार्य-पद्धति पर प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली उनकी पार्टी अपने उस लिखित वायदे के अनुसार कार्य नहीं कर सकी जिसमें कहा गया था कि वह कानून के शासन का सम्मान करेगी, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। आडवाणी जी उस दिन वहां स्वयं उपस्थित थे जब ये सारी घटनाएं घटी थीं।

आडवाणी जी ने गांधीजी के बारे में उल्लेख किया है। मेरा विश्वास है कि यदि गांधी जी वहां होते तो वह मस्जिद को तोड़े जाने की अनुमति नहीं देते। वे उस ढांचे पर बैठ जाते और कहते, "कि मस्जिद तोड़ने से पहलें लोहे की पहली छड़ मेरे सिर पर मारो।" और मुझे यकीन है कि मस्जिद को तोड़ने आये व्यक्तियों की संख्या कितनी भी होती वे उन्हें रोकने में सफल हो जाते। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आडवाणी जी वहां थे, ये सभी घटनाएं वहां हो गई। अतः आज आडवाणी जी इस सरकार पर यह प्रश्नचिन्ह लगाने की स्थिति में नहीं हैं कि सरकार कानून के शासन के विरुद्ध कार्य कर रही है अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध कार्य कर रही है।

बोट क्लब मैदान के चारों ओर कांटेदार घेराबन्दी के बारे में कहा गया था कि यह रैली में भाग लेने आने के लिए आने वाले व्यक्तियों के शरीर को विकलांग कर देगी। परन्तु क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि अयोध्या में 6 दिसम्बर की घटना ने उन ठोस आधारों को अपंग कर दिया है जिन पर राष्ट्र का संविधान बनाया गया था और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।

मैं मानता हूं कि सरकार जनता में विश्वास की भावना वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। प्रधान मन्त्री ने काफी पहले घोषणा की थी कि वे अयोध्या पर श्वेतपत्र जारी करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि वह श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है, क्यों वह जनता को नहीं बता रही है कि वास्तव में वहां क्या घटित हुआ था ?

मैं महसूस करता हूं कि सरकार न केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ रही है बल्कि वह सांप्रदायिक शक्तियों का ठीक से सामना नहीं कर रही है। आप सांप्रदायिक शक्तियों के साथ उनकी सार्वजनिक बैठकों पर साधारण रूप से रोक लगाकर नहीं लड़ सकते। मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दल लोगों के एक बहुत बड़े भाग के बीच सच्चाइयों से परे और झूठा प्रचार करके साम्प्रदायिक घृणा के विष को फैलाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर में बहुत से मन्दिर बर्बाद कर दिये गए हैं और यहां ये लोग इस बहुत और पुरानी जीर्ण-शीर्ण मस्जिद के ढहा देने पर बहुत अधिक हल्ला-गुल्ला मचा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि यह कश्मीरी मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने मन्दिरों को नष्ट किया लेकिन यह पाकिस्तान से सहायता प्राप्त आतंकवादी हैं जो जो यह सब देश को नष्ट करने के उद्देश्य से, इस देश की एकता और अखंडता को नष्ट करने के उद्देश्य से, और कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। क्या हमें इनके उदाहरणों की तुलना करनी चाहिए ? दूसरे दिन श्री गुलाम नबी आजाद सभा को बता रहे थे कि कश्मीर में कुछ 7 या 8 मन्दिरों को क्षति हुई थी। सरकार से उसी स्थान पर मन्दिर का निर्माण करने के लिए कहने के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करने के नाम पर बी० जे० पी० दल के कार्यकर्ता घर-घर जा रहे हैं और पुस्तकें और इश्तहार आदि उनको देकर इस साम्प्रदायिकता के विषय को फैला रहे हैं।

अभी एक माननीय सदस्य परिवार कल्याण के बारे में बता रहे थे। प्रचार किया जा रहा है कि निकट भविष्य में मुसलमानों की जनसंख्या हिन्दुओं की जनसंख्या से अधिक तीव्र दर से बढ़ रही है।

5.00 म० प०

क्या यह सच है ? 1951 से 1981 तक केवल 1.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है वार्षिक वृद्धि केवल 0.05 प्रतिशत है। चार या पांच शताब्दियों के बाद भी वह हिन्दुओं के निकट भी कहीं नहीं पहुंच सकते।

तो वह इस प्रकार का झूठा प्रचार कर रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं बनाई जाती ? यह बात सच है कि नीति निदेशक सिद्धांतों में इस बात का जिक्र है कि जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है यह उनमें से एक है। इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। राजीव गांधी ने भी जब प्रधान मंत्री थे, एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयत्न किया किन्तु किन्हीं कारणों से इसे वापस ले लिया। नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में कई अन्य बातें भी हैं। विकट आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ लोग बीड़ी और ऐसे ही कुछ अन्य उद्योगों में काम कर रहे हैं। वृद्ध लोग अपने आपको जिन्दा रखने के लिए ऐसे उद्योगों में काम करते हैं। अब उनका स्वास्थ्य उन्हें ऐसे उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं देता।

नीति निदेशक सिद्धांतों में इस बात का उल्लेख है कि दस वर्ष के भीतर सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी किंतु हम इस लक्ष्य को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस

प्रकार ऐसे उदाहरण दे देकर हिन्दुओं के दिलों में मुसलमानों के विरुद्ध घृणा पैदा करने का निश्चित प्रयत्न किया जा रहा है। क्या यह अच्छी बात है। मेरा निवेदन केवल यही है कि सरकार को सांप्रदायिक ताकतों के प्रचार का मुकाबला करना चाहिए। प्रधान मंत्री द्वारा यहां वहां केवल वक्तव्य दे देना ही पर्याप्त नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं को देश में हर जगह और हर घर पर जाकर इस झूठे प्रचार का विरोध करना चाहिए। राजनैतिक दल के अलावा विश्व हिन्दु परिषद, बजंरग दल और सरकार द्वारा प्रदर्शित उपेक्षा अति उत्साह और उसकी अकर्मण्यता भी इस ढांचे के गिराए जाने और बाद की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। मैं एक कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इतनी अयोग्य न बनें। मुझे एक कहानी याद आती है जो इस प्रकार है।

कमम्मा का विवाह बहुत छोटी आयु में हो गया। उसका पति भी कम उम्र का था। कुछ वर्षों के बाद की बात है एक लड़का उस गांव में आ रहा था। उस गांव की कुछ स्त्रियां जो पीने का पानी लेने गई थीं उन्होंने उस लड़के को देखा। उन्होंने सोचा कि शायद यह लड़का कमम्मा का पति है। उन्होंने लड़के से पूछा "क्या तुम कमम्मा के पति हो" ? वह लड़का चुप रहा। वह स्त्रियां उस लड़के को कमम्मा के पास ले गई। उस लड़के को नहलाया गया। उन्होंने उसे अच्छे वस्त्र दिए। तब उसे रहने के लिए कमम्मा के पास भेज दिया गया। कुछ वर्षों तक वह इकट्ठे रहते रहे। किंतु कुछ समय पश्चात उन में से कुछ स्त्रियों को यह शक हुआ कि शायद यह लड़का कमम्मा का पति नहीं है। दूसरी औरतों ने भी कहना शुरू कर दिया कि वह कमम्मा का पति नहीं है। वह उस लड़के के पास गई और उससे कहा कि "तुम कोई और लगते हो, तुम कमम्मा के पति नहीं हो"। इस पर उस लड़के ने कहा"—

"जब मैं आपके गांव में आया तो आपने ही मुझे कहा कि मैं कमम्मा का पति हूं।" इसलिए मैंने आपकी बात मान ली। मैं यहां उसके साथ रहने लगा। अब, अगर आप यह कहती हैं कि उसका पति नहीं हूं तो आप मेरी छतरी और छड़ी दे दें में कहीं और चला जाऊंगा।

इसी प्रकार इस देश के संविधान की रक्षा करने, इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा करने की कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। यह उन सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध कड़े कदम न उठाने लिए जिम्मेवार हैं जो यह कर्ज कर हिन्दुओं में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है कि हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जा रहा है और अल्पसंख्यकों की चापलूसी की जा रही है। वह लोगों में इस तरह की भावना पैदा कर रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस ज्वार को उलट सकती है। वह पिछले दरवाजे से सत्ता में आना चाहते हैं। न केवल सत्तादल द्वारा बल्कि अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा भी इस प्रचार का मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्हें इस प्रकार के कदम अवश्य ही उठाने चाहिए। हमारा दल यह महसूस करता है कि केवल किसी दल विशेष की रैली या सार्वजनिक सभा पर प्रतिबन्ध लगा कर इन ताकतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

यदि आप वास्तव में इन सांप्रदायिक ताकतों का सामना करना चाहते हैं तो आपको निचले स्तर से ऐसा करना होगा, हम सभी अपना सहयोग देंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सभापति महोदय, विस्तार में तो गृह

मंत्री सब बतायेंगे सवालों के जवाब में। मैं दो बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं एक तो कई बार मेरा नाम बीच में लिया गया बम्बई के दौरे के संबंध में और दूसरे माननीय वाजपेयी और अन्य माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में कुछ कहा। सरकार में बैठकर या किसी भी जिम्मेदारी वाली जगह पर बैठकर कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। यह फैसला उनमें से एक है जो बहुत कठिन फैसला था प्रशासन के सामने। प्रशासन ने पहले भी रैलियों की इजाजत दी है और पहले भी रोक लगाई है कि आप रैली नहीं कर सकते हैं। प्रशासन देखता है कि इस रैली के क्या प्रभाव होंगे, क्या काउंटर इफैक्ट्स होंगे, किस प्रकार की रैली हो सकती है और पूर्व की क्रेडिबिलिटी भी रैली करने वालों की ध्यान में रखी जाती है। 6 दिसम्बर की बात मैंने बीच में उठकर कही थी। आज फिर दोहराना चाहूंगा जिससे देश के नागरिकों तक भी यह बात पहुंचे कि हम भरोसा किस पर करें और किस मन से करें। आज सारे भाई उदाहरण दे रहे हैं सरकार के बारे में। नीतीश कुमार जी ने कहा, राव साहब ने एक घरवाली और घरवाले की बात कही, परन्तु सरकार के सामने भी यह कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है। यह क्रेडिबिलीटी इन लोगों ने गिराई और इन लोगों ने इतनी गिरा दी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति मुझसे यह कहें कि "यह बिलकुल शांति से होगी," मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका सम्मान रखते हुए, उनकी इज्जत रखते हुए भी मैं तैयार नहीं हूं। मेरी बात छोड़िये, पिछले दो-तीन दिन से मेरे पास टेलीफोन से संदेश आ रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं करना। मैं नया-नया मंत्रालय में आया हूं इसलिए ज्यादा जोर से कहा कि पायलट साहब आप इनके चक्कर में न आ जाना। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है यह बात इन भाइयों के बारे में देश के नागरिकों के मन में पहुंच गई है, समा गई है।

यहां बम्बई की बात कही गई, मैं बम्बई गया था, माननीय सदस्य जो यहां अभी उपस्थित नहीं हैं वे भी मेरे साथ थे। हर कालोनी में लोगों ने कहा कि शिव सेना ने हमारे ऊपर जुल्म किये हैं और कुछ ने यह भी कहा कि इनको क्यों साथ लाये हो तो मैंने कहा कि ये इस क्षेत्र से चुने हुए एम० पी० हैं, इनका इलाका है, सईद साहब भी हमारे साथ थे। हम गये, वहां लोगों से जगह-जगह मिले। जहां-जहां वे ले गये हम लोगों से मिले। जो लोगों ने बताया वह हमने भी सुना और उन्होंने भी सुना। सभी वर्ग के लोग थे। मैं सदन के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि आज भी देश में चिनगारी की उम्मीद है। जब हम सुनील दत्त जी के निर्वाचन क्षेत्र से निकल रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला आई, उसके बच्चे को इन्होंने काटकर मार दिया था, उसके हाथ में फोटो था वह रोकर यह कह रही थी कि मेरा बेटा तो चला गया पर इस मुल्क को सम्भाल लो। उससे लगा आज भी देश में यह भावना है जो भविष्य को उजागर कर सकती है, मजबूत कर सकती है कि बेटे की मौत हो गई, मार दिया और फिर भी वह रोकर यही कह रही थी कि मेरा बेटा तो चला गया पायलट साहब इस मुल्क को सम्भाल लो। सरकार का यह फर्ज है उस उम्मीद को और मजबूत करने का और उसको किसी भी हालत में कमजोर नहीं करने का। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन का फर्ज है देश में सामान्य स्थिति बनी रहे, देश में सामान्य जीवन चलता रहे और जो भाई और बहन कानून को अपने हाथ में लेना चाहें उनके साथ सख्ती से निपटा जाये, यह जिम्मेदारी हमें देश ने दी है जहां हम बैठे हैं और हम इसको पूरी तरह से निभायेंगे।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद): आंध्र प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं, वहां नेक्सलाइट्स से समझौता कर रहे हैं जो हथियार लेकर घूम रहे हैं।

श्री राजेश पायलट: उसका भी जवाब दूंगा, नेक्सलाइट की बात भी करूंगा।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : वहां आप उन लोगों से समझौता कर रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : वहां इनका विधायक पकड़ा गया था इसलिए समझौता किया था और यहां कानून की बात कर रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : वह भी करूंगा आप बैठें तो सही, हम सुबह से आपको सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। शोर नही मचाएं। कृपया बैठ जाएं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू : *

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, सारे देश में 6 दिसम्बर के बाद लोगों के दिलों में दहशत है। यह बात सही है कि मैं भी वहां गया था, मैं तब गृह मंत्रालय में नहीं था, लेकिन संचार मंत्री होने के नाते मैं लोगों से मिला था।

5.10 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और जो बात चन्द्रशेखर जी ने कही है, यह कहां तक सही है कि लोगों में शंका होने लगी कि कहीं उस दिन लोग कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले लेंगे। यह सारे देश में फैल गया। अध्यक्ष महोदय, उसका कसूर इन लोगों की तरफ से है। जिस दिन रैली की इजाजत मांगी उसके बाद इनके बयान तो पढ़ लीजिये कि आपके लीडर्स ने क्या-क्या बयान दिये हैं ? किसी ने काशी की बात की है, किसी ने मथुरा की बात की है, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। आप अखबार में पढ़ो, उसमें क्या-क्या बयान आ गये हैं। एक ऐसा वातावरण देश में बना दिया कि 25 तारीख को पता नहीं क्या होगा ? यह बात आप लोगों द्वारा क्रिएट की हुई है, हमने नही बनायी है। किसी ने यह नहीं कहा कि 25 तारीख की रैली किस तरीके की होगी या इस तरह से होगी। श्री वाजपेयी जी ने कहा—थोड़ी बहुत बात कर लेते। आपकी ही तरफ से लोगों ने शुरू किया था, फिर अपने आप ही चुप बैठ गये। हम बात करने के लिए तैयार थे लेकिन कैसे सामान्य बात कहना चाहेंगे, वहां से शुरूआत करके फिर चुप बैठ गये। सरकार ने इस बारे में ऐसा कोई कदम नहीं छोड़ा, ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जहां आपका मन नहीं जानना चाहा। सरकार को यह शोभा नहीं देता कि सरकार कोई ऐसा कदम उठने देगी कि सामान्य स्थिति बनाने के लिए कोई कमजोरी सरकार की तरफ से दिख जाये तो उस सरकार को प्रजातंत्र कायम रखते हुए राज करने का हक है यह मानस हमने उनको दिया। आज मैं दो बातें कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। भाई चन्द्रशेखर ने अपने मन की बात की है। आज चन्द्रशेखर जी कांग्रेस के बारे में बहुत मन से यह बात करते हैं, उन्हें धन्यवाद है क्योंकि वे पुराने कांग्रेसी हैं। यदि कांग्रेस के बारे में कभी ज्यादा

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रुचि लें तो कोई बुराई नहीं है लेकिन कांग्रेस में न रहकर भी ऐसी बात करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं से छिपी नहीं है। न कोई बात सरकार छिपी हुई है। आज वाजपेयी जी और प्रधान मंत्री के रिश्ते बताओ, आडवाणी जी और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते आपस में रहते हैं। चन्द्रशेखर जी से भी रिश्ते रहे हैं। आडवाणी जी चन्द्रशेखर जी की सरकार में बैठे रहे, उनके पार्टनर थे लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी कम्युनल पार्टी का साथ नहीं दिया और न देगी यह कांग्रेस का इतिहास रहा है···

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मुस्लिम लीग के साथ तो अभी भी हैं···

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, यह हमारी ऐतिहासिक लड़ाई है। इसके लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस ने इनके लिए कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी को जारी रखेगी लेकिन कभी ऐसी ताकतों का कोई साथ नहीं देगी और कभी भी हाथ नहीं मिलायेगी।

अध्यक्ष जी, रैली के बारे में एक बात कहूंगा। सबको विश्वास दिलाऊंगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उस दिन सामान्य जीवन बराबर चलता रहे उसमें कोई दखल न दिया जाय। सुबह कुछ सांसदों ने कहा था कि ऐसी सख्ती हो रही है। मैं सुबह खुद गाड़ी लेकर नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू जाकर आया हूं।···

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपकी सूचना के लिए बता दूं कि नार्थ एवेन्यू में हमारे घर पर दो गुर्जरों को जो हिंडोती क्षेत्र के थे, उनको इस कदर मारा कि नार्थ एवेन्यू के अस्पताल में पड़े हुए हैं···

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जायें···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया इतनी जल्दी हार नहीं माने, क्योंकि हमने अभी एक और मद पर विचार करना है और यदि हम उसे आज नहीं लेते तो कल रेल बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाऊंगा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि सारे देश में सामान्य जीवन रहेगा। किसी नागरिक को कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा यातायात बराबर चलता रहेगा लेकिन जिस किसी हमारे भाई-बहन ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उसके साथ पूरी सख्ती से बर्ताव किया जायेगा। कानून और संविधान की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। यह सरकार की जिम्मेदारी है।

आखिर में, अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि ये शान्त रहें। यह बात सही है कि ये लोग यहां कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कह देते हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि देश में जो चुनाव की बार-बार चुनौती दी जा रही हैं तो वाजपेयी जी, चुनाव जरूर होंगे। यह नहीं कि चुनाव को जितनी मर्जी हो, उतना खींचते रहें। हम सरकार में बैठे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि जब सामान्य स्थिति हो तो चुनाव हों और करवाये। लेकिन चुनाव जरूर होगा। हम भी अखाड़े

में आयेंगे। उस दिन देखेंगे कि कौन अखाड़े के पार आता है। रोज कहना, शोर मचाना कि हम जीतेंगे, जीतेंगे। गांव में कहावत है कि एक कमजोर आदमी ज्यादा बोला करता है जीत से पहले कि उठाओ लंगोट, उठाने वाला कौन है अखाड़े में ? फिर यदि कोई उसका जाकर हाथ पकड़ लेता है तो वह आदमी लड़ाई में हार जाया करता है। इसलिए आप क्यों शोर मचा रहे हो कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। यहां जसवन्त सिंह जी बैठे हैं, वे जानते हैं कि राजस्थान में आज क्या वातावरण है। फिर भी आप जल्दी-जल्दी चुनाव करने के लिए कहकर वहां बी० जे० पी० की छुट्टी करवा देना चाहते हो। क्यों चाहते हो कि बी० जे० पी० की कमजोरी वहां जाहिर हो जाए। लेकिन आपका चैलेंज हमें स्वीकार है। जब वक्त आयेगा तो चुनाव के मैदान में भी हम आपको देखेंगे और हमने यह फैसला किया है कि सभी सैक्यूलर फोर्सेज मिलकर इस देश में कम्यूनल फोर्सेस से लड़ेंगी, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे जब तक कि इस देश में यह फैसला नहीं हो जाता कि सैक्यूलर फोर्स रहेंगी या कम्यूनल फोर्सेज रहेंगी। यह हमारा राजनैतिक फैसला भी है।

इन शब्दों के साथ, एक बार फिर आप सबको विश्वास, अपने भाई अटल जी को विश्वास देना चाहता हूं कि सामान्य स्थिति रहेगी, रैलियां रुकती रहती हैं, चलती रहती हैं, आप क्यों फिक्र करते हो, कोई दिक्कत नहीं आयेगी, कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। हमने शांति के साथ रैली बैन की है, उस कानून का पालन किया जाएगा और वह रैली नहीं होगी। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आपको कोई तकलीफ नही होगी, इसका आप विश्वास रखें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह चाहूंगा कि इस संबंध में सभा निर्णय करे क्योंकि हमने मध्याह्न पश्चात यह सुनिश्चित किया था कि आज अन्य मामलों को भी लेंगे क्योंकि कल रेल बजट का दिन है। यदि हम इसको आज नहीं लेते हैं तो हम बजट की समाप्ति तक इसको नहीं ले पायेंगे।

एक माननीय सदस्य : हम आज ही समाप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम बजट प्रस्तुत होने के बाद इसे ले सकते हैं लेकिन बजट प्रस्तुत होने से पूर्व नहीं क्योंकि यह चर्चा अधूरी रह जायेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : कल रेल बजट 2.00 बजे म० प० प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन परिपाटी यह है कि रेल बजट प्रश्न काल के तुरन्त बाद सभा में प्रस्तुत किया जाता है। पिछले वर्ष भी यह मामला उठाया गया था। जब रेल बजट 5.00 बजे म० प० पर प्रस्तुत किया जाना था। तब यह निश्चय किया गया था कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद इसे लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हमने यह महसूस किया है कि रेल बजट को प्रश्न काल के बाद प्रस्तुत करना कितना कठिन है। इसलिए हमने इसे 2.00 बजे म० प० के लिए नियत किया है। कृपया इस मामले में चर्चा न करें। हमने यह निश्चय किया था और यह घोषणा भी की थी कि बजट भाषण को दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में दिखाया जाएगा। आम जनता 2.00 म० प० पर बजट को देखने का इन्तजार कर रही होगी और इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। अब हमें लम्बे भाषण करने या एक ही विषय पर अनेक भाषण करने से पहले यह सब दिमाग में रखना होगा। अन्यथा सम्पूर्ण कार्यक्रम में अव्यवस्था आ जाएगी।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं सोचता हूं कुछ चर्चाएं हुई थीं। हमें समय नियत करना

चाहिए। उदाहरण के लिए आज शाम हम 7.00 बजे तक बैठेंगे। मन्त्री के उत्तर के बाद जो समय मिलेगा उसमें हम चर्चाएं शुरू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वास्तविकता यह है कि मैंने सभा में ही कहा था कि यह मामला 4.30 म० प० तक जारी रहेगा और बाद में 7.00 म० प० तक दूसरे मामले को जारी रखा जायेगा। रेल बजट प्रस्तुत होने से पूर्व हम कल एक घंटा या उससे ज्यादा समय में इस पर चर्चा करेंगे और इसे निपटायें। लेकिन अब इसमें परेशानी होगी। हम यह समझ लें कि पांच मिनट में जल्दी से जल्दी एक या दो सदस्य बोल सकते हैं। माननीय मंत्री जवाब दे सकते हैं और तब हम कल 1.00 म० प० तक दूसरे विषयों के बारे में विचार कर सकते हैं और यदि जरूरी हुआ। तो सभा को स्थगित कर सकते हैं और रेल बजट को ले सकते हैं और बाद में इसको जारी रखा जायेगा। हमें इस पर निश्चय लेने से पहले यह बात दिमाग में रखनी होगी। इसलिए हमें इसे आसानी से नहीं बदलना चाहिए। यदि हम इसे आसानी से बदलते हैं तो बहुत कठिनाइयां होंगी।

श्री लोकनाथ चौधरी : कल रेल बजट प्रस्तुत होने से पूर्व के समय में बढ़ती कीमतों पर चर्चा शुरू होगी। रेल बजट प्रस्तुत होने के बाद आगे चर्चा जारी रहेगी और पूरी की जाएगी। इसमें कोई कठिनाई नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सभा में एक बार वक्तव्य देने के बाद उसे आसानी से बदला नहीं जाना चाहिए। अन्यथा मुझे यहां परेशानी होती है। मैंरे लिए रेल बजट महत्वपूर्ण है, यदि रेल बजट आपके सामने न आए तो कठिनाई होगी। खैर जो हो गया सो हो गया। अब, श्री सूरज मडल कृपया दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आज 25 फरवरी की रैली की रुकावट के ऊपर सदन में नेताओं द्वारा चिन्ता प्रकट की जा रही है। आज साल भर से मैं समझता हूं कि सिर्फ अयोध्या की घटना को लेकर अयोध्या से दिल्ली तक यह विवाद पहुंच गया है और उस समय भी सारे लोगों ने कहा था, आज भी लोग कहते हैं, लेकिन अब देश की जनता को, दोनों पक्षों, सरकारी पक्ष और विपक्ष के ऊपर से विश्वास उठ गया है। (व्यवधान)

मैं तो बीच का हूं। मैं तो एक दम आपके पक्ष का हो ही नहीं सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, देहात में एक कहावत है कि बड़े लोग अगर गलत काम करते हैं, तो उनको सजा नहीं मिल सकती है। बड़े लोगों को कभी सजा नहीं मिल सकती है, लेकिन छोटे लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा था। आपको याद होगा जब दसवीं लोक सभा के अध्यक्ष का, महोदय चुनाव हो रहा था और मैं अध्यक्ष का प्रस्तावक था, मैंने एक बात कही थी कि दो विभिन्न दलों का मिलान हो गया है, तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। उस वक्त कितना अच्छा लगा था। उस वक्त आडवाणी जी इस पर बोले कि और लोगों के दिलों का मिलानभी होना चाहिए, लेकिन वह नहीं हुआ।

आज 25 तारीख के बारे में जो रैली पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और आज जो गृह मंत्री जी सीना तानकर बोलते हैं कि किसी कीमत पर रैली नहीं होने देंगे, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इसी सदन में अयोध्या के मसले पर आपने कहा था कि मैं सदन में कुछ बोलने के लायक

नहीं हूं, लेकिन 8 से 1 । मिनट के अन्दर हमारी फौज अगर जरूरत पड़ी, तो विवादित ढांचे को घेर लेगी । गृह मंत्री जी यह आपने कहा था और घटना होने के 12 घंटे बार तक आप आराम की नींद सोए रहे थे । आज क्या आप बताएंगे कि आपके ऊपर से देश की जनता का विश्वास नहीं उठ गया है ?

मैने 16 तारीख के अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार, रैली पर प्रतिबंध लगाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारन्टी है कि यहां पर भी अयोध्या की तरह घटना नहीं घटेगी ? कैसे लोगों को विश्वास होगा ? आप इसको पुष्ट करने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं ? फिर इसी तरह से सीना तानकर कह रहे हैं कि हम रैली नहीं होने देंगे । पुलिस को आप घेंरने के लिए लगा रहे हैं । वही बी० जे० पी० के लोग हैं । इस वक्त संगी-साथी लोग छुट्टा खड़े हैं । छुट्टा सांड जिसको कहते हैं । किसान सावन के महीने में जिस बैल को जोतता है, उस महीने में उसके गले में लकड़ी का एक पट्टा लगा देता है,...

अध्यक्ष महोदय : कहानियों के लिए टाइम नहीं है । कृपया पाइंट पर आइये ।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट की बात ही कर रहां हूं । वह बछड़ा ठीक से चलता है, लेकिन,...

अध्यक्ष महोदय : आप बछड़े की चर्चा मत करिए । टाइम नहीं है ।

[अनुवाद]

अन्यथा मैं चर्चा बन्द करा दूंगा, आप सही मुद्दे पर आइए ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण ही दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, । इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री सूरज मंडल : तो फिर मैं बैठ जाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : भाई ये पार्लियामेंट है ।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में गांव की बात होती है । मैं गांव की ही बात कर रहा हूं । मैं कोई विदेश की बात नहीं कह रहा हूं । मैं तो यह कह रहा हूं कि रैली पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है मैं उसके खिलाफ हूं । रैली पर प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसकी सुरक्षा की गारन्टी भी होनी चाहिए कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी । हम लोग भी मीटिंग करते हैं और तीर-धनुष लेकर बात करते हैं । 40-50 हजार आदमी होते हैं । कई बार तो एक-एक लाख आदमी तक होते हैं, लेकिन कोई जरा-सा भी नहीं हिलता है । लेकिन बंगाली में एक जो कहावत है—

"सापार आगे बेगा नाचे
तिमु किछु भेद आहे ।"

इसी तरह के इनके आदेश हैं ।

मैं तो सिद्धांत की बात करूंगा, लेकिन इनको करना यही है । इनका उद्देश्य अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं है । अगर ये धर्म की बात पर विश्वास करते हैं, अगर सही मायने में ऐसा होता,

तो हम लोग भी वफादार हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं। हमारे घर के लोग भी पूजा करते हैं, सारे लोग पूजा करते हैं। लेकिन आज इनको 40 साल के बाद धर्म की बड़ी याद आ रही है। उस समय धर्म की बात नहीं थी जब हरिजन और आदिवासी लोगों को कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। उस समय कौन लोग थे ? क्या आपने कभी देखा है ? आज किसके अत्याचार से अरनाकुलम में हरिजन मुसलमान बन गए, किसके अत्याचार से हिन्दू क्रिश्चियन बन गए ? मैं जानता हूं, आज आप वोट के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस का सारा वोट बैंक घिसटकर बी० जे० पी० में जा रहा है। आप दोनों में ही ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए आप लोग धर्म के नाम पर ठगने का काम मत करिए। हिन्दू किसको बोलते हैं ? आदिवासी मन्दिर में नहीं जाता है।··· (व्यवधान) आपके जैसा कोई होगा जो जाता होगा। इसलिए हिन्दू राष्ट्र की बात करना गलत है। हरिजन लोग भी मन्दिर में नहीं जाते।···(व्यवधान) जिसको एम० एल० ए०, एम० पी० बनना है, वह जाता है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान्, यदि इस तरह प्रत्येक वाक्य का विरोध किया गया तो कार्यवाही कैसे चलेगी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, अब कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दू नहीं हैं, मन्दिर में नहीं जाते हैं, अपनी आत्मा से पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करते हैं, जब हिन्दू राष्ट्र बनेगा तो क्या उन लोगों को जगह मिलेगी या उस तरह से होगा जिस तरह से पहले तमिलनाडु में ब्राह्मण को छोड़कर बाकी लोगों की गर्दन में घंटी बांध देते थे ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैंने आपको रैली पर बोलने के लिए टाइम दिया है। अब मंत्री जी का जवाब होगा।

श्री सूरज मंडल : हम अपनी बात पूरी नहीं करेंगे, लोग डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे चलेगा। हम अपनी बात पूरी करके बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप पाइंट पर बोलिए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आपको जो टाइम दिया गया था वह समाप्त हो गया है।

श्री सूरज मंडल : जहां तक मीटिंग करने की बात है, मीटिंग होनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं कि किसी राजनैतिक दल की सभा पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। अगर प्रतिबन्ध लगता है, वह कानून का उल्लंघन करते हैं तो सबसे पहले राजनैतिक दल को सूची से समाप्त करना चाहिए, तब उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

मैं फिर कहता हूं गृह मंत्री जी, देश की जनता, 6 दिसम्बर की तरह 25 फरवरी को नहीं हो, इसके लिए चिन्तित है। इस ओर कारगर कदम उठाएं। अभी तो संसद में घंटी बजाकर ट्रॉयल हुआ है कि कहीं संसद में न आ जाएं। चिट्ठी आपके घर में गई है, हमने देखा है। यह स्थिति हो गई है भेड़िया आया, भेड़िया आया, इस डर से क्या कर रहे हैं। सरकार है, हिम्मत से काम लेना चाहिए और नियम, कानून तोड़ने वालों को सजा देनी चाहिए। सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर कानून,

मिलिट्री, सी० आर० पी० नहीं होनी चाहिए। बड़े लोगों पर भी कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, इस महीने की 25 तारीख को रैली के बारे में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेताओं ने अलग-अलग राय प्रकट की है और आशानुसार धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वालों तथा धर्म निरपेक्षता की अलग परिभाषा करने वालों के बीच काफी मतभेद हैं।

मैंने अपने सम्माननीय मित्र श्री वाजपेयी जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुना था, वे कह रहे थे कि ऐसे क्या कारण थे जिससे रैली पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि मैंने जो पत्र राष्ट्रपति को लिखा था वह उन्होंने पढ़ लिया होगा, उसमें यह स्पष्ट दर्शाया गया था कि 6 दिसम्बर की घटना से पूरे देश में अशांति फैल गई। अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगा है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को काफी क्षति पहुंची है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की हमारे बारे में जो भी राय है, इस बात पर विचार करना है कि क्या हम वास्तव में उस शपथ पर विश्वास करते हैं जो हमने ली है, प्रत्येक माननीय सदस्य ने इस सभा में संविधान के तहत यह शपथ ली थी। और इसके बाद वह वास्तव में किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है तब अयोध्या की घटना को देखते हुए हम वास्तव में आशंकित हैं और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि रैली के शान्तिपूर्वक ढंग से होने के बारे में मैं आशंकित हूं जिसका कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। जब मैंने वाजपेयी जी से कहा . . .

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : उनका जवाब क्या आया है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : जब मैंने वाजपेयी जी से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर यह वक्तव्य जारी किया है कि 'हमारी मंशा इस रैली को शान्तिपूर्वक वातावरण में करने की है लेकिन यदि कुछ बाहरी तत्व इसमें समस्या खड़ी करें तो इसके लिए हम निश्चित रूप से जिम्मेवार नहीं हैं।' उन्होंने भी आश्चर्यचकित ढंग में कहा था कि 'इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया गया है।' जब जिम्मेवारी लेने की बात है, जब विशेष पार्टी द्वारा रैली की जा रही है और जब वे यह दावा करते हैं कि रैली शांतिपूर्वक होगी, तब यह जरूरी है कि वे इस रैली की जिम्मेवारी लें। वे यह कह कर नहीं बच सकते कि 'बाहरी तत्व इसमें परेशानी उत्पन्न करें तो वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।'

मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी और इससे मैं बहुत आशंकित हो गया था। सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से यह जरूर कहना चाहता हूं कि अयोध्या के मामले में भी हम उतने ही आशंकित थे लेकिन हमें बहुत जिम्मेदार नेताओं ने वादा तथा आश्वासन दिया था। वह साधारण व्यक्ति नहीं हैं, अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का साधारण अनुयायी नहीं है जिसने इस प्रकार का वक्तव्य दिया, वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे जिसने एन० आई० सी० को आश्वासन दिया. सभा में विपक्ष के नेता ने आश्वासन दिया और उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया गया था। इन तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं में सभी पार्टी-नेताओं ने आश्वासन दिया था। जब उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या

में केवल प्रतीकात्मक कार सेवा करने की अनुमति दी थी तो वहां पर लाखों का इकट्ठा होना जरूरी क्यों था और तत्पश्चात् उन्होंने तर्क दिया कि हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया लेकिन कार्य में दूसरे वर्गों के लोग भी सम्मिलित हो गये और इस प्रकार हम भीड़ पर काबू नहीं पा सके ? मैंने दो अत्यन्त महत्वपूर्ण महिलाओं का एक चित्र देखा जिसमें वे मस्जिद गिराने के समय एक दूसरे के गले लग रही थी। मैंने वीडियो टेप देखे हैं और इन्हें देखकर मैं भी हैरान था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नेता ने एक वक्तव्य दिया कि यदि भगवान के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह भगवान के प्रति निष्ठा को चुनेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : यह आडवाणी जी ने कब कहा ?

[अनुवाद)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने आडवाणी जी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता ने ऐसा कहा। वास्तव में, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा मैंने पढ़ा है। यदि मैं गलती पर हूं तो मैं निश्चित रूप से अपने शब्दों को वापस लेने को तैयार हूं। लेकिन किसी व्यक्ति को यह कहते हुए जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जो कुछ कहा जा रहा है या जो आरोप लगाया जा रहा है, वह सच नहीं है। तब मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूं।

महोदय, अब उत्त र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी को सारे देश में इस प्रकार घुमाया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बड़ी बहादुरी का कार्य किया है। यह उनके लिए नायक बन गये हैं। वह हर जगह जा रहे हैं और वहां पर बड़ी-बड़ी रैलियां कर रहे हैं। वहां पर यह घोषणा कर रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं हुआ है और हमें इस बात का गर्व है कि हमने इस ढांचे को गिरा दिया है; उनमें एक प्रकार की ईश्वरी प्रेरणा आ गई और उनका कहना है कि इस ईश्वरीय प्रेरणा के कारण वह कुछ नहीं कर सके और अब उन्हें इस बात पर गर्व है। इसके बाद शिव सेना और विश्व हिन्दू परिषद में इस ढांचे को गिराने के लिए जिम्मेदारी लेने में होड़ लग रही है। अब दोनों इसे गिराने की जिम्मेवारी ले रहे हैं। शुरू-शुरू में एक दावा कर रहा था और बाद में विश्व हिन्दू परिषद भी यह कहकर जिम्मेदारी लेने का दावा कर रही है कि केवल शिव सेना इसका श्रेय नहीं ले सकती और वे भी मस्जिद को गिराने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। इसका क्या मतलब है ? क्या यह निकल भागने का रास्ता है कि तीन या चार इकट्ठे हों और कई बार यदि उनको ठीक लगे तो वे यह कहें कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है और किसी दूसरे ने यह कार्य किया है ? क्या बच निकलने का यही रास्ता आपने भी अपनाया है ? मुझे विश्वास है कि आपका यह अभिप्राय नहीं है। लेकिन इसी प्रकार का वातावरण तैयार किया गया है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने सही कहा है कि अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठा हुआ है। मुझे भारी संख्या में पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें पूछा गया है कि हम पूजा स्थलों की सुरक्षा किस प्रकार करने जा रहे हैं, अनेकों लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि इस बात की सम्भावना है कि कुछ तत्व पूजा स्थलों में प्रवेश करेंगे और वहां पर केसरिया झंडा फहरायेंगे। मैं नहीं जानता कि इस बात में कहां तक सच्चाई है। लेकिन ऐसे पत्र मेरे पास आ रहे हैं और मैंने पुलिस से कहा है कि इन पूजा स्थलों को, जहां इस प्रकार की 'गुण्डागर्दी'—मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए

हो सकती है, ऐसे तत्वों के विरुद्ध संरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वे सम्भवतः किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखने हो। यदि गुण्डागर्दी का यह कार्य किसी वर्ग द्वारा किया जाता है तो पुलिस अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया गया है कि वे इस गुण्डागर्दी की समाप्त करने के लिए अधिक से अधिक बल का प्रयोग करें। हम पूजा स्थलों में इस प्रकार की गुण्डागर्दी को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते, चाहे वह मुस्लिम पूजा स्थल हो या कोई हिन्दू पूजा स्थल हो। हमारी नजर में दोनों समान हैं। मुझे इस बात पर हैरानी नहीं होगी यदि कुछ तत्व लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए कुछ करते हैं। यदि इस प्रकार की अफवाह उड़ती है तो निस्संदेह बाद सम्पूर्ण स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने सारी बातों को भय पैदा करने वाले ढंग से नहीं देखा है लेकिन इसके साथ-साथ मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि कोई गलत बात होती है तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि हम राजनैतिक रैलियां आयोजित करने के विरुद्ध नहीं हैं। हम इस बात का समझते हैं कि राजनैतिक मामलों को केवल राजनैतिक लाइन पर ही लड़ना होगा। लेकिन जिस प्रकार की साम्प्रदायिकता आज हमें देखने को मिल रही है, उससे आप नहीं लड़ सकते। आप दो समुदायों में एक प्रकार का दुर्भाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये कि यह केवल एक अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध नहीं अपितु सभी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। जब आप हिन्दुत्व की बात करते हैं तो आप यह कहते हैं कि हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। इस प्रकार की परिभाषा दी जा रही है। यदि मैं गलती पर हूं तो आडवाणी जी मुझे स्पष्ट करें। यदि वह हिन्दुत्व को राष्ट्रीयत्व कहते हैं तो इसका मतलब हिन्दू राष्ट्र के अलावा और कुछ नहीं है, यदि हिन्दू राष्ट्र बन जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उन लोगों की दया पर निर्भर करेगा जो अपने आपको हिन्दू कहते हैं। इस देश के पथ निरपेक्ष राजतन्त्र के बारे में क्या आपके मस्तिष्क में इस किस्म की परिभाषा है, यदि ऐसा ही है तो हमें यह स्पष्ट रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए कि उस बात पर सहमति हो ही नहीं सकती।

पंथ निरपेक्ष तथा हिन्दुत्व की जो परिभाषा प्रस्तुत की गई है बिना किसी इस डर के कि मेरा विरोध होगा मैं यह कह सकता हूं कि इस बात पर सहमति होगी ही नहीं। जब आप एक बार यह कह देते हैं कि हम समानता में विश्वास करते हैं तथा सभी धर्म समान हैं और अपना विकास करने के लिए उन्हें समान अधिकार दिए गए हैं तथा समान अवसर प्रदान किए गए हैं किंतु यदि एक बड़ा भाग ऐसा है जो यह कहता है कि हम इसके विश्वास नहीं करते तथा हमारा पंथ निरपेक्ष एक प्रकार से हिन्दुत्व है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं तथा जिन्होंने भारत में रहना है— मुझे नहीं पता कि शिवसेना के माननीय सदस्य क्यों चले गए। मैं जानता हूं कि शिवसेना सदैव यह कहती रही है कि जो देश के प्रति वफादार नहीं हैं उन्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। यह फैसला किसने करना है कि वे वफादार हैं या नहीं ? क्या एक वर्ग में ही गद्दार लोग हैं तथा अन्य सभी वर्गों में वफादार लोग हैं।

कुमारी उमा भारती : यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि जो लोग देश के प्रति वफादार नहीं हैं उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो इसमें गलत क्या है।

श्री एस० बी० चव्हाण : क्या यह फैसला आप करने जा रहे हैं कि कौन वफादार है तथा कौन गद्दार है ? यह फैसला कौन करेगा ? क्या आप यह जिम्मेवारी ले सकती हैं कि बहुसंख्यक समाज में कोई भी गद्दार नहीं है। यदि आप सूची चाहती हैं तो मैं यह दिखा सकता हूं कि कितने

हैं। लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तस्करी तथा नशीले पदार्थों के व्यापार में लिप्त हैं तथा फिर भी आप यह दावा करती है कि···

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी (अपरेला) : काश्मीर में जो राष्ट्रध्वज जलाते हैं, वे राष्ट्र विरोधी हैं। देश में जहां-जहा जलाते हैं, वे राष्ट्र विरोधी हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मुद्दे पर एक मौलिक अन्तर है। मौलिक मुद्दे के सम्बन्ध में हम यह भी समझते हैं कि जिस प्रकार की परिभाषा उन्होंने दी है उस पर सहमति हो ही नहीं सकती। उसे स्पष्ट रूप में बता दिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से मैं यह कहता हूं कि जब तक इस बारे में उनकी यही परिभाषा रहेगी इस पर सहमति हो ही नहीं सकती। आप उस किस्म की पंथनिरपेक्षता की उस परिभाषा में तो विश्वास करते ही नहीं जो संविधान में दी गई है। आपकी परिभाषा भिन्न है। यदि उसमें कोई गलती है तो निश्चित रूप में हम स्वयं उसे दूर करने के लिए तैयार हैं किन्तु यदि यही आपका राष्ट्रीयत्व है तो मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि उस पर सहमति हो ही नहीं सकती।

मैं एक बार पुन: कहता हूं कि अल्पसंख्यकों के मन में काफी आशंका है। इस रैली की घोषणा ऐसे वक्त की गई है जब देश में व्याप्त सांप्रदायिक स्थिति बड़ी कठिनाई के साथ धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

उद्देश्यों के बारे में मेरी अपनी भी आशंका है और वह सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम से सम्बन्धित है, जिसे मैं उठाना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर रहा हूं कि तु कभी-कभी मेरे मन में यह आशंका घर कर जाता है कि इन तरीकों का प्रयोग सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों, मंडल-आयोग की रिपोर्ट, जिसे सरकार द्वारा घोषित किया गया है तथा जिसे वह लागू करना चाहती है, को रोकने के लिए, यदि मुझे कहने की अनुमति है, के उद्देश्य से किया जाता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

आपको दुख हो रहा है, आपको मंडल कमीशन के बारे में दुख हो रहा है। (व्यवधान) आपको हमारी मान्यताओं पर कभी विश्वास हो ही नहीं सकता, यह मैं जानता हूं।

[अनुवाद]

मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि वास्तव में मुझे कभी-कभी यह संदेह होता है कि कहीं उनके मन में यह विचार हो कि ऐसे मुद्दों को उठायें जिससे कि सभी लोग सांप्रदायिक वातावरण में उलझ जायें और वे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में न सोच सकें जिससे समाज के गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलता हो और वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हों। वास्तव में, यह भी एक मुद्दा है जो कभी-कभी हमारे मन में आता है, इसलिए इसका मैंने यहां उल्लेख किया है।

जहां तक रैली का संबंध है तो मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि रैली करने पर लगाए गये प्रतिबंध पर सरकार द्वारा पुनर्विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में, हम लोगों

ने बहुत सोच समझकर इस रैली पर प्रतिबन्ध लगाया है किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजनैतिक स्वतंत्रता में विश्वास ही नहीं करते। हम आपको, निश्चय ही, पूरी स्वतंत्रता देने को तैयार हैं परन्तु, ऐसे नाजुक सांप्रदायिक वातावरण में नहीं, जिसमें देश आज है। सर्वप्रथम हम लोग किसी भी कीमत पर उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करना चाहते हैं और तत्पश्चात् आप रैलियां कर सकते हैं। इसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति जारी रहती है, किसी भी वर्ग को रैली की स्वीकृति देना, वास्तव में अपनी कठिनाइयों को बढ़ाना होगा जिससे अल्पसंख्यकों के मन में भय और बढ़ेगा।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें तथा इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि कुछ शरारती तत्व अल्पसंख्यकों के लिए कोई समस्या पैदा करते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह का काम न कर सकें। इसी मुद्दे को मैं स्पष्ट करना चाहता था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब मैंने चर्चा आरम्भ की थी तो दो मुद्दों को उठाया था जिसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसका मुझे दुख है। सर्वप्रथम, इस रैली पर प्रतिबन्ध लगाना गृह मन्त्री के उस आश्वासन के प्रतिकूल है जब उन्होंने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी वैध राजनैतिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आप केवल यह कह रहे हैं कि इससे वहां सांप्रदायिक तनाव होगा। मैं यह महसूस करता हूं कि जब सरकार ऐसे वक्तव्य देती है तो उससे बेकार और अनावश्यक रूप से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है।

दूसरी बात यह है कि जो बात मैंने कही थी उसका जरा भी कहीं जिक्र नहीं है कि रैली पर प्रतिबन्ध लगाना गैर-कानूनी है, आज पूरे देश में अव्यवस्था व्याप्त है। रैली पर प्रतिबन्ध के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

हम सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से पूर्णतः असंतुष्ट हैं और सरकार के व्यवहार अलोकतांत्रिक पद्धति विधिहीन रवैये का हम विरोध करते हैं, तथा हम सभा का बहिष्कार करते हैं।

5.49 म० प०

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, श्री अमल दत्ता, मेरे विचार में इस मामले पर सबसे पहले बोलने वाले वक्ता आप होंगे। मुझे खेद है कि सबसे आखिर में आपको बोलना है।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं माननीय गृह मन्त्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि चर्चा समाप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे मामले पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्री श्रीकांत जेना, मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है। मैं उन्हें बोलने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हू। मैं आपकी नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : वह कुछ जवाब चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं। श्री अमल दत्त कृपया एक मिनट इन्तजार करें।

श्री श्रीकांत जेना : मैं दिल्ली में अन्य राजनैतिक दलों द्वारा रैलियां किए जाने पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं धर्म निरपेक्ष दलों की चिन्ता को अच्छी तरह समझता हूं जो रैली आयोजित करके ऐसे धर्म निरपेक्ष विरोधी ताकतों को करारा उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो निस्संदेह इससे भेदभाव उत्पन्न होगा। यदि इस भेदभाव को लेकर कुछ लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे कदम को रद्द कर दिया जाएगा। इसी कारण हमने ऐसा करना आवश्यक समझा है। यदि हम उन्हें अनुमति नहीं देते हैं तो अन्य भी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यदि उनके आपस में मतभेद हों तो वे भी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : आप साम्प्रदायिक लोगों और धर्मनिरपेक्ष लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण

5.52 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

नागालैंड राज्य के संबंध में 2-4-1992 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द करने वाली दिनांक 22-2-1993 की उद्घोषणा

गृह मंत्री (श्री एस बी० चव्हाण) : महोदय, मैं नागालैंड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 2 अप्रैल, 1992 को जारी की गई उद्घोषणा जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत 22 फरवरी, 1993 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 79 (अ) में प्रकाशित हुई थी, को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत

राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 22 फरवरी, 1993 की उद्घोषणा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3380/93]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, अगली मद लिए जाने से पूर्व मैं माननीय गृह मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं। उन्हें 'नहीं' नहीं कहना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि "ठीक है, हम स्थिति का उस समय आकलन करेंगे जब कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा करना चाहें।" आप इस पर योग्यता के आधार पर विचार करें। आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रकार नहीं चल सकता। मैं श्री नीतीश कुमार को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। उनका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

5.53 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चाएं—जारी

(दो) कोयला, इस्पात आदि के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि तथा खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल के लिए दोहरी मूल्य नीति लागू करना

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए कहा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालांकि अब छः बजने वाले हैं। तथापि, इस सत्र के पहले दिन ही हमें एक अवसर दिया जा रहा है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अतः हम अपना कार्य आरम्भ करते हैं चाहे दिन समाप्त होने वाला ही क्यों न हो।

महोदय, प्रत्येक बजट सत्र से पूर्व कीमतों में कुछ न कुछ वृद्धि हमेशा होती रही है। हालांकि, हाल ही में, 1991 में यह इतनी अधिक नहीं हुई थी, यह काफी कम थी, 1991-92 में भी यह अधिक नहीं थी। हमने सोचा था कि बजट से पूर्व, सदन की अनुमति के बिना, कीमतों में ऐसी वृद्धि के सरकारी प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति लिए बिना सरकार द्वारा कीमतों में वृद्धि करने की यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी अथवा कम से कम यह इतनी अधिक नहीं होगी जितनी कि पहले थी। परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने बजट सत्र आरम्भ होने से लगभग 10 दिन पूर्व ही ऐसा कार्य कर दिया है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, और कीमतों में ऐसी वृद्धि का हमारे द्वारा विरोध करने का कारण सर्वविदित है। क्योंकि इस प्रकार से कीमतों में वृद्धि अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से प्रभावित करती है। दोनों ही प्रकार से यह गरीब व्यक्ति के विरुद्ध जाता है। सर्वप्रथम, सामान्यतः हम देखते हैं कि नियंत्रित कीमतों में वृद्धि उन वस्तुओं को प्रभावित करती है जो गरीब आदमी द्वारा प्रयोग की जाती हैं। जैसा कि इस मामले में हम देखते हैं, सार्वजनिक विवरण

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रणाली में वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल की विक्रय कीमत में वृद्धि कर दी गई है। दोहरी कीमत प्रणाली लागू करके मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ाया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि चीनी की निर्गमन कीमत में वृद्धि की गई है। परन्तु ये सभी उन कमजोर वर्गों के लोगों का बजट प्रभावित करेंगे जो अपने आपको इस मूल्य वृद्धि के विरुद्ध तैयार नहीं कर सकते। ये व्यक्ति कमजोर हैं, ये हाथ से कार्य करने वाले हैं, वे वेतनभोगी वर्ग के हैं जिनके वेतन में निरन्तर वृद्धि नहीं होती है क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो जाती है। गरीब लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर इस कीमत वृद्धि के प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त, इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होता है क्योंकि ऊर्जा जैसे आदान की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अब कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई है। कोयले की कीमत में वृद्धि का तात्पर्य विद्युत की कीमत में वृद्धि तथा कोयले का प्रयोग करने वाले अनेक अन्य उद्योगों की कीमतों में स्वतः वृद्धि है। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो सब जगह विद्युत उत्पादन में काम आता है। इस्पात, कोयला और कच्चा माल अनेक उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, अतः इनका इन सभी उद्योगों पर विभिन्न स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। इसे हम आम कीमत स्तर पर मुख्य कीमत वृद्धि का बहुविध प्रभाव, सोपानी प्रभाव कहते हैं।

यह बात भली-भांति स्पष्ट है कि सरकार इस प्रकार की कीमत वृद्धि से जितनी प्राप्ति की आशा कर रही है वह उससे बहुत अधिक मात्रा में निर्धन व्यक्ति को अन्ततः गंवाना पड़ेगा। नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि का यह दुष्परिणाम है और सरकार इसे जानती है। उसके बावजूद वे गरीब लोगों पर कर लगाने के इस गंभीर तरीके का सहारा ले रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार इस समय नियंत्रित कीमत में इस वृद्धि से क्या प्राप्त करेगी। इससे पूर्व सरकार यह भी कहा करती थी कि किसी वस्तु विशेष की कीमत में वृद्धि से सरकार को 200 करोड़ रुपये अथवा 400 करोड़ रुपये की आय होगी। इस बार सरकार ने कोई अनुमान नहीं बताया है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी आलोचना धीमी है। परन्तु मान लीजिए कि सरकार को इस मूल्य वृद्धि से केवल 1000 करोड़ रुपये की आय हो जाती है तो क्या जनता को अपनी जेबों से 1000 करोड़ रुपए नहीं निकालने पड़ेंगे? उन्हें 2000 अथवा 3000 करोड़ रुपए निकालने पड़ेंगे क्योंकि कीमतों में और वृद्धि होगी कुछ मूल्य वृद्धि आदानों की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप होगी, कुछ पारिणामिक वृद्धि केवल इसलिए होगी कि कुछ कीमतों में वृद्धि की जा चुकी है। व्यापारियों को उन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने का अवसर मिल जाता है जिसका इस आदान विशेष से कोई संबंध नहीं होता है। वे इस अवसर का लाभ उठायेंगे। वास्तव में, जनता को होने वाली क्षति सरकार की प्राप्ति से अधिक होगी। और इसका शेष धन उन उद्योगपतियों, व्यापारियों, दुकानदारों, फुटकर विक्रेताओं, कमीशन एजेन्टों और सभी प्रकार के व्यक्तियों की जेबों में जाएगा जो सामान्यतः कर का भुगतान नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, समाज में इससे काले धन तथा इसके बुरे प्रभावों को बढ़ावा मिलेगा। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह केवल अलोकतंत्रीय ही नहीं है बल्कि यह पूर्णतया अनुचित है तथा यह बिल्कुल उसी बात को बढ़ावा देती है जो सरकार काले धन और काले धन की अर्थव्यवस्था के बारे में रहती है तथा अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने में गरीब लोगों पर कर लगाने के बारे में रहती है। यह बिल्कुल वही बात है जो सरकार कहती है, तथा ये इसके विरुद्ध हैं। सरकार आज भी यही कह रही है। पहले वे इस बात को काफी जोर देकर कहते थे। किंतु आज वे दबी जबान में भी यह कह रहे हैं कि वे समाज में उन लोगों के पक्ष में नहीं हैं जो काला धन कमा रहे हैं तथा उस काले धन का अर्थव्यवस्था तथा मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था से बाहर धन कमाने में उपयोग कर रहे हैं।

6.00 म० प०

महोदय यह पहला पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि हर बार ऐसा ही क्यों हो रहा है। केवल बजट के कारण हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। यह केवल इसके कारण ही नहीं है किन्तु यह इसके कारण है कि सरकार परवाह ही नहीं करती। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक इनको यह कह देते कि वे इस पर या उस पर कर न लगाए, इसको या उस ब्याज को न बढ़ायें, तो मैं समझ सकता हूं। किन्तु इन्होंने इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि क्यों कर दी है?

आज हम बड़ी अजीबे-गरीब स्थिति देख रहे हैं। गेहूं के दाम बढ़ा दिए हैं। ये कहते हैं कि ये 50 रु० प्रति क्विंटल अधिक दे रहे हैं इसका अर्थ है कि एक किलो गेहूं पर 50 पैसे अधिक किसानों को दे रहे हैं इसलिए मूल्यों में वृद्धि की गई है। किन्तु क्या वे वास्तव में किसानों से गेहूं खरीदते हैं। वे ये आढ़तियों से खरीदते हैं तथा वे बिचौलियों से खरीदते हैं। जिस समय तक सरकार अपना खरीदगारी कार्यक्रम शुरू करती है जब तक गेहूं गरीब किसानों के पास बचता ही नहीं क्योंकि उनसे व्यापारी लोग ले लेते हैं तथा होता यह है कि सरकार व्यापारियों को लाभ पहुंचाती है।

यह बात हमने उस समय सुनी थी जब हम गेहूं के आयात के बारे में चर्चा कर रहे थे। खाद्य मंत्री जी ने तो हमें उस समय यह बताया था कि चूंकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए पर्याप्त गेहूं नहीं खरीद पाए इसलिए उन्हें 5 रु० अधिक दाम पर गेहूं आयात करना पड़ा जबकि भारतीय किसानों को ये 3 रुपए अधिक नहीं दे सकते। किन्तु वास्तव में ये किसान नहीं थे भारतीय किसान तो खुशी से अपना अनाज बेचता बल्कि वे भारतीय व्यापारीये तथा काला बाजारिए थे जिन्होंने गेहूं इकट्ठा कर रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार उनके सामने झुकेगी।

6.02 म० प०

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

महोदय मेरे विचार से आप मेरे से पूर्ण रूप से सहमत होंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हाऊस कितने बजे तक चलेगा।

सभापति महोदय : सात बजे तक।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सदन की परमिशन के बगैर हाऊस नहीं बढ़ सकता है। आपने सदन की राय ली है या नहीं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : जब तक आप सभा की सहमति नहीं लेंगे समय को नहीं बढ़ाया जा सकता। यह नियम है··· (व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय आपने व्यवस्था पहले ही दे चुके हैं कि सभा की बैठक 7.00 बजे तक चलेगी। सभा उस पर सहमत हो चुकी है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हम 6 30 म० प० तक बैठेंगे। यह अधिकतम अवधि होनी चाहिए।

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। तत्पश्चात् मैं सभा की राय लूंगा।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय, जब आप अपना निर्णय देते हैं तो आप उनके बारे में भूल जाते हैं। आप स्वयं अपना निर्णय दे सकते हैं। यह फैसला किया जा चुका है कि सभा 7.00 बजे तक बैठेगी···(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, वे पुनः कैसे शुरू कर सकते हैं ? आपको अपना निर्णय देना है।

सभापति महोदय : श्री अमल दत्त, अपना भाषण जारी रखें।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं कह रहा था कि जब सरकार गेहूं के मूल्यों में वृद्धि करती है तो इस वृद्धि का लाभ वास्तव में गेहूं उत्पादकों अर्थात् किसानों तक नहीं पहुंचता। किसानों को उचित पारिश्रमिक देने के नाम पर वह व्यापारियों की जेबें भर रहे हैं। सरकार द्वारा घोषित वृद्धि काफी समय पश्चात आती है यह किसान तक तब पहुंचती है जब वह अपने माल को बहुत कम कीमत पर व्यापारियों को बेच देता है। यहां तक कि दलील के तौर पर यह माना जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गेहूं या चावल उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्राप्त करने हेतु सरकार को वास्तव में 50 रुपए प्रति क्विंटल अधिक देने पड़ते हैं। तब भी सरकार ने जो निर्गम मूल्य निर्धारित किया है, क्या वह न्यायोचित है।

और भी कई अनुमान हैं। सरकार यह क्यों नहीं देख पाती कि जो चीजें वह बाजार से खरीदती है उसे ठीक प्रकार से रखा जाए और उस पर घाटा न हो। यह सर्वविदित है कि सरकार की भण्डारण प्रणाली इतनी खराब है कि सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तुएं अनन्तः नष्ट हो जाती हैं और मानवीय उपभोग के लिए ठीक नहीं रहती। ऐसा सरकार की अकुशलता और सरकार के समर्थक व्यापारियों और दलालों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की सरकार की इच्छा के कारण होता है। इसके कारण, गेहूं के निर्गम मूल्य में वृद्धि की शक्ल में निर्धन लोगों को अधिक धन देना पड़ता है।

आप रसोई गैस और मिट्टी के तेल के बारे में जानते हैं। रसोई गैस कोई ऐसी चीज नहीं है जो वास्तव में गरीबों को मिलती हो। आज मैं देखता हूं कि दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों में यहां तक कि निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी घरेलू ईंधन के रूप में कम से कम रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। न केवल यही नहीं बल्कि इस कारण से भी इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इन महानगरों में पर्यावरण इतना खराब हो गया है कि लोगों कई बीमारियां हो रही हैं जो रसोई गैस जैसे ईंधन के अधिकाधिक प्रयोग से दूर की जा सकती हैं। इस बारे में सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए।

अनेक वर्षों से हम जानते यह थे कि इन शहरों में पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा था। वास्तव में दिल्ली तथा कलकत्ता दोनों में ही—बम्बई की स्थिति मैं नहीं जानता—प्रदूषण का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अन्तर्गत स्वीकार्य स्तर से पांच गुणा अधिक है। इसलिए सरकार को अधिक रसोई गैस का उत्पादन करने और उपलब्ध कराने के लिए एक नीति बनानी चाहिए थी।

दूसरी ओर सरकार क्या कर रही है। वह भारत में बम्बई हाई से तथा अन्य क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को जला रहे हैं। प्रतिदिन लाखों घनफुट गैस बेकार जा रही है। हर रोज 70 या 80 लाख घनफुट गैस जुलाई जा रही है। सरकार के इस निर्णय के अभाव, निर्णय लेने में असफलता, उचित निवेश करने में असफलता, हालांकि तेल क्षेत्र में काफी फालतू धन है, का

नुकसान किसे होगा ? एक समय तेल समकरण खाते में 10,000 करोड़ रुपए की राशि थी। जब प्रो० मधु दण्डवते वित्त मंत्री थे और श्री गुरूपद स्वामी पेट्रोलियम मंत्री थे, तो मैं दोनों के पास गया उनसे पूछा, इस कोष का क्या हुआ ? विभिन्न रिपोर्टों में इस बात का उल्लेख दें। उन्होंने बताया: उन्हें नहीं मालूम कि पिछली सरकार ने इस धन को कैसे खर्च किया। उन्होंने यह धन किस मद पर खर्च किया है। 10,000 करोड़ रुपए खर्च गए हैं। इस खाते में 10,000 करोड़ रुपए की राशि थी।

वास्तव में, बाद में मैंने एक सेमिनार में 10,000 करोड़ रुपए के बारे में यही बात कही और एक विशेषज्ञ अर्थात् पैट्रोलियम सचिव ने मेरी बात में सुधार किया कि यह धन बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए हो गया था। वह सारा धन चला गया है। यह कैसे गया और कहां गया, कोई नहीं जानता ? इसके बाद, सरकार ने लोगों की जेब से 200 या 400 करोड़ रुपए और निकालने के लिए एक दोहरी मूल्य नीति तैयार की। इस शानदार ढंग से यह लोग इतने वर्षों से सरकार चला रहे हैं और मेरे विचार मे इसी हताशा के कारण आम आदमी का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहा है। एक दलीय शासन की यह बुराई है कि उन्होंने संसद के प्रति जबावदेही की परवाह नहीं की। एक दलीय शासन की यही बुराई है और आप अल्जीरिया, मोरक्को जैसे देशों और कुछ अन्य स्थानों पर इसका प्रभाव देख सकते है।

आंकलित मूल्मों की सबसे बड़ी बुराई यह है कि सरकार इसे संसद की अनुमति के बिना स्वयं निर्धारित करती है। दूसरे इससे गरीबों की जेब से पैसा निकाला जाता है और तीसरे इससे बिचौलियों और काला बाजारियों की जेब में पैसा पहुंचता है। आंकलित मूल्यों में वृद्धि की इस प्रणाली के द्वारा सरकार की अकुशलता भी छुप जाती है। मूल्य क्या होने चाहिए इस बारे में तंत्र है। बी० आई० सी० पी० द्वारा मूल्य में वृद्धि की सिफारिश की जाती है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति जी, इस समय कोयले के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन कोयला मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सरकार यहां उपस्थित है।

श्री संतोष मोहन देव : राज्य सभा में इसी विषय पर चर्चा चल रही है। हम दो यहां हैं बाकी लोग वहां हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे विचार से सभा की जानकारी में यह लाना आवश्यक है माननीय कोयला राज्य मंत्री ने यह मुद्दा उठाया है और अध्यक्ष महोदय को इसका उल्लेख किया है। उन्होंने अनुमति ली है और वह दूसरे सदन में दूसरी चर्चा में भाग ले रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : किन्तु दूसरी सभा पहले ही स्थगित हो चुकी हैं।

सभापति महोदय : खैर, सरकार यहां मौजूद है। कृपया अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति जी, इस समय महत्वपूर्ण विषय को लिया जा रहा है। लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : सरकार आकलित मूल्य वृद्धि के संबंध में अपनी अकुशलता को छिपाने का प्रयत्न कर रही है। यदि उन्हें वस्तुतः बढ़ाया ही जाना था तो उन्हें बी० आई० सी० पी० की सिफारिशों के अनुसार करना चाहिए था। उन्हें सदन के समक्ष आकर बताना चाहिए था कि यह सिफारिशें हैं और उन्हें मूल्यों में वृद्धि करनी है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। परन्तु उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया और इस वर्ष भी ऐसा नहीं किया।

दूसरी बात यह है जब आकलित मूल्य में वृद्धि के जरिए किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यदि उत्पाद शुल्क जैसा कर लगाया जाए तो भी वही बात होगी। उस मामले में, सरकार को राज्य सरकारों को भी उनका हिस्सा देना होगा और वह उन्हें भी उनका हिस्सा नहीं देना चाहते। सभी लाभ वह स्वयं उठाना चाहते हैं ताकि राज्य सरकारों को धन न मिले और राज्य सरकारों के राजस्व; खजानों आदि पर भारत सरकार का नियंत्रण उनके लिए विवेकाधीन अनुदानों की व्यवस्था करके बना रहे। अधिकांश राज्य सरकारों के आधे बजट का वित्त पोषण विवेकाधीन अनुदानों के रूप में केन्द्रीय बजट से होता है। सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें उनकी दया पर रहें। यही वह पांचवां कारण है और बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से सरकार नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि करती है बजाय इसके कि उसी धन के वह करों में वृद्धि करके प्राप्त करे। यह बहुत गलत तरीका है। बार-बार इसका विरोध किया गया है लेकिन हमें उलझन में डालने के लिए सरकार वास्तविक आंकड़े नहीं बता रही है कि उन्हें कितना धन मिलेगा।

एक हजार करोड़ से पांच हजार करोड़ तक के अनेक प्राक्कलन हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे आंकड़े नहीं बताये कि वास्तव में अपने प्राक्कलन के अनुसार उन्हें कितना धन प्राप्त होगा। इसलिए इस पद्धति को छोड़ा जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि बजट से पूर्व या बजट प्रक्रिया के माध्यम से कीमतों में इस बढ़ोतरी को तुरन्त वापस ले। यह मेरा निवेदन है और मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

सभापति महोदय : मैं सोचता हूं कि सभा का मत है कि हम 7 बजे तक बैठें।

श्री श्रीकान्त जेना : यह तो निश्चित नहीं किया गया था। यह निश्चय हुआ था कि माननीय सदस्य का भाषण पूरा हो जाने के बाद आज की सभा स्थगित की जा सकेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : पहली बार जब हम यहां पर बैठे हैं, इस पर तो आप मान जाइए।

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अभी नियम 377 के अधीन सूचनाएं भी करने के लिए शेष हैं।

सभापति महोदय : हां।

श्री छेदी पासवान : उन्हें पहले ले लीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

नियम 377 के अधीन मामले

6.17 म० प०

(एक) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से देश के विभिन्न भागों में आकर बसे विस्थापित बंगालियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, विस्थापित बंगाली परिवार 1941 से 1968 तक भारतवर्ष के आजाद होने से पहले ही भारत में आये, उस समय भारत सरकार द्वारा इन लोगों को पश्चिम बंगाल में ही शरण दिलाई गई। बाद में ये लोग 1946-1962 में विभिन्न राज्यों में भेजे गये। उस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोई जानकारी नहीं थी। 1965 के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने नमोशुद्र, माझी, पण्डक्षेत्र, मण्डल को अनुसूचित जाति की मान्यता दी। तृतीय चतुर्थ लोकसभा में विस्थापित बंगाली परिवारों की जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में बिल पेश किया गया लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं हो पायी। 1988 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बंगाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिलाने के लिए एक आदेश पारित किया था।

1941 से 1968 तक विस्थापित बंगालियों को भारत सरकार ने स्थायी पुनर्वास भी नहीं दिया है।

अत: आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन 1941-1968 तक पूर्वी पाकिस्तान से आये सभी विस्थापित बंगालियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी पुनर्वास देने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

(दो) बिहार के रोहतास जिले में दुर्गावती जलाशय परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, बिहार के रोहतास जिला के अन्तर्गत दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास सन् 1976 में किया गया था तथा सन् 1980 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। इस परियोजना पर अब तक सरकार का 68 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, फिर भी परियोजना का मुख्य हिस्सा आज तक नहीं बन सका है। इस परियोजना से निकलने वाली मुख्य नहरों की जो खुदाई हुई है, वह भी आज प्रायः नहीं के बराबर रह गयी है। ऐसा देखा जा रहा है कि परियोजना निर्माण का कार्य तेजी से नहीं चल पा रहा है। उपरोक्त परियोजना का आवश्यक हिस्सा आठवीं योजना में पूरा किया जाना है, लेकिन अभी इस परियोजना में चल रहे कार्य को देखने से नहीं लगता है कि यह आठवीं योजना में पूरा हो पायेगा। इस तरह परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब होने से इसकी प्राक्कलित राशि में भी वृद्धि होगी तथा जनता के बीच दिन-प्रतिदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु अलग से एक निश्चित धनराशि का आबंटन कर परियोजना का निर्माण कार्य एक किसी बड़ी कम्पनी से

कराया जाये ताकि वह कम्पनी एक निश्चित समय सीमा के भीतर परियोजना निर्माण का कार्य पूरा कर सके।

[अनुवाद]

(तीन) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, में "5 के" क्षमता का इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल के छह जिलों का मुख्यालय और एक मंडलीय नगर होने के साथ-साथ एक औद्योगिक नगर के रूप में उभर रहा है। इसके पूरे विकास के लिए दूरसंचार सुविधायें जरूरी हैं। वर्तमान में यहां एक 'टके' का इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र है, इसकी क्षमता लगभग 1600 इकाई की है जो पहले ही पूरी हो चुकी है। 2000 से भी अधिक लोग बड़ी उत्सुकता से दूरभाष कनेक्शनों का इन्तजार कर रहे हैं। संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए टेलीफोन कनेक्शन भी लम्बे समय से विचाराधीन पड़े हैं। इस गम्भीर समस्या को देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जलपाईगुड़ी को '5 के' का इलेक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र तुरन्त स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

[हिन्दी]

(चार) देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित चर्चा सदन में उठाना चाहता हूं—

"हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का स्थान सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत जो निर्वाचन पद्धति बनायी गई, उसमें जबर्दस्त खामियां हैं। उन्हीं खामियों के चलते प्रथम लोक सभा चुनाव जो कि 1952 में हुए, जिसमें राजनीतिक पार्टियों ने धर्म और जाति का सहारा लेकर चुनाव में भाग लिया, जो पार्टी बहुमत में आई, वह पार्टी धर्म और जाति के आधार पर ही, सरकार का गठन कर सकी और सरकार चलाई। धर्म और जाति को राजनीति में समावेश कर लिया गया एवं यह इतना मजबूत हो गया कि हम लोगों को लोक सभा में धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए विधेयक लाना पड़ा, लेकिन विधेयक पास होने के बावजूद भी हम इसको अपने राजनीतिक छुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए अलग नहीं कर पाये। अगर लोक तन्त्र की जड़ को मजबूत करना है, धर्म, साम्प्रदायिक तत्वों को समाप्त करना है, तो सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर इसी सत्र में चुनाव पद्धति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि देश का लोकतन्त्र मजबूत हो सके एवं देश की एकता और अखण्डता एवं सार्वभौमिकता बरकार रहे। आने वाले चुनाव में धर्म, जाति एवं अपराधीकरण को निकाला जा सके, ताकि देश का प्रशासन स्वच्छ एवं निष्पक्ष रहे।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मूल्य वृद्धि के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करें ?

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघाणी (अमरेली) : सभापति महोदय, आप सदन में नये विषय पर चर्चा शुरू कराने जा रहे हैं, लेकिन सदन में कोरम तो है ही नहीं । चर्चा शुरू होने से पहले मेरा निवेदन है कि सदन में कोरम पूरा होना चाहिए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है ।

घंटी बजाई गई है । कोरम पूरा न होने के कारण सभा कल 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

6.25 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 फरवरी, 1993/5 फाल्गुन, 1914 (शक) के 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली 110053 ।